CHAHAL ACADEMY

मासिक पत्रिका

सितम्बर 2025

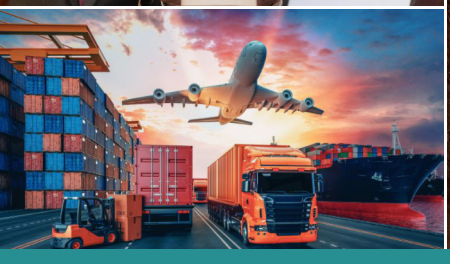
समसामयिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी के लिए











विशेष आकर्षण

सितम्बर

मासिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न

THE HINDU

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

इसमें शामिल है:

- समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन
- समाचार में प्रमुख व्यक्तित्वों का निधन
- सितम्बर माह में महत्वपूर्ण दिवस
- समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली
- समाचारों में चर्चित पुरस्कार

महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के आलेख

- योजना 90
- कुरुक्षेत्र 94
- डाउन टू अर्थ 99
- इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली 101
- फ्रंटलाइन 70

**प्रारंभिक परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित बहुवैकल्पिक अभ्यास प्रश्न*

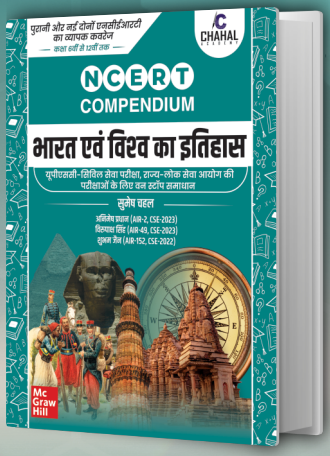
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत
- पाँच नए समुद्री विधेयक
- निर्यात संवर्धन मिशन
- वन अधिकारों के लिए 'सनसेट क्लॉज़'
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
- वैश्विक एआई-गवर्नेंस पर भारत-चीन
- भारत-अमेरिका 2+2 अंतर-सत्रीय वार्ता
- महिला कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि
- एस्कीट सिद्धांत
- खारे पानी के मगरमच्छ
- 'अचूक प्रहार' अभ्यास
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
- कार्बन ट्रेडिंग के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण
- भारत का पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क
- इसरो द्वारा गगनयान के लिए एयर ड्रॉप परीक्षण
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया विनियमन का आह्वान

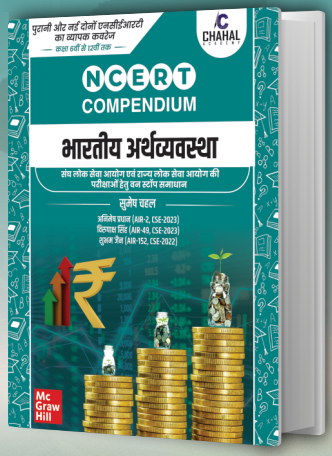
चहल एकेडमी द्वारा
एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम

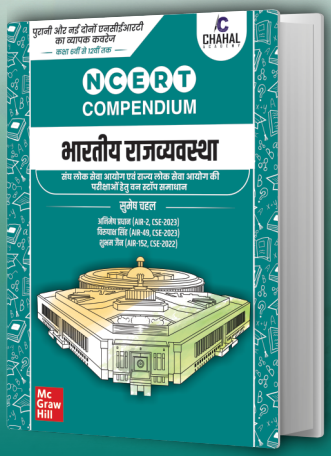
"हमारी एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम सीरीज एक ही विषय के लिए विभिन्न कक्षाओं की कई एनसीईआरटी पुस्तकों को कवर करने की समस्या का समाधान करती है। यह कॉम्पेंडियम सीरीज अभ्यर्थियों को कम समय में समग्र एनसीईआरटी को कवर करने में मदद करेगी, साथ ही प्रत्येक इकाई के बाद अभ्यास प्रश्न के माध्यम से अपने प्रदर्शन के स्व-परीक्षण में भी सहायक सिद्ध होगी।"

चहल एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम सीरीज की सभी पुस्तकें

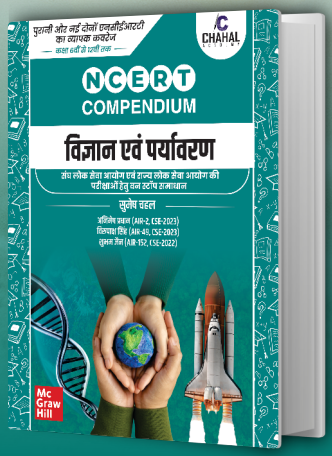












CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)
www.chahalacademy.com
Follow Us

अनुक्रमणिका

राजव्यवस्था एवं शासन 3

- जम्मू और कश्मीर विधान सभा की नामांकन शक्तियाँ 3
- ओबीसी क्रीमी लेयर मानदंड 4
- पहला डिजिटल साक्षर राज्य: केरल 5
- पाँच नए समुद्री विधेयक 6
- बोनार्ड स्टैंडर्ड 9
- एस्कीट का सिद्धांत 11
- ड्राफ्ट सिविल ड्रोन (प्रोत्साहन और विनियमन) विधेयक 2025 12
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025 13
- आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 14
- व्यक्तिगत अनुकूली अधिगम 16
- पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम 2025 18
- शिक्षा का अधिकार और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान 19

अंतरराष्ट्रीय संबंध 21

- लिपुलेख दर्रा का मुद्दा 21
- ग्लोबल एआई गवर्नेंस पर भारत-चीन 21
- ग्लोबल साउथ के साथ भारत का बढ़ता जुड़ाव और बहुपक्षीय सहयोग 23
- सऊदी-पाकिस्तान के बीच "रणनीतिक पारस्परिक रक्षा" समझौता 25
- भारत और ईरान: नई दुनिया को आकार देने वाली प्राचीन सभ्यताएँ 25
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत 26
- रक्षा खरीद नियमावली - 2025 28
- भारत-सिंगापुर संबंध 29
- भारत-अमेरिका 2+2 अंतरसत्रीय वार्ता 30
- भारत-जापान संबंध 31
- एच-1बी वीज़ा 33
- यूरोपीय संघ-भारत का नया रणनीतिक रोडमैप - 2025 34

अर्थव्यवस्था एवं कृषि 36

- शहरी चुनौती निधि (अर्बन चैलेंज फण्ड) 36
- भारत का श्रम उत्पादकता अंतराल 37
- आरबीआई तरलता प्रबंधन ढांचे की समीक्षा 38
- छाया शिक्षण (शैडो स्कूलिंग) 39
- निर्यात संवर्धन मिशन 41
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 42
- अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) एवं कृषि परिवारों का स्थिति आंकलन सर्वेक्षण (SAS) 42
- भारत उपभोक्ता दृष्टिकोण रिपोर्ट 43
- जीडीपी वृद्धि दर 7.8% पर पहुंची 44

पर्यावरण एवं भूगोल 46

- यूएनएफसीसीसी (COP-30): ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस में वार्ता से कार्यान्वयन तक 46
- एकल-धारा बनाम बहु-धारा प्रवाह वाली नदियाँ 47
- उच्च समुद्री संधि 48
- वन अधिकारों के लिए 'सनसेट क्लॉज' 49
- खारे पानी के मगरमच्छ 51
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 52
- राष्ट्रीय कार्बन व्यापार प्राधिकरण 53
- भारत का पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क 54
- अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) 55

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 57

- फेंटेनाइल: वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा 57
- आकाशगंगा में दुर्लभ चतुष्क तारा प्रणाली की खोज 58
- सूर्या एआई: सौर पूर्वानुमान में नासा और आईबीएम की सफलता 58
- चंद्र मॉड्यूल प्रक्षेपण यान (एलएमएलवी) 59
- इसरो का एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण (आईएडीटी-1) 60
- प्रतुश रेडियोमीटर 60
- कच्छ में जारोसाइट की खोज: भारत का अपना मंगल ग्रह सदृश्य प्रतिरूप 61
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की छिपी मानवीय लागत 62
- संभव: भारत का स्वदेशी सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम 63
- इसरो द्वारा गगनयान के लिए एयर ड्रॉप टेस्ट 63

रक्षा एवं सुरक्षा 65

- अभ्यास 'सस्टेनेबल पॉवर 1404' 65
- अभ्यास 'मैत्री' 65
- मिशन 'सुदर्शन चक्र' 65
- सीआईएसएफ की पहली महिला कमांडो यूनिट 66
- भारतीय सशस्त्र बलों के लिए तीन नए संयुक्त सिद्धांत 67
- अभ्यास 'अचूक प्रहार' 67

सामाजिक मुद्दे 69

- भारत में बौनापन और कुपोषण: एक सतत चुनौती 69
- यूजीसी अधिगम (लर्निंग) परिणाम आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा (LOCF) 2025 69
- घरेलू क्षेत्र और महिला सशक्तिकरण 70
- शीर्ष न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया विनियमन का आह्वान 71

इतिहास एवं संस्कृति 72

- अथचमायम महोत्सव 72
- दारुमा गुड़िया 73
- सिराराखोंग हथेई मिर्च उत्सव 74
- मानकी-मुंडा प्रणाली 75
- हड़प्पा लिपि 76
- यूनेस्को की सूची में भारत के संभावित स्थल 77

सरकारी योजनाएँ 80

- आदि कर्मयोगी अभियान: जमीनी स्तर पर आदिवासी नेताओं का निर्माण 80
- महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना 80
- पीएम मित्र योजना 81
- मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना महिला रोज़गार योजना 82

महत्वपूर्ण रिपोर्ट 83

- वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 83
- राज्य वित्त रिपोर्ट (स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट) 84
- होमस्टे पर पुनर्विचार: सतत पर्यटन के लिए नीति आयोग का दृष्टिकोण 84
- महिला कार्यबल भागीदारी में वृद्धि 85
- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24 86

समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व 87

- आचार्य विनोबा भावे (1895-1982) 87

- सी. पी. राधाकृष्णन: भारत के 15वें उपराष्ट्रपति 87
- सुशीला कार्की - नेपाल की पहली महिला प्रधान मंत्री 88

'योजना' से महत्वपूर्ण आलेख 90

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन - विकसित भारत @2047 के लिए मार्ग प्रशस्त 90
- महिलाओं को सशक्त बनाना और बच्चों का पोषण करना 92

'कुरुक्षेत्र' से महत्वपूर्ण आलेख 94

- रोजगार को बढ़ावा, भारत का निर्माण - ईएलआई योजना एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली योजना 94
- ग्रामीण भारत के लिए एआई-सक्षम डिजिटल कौशल 96

'डाउन टू अर्थ' से महत्वपूर्ण आलेख 99

- जलवायु परिवर्तन और डेंगू का बढ़ता वैश्विक बोझ 99
- एआई-आधारित रेटिनल इमेजिंग: पूर्वानुमानित स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक नया आयाम 99

'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' के महत्वपूर्ण आलेख 101

- भारत में नियोक्ता सामाजिक सुरक्षा लाभ और नौकरी प्रतिधारण: आर्थिक विकास के लिए नीतिगत निहितार्थ 101
- भारत में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) 102

त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन) 104

- समाचारों में चर्चित महत्वपूर्ण दिवस 104
- समाचारों में प्रमुख कार्यक्रम/शिखर सम्मेलन/सम्मेलन 104
- समाचारों में प्रमुख पुरस्कार एवं प्रशस्तियां 104
- समाचारों में चर्चित प्रमुख शब्दावलियाँ 105
- समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्वों का निधन 105

'द हिंदू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न 106

- दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न 106
- दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास प्रश्न 117

राजव्यवस्था एवं शासन

जम्मू और कश्मीर विधान सभा की नामांकन शक्तियाँ

चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में कहा है कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित करने की शक्ति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना भी प्रयोग में लाई जा सकती है।

मुख्य विवरण

- इन नामांकनों में दो महिलाओं, दो कश्मीरी प्रवासियों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित एक व्यक्ति को शामिल किया जाना है।
- इस दावे ने संवैधानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से लोकतांत्रिक जवाबदेही, निर्वाचित सरकारों बनाम नियुक्त प्राधिकारियों की भूमिका और केंद्र शासित प्रदेशों में शक्तियों के विभाजन पर बहस छेड़ दी है।

संवैधानिक प्रावधान

- भारत का संविधान संसद और राज्य विधानसभाओं, दोनों में मनोनीत सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देता है।
- लोकसभा में दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों और राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो-इंडियन सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान 2020 में समाप्त कर दिया गया था।
- **राज्यसभा** में 12 मनोनीत सदस्य (साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले) होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति (अनुच्छेद 80) द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- जिन छह राज्यों में **विधान परिषदें** हैं, वहाँ लगभग छठा भाग सदस्य मनोनीत होते हैं, और ये नियुक्तियाँ राज्यपालों द्वारा राज्यों की मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती हैं (अनुच्छेद 171)।

एंग्लो-इंडियन सदस्य

- इससे पहले, संविधान राष्ट्रपति (अनुच्छेद 331) को लोकसभा में दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों को और राज्यपालों (अनुच्छेद 333) को राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो-इंडियन सदस्य को नामित करने की अनुमति देता था।
- दोनों प्रावधानों को 2020 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया।

कानूनी/वैधानिक प्रावधान

संघ राज्य क्षेत्र	कानूनी आधार	निर्वाचित विधायकों की संख्या	मनोनीत विधायक	शक्ति किसके पास है?
दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 3	70 निर्वाचित विधायक	कानून के अनुसार कोई मनोनीत विधायक नहीं।	लागू नहीं
पुदुचेरी	संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 3	30 निर्वाचित विधायक	अधिकतम 3 मनोनीत विधायक	केंद्र सरकार को नामांकन का अधिकार है। व्यवहार में, नामांकन केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के तहत किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश की मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है या नहीं, इस पर बहस/अदालती फैसलों का विषय रहा है।
जम्मू और कश्मीर	जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 14 (2023 में संशोधित)	90 निर्वाचित सीटें	अधिकतम 5 नामांकित व्यक्ति (2 महिलाएं, 2 कश्मीरी प्रवासी + 1 पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित)	उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के बिना भी नामांकन कर सकते हैं (हाल ही में गृह मंत्रालय के हलफनामे के अनुसार)

शामिल न्यायिक सिद्धांत

- **केंद्र शासित प्रदेश राज्य नहीं हैं:** केंद्र शासित प्रदेशों (जहाँ वे मौजूद हैं) में विधान सभाएँ संसद के अधिनियमों द्वारा बनाई जाती हैं, न कि संविधान द्वारा, ठीक उसी तरह जैसे राज्य विधानमंडलों का गठन होता है। इसलिए, शक्ति और संरचना (नामांकन सहित) कानून द्वारा परिभाषित होती हैं।
- **सहायता और सलाह का सिद्धांत:** राज्यों में (और कई केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में), राज्यपाल या इसी तरह के संवैधानिक पदधारी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं। सवाल यह है कि क्या यह तब लागू होता है जब उपराज्यपाल या केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन करती है, खासकर जब क़ानून मौन हो या उपराज्यपाल या केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान करता हो।
- **न्यायालयों के निर्णय:** न्यायालयों (उच्च न्यायालयों, और कभी-कभी सर्वोच्च न्यायालय) ने केंद्र शासित प्रदेशों के अधिनियमों और पिछले नामांकनों की व्याख्या की है। उदाहरण के लिए, पुदुचेरी के एक मामले (के. लक्ष्मीनारायणन बनाम भारत संघ, 2018) में इस बात पर चर्चा की गई थी कि क्या केंद्र शासित प्रदेश सरकार की सलाह आवश्यक है।
- **लोकतांत्रिक जवाबदेही और संघीय संतुलन:** चिंताएँ विशेष रूप से तब प्रबल होती हैं जब मनोनीत सदस्य छोटी विधानसभाओं में बहुमत/अल्पमत संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। यदि मनोनयन शक्तियाँ अनिर्वाचित अधिकारियों (जैसे उपराज्यपाल) के पास हों और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश सरकार की सलाह की आवश्यकता न हो, तो इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों का जनादेश कमज़ोर हो सकता है।

न्यायिक व्याख्याएं और फैसले

- **पुदुचेरी मामला (के. लक्ष्मीनारायणन बनाम भारत संघ, 2018):** मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार की सलाह की आवश्यकता के बिना पुदुचेरी विधानसभा में तीन विधायकों को नियुक्त करने के केंद्र सरकार के अधिकार की पुष्टि की।
  - ✓ इसमें नामांकन प्रक्रिया के संबंध में वैधानिक स्पष्टता की आवश्यकता का सुझाव दिया गया था, जिसमें संबंधित प्राधिकार और प्रक्रियाएं शामिल थीं; हालांकि, बाद में अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने इन सिफारिशों को पलट दिया।
- **दिल्ली मामला (दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ, 2023):** सर्वोच्च न्यायालय ने "त्रिस्तरीय कमान" के सिद्धांत की जाँच की, जो यह स्थापित

करता है कि लोक सेवक मंत्रियों के प्रति, मंत्री विधानमंडल के प्रति और विधानमंडल मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं।
- इसने निर्धारित किया कि उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना होगा, सिवाय उन मामलों के जो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों।

प्रमुख प्रभाव, चुनौतियाँ और संभावित परिणाम

आयाम	प्रभाव	चुनौतियां
लोकतांत्रिक मानदंड	एलजी को सीधे नियंत्रण की सुविधा देता है; सलाह सिद्धांत को कमजोर करता है	निर्वाचित सरकारी प्राधिकरण को नष्ट कर देता है
राजनीति	विधानसभा में सत्ता की गतिशीलता बदल सकती है	चुनावों में जनता का विश्वास कमज़ोर करता है
कानूनी	वैधानिक अस्पष्टता; व्याख्या के द्वार खोलता है	एलजी की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का खंडन
संघवाद	केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की भूमिका बढ़ी	केंद्र शासित प्रदेश की स्वायत्तता कम हो जाती है
शासन	अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है	नामांकन के राजनीतिकरण का खतरा

निष्कर्ष

निर्वाचित सरकार की सलाह के बिना उपराज्यपाल द्वारा विधायकों का नामांकन लोकतांत्रिक जवाबदेही और संघीय संतुलन को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा करता है। समावेशी प्रतिनिधित्व का लक्ष्य रखते हुए, ऐसे कदमों से चुनावी वैधता को कमज़ोर करने और सत्ता के केंद्रीकरण का जोखिम है, जिससे जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट कानूनी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता उजागर होती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के बिना उपराज्यपाल द्वारा जम्मू और कश्मीर विधान सभा के लिए सदस्यों को नामित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख संवैधानिक चिंता है?

(a) यह न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है
(b) यह लोकतांत्रिक जवाबदेही और प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत को कमजोर करता है
(c) यह केंद्र सरकार की वित्तीय शक्तियों का अतिक्रमण करता है
(d) यह भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का उल्लंघन करता है

उत्तर: (b)

ओबीसी क्रीमी लेयर मानदंड

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार केंद्रीय और राज्य सरकार की सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, विश्वविद्यालयों आदि में विभिन्न पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' मानदंड के आवेदन में "समतुल्यता" सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार कर रही है।

मुख्य विवरण

- ओबीसी की 'क्रीमी लेयर' को परिभाषित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देश व्यापक नहीं हैं। कुछ विसंगतियाँ हैं जो कोटा लाभों के सुसंगत कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं। सरकार इस मुद्दे को हल करने का प्रस्ताव रखती है।
- विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ नीति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) जैसे संगठनों के बीच विचार-विमर्श के बाद एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है।

क्रीमी लेयर की अवधारणा

- 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा इंदिरा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद शुरू की गई थी, जिसमें मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को बरकरार रखा गया था, लेकिन यह निर्धारित किया गया था कि ओबीसी के भीतर संपन्न वर्ग, जिसे 'क्रीमी लेयर' कहा जाता है, को आरक्षण के लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए।
- परिणामस्वरूप, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 1993 में मुख्य रूप से आय और पैतृक व्यवसाय के आधार पर क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

प्रस्तावित समतुल्यता ढांचा

- **पद पदानुक्रम में क्षेत्रवार समतुल्यता**
  - ✓ सरकारी सेवाओं में पदों को वर्तमान में समूह ए, बी, सी और डी में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें समूह ए आमतौर पर क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखा जाता है।
  - ✓ नए ढाँचे में अन्य क्षेत्रों में समान स्तर के पदों को शामिल करने का प्रस्ताव है:
    - ➢ **विश्वविद्यालय:** सहायक प्रोफेसर (स्तर 10), एसोसिएट प्रोफेसर (स्तर 13ए) और प्रोफेसर (स्तर 14) को ग्रुप ए के समकक्ष माना जा सकता है, इस प्रकार उन्हें ओबीसी आरक्षण से बाहर रखा जा सकता है।
    - ➢ **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त निकाय:** उच्च कार्यकारी या प्रबंधकीय पदों को सरकारी सेवा स्तरों के समकक्ष समूहीकृत किया जा सकता है।
    - ➢ **निजी क्षेत्र:** यद्यपि यह अधिक जटिल है, फिर भी आय सीमा (वर्तमान में ₹8 लाख/वर्ष, जिसे संभावित रूप से ₹15 लाख तक संशोधित किया जा सकता है) को समकक्षता के प्रतिनिधि के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- **माता-पिता के व्यवसाय मानदंड का मानकीकरण**
  - ✓ वर्तमान में, क्रीमी लेयर का दर्जा माता-पिता की स्थिति और आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
  - ✓ यह ढाँचा विभिन्न क्षेत्रों में "समतुल्य पदों" की एक समान परिभाषा तैयार करेगा, उदाहरण के लिए, एक निजी क्षेत्र के सीईओ या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को एक आईएएस अधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकारी के समान माना जा सकता है।
  - ✓ एक समान व्यावसायिक सीमाएँ उन विसंगतियों को दूर करेंगी जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में समान स्तर के पदों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है।
- **आय सीमा और घटकों की समीक्षा**
  - ✓ क्रीमी लेयर के बहिष्कार के लिए वर्तमान आय सीमा ₹8 लाख प्रति वर्ष (2017 में निर्धारित) है।
  - ✓ बढ़ती आय और मुद्रास्फीति के आधार पर इसे ₹15 लाख तक संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है।
  - ✓ नए ढाँचे में कर चोरी और हेराफेरी को रोकने के लिए कृषि आय, निजी व्यावसायिक आय या संपत्ति सहित आय की गणना को भी पुनर्परिभाषित किया जा सकता है।
- **धन और परिसंपत्ति स्वामित्व का समावेश**
  - ✓ निजी क्षेत्र में, विशेष रूप से, धन और संपत्ति समृद्धि के सूचक के रूप में काम कर सकते हैं।
  - ✓ सरकार उन क्षेत्रों में क्रीमी लेयर के व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आय और संपत्ति का एक संयुक्त मापक अपना सकती है जहाँ नौकरी के स्तर मौजूद नहीं हैं।
  - ✓ उदाहरण के लिए, कई व्यावसायिक संपत्तियों, महंगे वाहनों या बड़ी कृषि भूमि के मालिकों को क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जा सकता है।

- **राज्यों और संस्थानों में एक समान व्यवहार**
  - ✓ वर्तमान में, राज्यों में क्रीमी लेयर के अलग-अलग नियम हैं, और कुछ संस्थान (जैसे, आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय) असंगत तरीके से मानदंड लागू कर रहे हैं।
  - ✓ प्रस्तावित ढाँचा:
    - ➢ केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों सहित पूरे देश में समान मानकों को लागू करें।
    - ➢ ऐसी विसंगतियों से बचें जहाँ कोई उम्मीदवार एक संस्थान में ओबीसी आरक्षण के लिए योग्य हो, लेकिन दूसरे में नहीं।
- **डिजिटल सत्यापन और रिकॉर्ड के साथ लिंक करना**
  - ✓ समतुल्यता ढाँचे को सत्यापन के लिए डिजिटल उपकरणों (जैसे डिजिलॉकर, आय डेटाबेस, आधार-लिंक्ड रिकॉर्ड) के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
  - ✓ **इससे यह सुनिश्चित होगा:**
    - ➢ क्रीमी लेयर की स्थिति की पहचान में पारदर्शिता।
    - ➢ आय/स्थिति की जालसाजी या गलत रिपोर्टिंग में कमी।
- **आवधिक समीक्षा तंत्र**
  - ✓ इस ढाँचे में एक समीक्षा खंड शामिल होने की संभावना है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि मानदंड समय और आर्थिक परिवर्तनों के साथ अद्यतन होते रहें।
  - ✓ इससे पुरानी आय सीमा और सामाजिक वास्तविकताओं की समस्या से बचा जा सकेगा।
- **शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएं**
  - ✓ कुछ प्रस्ताव सामाजिक उन्नति के अतिरिक्त संकेतकों के रूप में शैक्षिक योग्यता या स्कूली शिक्षा के प्रकार (कुलीन बनाम सरकारी स्कूल) को भी शामिल करने का सुझाव देते हैं।
  - ✓ हालाँकि, यह विचार अभी भी विवादास्पद है और अभी तक औपचारिक नीति का हिस्सा नहीं है।

तात्पर्य

- **आनुप्रयोगिक एकरूपता:** यह क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक मानकीकृत पद्धति तैयार करेगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विसंगतियाँ कम होंगी।
- **बढ़ी हुई पारदर्शिता:** एक स्पष्ट और सुसंगत ढाँचा आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता को बेहतर बनाएगा।
- **योग्य उम्मीदवारों का संभावित बहिष्कार:** निष्पक्षता के लक्ष्य के साथ, यह जोखिम बना हुआ है कि कड़े मानदंडों के कारण कुछ योग्य उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण से बाहर हो सकते हैं।

सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ	प्रशासनिक निहितार्थ
ओबीसी समुदायों में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है • यह सुनिश्चित करता है कि ओबीसी वर्ग के अधिक वंचित व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मिले। • यह बेहतर स्थिति वाले ओबीसी (जिनके पास उच्च नौकरियाँ/आय है) को हाशिए पर पड़े लोगों के लिए निर्धारित लाभों से वंचित करता है।	**विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण** • सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र में क्रीमी लेयर के बहिष्कार के लिए एक समान मानदंड लागू करता है। • भर्ती और प्रवेश में नियमों के अनुप्रयोग में भ्रम को कम करता है।
अंतर-ओबीसी असमानता को कम करता है • यह सभी क्षेत्रों में समृद्ध वर्ग को बाहर रखकर ओबीसी ब्लॉक के भीतर पदानुक्रम को समतल करने में मदद करता है। • इससे कारीगरों, किसानों, अनौपचारिक श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के निजी नौकरियों में लगे लोगों के लिए अवसर खुल सकते हैं।	**अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही** • विभागों या राज्यों द्वारा क्रीमी लेयर की स्थिति की विवेकाधीन व्याख्या को कम करता है। • डिजिटल रिकॉर्ड-लिंकिंग (आय, नौकरी ग्रेड) प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बना सकती है।
अति-बहिष्कार की चिंताएँ • कुछ लोगों को डर है कि योग्य उम्मीदवार (जैसे मध्यम स्तर के कर्मचारियों या स्व-नियोजित पेशेवरों के बच्चे) व्यापक मानदंडों के कारण अनुचित रूप से बाहर हो सकते हैं। • उच्च शिक्षा और नौकरियों में, विशेष रूप से निजी क्षेत्र की पृष्ठभूमि से, योग्य ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या कम होने का जोखिम।	**कार्यान्वयन जटिलता** • निजी क्षेत्र, स्वायत्त निकायों या शैक्षणिक संस्थानों में पदों की "समतुल्यता" निर्धारित करना व्यक्तिपरक और कठिन हो सकता है। • इसके लिए विस्तृत और क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है और इसमें कानूनी या प्रक्रियात्मक देरी का सामना करना पड़ सकता है।
शैक्षिक पहुँच का प्रभाव • यदि संशोधित आय/संपत्ति सीमा के साथ संतुलन नहीं बनाया गया, तो समकक्षता के कारण उम्मीदवारों को बाहर करने से प्रतिष्ठित संस्थानों में ओबीसी प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। • यदि व्यापक सहायता उपायों (जैसे छात्रवृत्ति, कोचिंग, आदि) द्वारा समर्थित नहीं किया गया, तो सामाजिक गतिशीलता कम हो सकती है।	**सत्यापन का बोझ** • आय, व्यवसाय, संपत्ति के सत्यापन का प्रशासनिक बोझ बढ़ता है, खासकर असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में। • मैनुअल कागजी कार्रवाई और संभावित भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

क्रीमी लेयर की शर्त के क्रियान्वयन में समतुल्यता स्थापित करने पर सरकार का विचार मौजूदा असमानताओं को दूर करने और आरक्षण लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालाँकि, निष्पक्षता और समावेशिता के उद्देश्यों में संतुलन बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीतिगत सुधार बिना किसी अनपेक्षित बहिष्करण के इच्छित उद्देश्य की पूर्ति करें।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की शर्त के अनुप्रयोग में 'समतुल्यता' स्थापित करने के प्रस्ताव के पीछे के तर्क की आलोचनात्मक जाँच कीजिए, तथा इसके संभावित सामाजिक-आर्थिक और प्रशासनिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

पहला डिजिटल साक्षर राज्य: केरल

चर्चा में क्यों: हाल ही में, केरल को आधिकारिक तौर पर **100%** डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य घोषित किया गया।

मुख्य विवरण

- यह उपलब्धि डिजी केरलम (या डिजी केरल) कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुई है, जिसे स्थानीय स्वशासन विभाग के तहत केरल सरकार द्वारा 2023 में शुरू किया गया है।
- 83 लाख से ज़्यादा परिवारों (लगभग 83 लाख परिवार) में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को शामिल करते हुए एक सर्वेक्षण किया गया।

- सर्वेक्षण में लगभग 21.88 लाख लोगों की पहचान डिजिटल रूप से निरक्षर के रूप में की गई। उनमें से लगभग 99.98-99.99% ने प्रशिक्षण पूरा किया और मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए। इनमें 90 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं।
- प्रशिक्षण में विभिन्न सामाजिक समूहों कुदुम्बश्री, एनएसएस, एनसीसी, युवा संगठनों आदि के स्वयंसेवकों (2.5 लाख से अधिक स्वयंसेवक) ने भाग लिया।
- मॉड्यूल में स्मार्टफोन का उपयोग, व्हाट्सएप संदेश भेजना, ई-सेवाओं/सार्वजनिक सेवा ऐप्स का बुनियादी उपयोग, गैस बुकिंग, गूगल सर्च और सोशल मीडिया का उपयोग जैसी बुनियादी बातें सिखाई गईं। इसमें फर्जी खबरों जैसे जागरूकता संबंधी पहलू भी शामिल थे।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

- **साक्षरता की गुणवत्ता:** बुनियादी डिजिटल साक्षरता (संदेश भेजना, आदि) अच्छी है, लेकिन क्या यह अधिक जटिल उपयोग (जैसे, डिजिटल वित्तीय सुरक्षा, साइबर जागरूकता) के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल में तब्दील हो जाती है?
- **कनेक्टिविटी की समस्याएँ:** दूरस्थ या आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी नेटवर्क उपलब्धता और डिवाइस एक्सेस को लेकर संघर्ष हो सकता है।
- **स्थिरता और अद्यतन:** डिजिटल तकनीक तेज़ी से बदलती है, प्रशिक्षण मॉड्यूल को निरंतर अद्यतन करने की आवश्यकता होगी; यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग कौशल का उपयोग करते रहें।
- **समानता की चिंताएँ:** हालाँकि लगभग सभी को कवर किया गया था, फिर भी कुछ लोग इससे वंचित रह सकते हैं, खासकर शारीरिक रूप से अक्षम, अत्यधिक वृद्ध, संसाधनों से दूर रहने वाले। यह सत्यापित करना कि "पूर्णता" सार्थक पहुँच में तब्दील हो जाती है।
- **स्वयंसेवकों पर निर्भरता:** स्वयंसेवकों द्वारा संचालित मॉडल अच्छे हैं, लेकिन गुणवत्ता और स्थिरता में भिन्नता का जोखिम है। पर्यवेक्षण और मानकीकरण महत्वपूर्ण हैं।

निहितार्थ और महत्व

- **अन्य राज्यों के लिए मॉडल:** एक अनुकरणीय टेम्पलेट जो दर्शाता है कि प्रतिबद्धता, सामुदायिक भागीदारी और सुदृढ़ योजना के साथ, डिजिटल विभाजन को पाटा जा सकता है।
- **ई-गवर्नेंस को बढ़ावा:** डिजिटल भुगतान, सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच, स्मार्ट गवर्नेंस जैसे व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल साक्षरता आधारभूत है।
- **आर्थिक समावेशन:** अधिक लोगों को रोज़गार के अवसरों, ऑनलाइन बाज़ारों, वित्तीय समावेशन तक पहुँचने में मदद करता है, जिससे आजीविका को बढ़ावा मिल सकता है।
- **सामाजिक सशक्तिकरण:** वृद्ध लोगों, महिलाओं और ग्रामीण निवासियों के लिए डिजिटल साक्षरता अलगाव को कम कर सकती है, सूचना, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी तक पहुँच में सुधार कर सकती है।

भारत में डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता क्यों है?

- **डिजिटल विभाजन को पाटना**
  - ✓ प्रौद्योगिकी तक पहुँच और उसके उपयोग में ग्रामीण-शहरी और सामाजिक-आर्थिक स्तर पर बड़ा अंतर।
  - ✓ डिजिटल निरक्षरता, विशेष रूप से डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, आवश्यक सेवाओं से वंचितता को और बढ़ा देती है।
- **सरकारी सेवाओं तक पहुँच**
  - ✓ डिजिलॉकर, कोविन, राशन कार्ड प्रबंधन, भूमि रिकॉर्ड, यूपीआई भुगतान जैसी सेवाओं के साथ, डिजिटल रूप से साक्षर होना अब वैकल्पिक नहीं रह गया है।
- **हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना**
  - ✓ महिलाएं, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण आबादी डिजिटल कौशल के बिना असमान रूप से पीछे रह गई हैं।
- **संकटों में लचीलापन**
  - ✓ कोविड-19 ने दिखाया कि डिजिटल कौशल की कमी के कारण लाखों लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सहायता से वंचित रह गए।

सरकारी पहल

योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य
डिजिटल इंडिया (2015)	डिजिटल सशक्तिकरण और कनेक्टिविटी
पीएम गरीब डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)	5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता
सामान्य सेवा केंद्र	ग्रामीण क्षेत्रों में ई-सेवाओं तक अग्रिम पहुँच
राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन	प्रति परिवार एक वयस्क के लिए डिजिटल साक्षरता
केरल की पहल	
पहल	**विशेषताएँ**
डिजी केरल मिशन (2023)	लक्षित 100% डिजिटल साक्षरता
अक्षय केंद्र (2002 से)	पंचायत स्तर पर डिजिटल पहुंच बिंदु
कुडुम्बश्री स्वयंसेवक	आउटरीच और प्रशिक्षण में प्रमुख एजेंट
पुल्लमपारा मॉडल	भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल पंचायत (2022) - एक खाका के रूप में कार्य किया

आगे की राह

- **सतत शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र:** पुस्तकालयों, विद्यालयों और पंचायतों के माध्यम से आवधिक डिजिटल पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
- **बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा:** अंतिम छोर तक इंटरनेट पहुँच, रियायती स्मार्टफ़ोन और डिजिटल पुस्तकालयों में निवेश करें।
- **डिजिटल साक्षरता + वित्तीय साक्षरता:** साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा (विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए) के साथ डिजिटल प्रशिक्षण को एकीकृत करें।
- **मानकीकृत मापदंड:** डिजिटल साक्षरता को मापने और निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय मानक विकसित करें, न केवल प्रशिक्षित लोगों की संख्या के माध्यम से, बल्कि उपयोग के पैटर्न के माध्यम से भी।
- **पाठ्यक्रम एकीकरण:** स्कूल स्तर की शिक्षा में, विशेष रूप से स्थानीय भाषा माध्यम वाले स्कूलों में, डिजिटल कौशल को शामिल करें।

निष्कर्ष

केरल की उपलब्धि भारत के डिजिटल परिवर्तन में एक मील का पत्थर है, जो यह साबित करती है कि समुदाय-आधारित, समावेशी मॉडल संरचनात्मक कमियों को दूर कर सकते हैं। हालाँकि, लक्ष्य को बुनियादी साक्षरता से आगे बढ़कर गहन डिजिटल सशक्तिकरण की ओर विकसित होना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक नागरिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षित और सार्थक रूप से भाग ले सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: "डिजिटल साक्षरता अब एक विलासिता नहीं, बल्कि समावेशी शासन और सहभागी लोकतंत्र के लिए एक आवश्यकता है।" केरल के भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बनने के आलोक में, लोकतांत्रिक भागीदारी और समावेशी विकास को मज़बूत करने में डिजिटल साक्षरता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

पाँच नए समुद्री विधेयक

चर्चा में क्यों: भारतीय संसद ने पांच ऐतिहासिक समुद्री विधेयक पारित किए, जिन्होंने औपनिवेशिक युग के समुद्री कानूनों में सुधार किया और नीली अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया।

मुख्य विवरण

- इन विधेयकों का उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य, पर्यावरण सुरक्षा उपायों और तटीय नौवहन में सुधार लाना है।

- भारत समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अंतर्गत अपने समुद्री क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना चाहता है।

नीली अर्थव्यवस्था

- नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनमी), आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोज़गार के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को संदर्भित करती है, साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को भी संरक्षित रखती है।
- यह नौवहन और मछली पकड़ने जैसे पारंपरिक समुद्री-आधारित क्षेत्रों से आगे बढ़कर, निम्नलिखित जैसे उभरते क्षेत्रों को भी शामिल करती है:
  - ✓ समुद्री जैव प्रौद्योगिकी
  - ✓ गहरे समुद्र में खनन
  - ✓ अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे, पवन, ज्वारीय)
  - ✓ तटीय पारिस्थितिक पर्यटन
  - ✓ स्थायी जलीय कृषि
  - ✓ समुद्र-आधारित जलवायु समाधान

पाँच प्रमुख समुद्री कानूनों के बारे में

विधेयक	पिछला कानून	मुख्य विशेषताएं/ उद्देश्य
बिल ऑफ लैडिंग बिल, 2025		✓ कानूनी दस्तावेजों (लदान बिल) को सरल बनाना, विवादों को कम करना, तथा व्यापार करने में आसानी बढ़ाना।
समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक, 2025	भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 (जो पहले के हेग नियमों आदि पर आधारित था)	✓ 1925 के अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है। ✓ कानून की भाषा और संरचना को सरल बनाया गया है, अस्पष्टता और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अधिक आधुनिक प्रारूप तैयार किया गया है। ✓ ढाँचे (जैसे ज़िम्मेदारियाँ, दायित्व, अधिकार, उन्मुक्तियाँ) को "काफी हद तक" बरकरार रखा गया है, लेकिन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मानकों और संधियों के साथ अधिक निकटता से संरेखित किया गया है। ✓ केंद्र सरकार को अधिसूचना के माध्यम से लदान बिलों से संबंधित लागू नियमों/नियमों की अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, जिससे अद्यतन अधिक लचीले हो गए हैं। ✓ विस्तारित प्रयोज्यता: भारतीय बंदरगाहों से विदेशी बंदरगाहों तक और भारतीय बंदरगाहों के बीच ले जाए जाने वाले माल को कवर करता है।
तटीय नौवहन विधेयक, 2025		• तटीय नौवहन में भारत की हिस्सेदारी (वर्तमान में ~ 6%) को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य, ताकि लॉजिस्टिक लागत (लगभग ₹10,000 करोड़ प्रतिवर्ष) को बचाया जा सके, प्रदूषण और सड़क भीड़भाड़ को कम किया जा सके।
मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025	व्यापारी नौवहन अधिनियम 1958; तटीय पोत अधिनियम 1838	✓ कई पुराने, खंडित कानूनों को एक समेकित ढाँचे से प्रतिस्थापित करता है। ✓ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलनों (SOLAS, MARPOL, बलास्ट जल प्रबंधन, मलबा हटाना, आदि) के साथ संरेखित करता है। ✓ जहाजों की परिभाषा और दायरे को व्यापक बनाता है: इसमें मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाइयाँ, पनडुब्बियाँ, गैर-विस्थापन शिल्प शामिल हैं। ✓ स्वामित्व के लिए अधिक सुविधा: भारतीय ध्वज वाले जहाजों का स्वामित्व पूर्णतः/आंशिक रूप से भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों, प्रवासी भारतीय नागरिकों, या कंपनियों/सहकारी समितियों के पास हो सकता है; पंजीकरण अधिक लचीला है। ✓ अनुपालन का बोझ कम हुआ है, अधिक डिजिटल/दूरस्थ/इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाएँ (पंजीकरण, प्रमाणपत्र) आदि। ✓ सुरक्षा, पर्यावरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रावधानों में सुधार हुआ है।
भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025	भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 (औपनिवेशिक युग)	✓ 1908 के कानून का स्थान लेता है। ✓ गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर अधिकार रखने वाले राज्य समुद्री बोर्ड बनाता है, जिससे राज्यों को अधिक स्वायत्तता/ज़िम्मेदारी मिलती है। ✓ केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने और एकीकृत योजना प्रदान करने के लिए एक समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) की स्थापना करता है। ✓ पर्यावरण सुरक्षा उपाय: बंदरगाह प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट संग्रहण सुविधाएँ, "हरित बंदरगाह" पहल, तटीय विद्युत आदि। ✓ बंदरगाह क्षेत्र के लिए विशिष्ट विवाद समाधान तंत्र। ✓ डिजिटलीकरण; सरलीकृत प्रक्रियाएँ; पारदर्शी टैरिफ नीतियाँ; बंदरगाह संचालन को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना।

सम्बद्ध लाभ

- **आधुनिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ संरेखण:** कई पुराने कानून **20**वीं सदी के आरंभ या मध्य के हैं, जो समकालीन नौवहन, व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा मानदंडों के साथ मेल नहीं खा सकते। इन्हें अद्यतन करने का अर्थ है कि भारत का समुद्री क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।
- **कम कानूनी अड़चनें और व्यापार करने में बेहतर सुगमता:** दस्तावेज़ों (जैसे लदान बिल) को सरल बनाना, हेग-विस्बी जैसे नियमों को अपनाना, बंदरगाहों और नौवहन के लिए स्पष्ट नियमन मुकदमेबाजी, अस्पष्टता और देरी को कम करने में मदद कर सकते हैं - इन सभी पर धन और समय की बर्बादी होती है।

- **तटीय नौवहन के माध्यम से लागत बचत और पर्यावरणीय लाभ:** तटीय नौवहन के मॉडल शेयर को बढ़ाकर, सड़क भीड़भाड़, उत्सर्जन और अंतर्देशीय परिवहन की लागत को कम किया जा सकता है। लगभग ₹10,000 करोड़ प्रतिवर्ष की बचत महत्वपूर्ण है।
- **बंदरगाहों पर बेहतर बुनियादी ढाँचा/शासन:** राज्य समुद्री बोर्डों को अधिक शक्तियाँ देना, विवाद समाधान में सुधार करना, समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन करना - ये संस्थाएँ छोटे बंदरगाहों और राज्यों को अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने, बंदरगाह क्षमता में सुधार और अड़चनों को कम करने में मदद कर सकती हैं।
- **आपात स्थितियों से बेहतर तरीके से निपटना:** मलबे को हटाने और बचाव से जुड़े कानून सुरक्षा, पर्यावरण (तेल रिसाव, जहाज़ तोड़ने वाली दुर्घटनाएँ आदि) और जोखिम कम करने के लिए ज़रूरी हैं। ज़्यादा कुशल प्रक्रियाएँ नुकसान और लागत को कम कर सकती हैं।

हेग-विस्बी नियम

- ✓ हेग विस्बी नियम, समुद्र के रास्ते माल की ढुलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक समूह है, जिसे शिपर्स (माल मालिकों) और वाहकों (जहाज मालिकों) के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों को मानकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ✓ ये 1924 के हेग नियमों का एक अद्यतन संस्करण हैं, और विस्बी प्रोटोकॉल (1968) द्वारा संशोधित किए गए थे, इसलिए इन्हें हेग विस्बी नियम कहा जाता है।

इसका लक्ष्य है:

- ✓ मालवाहकों द्वारा अनुचित व्यवहार से माल स्वामियों की रक्षा करें
- ✓ दायित्व की स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करके मालवाहकों की रक्षा करें
- ✓ एकसमान मानक बनाएँ, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग में विवादों को कम करें
- ✓ भागीदार देशों में कानूनी रूप से लागू हों

भारत अब हेग-विस्बी नियम क्यों अपना रहा है?

- ✓ अब तक, भारत पुराने ढाँचे (समुद्री माल परिवहन अधिनियम, 1925, जो मूल हेग नियमों पर आधारित था) का पालन करता रहा है। ये पुराने पड़ चुके हैं और वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप नहीं हैं।

हेग-विस्बी को अपनाकर, भारत:

- ✓ आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप
- ✓ वैश्विक व्यापार भागीदारों के लिए अपने शिपिंग कानूनों को पूर्वानुमानित बनाता है
- ✓ निर्यातकों/आयातकों के लिए कानूनी अड़चनों को कम करता है
- ✓ शिपिंग/लॉजिस्टिक्स में अधिक विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है

संबद्ध चुनौतियाँ / जोखिम

- **कार्यान्वयन:** कानून पारित करना केवल पहला कदम है। प्रभावी प्रवर्तन, नियमों/विनियमों की स्पष्टता, स्टाफिंग और क्षमता निर्माण बहुत मायने रखेंगे।
- **केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय:** चूँकि कुछ शक्तियाँ हस्तांतरित की जा रही हैं (जैसे, छोटे बंदरगाहों, राज्य समुद्री बोर्डों के लिए), राज्यों के बीच विनियमन, निवेश व निगरानी को लेकर मतभेद या असंगतता हो सकती हैं।
- **बुनियादी ढाँचे में निवेश की आवश्यकता:** तटीय नौवहन में वृद्धि को साकार करने के लिए, बंदरगाहों को बुनियादी ढाँचे (टर्मिनल, तटीय जेटी), आंतरिक क्षेत्रों से संपर्क सुनिश्चित करने, नियामक और नौवहन सहायता की आवश्यकता है।
- **संक्रमण लागत/कानूनी अनुकूलन:** मौजूदा अनुबंधों, शिपिंग कंपनियों, बंदरगाह प्राधिकरणों को कानूनी दस्तावेज़ों, प्रशिक्षण और अनुपालन में बदलाव करने होंगे। स्थिति सामान्य होने तक शुरुआती देरी या विवाद हो सकते हैं।

SWOT विश्लेषण: भारत का समुद्री क्षेत्र

S-ताकत (STRENGTH)	W-कमजोरी (WEAKNESS)
✓ **प्रमुख वैश्विक व्यापार** मार्गों पर रणनीतिक स्थान - हिंद महासागर क्षेत्र के मध्य में। ✓ **विशाल तटरेखा** (11,000+ किमी) और 200+ बंदरगाह (12 प्रमुख, 200+ लघु/मध्यवर्ती)। ✓ **निरंतर कार्गो वृद्धि:** प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2025 में 855 मीट्रिक टन (वर्ष-दर-वर्ष 4.3% की वृद्धि) का संचालन किया। ✓ **बंदरगाह उत्पादकता में सुधार:** पिछले दशक में टर्नअराउंड समय 96 घंटे से घटकर लगभग 49.5 घंटे रह गया। ✓ **प्रमुख नीतियाँ:** सागरमाला, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, पीएम गति शक्ति। ✓ बंदरगाह अवसंरचना में निजी निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में वृद्धि। ✓ 2025 में समुद्री कानूनों का आधुनिकीकरण (व्यापारी नौवहन विधेयक, बंदरगाह विधेयक, आदि)।	✓ **उच्च लॉजिस्टिक लागत:** सकल घरेलू उत्पाद का 13-14% (वैश्विक औसत 8-10% के मुकाबले)। ✓ **वैश्विक बेड़े का छोटा हिस्सा:** भारतीय ध्वज वाले जहाज वैश्विक व्यापारिक नौवहन का एक छोटा सा हिस्सा हैं। ✓ पुराना बेड़ा, जहाज निर्माण और मरम्मत में कम प्रतिस्पर्धा। ✓ गैर-प्रमुख बंदरगाह बुनियादी ढाँचे, मशीनीकरण और डिजिटल उपकरणों में पिछड़ रहे हैं। ✓ विशेष रूप से पूर्वी बंदरगाहों के लिए, अंतिम मील और भीतरी इलाकों तक कनेक्टिविटी खराब है। ✓ **पर्यावरणीय गैर-अनुपालन जोखिम:** गिट्टी का पानी, तेल रिसाव, उत्सर्जन। ✓ जटिल मंज़ूरियाँ, नौकरशाही और राज्य-स्तरीय नियमों में भिन्नता।
O-अवसर (OPPORTUNITY)	**T-खतरे (THREAT)**
✓ तटीय नौवहन हिस्सेदारी बढ़ाने की अपार संभावना (वर्तमान में <6%) → कम लागत और प्रदूषण। ✓ हरित बंदरगाहों, तटीय बिजली और स्वच्छ ईंधन पर ज़ोर। ✓ सरकारी वित्तपोषण: 70,000 करोड़ रुपये का जहाज निर्माण और बंदरगाह से जुड़ा बुनियादी ढांचा पैकेज। ✓ बंदरगाह-आधारित औद्योगिक क्लस्टर (लॉजिस्टिक्स पार्क, एफटीजेड, समुद्री एसईजेड)। ✓ बढ़ता वैश्विक व्यापार → उच्चतर ट्रांसशिपमेंट अवसर (विशेषकर वधावन जैसे बड़े बंदरगाहों के साथ)। ✓ इंडो-पैसिफिक, क्वाड, बिम्सटेक में भू-राजनीतिक प्रासंगिकता में वृद्धि। ✓ कोलंबो, सिंगापुर, दुबई के विकल्प के रूप में ट्रांसशिपमेंट हब बनने की क्षमता।	✓ छोटे बंदरगाहों में बुनियादी ढाँचे और वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ। ✓ वैश्विक शिपिंग अस्थिरता (जैसे लाल सागर संकट, मंदी, तेल की कीमतों में उछाल)। ✓ **बढ़ते जलवायु जोखिम:** चक्रवात, समुद्र का बढ़ता स्तर, बंदरगाहों में व्यवधान। ✓ नए कानूनों के तहत नियामक अनिश्चितता या नियमों में देरी। ✓ समुद्री कानून, नौवहन संचालन, समुद्री तकनीक में कुशल कार्यबल की कमी। ✓ क्षेत्रीय केंद्रों (सिंगापुर, कोलंबो, जेबेल अली, मलेशिया) से प्रतिस्पर्धा। ✓ ईएसजी दबाव, कड़े आईएमओ मानदंड पुराने बेड़े और गैर-अनुपालन वाले बंदरगाहों पर दबाव डाल सकते हैं।

आगे की राह

- **क्षमता निर्माण एवं जागरूकता:** हितधारकों (निर्यातक/आयातकर्ता, बंदरगाह प्राधिकरण, वाहक, शिपर्स, समुद्री कानूनी पेशेवर) को नए कानूनी ढाँचे पर प्रशिक्षित/संक्षिप्त किया जाना चाहिए। कार्यशालाएँ, व्याख्यात्मक दस्तावेज़, और संभवतः क्षेत्रीय दिशानिर्देश भी।
- **कार्यान्वयन अवसंरचना एवं डिजिटल प्रणालियाँ:** चूँकि कई परिवर्तन डिजिटल/दूरस्थ/इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण (पंजीकरण, प्रमाणपत्र, अधिसूचना के माध्यम से नियम-संशोधन) पर निर्भर करते हैं, इसलिए सरकार को इनसे निपटने के लिए मज़बूत आईटी प्रणालियों, संभवतः पोर्टलों और नियामक निकायों की आवश्यकता है। साथ ही, निरीक्षण एवं प्रवर्तन: प्रदूषण निगरानी, सुरक्षा ऑडिट, बंदरगाह राज्य नियंत्रण आदि में क्षमताएँ।
- **केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन:** चूँकि अब कई बंदरगाह शक्तियाँ राज्य समुद्री बोर्डों के पास हैं, इसलिए परस्पर विरोधी नियमों से बचने के लिए समन्वय आवश्यक है, खासकर गैर-प्रमुख बंदरगाहों के लिए।
- **पर्यावरण एवं सुरक्षा अनुपालन:** नए कानून पर्यावरणीय दायित्वों (प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट संग्रहण आदि) पर ज़ोर देते हैं। राज्यों और बंदरगाहों को अवसंरचना (अपशिष्ट सुविधाएँ, बैलास्ट जल प्रणालियाँ आदि) में निवेश करना चाहिए। साथ ही, नियमित ऑडिट, आपदा और रिसाव प्रतिक्रिया प्रणालियाँ भी होनी चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय संधियों के साथ तालमेल बिठाना:** सुनिश्चित करें कि भारत संबंधित संधियों पर हस्ताक्षरकर्ता बना रहे या उनका अनुसमर्थन करना, और घरेलू कानून संधि के दायित्वों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करना। अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग समुदाय/व्यापार भागीदारों के साथ सहयोग करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत के समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु हाल ही में अपनाए गए विधायी और नीतिगत उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत को एक अग्रणी समुद्री अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आगे का रास्ता सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

बोनार्ड स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले (2024-2025) में, बोनार्ड स्टैंडर्ड की पुष्टि की, जबकि वह एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें पत्रकारों को अडानी समूह से जुड़ी एक कॉर्पोरेट इकाई के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के लिए पूर्व-परीक्षण निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि:

- **प्रेस की स्वतंत्रता** एक मूलभूत लोकतांत्रिक मूल्य है।
- **प्रकाशन-पूर्व प्रतिबंध (पूर्व प्रतिबंध)** संवैधानिक रूप से संदिग्ध हैं।
- केवल असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ प्रकाशन से तत्काल, गंभीर और अपूरणीय क्षति हो सकती हो, ऐसे निषेधाज्ञाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

यह पुनर्पुष्टि पत्रकारों और खोजी मीडिया को मुकदमेबाजी की धमकियों के माध्यम से समय से पहले चुप करा दिए जाने से बचाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की पुष्टि

- **ब्लूमबर्ग मामला (2024):** भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के विरुद्ध एकपक्षीय निषेधाज्ञा को रद्द करते हुए बोनार्ड स्टैंडर्ड को बरकरार रखा, और सार्वजनिक संवाद को बाधित करने से बचने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **अडानी मामला:** पत्रकारों को कथित रूप से अपमानजनक सामग्री हटाने के लिए दिल्ली की एक अदालत के आदेश को पत्रकारों का पक्ष सुने बिना एकपक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने के लिए बोनार्ड स्टैंडर्ड का उल्लंघन माना गया।

पूर्व-परीक्षण निषेधाज्ञा (PRE-TRIAL INJUNCTION)

- यह वास्तविक मुकदमा शुरू होने से पहले जारी किया गया एक अदालती आदेश होता है, जो किसी पक्ष को कुछ करने या न करने के लिए प्रतिबंधित या बाध्य करता है।
- मानहानि या मीडिया के मामलों में, यह आमतौर पर किसी सूचना के सार्वजनिक होने से पहले उसके प्रकाशन या प्रसारण पर रोक लगाने वाले आदेश को संदर्भित करता है।
- इस प्रकार का निषेधाज्ञा एक प्रकार का "पूर्व प्रतिबंध" होता है, और अदालतें आमतौर पर इसे देने से हिचकिचाती हैं, खासकर जब यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता हो।

भारत में कानूनी आधार

- सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत, अदालतें निम्नलिखित को रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकती हैं:
  - ✓ संपत्ति की बर्बादी या क्षति
  - ✓ अनुबंध का उल्लंघन
  - ✓ कानूनी अधिकारों को नुकसान
- मानहानि के मामलों में, परीक्षण-पूर्व निषेधाज्ञा को असाधारण राहत माना जाता है और इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाती है, जैसे:
  - ✓ झूठी और स्पष्ट रूप से मानहानिकारक सामग्री का प्रकाशन।
  - ✓ वादी को अपूरणीय क्षति की संभावना।
  - ✓ जहाँ प्रकाशन के बाद कोई पर्याप्त उपाय (जैसे क्षतिपूर्ति) उपलब्ध न हो।

मानहानिकारक सामग्री

- मानहानिकारक सामग्री से तात्पर्य किसी भी कथन से है - मौखिक, लिखित या निहित - जो किसी व्यक्ति, समूह, संगठन या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है:
  - ✓ उन्हें घृणा, उपहास या तिरस्कार का पात्र बनाना, या
  - ✓ दूसरों की नज़रों में उन्हें नीचा दिखाना, या
  - ✓ उन्हें तिरस्कृत या उपेक्षित करना।

बोनार्ड स्टैंडर्ड

- बोनार्ड स्टैंडर्ड, जिसकी उत्पत्ति 1891 के यूके मामले **बोनार्ड बनाम पेरीमैन** से हुई थी, पूर्व-प्रतिबंध के लिए एक कानूनी मानदंड है - अर्थात, भाषण/प्रकाशन को घटित होने से पहले ही रोकना।
- मानक में कहा गया है कि प्रकाशन-पूर्व निषेधाज्ञा (जैसे **मौन आदेश**) केवल दुर्लभ मामलों में ही दी जानी चाहिए, जहाँ प्रकाशन स्पष्ट रूप से मानहानिकारक हो, और जहाँ नुकसान अपूरणीय हो और घटना के बाद क्षतिपूर्ति के माध्यम से पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति न की जा सके।

गैग ऑर्डर (GAG ORDERS)

- गैग ऑर्डर किसी अदालत या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक कानूनी निर्देश होता है जो पक्षों, वकीलों, गवाहों या मीडिया को किसी कानूनी मामले या चल रही जाँच से संबंधित कुछ जानकारी पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने या प्रकाशित करने से रोकता है।
- यह पूर्व प्रतिबंध का एक रूप है, जिसका आमतौर पर उपयोग किया जाता है:
  - ✓ निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा करना।
  - ✓ जनमत को पूर्वाग्रहित होने से रोकना।
  - ✓ संवेदनशील या गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करना।
  - ✓ गवाहों या पीड़ितों को उत्पीड़न या मीडिया के संपर्क से बचाना।

भारत में कानूनी आधार

- भारत में गैग ऑर्डर के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन न्यायालय **संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 (अवमानना शक्तियां) और सीआरपीसी की धारा 151 और 95** के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हैं:
  - ✓ अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना।

- ✓ न्याय के हित में भाषण/प्रकाशन पर रोक लगाना।
- इसके अतिरिक्त, न्यायालय, विशेष रूप से निम्नलिखित आधारों पर, मौन आदेशों को उचित ठहराने के लिए अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों का सहारा लेते हैं:
  - ✓ न्यायालय की अवमानना
  - ✓ मानहानि
  - ✓ लोक व्यवस्था
  - ✓ राष्ट्रीय सुरक्षा

बोनार्ड स्टैंडर्ड के प्रमुख आयाम

- **कानूनी आयाम:**
  - ✓ भाषण पर प्रतिबंध लगाने से पहले अदालतों के लिए एक उच्च सीमा निर्धारित करता है।
  - ✓ यह मुख्य रूप से **मानहानि, अवमानना और गोपनीयता के मामलों पर लागू होता है।**
- **मीडिया एवं प्रेस स्वतंत्रता:**
  - ✓ पत्रकारों को चुप कराने के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकता है।
  - ✓ जनहित में निगरानी पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है।
- **लोकतांत्रिक मानदंड:**
  - ✓ भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(ए)** (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) को बरकरार रखता है।
  - ✓ शासन और व्यवसाय में पारदर्शिता & जवाबदेही को मजबूत करता है।
- **कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा जोखिम बनाम सार्वजनिक हित:**
  - ✓ कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा और **जनता के जानने के अधिकार** के बीच संतुलन स्थापित करता है।
  - ✓ जाँच के विरुद्ध ढाल के रूप में मानहानि कानूनों के दुरुपयोग को रोकता है।

बोनार्ड स्टैंडर्ड के लाभ

- पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और स्वस्थ सार्वजनिक संवाद सुनिश्चित करता है।
- आलोचकों को चुप कराने के लिए तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण मुकदमों (जिन्हें SLAPP मुकदमा भी कहा जाता है) को रोकता है।
- किसी के भाषण को बाधित करने से पहले उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
- केवल जनहित में सुरक्षा प्रदान करके ज़िम्मेदार पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है।

सार्वजनिक भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमे (SLAPP)

- SLAPP एक कानूनी रणनीति है जिसका उपयोग आलोचकों को डराने, चुप कराने या दंडित करने के लिए किया जाता है - विशेष रूप से उन लोगों को जो सार्वजनिक हित के मामलों पर बोलते हैं, जैसे:
  - ✓ खोजी पत्रकार
  - ✓ पर्यावरण कार्यकर्ता
  - ✓ मानवाधिकार रक्षक
  - ✓ मुखबिर
  - ✓ शिक्षाविद या शोधकर्ता

SLAPP इकाई की आवश्यकता क्यों है?

- सार्वजनिक संवाद को दबाने के लिए मुकदमेबाजी के बढ़ते उपयोग के साथ, विशेष रूप से भारत जैसे देशों में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से संरक्षित है (अनुच्छेद 19(1)(ए)), एक समर्पित SLAPP इकाई निम्न कार्य कर सकती है:
  - ✓ SLAPPs की शीघ्र पहचान और उन्हें चिन्हित करना।
  - ✓ ऐसे मुकदमों के शिकार लोगों को कानूनी सहायता या सुरक्षा प्रदान करना।
  - ✓ न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना।
  - ✓ जनहित अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।

SLAPP मुकदमे (स्लैप सूट)

- यह जन भागीदारी के विरुद्ध एक रणनीतिक मुकदमा है - यह एक कानूनी कार्रवाई है जो न्याय पाने के लिए नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों पर बोलने वाले व्यक्तियों या संगठनों को धमकाने, सेंसर करने या चुप कराने के लिए दायर की गई है।

SLAPP मुकदमों की विशेषताएं

विशेषताएँ	स्पष्टीकरण
शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा दायर	अक्सर निगम, राजनेता, या डेवलपर्स
सार्वजनिक भागीदारी को लक्षित करता है	विशेषकर भ्रष्टाचार, पर्यावरण, कॉर्पोरेट कदाचार आदि पर भाषण।
कमज़ोर कानूनी योग्यता	केस जीतने का कोई वास्तविक इरादा नहीं; डराने-धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया
संसाधनों को समाप्त करने का लक्ष्य	लक्ष्य को कानूनी बचाव पर समय, धन और ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर करता है

SLAPP मुकदमे के प्रकार

- मानहानि का मुकदमा (दीवानी या आपराधिक)
- निषेधाज्ञा (प्रकाशन या विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए)
- न्यायालय की अवमानना
- ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का दुरुपयोग
- विरोध प्रदर्शनों या आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ उपद्रव के मुकदमे

बोनार्ड स्टैंडर्ड के नुकसान/सीमाएँ

- वास्तव में हानिकारक या झूठी जानकारी को अस्थायी रूप से प्रकाशित करने की अनुमति दी जा सकती है।
- "स्पष्ट और गंभीर नुकसान" की सीमा व्यक्तिपरक है और हर मामले में अलग-अलग हो सकती है।
- प्रकाशन के बाद के उपायों (जैसे, मानहानि के मुकदमे) में देरी से प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की पर्याप्त भरपाई नहीं हो सकती है।
- डिजिटल मीडिया की बढ़ती गति और पहुँच प्रकाशन के बाद के उपायों को कम प्रभावी बनाती है।

प्रभाव और निहितार्थ

- **लोकतंत्र के लिए सकारात्मक:** चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका को मज़बूत करता है।
- **निराशाजनक प्रभाव से बचाव:** कानूनी परिणामों के डर से पत्रकारों में आत्म-सेंसरशिप को रोकता है।
- **कॉर्पोरेट प्रतिरोध:** संस्थाएँ प्रत्यक्ष कानूनी रोक के बजाय वैकल्पिक रणनीतियाँ (जैसे जनसंपर्क या नियामक शिकायतें) अपना सकती हैं।
- **न्यायिक स्थिरता:** मिसाल को मज़बूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अदालतें पूर्व प्रतिबंध याचिकाओं पर आसानी से विचार न करें।

आगे की राह

- **सुरक्षा को संहिताबद्ध करना:** पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भारत में एंटी-स्लैप कानून लागू करने पर विचार करना।
- **न्यायिक प्रशिक्षण:** सुनिश्चित करें कि निचली अदालतें बोनार्ड स्टैंडर्ड को समझें और समान रूप से लागू करना।
- **मानहानि के मुक़दमों की तेज़ प्रक्रिया:** ताकि प्रकाशन के बाद के उपाय ज़्यादा प्रभावी हों।
- **मीडिया नैतिकता को बढ़ावा दें:** रिपोर्टिंग में कानूनी सुरक्षा को ज़िम्मेदारी के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोनार्ड स्टैंडर्ड की पुनः पुष्टि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक पारदर्शिता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे समय

में जब जन भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमे (SLAPP) बढ़ रहे हैं, खासकर शक्तिशाली निगमों या राजनीतिक संस्थाओं की ओर से, ऐसे फैसले न्यायिक सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: "बोनार्ड स्टैंडर्ड" और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। SLAPP इकाइयों का निर्माण मुकदमेबाजी के दुरुपयोग को रोकने और लोकतांत्रिक संवाद को मज़बूत करने में कैसे मदद कर सकता है? [150 शब्द] [10 अंक]

एस्कीट का सिद्धांत

चर्चा में क्यों: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम अजीत सिंह एवं अन्य के मामले में एक निर्णय दिया, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 के तहत राजगद्दी के सिद्धांत के अनुप्रयोग को स्पष्ट किया गया।

निर्णय

- अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने वैध वसीयत बनाई है और अदालत ने उस वसीयत को आधिकारिक तौर पर मंज़ूरी दे दी है (प्रोबेट दे दिया है), तो सरकार "एस्कीट के सिद्धांत" का इस्तेमाल करके संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती।
- **सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फ़ैसले में निम्नलिखित बिंदुओं पर ज़ोर दिया:**
  - ✓ वसीयतनामा उत्तराधिकार मान्य: एक बार जब वसीयत वैध रूप से निष्पादित हो जाती है और उसे प्रोबेट प्रदान कर दिया जाता है, तो यह राज्य के दावे को राज-हस्तांतरण के सिद्धांत के तहत रद्द कर देता है।
  - ✓ **राज्य का अधिकार क्षेत्र:** राज्य को किसी निजी वसीयत या प्रोबेट कार्यवाही को चुनौती देने का अधिकार नहीं है, जब तक कि उस मामले में उसका प्रत्यक्ष कानूनी हित न हो।
  - ✓ **राज-हस्तांतरण का सिद्धांत:** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा **29** केवल उन मामलों में लागू होती है जहाँ कोई उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है।

प्रोबेट

- जब कोई व्यक्ति वसीयत (एक दस्तावेज़ जो यह बताता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे मिलनी चाहिए) लिखता है, तो उसे अदालत द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इस अनुमोदन प्रक्रिया को प्रोबेट कहा जाता है। एक बार वसीयत प्रोबेट हो जाने के बाद, वह कानूनी रूप से मान्य हो जाती है और वसीयत में दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

राज्य का अधिकार क्षेत्र

- लोकस स्टैंडी का अर्थ है - अदालत में मामला लाने या किसी मामले को चुनौती देने का अधिकार या कानूनी आधार।
- राज्य के लोकस स्टैंडी का अर्थ है कि क्या सरकार को किसी विशेष मामले में शामिल होने या दावा करने का कानूनी अधिकार है।
- यदि राज्य के लोकस स्टैंडी को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इसका अर्थ है कि सरकार के पास उस मामले में हस्तक्षेप करने या उसे चुनौती देने की अनुमति या अधिकार नहीं है क्योंकि उसका उसमें कोई प्रत्यक्ष हित नहीं है।

कानूनी निहितार्थ

- यह निर्णय वसीयती उत्तराधिकार की पवित्रता और इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि वैध रूप से निष्पादित और प्रमाणित वसीयत, राज्य के एस्कीट कानूनों के तहत दावे पर वरीयता प्राप्त करती है।
- यह निजी उत्तराधिकार के मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को भी सीमित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वसीयतकर्ता के इरादों का सम्मान किया जाए।

मामले की पृष्ठभूमि

- यह विवाद खेतड़ी के राजा बहादुर सरदार सिंह की संपत्ति को लेकर था, जिनका 1987 में निधन हो गया था।
- 1985 में, उन्होंने एक वसीयतनामा जारी कर अपनी संपत्ति खेतड़ी ट्रस्ट, एक सार्वजनिक धर्मार्थ संस्था को दे दी।
- उनकी मृत्यु के बाद, राजस्थान राज्य ने राजस्थान एस्कीट्स रेगुलेशन एक्ट, 1956 के तहत संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया और तर्क दिया कि राजा की मृत्यु बिना वसीयत और उत्तराधिकारी के हुई थी।
- हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वसीयत की वैधता को बरकरार रखा और खेतड़ी ट्रस्ट के पक्ष में प्रोबेट प्रदान किया। राज्य ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29

- ➢ यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जब कोई हिंदू व्यक्ति बिना वसीयत छोड़े (जिसे बिना वसीयतनामा कहा जाता है) मर जाता है।
- ➢ और यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयतनामा के मर जाता है और कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं छोड़ता है, तो संपत्ति सरकार (जिसे राज्य कहा जाता है) को मिल जाएगी।
- ➢ दूसरे शब्दों में, यदि कोई पारिवारिक सदस्य या उत्तराधिकारी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता है, तो राज्य को संपत्ति का उत्तराधिकार स्वतः मिल जाता है।

एस्कीट का सिद्धांत (Doctrine of Escheat)

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है और उसकी संपत्ति का कोई कानूनी उत्तराधिकारी परिवार का कोई सदस्य नहीं है, तो **संपत्ति स्वतः ही सरकार के पास** चली जाती है। इसे एस्कीट का सिद्धांत कहते हैं - सरकार स्वामित्व ले लेती है क्योंकि उस पर दावा करने वाला कोई और नहीं होता।

सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं

- यह मुख्यतः अचल संपत्ति (भूमि, भवन) पर लागू होता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का कोई स्वामी न रहे या स्वामीहीन संपत्ति निजी पक्षों के पास अनिश्चित काल तक न रहे।
- राज्य स्वामीहीन संपत्ति का अंतिम संरक्षक बन जाता है।
- स्वामित्व के शून्य को रोकता है, व्यवस्था और जनहित को बनाए रखने में मदद करता है।

एस्कीट का सिद्धांत और व्यपगत का सिद्धांत

पहलू	एस्कीट का सिद्धांत	व्यपगत का सिद्धांत
परिभाषा	जब किसी व्यक्ति की बिना कानूनी उत्तराधिकारी या दावेदार के मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति राज्य को वापस मिल जाती है।	ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस समय कब्जाए गए क्षेत्र या सम्पदाएं, जब किसी शासक की मृत्यु प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना या उत्तराधिकार के लिए ब्रिटिश अनुमोदन के बिना हुई हो।
आवेदन	आधुनिक कानूनी प्रणालियों में यह मुख्य रूप से निजी संपत्ति (भूमि, संपत्ति) पर लागू होता है।	भारत में 19वीं शताब्दी के दौरान रियासतों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा लागू किया गया।
कानूनी आधार	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 और राज्य कानूनों जैसे कानूनों में निहित है।	ब्रिटिश शासन के दौरान औपनिवेशिक विस्तार के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया एक राजनीतिक सिद्धांत।
प्रेरक (ट्रिगर)	वसीयत और उत्तराधिकारी के बिना किसी व्यक्ति की मृत्यु।	किसी पुरुष उत्तराधिकारी के बिना या ब्रिटिश-मान्यता प्राप्त उत्तराधिकार के बिना किसी राजसी शासक की मृत्यु।

परिणाम	संपत्ति स्वामीहीन हो जाती है और सरकार के पास वापस चली जाती है।	क्षेत्र/राज्य ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है।
प्रकृति	स्वामीहीन संपत्ति को रोकने के लिए कानूनी सिद्धांत।	क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए औपनिवेशिक नीति।
वर्तमान प्रासंगिकता	संपत्ति कानून में अभी भी लागू है।	ऐतिहासिक सिद्धांत, जो स्वतंत्रता के बाद प्रभावी नहीं रहा।

आगे की राह

- **वसीयतनामा अधिकारों पर कानूनी जागरूकता को मज़बूत करना:** विवादों से बचने के लिए वैध वसीयत बनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- **राज्य के हस्तक्षेप के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश:** राज्य द्वारा एस्कीट के सिद्धांत का उपयोग कब किया जा सकता है, इसकी स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करना।
- **प्रोबेट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:** प्रोबेट प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाना।
- **धर्मार्थ ट्रस्टों और सार्वजनिक संस्थाओं की रक्षा करना:** धर्मार्थ ट्रस्टों को मनमाने राज्य के दावों से बनाएँ।
- **विधायी समीक्षा और सुधार:** आधुनिक संपत्ति संबंधी मुद्दों को प्रतिबिंबित करने के लिए उत्तराधिकार कानूनों की समीक्षा करना।
- **न्यायिक सतर्कता और सुसंगतता:** न्यायालयों को राज्य के हितों को संतुलित करते हुए वैध वसीयत को बरकरार रखना चाहिए।
- **सार्वजनिक नीति संबंधी विचार:** निजी संपत्ति अधिकारों और सार्वजनिक हित को संतुलित करने वाली नीतियाँ विकसित करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत में, जब कोई व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी या वैध वसीयत के बिना मर जाता है, तो संपत्ति के साथ निम्नलिखित में से क्या होता है?

(a) संपत्ति नगरपालिका द्वारा नीलाम कर दी जाती है
(b) संपत्ति निकटतम पड़ोसी को विरासत में मिलती है
(c) संपत्ति राज्य को हस्तांतरित हो जाती है
(d) संपत्ति स्थानीय समुदाय के सदस्यों के बीच विभाजित हो जाती है

उत्तर : (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारतीय कानून के अंतर्गत 'एस्कीट' सिद्धांत क्या है? इसके संवैधानिक और कानूनी आधार की व्याख्या कीजिए। यह दावारहित या उत्तराधिकारविहीन संपत्ति के मामलों में जनहित की रक्षा कैसे करता है? [150 शब्द] [10 अंक]

ड्राफ्ट सिविल ड्रोन (प्रोत्साहन और विनियमन) विधेयक 2025

चर्चा में क्यों: ड्राफ्ट सिविल ड्रोन (प्रोत्साहन और विनियमन) विधेयक, 2025 नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) द्वारा प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य मौजूदा ड्रोन नियम, 2021 को प्रतिस्थापित करना है।

मुख्य विवरण

- इसका उद्देश्य भारत में नागरिक ड्रोन/मानवरहित विमान प्रणालियों (यूएएस) के लिए एक अधिक मजबूत और व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करना है।
- यह मसौदा डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) प्रमुख, अधिकृत अधिकारियों या पुलिस को ड्रोन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अभिलेखों या दस्तावेजों को जब्त करने की भी अनुमति देता है।

विधेयक का दायरा

- यह ड्रोन (यूएएस) के उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर लागू होता है: स्वामित्व, संचालन, डिज़ाइन, निर्माण, आयात, निर्यात, पट्टे, प्रशिक्षण और रखरखाव।
- छूट:
  - ✓ सशस्त्र बलों और संबंधित सुरक्षा शाखाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन/यूएएस।
  - ✓ **500 किलोग्राम** से अधिक वजन वाले यूएएस इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगे; वे **भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024** (जो भारी विमानों को नियंत्रित करता है) के अंतर्गत आएंगे।

नियामक प्राधिकरण

- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) प्राथमिक नियामक बना रहेगा।
- पंजीकरण, लाइसेंसिंग, प्रमाणन आदि की प्रक्रियाएँ डीजीसीए द्वारा नियंत्रित होंगी।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **अनिवार्य पंजीकरण एवं पहचान:** प्रत्येक ड्रोन को DGCA से एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) प्राप्त करनी होगी।
- **प्रकार प्रमाणन:** निर्माताओं को ड्रोन के निर्माण, बिक्री या संचालन से पहले DGCA की स्वीकृति (प्रकार प्रमाणन) प्राप्त करनी होगी।
- **रिमोट पायलट प्रमाणन:** संचालकों के लिए एक वैध रिमोट पायलट प्रमाणपत्र आवश्यक है।
- **डिजिटल स्काई/ज़ोनिंग सिस्टम:** हवाई क्षेत्र वर्गीकरण:
  - ✓ ग्रीन ज़ोन (उड़ान भरने की अनुमति)
  - ✓ येलो ज़ोन (एटीसी या संबंधित अनुमति की आवश्यकता)
  - ✓ रेड ज़ोन (केंद्र सरकार की अनुमति / सख्त प्रतिबंध)
- **सुरक्षा, संरक्षा, उपकरण मानक:** अनिवार्य सुरक्षा सुविधाएँ (छेड़छाड़-रोधी, पता लगाने की क्षमता, उड़ान योग्यता), जब तक कि छूट न दी गई हो।
- **बीमा एवं देयता/मुआवजा:** तृतीय-पक्ष देयता बीमा आवश्यक है। मुआवज़ा दिशानिर्देश, जैसे मृत्यु की स्थिति में लगभग ₹2.5 लाख, गंभीर चोट लगने पर लगभग ₹1 लाख।
- **दंड एवं प्रवर्तन**
  - ✓ **उल्लंघन के लिए दंड:** जुर्माना, कारावास। कुछ प्रावधानों में गंभीर उल्लंघनों के लिए **3** वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
  - ✓ कम गंभीर/पहली बार अपराध करने पर, कम अवधि की सज़ा और कम जुर्माना।
  - ✓ **ज़ब्ती की शक्तियाँ:** डीजीसीए, अधिकृत अधिकारी, पुलिस ड्रोन, दस्तावेज़, रिकॉर्ड आदि ज़ब्त कर सकते हैं।
- **अपराध के प्रकार:**
  - ✓ प्रतिबंधित क्षेत्रों (पीला/लाल) में उल्लंघन को **संज्ञेय और गैर-शमनीय** अपराध माना गया।
  - ✓ खतरनाक सामान या हथियार बनाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को गंभीरता से लिया गया।

दंड/ जेल की सजा

- जानबूझकर प्रावधानों की अवहेलना करने पर: ₹50,000 तक का जुर्माना या 3 महीने की कैद या दोनों। दूसरी बार या उसके बाद अपराध करने पर: ₹1 लाख तक का जुर्माना, 6 महीने तक की कैद।
- गंभीर अपराधों (जैसे खतरनाक सामान, प्रतिबंधित क्षेत्रों का उल्लंघन, आदि) के लिए: 3 साल तक की जेल, ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों।

चिंताएँ / आलोचनाएँ

- उद्योग जगत की प्रतिक्रिया (जैसे, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया) का कहना है कि यह विधेयक **ड्रोन नियम, 2021** से गैर-अपराधीकरण, अनुपालन में आसानी जैसी उदार सुविधाओं को वापस ले सकता है।
- यह आशंका है कि कड़े दंड, अधिकारियों के लिए व्यापक विवेकाधिकार (ज़ब्ती, नज़रबंदी, आदि) नवाचार/स्टार्टअप को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता को लेकर चिंताएँ: सुरक्षा/सुरक्षा सुविधाओं के रूप में क्या गिना जाएगा, "गंभीर" उल्लंघन क्या है, छूट पर स्पष्टता, आदि।
- परामर्श अवधि को छोटा माना जा रहा है; सभी हितधारकों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं मिल सकती है।

महत्व

- यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो यह स्पष्ट कानूनी आधार प्रदान करके भारत को वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने की दिशा में एक नया आयाम प्रदान कर सकता है।
- नियामक निगरानी को बढ़ाता है: सुरक्षा, संरक्षा, गोपनीयता और हवाई क्षेत्र प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
- वाणिज्यिक और मनोरंजक उपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के साथ संतुलित करता है।
- ड्रोन से होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेही, बीमा और देयता तंत्र लाता है।

आगे की राह

- **व्यापक हितधारक परामर्श:** विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले ड्रोन स्टार्टअप्स, उद्योग निकायों, शैक्षणिक विशेषज्ञों और सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संतुलित, व्यावहारिक और दूरदर्शी है।
- **अपराधों और दंडों की स्पष्ट परिभाषा:** "गंभीर उल्लंघन" जैसे शब्दों में अस्पष्टता से बचें; अनजाने में नवाचार को आपराधिक बनाने से रोकने के लिए दंड में आनुपातिकता सुनिश्चित करें।
- **नवाचार-सुरक्षा संतुलन:** राष्ट्रीय सुरक्षा, विशेष रूप से सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में, के लिए मज़बूत तंत्र बनाते हुए अनुसंधान एवं विकास और स्टार्टअप गतिविधि को प्रोत्साहित करें।
- **मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र:** गलत ज़ब्ती, लाइसेंसिंग संबंधी समस्याओं या अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण से निपटने के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय निकाय बनाएँ।
- **क्रमिक कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण:** सुनिश्चित करें कि DGCA, पुलिस और अन्य प्रवर्तन निकाय बिना किसी उत्पीड़न या देरी के प्रावधानों को लागू करने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित हों।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखण:** अंतर-संचालन और ड्रोन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ICAO (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ संरेखित करें।
- **डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना:** न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ वास्तविक समय ज़ोनिंग, पंजीकरण और उड़ान अनुमतियों को सक्षम करने के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का विस्तार और उन्नयन करना।

निष्कर्ष

ड्राफ्ट सिविल ड्रोन विधेयक, 2025 भारत में ड्रोन के सुरक्षित और विनियमित उपयोग की दिशा में एक कदम है। हालाँकि, इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, कानून को नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन बनाना होगा। भारत को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने के लिए एक परामर्शात्मक, स्पष्ट और दूरदर्शी ढाँचा महत्वपूर्ण होगा।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025

चर्चा में क्यों: हाल ही में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को संसद (लोकसभा एवं राज्यसभा) द्वारा पारित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** में संशोधन करना है।

मुख्य विशेषताएं

- इस अधिनियम के तहत, किसी विशिष्ट खनिज के लिए खनन पट्टा प्रदान किया जाता है।
- विधेयक में प्रावधान है कि पट्टाधारक अब मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों से आवेदन कर सकते हैं।
- महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों, और अन्य निर्दिष्ट खनिजों के लिए, पट्टाधारक को उन्हें शामिल करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणों में लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, सोना, चांदी शामिल हैं।
- विधेयक राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की भूमिका का विस्तार करता है: खनिज अन्वेषण के वित्तपोषण के अलावा, यह खदानों और खनिजों के विकास के लिए भी वित्तपोषण कर सकता है।
- विधेयक कैप्टिव खदानों से खनिजों की बिक्री की सीमा को भी हटाता है (पहले, अंतिम उपयोग की मांगों को पूरा करने के बाद, उत्पादन का 50% तक बेचा जा सकता था)।
- विधेयक खनिज एक्सचेंजों के पंजीकरण और विनियमन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का आदेश देता है।
- कोयला एवं खान मंत्री ने कहा कि ये बदलाव खनन क्षेत्र में "क्रांतिकारी सुधार" हैं और दावा किया कि पारदर्शी आवंटन के कारण राज्यों को लगभग ₹6,85,000 करोड़ मिले हैं, जो दस साल पहले ₹68,000 करोड़ थे।
- सरकार का कहना है कि उसने 24 महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की पहचान की है और **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम)** के लिए ₹32,000 करोड़ आवंटित किए हैं।
- **24 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची:**
  1. बेरिल और अन्य बेरिलियम-युक्त खनिज
  2. कैडमियम-युक्त खनिज
  3. कोबाल्ट-युक्त खनिज
  4. गैलियम-युक्त खनिज
  5. ग्लौकोनाइट
  6. ग्रेफाइट
  7. इंडियम-युक्त खनिज
  8. लिथियम-युक्त खनिज
  9. मोलिब्डेनम-युक्त खनिज
  10. निकल-युक्त खनिज
  11. नायोबियम-युक्त खनिज
  12. फॉस्फेट (यूरेनियम रहित)
  13. प्लेटिनम-समूह के तत्व जिनमें खनिज होते हैं
  14. पोटाश
  15. "दुर्लभ मृदा" समूह के खनिज जिनमें यूरेनियम और थोरियम नहीं होते
  16. रेनियम-युक्त खनिज
  17. सेलेनियम-युक्त खनिज
  18. टैंटलम-युक्त खनिज
  19. टेल्यूरियम-युक्त खनिज
  20. टिन-युक्त खनिज
  21. टाइटेनियम-युक्त खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोक्सीन)
  22. टंगस्टन युक्त खनिज
  23. वैनेडियम युक्त खनिज
  24. ज़िरकोनियम युक्त खनिज और अयस्क, जिनमें ज़िरकॉन शामिल है

महत्वपूर्ण खनिज बनाम रणनीतिक खनिज बनाम निर्दिष्ट खनिज

महत्वपूर्ण खनिज	रणनीतिक खनिज	अन्य निर्दिष्ट खनिज
महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) गैर-ईंधन खनिज या खनिज पदार्थ हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और जिनकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की संभावना बनी रहती है। ये खनिज उच्च तकनीक वाले उद्योगों, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत	रणनीतिक खनिज (स्ट्रेटेजिक मिनरल्स) वे खनिज हैं जो किसी राष्ट्र की रक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के समय।	यह एक व्यापक और संदर्भ-निर्भर श्रेणी है, जो अक्सर उन खनिजों को संदर्भित करती है जिन्हें सरकार या संगठन द्वारा औद्योगिक विकास, व्यापार विनियमन, या संसाधन नियोजन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आधिकारिक तौर पर नामित किया जाता है। ये

विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।		आवश्यक रूप से "महत्वपूर्ण" या "रणनीतिक" नहीं हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक या क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
विशेषताएँ ✓ प्रमुख उद्योगों (जैसे, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा) के लिए आवश्यक ✓ भू-राजनीतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय कारकों के कारण आपूर्ति जोखिम ✓ सीमित या केंद्रित वैश्विक उत्पादन।	**विशेषताएँ** ✓ सैन्य अनुप्रयोगों (जैसे, हथियार प्रणालियाँ, विमान, संचार) के लिए महत्वपूर्ण ✓ संघर्ष या आपूर्ति व्यवधान के दौरान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारों द्वारा भंडारित ✓ महत्वपूर्ण खनिजों के साथ ओवरलैप करता है, लेकिन रक्षा आवश्यकताओं पर अधिक ज़ोर देता है।	**विशेषताएँ** ✓ राष्ट्रीय हितों, नीति या क्षेत्रीय माँग के आधार पर निर्दिष्ट ✓ इसमें थोक खनिज या अन्य औद्योगिक सामग्रियाँ शामिल हो सकती हैं जो महत्वपूर्ण/रणनीतिक सूचियों में शामिल नहीं हैं।
उदाहरण - लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, ग्रेफाइट, निकल	**उदाहरण** - टाइटेनियम, बेरिलियम, टंगस्टन, दुर्लभ मृदा तत्व (जो महत्वपूर्ण खनिजों भी हैं)	**उदाहरण** - बॉक्साइट, चूना पत्थर, फॉस्फेट, जिप्सम

प्रमुख निहितार्थ और संभावित प्रभाव

- **पट्टे का लचीलापन:** पट्टाधारक एक ही पट्टे के अंतर्गत अधिक खनिजों को शामिल करके अपने परिचालन का दायरा बढ़ा सकते हैं, जिससे नए पट्टे प्राप्त करने की प्रशासनिक/लेनदेन लागत कम हो सकती है।
- **महत्वपूर्ण खनिजों के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं:** इसका उद्देश्य अग्रिम लागत बाधाओं को कम करके रणनीतिक माने जाने वाले खनिजों (जैसे लिथियम, कोबाल्ट) के अन्वेषण और दोहन को प्रोत्साहित करना है।
- **वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा:** राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को खदान विकास के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति देकर, खनन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए राज्य-स्तरीय समर्थन को बढ़ावा मिलता है।
- **बाजार उदारीकरण:** कैप्टिव खदानों द्वारा उत्पादन बेचने की 50% सीमा को हटाने से वाणिज्यिक बिक्री व बाजार भागीदारी के अधिक अवसर खुलते हैं।
- **खनिज विनिमय:** खनिजों के लिए एक विनियमित विनिमय मूल्य निर्धारण, पारदर्शिता में सुधार कर सकता है और एकाधिकार प्रथाओं या अस्पष्ट सौदेबाजी को कम कर सकता है।
- **रणनीतिक स्वतंत्रता/महत्वपूर्ण खनिज:** यह खनिज संप्रभुता के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकियों (बैटरी, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स) में आवश्यक खनिजों के लिए।

संभावित जोखिम

- **पर्यावरणीय प्रभाव:** नए खनिजों के विस्तार से भूमि पर और अधिक अतिक्रमण, पारिस्थितिक प्रभाव और मज़बूत नियामक निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।
- **राज्य-स्तरीय क्षमता:** इसकी प्रभावशीलता राज्य सरकारों की प्रशासनिक क्षमता, दिशानिर्देशों में स्पष्टता और प्रवर्तन पर निर्भर करती है।
- **विवाद या मूल्यांकन संबंधी मुद्दे:** यद्यपि महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अतिरिक्त भुगतान माफ कर दिया जाता है, फिर भी मूल्यांकन, रॉयल्टी या राजस्व साझाकरण विवादास्पद हो सकते हैं।
- **बाज़ार में अस्थिरता:** यदि खनिज विनिमय खुले हैं, तो मूल्य अस्थिरता का जोखिम होगा; छोटे हितधारकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी)

- एनएमईटी भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य देश भर में खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देना है।
- **स्थापना:** खान मंत्रालय, भारत सरकार
- **अंतर्गत:** खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 की धारा 9सी
- **स्थापना वर्ष:** 2015
- **उद्देश्य:** भारत में खनिज अन्वेषण, विशेष रूप से गैर-कोयला और गैर-ईंधन खनिजों के लिए, वित्त पोषण और प्रोत्साहन प्रदान करना।

महत्वपूर्ण कार्य:

- **अन्वेषण के लिए वित्तपोषण:** क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। साथ ही, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना:** उन्नत अन्वेषण तकनीकों और विधियों के उपयोग का समर्थन करता है।
- **भूवैज्ञानिक डेटा को सुदृढ़ बनाना:** बेहतर खनिज लक्ष्यीकरण के लिए आधारभूत भूवैज्ञानिक डेटा तैयार करने और उसे बेहतर बनाने में मदद करता है।
- **क्षमता निर्माण:** अन्वेषण पेशेवरों के प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता निर्माण में सहायता करता है।

आगे की राह

- **स्पष्ट दिशानिर्देश:** केंद्र और राज्यों को पट्टों में खनिज जोड़ने के लिए पारदर्शी नियम जारी करने चाहिए, जिससे निरंतरता और त्वरित अनुमोदन सुनिश्चित हो सके।
- **पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय:** खनिज विस्तार और स्थायित्व के बीच संतुलन बनाने के लिए पर्यावरणीय जाँच को मज़बूत करना।
- **क्षमता निर्माण:** सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य खनन विभागों को संसाधनों और प्रशिक्षण से सुसज्जित करना।
- **डिजिटल मिनरल एक्सचेंज:** तकनीक-संचालित, पारदर्शी खनिज व्यापार प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना में तेज़ी लाना।
- **महत्वपूर्ण खनिज रणनीति:** दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के लिए अन्वेषण और निष्कर्षण को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के साथ संरेखित करना।

आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत विभिन्न नियमों और आदेशों को अधिसूचित किया है, जो 1 सितंबर से प्रभावी हो गए हैं।

मुख्य विवरण

- भारत में आव्रजन और विदेशियों से संबंधित कई पुराने कानूनों को समेकित, आधुनिक और प्रतिस्थापित करने के लिए आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 संसद में पेश किया गया था।
- इसके लागू होने पर, इसने निम्नलिखित चार पूर्ववर्ती कानूनों को निरस्त कर दिया:
  - ✓ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
  - ✓ विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939
  - ✓ विदेशी अधिनियम, 1946
  - ✓ आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000

- नये अधिनियम का उद्देश्य आव्रजन, वीज़ा व्यवस्था, विदेशी नागरिकों के प्रवास और संबंधित नियंत्रणों को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करना है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

विशेषताएँ	परिवर्तन	महत्व/ मुद्दे
वैध दस्तावेजों का कब्ज़ा	विदेशी प्रवेशकों के पास वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज और वैध वीज़ा होना चाहिए, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से छूट न दी गई हो।	इससे पूर्व के खंडित कानूनों में खामियों या अनिश्चितताओं को दूर किया जा सकेगा; लेकिन छूटें अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएंगी।
नामित आव्रजन चौकियाँ	अधिनियम में सूचीबद्ध किया गया है कि कौन से हवाई अड्डे, बंदरगाह, भूमि सीमा चौकियां, रेल चौकियां कानूनी रूप से विदेशी प्रवेश/निकास के लिए अनुमत हैं।	बेतरतीब/अनिर्धारित क्रॉसिंग को रोकता है। सख्त नियंत्रण लागू करता है।
आव्रजन अधिकारियों की शक्तियाँ	इन अधिसूचित चौकियों पर आव्रजन अधिकारी प्रवेश का निर्णय करते हैं, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रवेश/निकास से इनकार कर सकते हैं।	प्रवेश बिंदु पर विवेकाधिकार को बढ़ाता है, जिसका उचित प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है।
पंजीकरण और नियंत्रण तंत्र	विदेशियों को नामित पंजीकरण अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा। स्थानीय प्राधिकरण (जैसे, जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त) को आव्रजन और विदेशियों के नियमन के लिए "स्थानीय नागरिक प्राधिकरण" बनाया गया है। विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों (एफआरआरओ) के एक नेटवर्क को विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं।	अधिक औपचारिक संरचना, जिम्मेदारियों का स्पष्ट पदानुक्रम।
आवास प्रदाताओं/संस्थानों पर दायित्व	होटल, हॉस्टल, पीजी, धार्मिक संस्थानों को विदेशियों का विवरण, अंगूठे का निशान एकत्र करना होगा तथा आगमन और प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना होगा।	निजी हितधारकों पर अनुपालन का बोझ पड़ता है; गोपनीयता और डेटा संरक्षण संबंधी मुद्दों का जोखिम होता है।
विश्वविद्यालयों/अस्पतालों द्वारा अधिसूचनाएँ	विश्वविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों को भर्ती या उपचारित विदेशियों के बारे में पंजीकरण अधिकारियों को सूचित करना होगा। अस्पतालों को विदेशियों के जन्म/मृत्यु की सूचना 7 दिनों के भीतर देनी होगी।	भारत के अंदर विदेशियों की उपस्थिति की निगरानी सीमाओं से परे विस्तारित की गई है।
परिसर को बंद करने/कार्यों को प्रतिबंधित करने की शक्ति	यदि सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंता उत्पन्न होती है तो नागरिक प्राधिकारी विदेशियों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले रिसॉर्ट्स, क्लबों या स्थानों को नियंत्रित या बंद कर सकते हैं।	इससे अधिकारियों को विदेशियों से जुड़े वाणिज्यिक या सामाजिक स्थानों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है।
संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए विशेष परमिट	संरक्षित, प्रतिबंधित या निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्पष्ट परमिट की आवश्यकता होती है।	विदेशियों की आवाजाही पर आंतरिक भौगोलिक नियंत्रण को मजबूत करता है।
छूट प्राप्त श्रेणियाँ	कानून स्पष्ट रूप से निम्नलिखित को छूट देता है या विशेष उपचार प्रदान करता है: • सरकारी परिवहन में भारतीय सैनिक और उनके परिवार • नेपाल/भूटान के नागरिक (कुछ शर्तों के साथ) • तिब्बती शरणार्थी (पंजीकरण के अधीन) • अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई) के अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थी, जो 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं • पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल, जिन्होंने 9 जनवरी, 2015 तक शरण ली है • राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट धारक, जिन पर वीज़ा छूट समझौते लागू होते हैं • युद्धपोतों पर सवार विदेशी सैन्यकर्मी (जब तक कि उन्हें बाहर न रखा गया हो)	ये छूटें राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई, तथा इन पर अदालतों में या सार्वजनिक बहस में विवाद हो सकता है।
डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड	प्रवर्तन और निर्णय लेने के लिए एक मजबूत डेटाबेस बनाए रखने के लिए डिजिटल अधिसूचनाओं, पोर्टल/मोबाइल ऐप रिपोर्टिंग पर जोर दिया जाएगा।	प्रशासन को डेटा-संचालित प्रबंधन की ओर ले जाता है, लेकिन गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और निगरानी के प्रश्न उठाता है।
क्रमिक जुर्माना/कंपाउंडिंग प्रणाली	उल्लंघन (निर्धारित समय से ज़्यादा रुकना, पंजीकरण न कराना, वीज़ा शर्तों का उल्लंघन, संरक्षित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश, सूचना न देना) पर ₹10,000 से ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। कुछ वर्गों (तिब्बती, कुछ नागरिक) के लिए जुर्माना ₹50 जितना कम भी हो सकता है।	समझौता तंत्र उपलब्ध कराने से अदालती बोझ कम हो सकता है, लेकिन जुर्माने से कम संपन्न विदेशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
केंद्रीकरण/प्रतिनिधिमंडल	केंद्रीय सरकार कार्यों को सौंप सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है, सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकती है; स्थानीय विवेकाधीन छूटों में	अधिक केन्द्रीय नियंत्रण; राज्यों/जिलों में भिन्नता को कम करता है।

	कटौती की जा सकती है - स्थानीय प्राधिकारियों को केंद्रीय आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।	
विवेकानुसार कोई स्थानीय छूट नहीं	सभी छूट या विशेष अनुमतियाँ केन्द्रीय सरकार के आदेशों से प्राप्त होनी चाहिए, न कि स्थानीय प्राधिकरण के विवेकाधीन निर्णयों से।	एकरूपता चाहता है, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लचीलेपन को कम कर सकता है।

प्रमुख निहितार्थ, चिंताएँ और खुले प्रश्न

- **कानूनी स्पष्टता बनाम कठोरता:** इस अधिनियम का उद्देश्य पुराने अधिनियमों को समेकित करके और स्पष्ट नियम निर्धारित करके अस्पष्टता को कम करना है। लेकिन चूँकि कई शक्तियाँ केंद्रीकृत हैं और स्थानीय विवेकाधिकार सीमित है, इसलिए जब स्थानीय परिस्थितियाँ विशेष व्यवहार की आवश्यकता बताती हैं, तो तनाव उत्पन्न हो सकता है।
- **प्रवर्तन बनाम अधिकार संरक्षण:** आव्रजन अधिकारियों की शक्तियों का विस्तार, परिसरों को बंद करना, प्रवेश से इनकार करना आदि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता, समीक्षा तंत्र और अधिकारों (विशेषकर असुरक्षित विदेशियों) के संरक्षण के बारे में चिंताएँ पैदा करते हैं।
- **डेटा, गोपनीयता, निगरानी:** इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग, अंगूठे के निशान, संस्थागत अधिसूचनाओं आदि की आवश्यकता के कारण बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डेटा एकत्र किया जाता है, जिससे दुरुपयोग, लीक, निगरानी और डेटा संरक्षण (विशेषकर भारत की विकसित होती डेटा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए) के मुद्दे उठ सकते हैं।
- **धार्मिक/अल्पसंख्यक-संबंधी छूट:** यह अधिनियम 31 दिसंबर, 2024 तक भारत में प्रवेश करने वाले अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए विशेष राहत प्रदान करता है। यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि यह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और वैध प्रवेश, शरणार्थी की स्थिति और विभिन्न श्रेणियों के प्रवासियों के अधिकारों को लेकर चल रही बहसों से जुड़ा है।
- **विवेक और अपील तंत्र:** जुर्माने, इनकार आदि के लिए, कानून "अपील" और वास्तविक गलतियों के लिए अपवाद प्रदान करता है, लेकिन ये तंत्र कितने मजबूत या सुलभ हैं, इसका परीक्षण व्यवहार में किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ:**
  - ✓ स्थानीय प्राधिकरणों, एफआरआरओ, डेटा सिस्टम, प्रशिक्षण, लेखा परीक्षा आदि की क्षमता।
  - ✓ यह सुनिश्चित करना कि अस्पताल, विश्वविद्यालय और आवास प्रदाता जैसे संस्थान बिना किसी अनावश्यक बोझ के अनुपालन कर सकें।
  - ✓ शक्तियों के दुरुपयोग (उत्पीड़न या प्रोफाइलिंग के लिए) से बचना।
  - ✓ राज्यों/जिलों में सुसंगत अनुप्रयोग की निगरानी करना।
- **न्यायिक जाँच:** चूँकि यह कानून मौलिक अधिकारों (जैसे, आवागमन की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता) को प्रभावित करता है, इसलिए इसके प्रावधानों को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। छूट और विभेदकारी व्यवहार (विशेषकर धर्म/राष्ट्रीयता के आधार पर) संवैधानिक समीक्षा का सामना कर सकते हैं।

आगे की राह

पारदर्शिता, स्वतंत्र निगरानी, डेटा सुरक्षा और सुलभ शिकायत निवारण के साथ सुदृढ़ कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। छूट मानदंडों को स्पष्ट करें और राष्ट्रीय सुरक्षा को मानवीय दृष्टिकोण से संतुलित करना।

निष्कर्ष

आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 भारत की आव्रजन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य सख्त नियंत्रण, डिजिटल शासन और स्पष्टता लाना है। हालाँकि, इसका केंद्रीकरण, निगरानी उपाय और चुनिंदा छूट अधिकारों, पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ पैदा करते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह विदेशी अधिनियम, 1946 सहित चार पूर्ववर्ती कानूनों को समेकित और प्रतिस्थापित करता है।
2. यह स्थानीय अधिकारियों को विदेशियों को कुछ नियमों से स्वतंत्र रूप से छूट देने की अनुमति देता है।
3. यह होटलों और विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों द्वारा डिजिटल पंजीकरण और विदेशी विवरणों की रिपोर्टिंग अनिवार्य करता है।
4. यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को छूट प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर, 2024 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं।

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में सही विकल्प चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर : (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता और मानवाधिकार चिंताओं के आलोक में आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

व्यक्तिगत अनुकूली अधिगम

चर्चा में क्यों: नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर ने आंध्र प्रदेश के 1200 से अधिक सरकारी स्कूलों में कक्षा 6-9 के छात्रों के लिए एडटेक टूल, व्यक्तिगत अनुकूली अधिगम (पर्सनलाइज्ड अडाप्टिव लर्निंग - पीएएल) सॉफ्टवेयर के उपयोग पर एक विश्लेषण अध्ययन के निष्कर्ष जारी किए।

मुख्य विवरण

- इस अध्ययन में उन स्कूलों की तुलना की गई जिन्होंने पीएएल का इस्तेमाल किया और जिन्होंने नहीं किया। नतीजा: पीएएल का इस्तेमाल करने वाले छात्रों की सीखने की दर औसतन दोगुनी हो गई।
- निचले स्तर से शुरुआत करने वाले (कमज़ोर छात्र), लड़कियाँ और निचली कक्षाओं के छात्रों को पीएएल से ज़्यादा फ़ायदा हुआ।

पीएएल के बारे में

- व्यक्तिगत अनुकूली अधिगम (पीएएल) एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं, कौशल और रुचियों के अनुसार सीखने के अनुभवों को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
- यह निरंतर मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के आधार पर वास्तविक समय में विषयवस्तु, गति और सीखने के मार्गों को अनुकूलित करता है, जिसका उद्देश्य सीखने के परिणामों और जुड़ाव को अनुकूलित करना है।
- पीएएल का उपयोग आंध्र प्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों के सरकारी स्कूलों में किया गया है।
- राजस्थान में एक अध्ययन: 40 सरकारी स्कूल, लगभग 6,500 छात्र; 18 महीनों के बाद पीएएल ने गणित और हिंदी में सीखने के परिणामों में सुधार किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सुधार हमेशा नियमित स्कूल परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन में परिवर्तित नहीं हुए।
- दिल्ली में, 619 छात्रों के लिए स्कूल के बाद पीएएल सत्रों ने गणित और हिंदी में उच्च अंक प्राप्त किए, खासकर कमजोर छात्रों के लिए। लेकिन फिर से, स्कूल परीक्षाओं में सुधार मिश्रित रहे: हिंदी में बेहतर, हमेशा गणित में नहीं।

पीएएल के प्रमुख घटक

- **निजीकरण:**
  - ✓ व्यक्तिगत छात्र प्रोफ़ाइल (रुचियाँ, लक्ष्य, सीखने की शैलियाँ) के अनुसार सीखने के मार्ग तैयार करता है।

- ✓ छात्र की पसंद और आवाज़ को विषय-वस्तु और गति में शामिल कर सकता है।
- **अनुकूलनशीलता:**
  - ✓ वास्तविक समय में सीखने को समायोजित करने के लिए एल्गोरिदम और डेटा विश्लेषण का उपयोग करता है।
  - ✓ निरंतर प्रदर्शन का आंकलन करता है और सीखने के अनुभव को गतिशील रूप से संशोधित करता है।
- **डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि:**
  - ✓ शिक्षार्थियों की बातचीत से डेटा एकत्र करके उनकी क्षमताओं, कमियों और प्रगति की पहचान करता है।
  - ✓ शिक्षकों और शिक्षार्थियों को कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म:**
  - ✓ अक्सर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) या इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम (आईटीएस) में एआई या मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है।
  - ✓ उदाहरणों में ड्रीमबॉक्स, न्यूटन, स्मार्ट स्पैरो और खान अकादमी जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

पीएएल के लक्ष्य

- सही समय पर सही सामग्री प्रदान करके सीखने की दक्षता को अधिकतम करें।
- प्रासंगिक, चुनौतीपूर्ण और इंटरैक्टिव सामग्री के माध्यम से छात्रों की सहभागिता में सुधार करें।
- सभी शिक्षार्थियों का समर्थन करें, जिनमें कक्षा स्तर से पीछे या आगे के छात्र भी शामिल हैं।
- शिक्षकों को मार्गदर्शन पर अधिक और मैन्युअल विभेदीकरण पर कम ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएँ।

पीएएल के लाभ

- व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतों को पूरा करता है।
- स्व-गति से सीखने को बढ़ावा देता है।
- सीखने के अंतराल को और अधिक प्रभावी ढंग से कम करता है।
- शिक्षकों को छात्रों की प्रगति के बारे में बेहतर जानकारी देता है।

चुनौतियां

- **हार्डवेयर और बुनियादी ढाँचा:** उपकरणों (टैबलेट/कंप्यूटर) की खरीद, उन्हें चालू हालत में रखना/खराब होने पर बदलना। इसके अलावा, कई स्कूलों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है: लगभग 63.5% स्कूलों में इंटरनेट है; लगभग 65% में कंप्यूटर हैं।
- **शिक्षक प्रशिक्षण और खरीद-फरोख्त:** तकनीकी उपकरण शिक्षकों का विकल्प नहीं हैं। यह तब बेहतर काम करता है जब शिक्षकों को इससे उत्पन्न डेटा का उपयोग करने और इन उपकरणों को अपने शिक्षण में शामिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- **परीक्षाओं के साथ संरेखण:** सीखने में सुधार होने पर भी, मानक स्कूल परीक्षाएँ अक्सर उन सुधारों को दर्ज या पुरस्कृत नहीं करती हैं, खासकर यदि छात्र कक्षा स्तर से नीचे की सामग्री सीख रहे हों। इसलिए, कभी-कभी परीक्षा के अंकों में बहुत कम बदलाव होता है।

आशय

- पीएएल काफी आशाजनक प्रतीत होता है, खासकर कमजोर छात्रों की मदद करने (अंतराल को पाटने) के लिए।
- लेकिन इसके पूर्ण प्रभाव को साकार करने के लिए, स्कूलों को अच्छे बुनियादी ढांचे और ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो अनुकूलन उपकरणों का अच्छी तरह से उपयोग कर सकें।
- साथ ही, मूल्यांकन रणनीतियों/परीक्षाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे छात्रों की वास्तविक शिक्षा के साथ बेहतर ढंग से संरेखित हों।

आगे की राह

- **लक्षित रोलआउट:**
  - ✓ कक्षा 6-8, कम प्रदर्शन करने वाले स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करना
  - ✓ गणित से शुरुआत करें, बाद में विस्तार करना
- **जवाबदेही के साथ बुनियादी ढांचा:**
  - ✓ टिकाऊ टैबलेट + स्थानीय रखरखाव
  - ✓ डैशबोर्ड के माध्यम से उपयोग और सीखने पर नज़र रखना
- **शिक्षकों को सशक्त बनाना:**
  - ✓ शिक्षकों को केवल टूल ही नहीं, बल्कि PAL डेटा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना
  - ✓ उच्च जुड़ाव और प्रभाव को पुरस्कृत करना
- **बेहतर मूल्यांकन:**
  - ✓ योग्यता-आधारित परीक्षण शामिल करना
  - ✓ मूल्यांकन को वास्तविक शिक्षण स्तरों के साथ संरेखित करना
- **निगरानी एवं सुधार:**
  - ✓ स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवर्ष
  - ✓ निष्कर्षों का उपयोग नीति अनुकूलन के लिए करना
- **इक्विटी फर्स्ट:**
  - ✓ लड़कियों, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए पहुँच सुनिश्चित करना
  - ✓ समावेशन के लिए डिज़ाइन (भाषा, विकलांगता)

निष्कर्ष

व्यक्तिगत अनुकूली अधिगम (पर्सनलाइज्ड अडाप्टिव लर्निंग - पीएएल) ने अधिगम (लर्निंग) को बढ़ावा देने की प्रबल क्षमता दिखाई है, खासकर उन छात्रों के लिए जो पिछड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ तकनीक ही काफ़ी नहीं है। सही बुनियादी ढाँचे, शिक्षक सहायता, स्मार्ट आंकलन और समानता पर ध्यान केंद्रित करके, PAL सीखने की कमियों को दूर करने और एक अधिक समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024

- **नामांकन और स्कूली शिक्षा के रुझान**
  - ✓ 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों में, कुल स्कूल नामांकन 2024 में 98.1% रहा, जो 2022 के 98.4% के लगभग बराबर है।
  - ✓ सरकारी स्कूल नामांकन (6-14 वर्ष के लिए) महामारी के चरम से थोड़ा कम हुआ है: यह 2022 में 72.9% था, लेकिन 2024 तक गिरकर 66.8% हो गया।
  - ✓ पूर्व-प्राथमिक आयु वर्ग (3-5 वर्ष) में, 2024 में 80% से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के प्रारंभिक बचपन संस्थान (जैसे, एलकेजी/यूकेजी, आंगनवाड़ी, प्री-स्कूल) में नामांकित हैं।
  - ✓ कक्षा I में प्रवेश करने वाले "कम उम्र" वाले बच्चों (आयु ≤5) की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में घटी है:
    - ➢ 2018: ~25.6%
    - ➢ 2022: ~22.7%
    - ➢ 2024: ~16.7% (अब तक का सबसे कम)
- **सीखने के परिणाम - पढ़ना और अंकगणित**

  असर (ASER) का एक प्रमुख जोर बुनियादी कौशल (पढ़ना, अंकगणित) को मापने पर है। 2024 की रिपोर्ट महामारी के कारण हुई सीखने की हानि से उबरने के संकेत दिखाती है, खासकर सरकारी स्कूलों में अच्छी प्रगति।

पढ़ना/ धाराप्रवाह	अंकगणित/ संख्यात्मकता
• सरकारी स्कूलों में कक्षा तीन के छात्र जो कक्षा दो की पाठ्यपुस्तक पढ़ सकते हैं: ✓ 2022: 16.3% ✓ 2024: 23.4% • सभी स्कूल (सरकारी + निजी): ✓ 2022: कक्षा तीन के 20.5% बच्चे कक्षा दो के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं ✓ 2024: 27.1%	• कक्षा III के छात्र कम से कम एक घटाव समस्या हल करने में सक्षम हैं: ✓ 2018: ~28.2% ✓ 2022: 25.9% (गिरावट) ✓ 2024: 33.7% • कक्षा 5 के छात्र भाग संबंधी प्रश्न हल करने में सक्षम हैं: ✓ 2018: ~27.9%

✓ महामारी से पहले का स्तर (2018) लगभग 27.3% था • **कक्षा V:** ✓ कक्षा II की पाठ्यपुस्तकें पढ़ने में सक्षम बच्चों का प्रतिशत 2022 में 42.8% से बढ़कर 2024 में 48.7% हो गया। ✓ हालाँकि, यह अभी भी 2018 के लगभग 50.4% के आंकड़े से कम है।	✓ 2022: 25.6% ✓ 2024: 30.7% • **कक्षा VII** के छात्र (मूल अंकगणित, समस्याओं का व्यापक सेट) ✓ 2018: ~44.1% ✓ 2022: ~44.7% ✓ 2024: ~45.8%

- **राज्य एवं क्षेत्र के रुझान एवं मुख्य विशेषताएं**
  - ✓ कई राज्यों (जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर) में, 2024 में कक्षा III के सीखने के स्तर में 2022 की तुलना में सुधार हुआ है।
  - ✓ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 2022 और 2024 के बीच पढ़ने के स्तर (कक्षा III) में लगभग 10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।
  - ✓ **उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है:**
    - ➢ सरकारी स्कूलों में, पढ़ने का स्तर 2018 में ~12.3% से बढ़कर 2024 में ~27.9% हो गया - 15 अंकों की बढ़ोतरी।
    - ➢ उत्तर प्रदेश (सरकारी + निजी) में अंकगणित का स्तर भी बढ़ा: 2018 में 26.9% से बढ़कर 2024 में 40.7% हो गया।
    - ➢ निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में सीखने की स्थिति में सुधार ज़्यादा मज़बूत रहा है।
    - ➢ लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद: विभिन्न आयु वर्ग के लगभग 30% बच्चे अभी भी कक्षा 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पाते हैं, जो एक सतत चुनौती है।
- **डिजिटल पहुँच और उपयोग (बड़े बच्चों के लिए)**
  - ✓ पहली बार, एएसईआर 2024 में 14-16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए डिजिटल पहुँच, उपयोग और कौशल के प्रतिनिधि अनुमान शामिल किए गए हैं।
  - ✓ एक शीर्षक: लगभग 90% लड़कियों और लड़कों ने बताया कि उनके घर में स्मार्टफोन है।

हालाँकि, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कम है: इस आयु वर्ग के केवल 57% किशोर शैक्षिक कारणों से स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण (पीएएल) पर किए गए अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(a) पीएएल ने स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार किया, लेकिन छात्रों के सीखने के परिणामों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
(b) पीएएल ने छात्रों की सीखने की दर को दोगुना कर दिया, जिससे विशेष रूप से कमज़ोर छात्रों और लड़कियों को लाभ हुआ।
(c) पीएएल ने शिक्षकों की जगह पूरी तरह से अनुकूली सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल कर दिया।
(d) पीएएल ने परीक्षा स्कोर में अच्छा सुधार दिखाया, लेकिन वास्तविक सीखने के स्तर को ट्रैक करने में विफल रहा।

उत्तर : (b)

पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम 2025

चर्चा में क्यों: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम (ईएआर) 2025 को लागू किया है, जो पर्यावरण निगरानी और लेखा परीक्षा के आवश्यक कार्यों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकार क्षेत्र से परे विस्तारित करता है।

अन्य मुख्य विवरण

- ये नियम मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन का आंकलन करेंगे।
- वर्तमान में, मौजूदा पर्यावरणीय ढांचे के अंतर्गत निगरानी और अनुपालन हेतु समग्र संरचना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा समर्थित है।

ईएआर, 2025 के बारे में

- ये नियम निजी, मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकों (काफ़ी हद तक चार्टर्ड एकाउंटेंट की तरह) को यह मूल्यांकन करने की अनुमति देते हैं कि परियोजनाएँ और उद्योग पर्यावरण कानूनों का अनुपालन करते हैं या नहीं।
- इसका लक्ष्य नियामक प्राधिकरणों (सीपीसीबी, एसपीसीबी, क्षेत्रीय कार्यालय) की क्षमताओं में वृद्धि करके निगरानी और अनुपालन को मज़बूत करना है, जो जनशक्ति, बुनियादी ढाँचे और तकनीकी क्षमता की कमी का सामना कर रहे हैं।
- लेखा परीक्षाएँ ग्रीन क्रेडिट नियमों जैसी नई नियामक योजनाओं से भी जुड़ेंगी, जिसका अर्थ है कि पर्यावरणीय प्रदर्शन (जैसे, वनीकरण, सतत जल/अपशिष्ट प्रबंधन) व्यापार योग्य क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन लेखांकन के अनुपालन ढाँचे का हिस्सा बनने की उम्मीद है।

इन नियमों का उद्देश्य है:

- आंतरिक, स्व-अनुपालन और सक्रिय निगरानी को प्रोत्साहित करना।
- पर्यावरणीय लेखापरीक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता में सुधार करना।
- प्रवर्तन, हरित वित्त, पर्यावरण संरक्षण (ESG) और जलवायु नीति निर्णयों के लिए एक विश्वसनीय डेटा आधार प्रदान करना।

पृष्ठभूमि

- पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 पर्यावरण को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं, प्रक्रियाओं और गतिविधियों के लिए एक संरचित, स्वतंत्र लेखा परीक्षा प्रणाली बनाने हेतु अधिसूचित किए गए हैं।
- इनका उद्देश्य सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे निकायों द्वारा मौजूदा पर्यावरण अनुपालन और निगरानी को पूरक बनाना (प्रतिस्थापित नहीं करना) है।

नियमों की विशेषताएं/घटक/प्रावधान

- **ईएडीए (पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी) की स्थापना:** पर्यावरण लेखा परीक्षकों को प्रमाणित, पंजीकृत, निगरानी और अनुशासित करने; ऑनलाइन रजिस्ट्री बनाए रखने; क्षमता निर्माण के लिए एक केंद्रीय एजेंसी।
- **लेखा परीक्षकों का प्रमाणन:** दो मार्ग-पूर्व-अध्ययन की मान्यता (अनुभवी पेशेवरों के लिए) और राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा (नए प्रवेशकों के लिए)।
- **पंजीकरण और वैधता:** प्रमाणित लेखा परीक्षकों को ईएडीए के साथ पंजीकरण करना होगा; पंजीकरण पाँच वर्षों के लिए वैध, नवीकरणीय।
- **पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षकों (आरईए) की भूमिकाएँ और शक्तियाँ:**
  - ✓ स्थलों का दौरा करना, नमूने एकत्र करना, दस्तावेज़ों और अभिलेखों तक पहुँच प्राप्त करना।
  - ✓ पर्यावरणीय मंज़ूरी की शर्तों, प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों, अपशिष्ट प्रबंधन नियमों आदि के अनुपालन का ऑडिट करना।
  - ✓ अनुपालन न करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करना।
  - ✓ आँकड़ों का सत्यापन करना, स्व-रिपोर्टिंग को चुनौती देना, प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करना।
- **लेखापरीक्षा कार्य का आवंटन:** हितों के टकराव को कम करने के लिए लेखापरीक्षकों को यादृच्छिक डिजिटल असाइनमेंट पद्धति के माध्यम से परियोजनाओं में नियुक्त किया जाता है।

- **आचार संहिता और हितों का टकराव:** लेखापरीक्षकों को स्वतंत्रता और गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और हितों के टकराव से बचना चाहिए। कदाचार के कारण उनका पंजीकरण निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
- **निरीक्षण एवं संचालन समिति:** एक संचालन समिति (पर्यावरण एवं वन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में) कार्यान्वयन की देखरेख करेगी, संशोधनों का प्रस्ताव रखेगी, EADA का मार्गदर्शन करेगी और निष्पादन की निगरानी करेगी।
- **सरकार/मंत्रालय की शक्तियाँ:** मंत्रालय के पास आगे दिशानिर्देश जारी करने, विवादों का समाधान करने और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त लेखापरीक्षा अनिवार्य करने की शक्ति है।

दायरा एवं अनुप्रयोग

- ये नियम उन परियोजनाओं, प्रक्रियाओं या गतिविधियों पर लागू होते हैं जिनका भारत के पर्यावरण कानूनों (जैसे, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट, ईआईए, वन, आदि) के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है।
- केवल पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखा-परीक्षणों को ही नई व्यवस्था के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी।
- लेखा परीक्षक निम्नलिखित के अनुपालन की पुष्टि में सहायता करेंगे:
  - ✓ पर्यावरणीय मंज़ूरी और सहमति की शर्तें।
  - ✓ प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन नियम।
  - ✓ ग्रीन क्रेडिट, इकोमार्क और अन्य पर्यावरण-नीति संबंधी दस्तावेज़।

चुनौतियां

- **स्वतंत्रता और हितों का टकराव:** यदि लेखा परीक्षक परियोजना प्रस्तावकों से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, तो लेखा परीक्षा की विश्वसनीयता कम हो सकती है। यादृच्छिक असाइनमेंट और टकराव के नियम मददगार हो सकते हैं, लेकिन प्रवर्तन महत्वपूर्ण है।
- **लेखा परीक्षकों की क्षमता और गुणवत्ता:** तकनीकी रूप से सक्षम लेखा परीक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करना और उनकी रिपोर्ट विश्वसनीय होना एक बड़ी चुनौती होगी।
- **प्रवर्तन और अनुवर्ती कार्रवाई:** लेखा परीक्षा के निष्कर्ष तभी उपयोगी होते हैं जब नियामक निकाय उन पर दंड, सुधार और कमियों को दूर करने जैसे उपाय करें। अनुवर्ती कार्रवाई के बिना, लेखा परीक्षाएँ प्रतीकात्मक ही रह सकती हैं।
- **पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच:** जनता के विश्वास के लिए, लेखा परीक्षा के परिणामों या सारांशों का आदर्श रूप से खुलासा किया जाना चाहिए। अभी तक, अनिवार्य खुला प्रकटीकरण समान रूप से अनिवार्य नहीं है।
- **ओवरलैप और समन्वय:** दोहराव, टकराव या क्षेत्राधिकार संबंधी भ्रम से बचने के लिए मौजूदा अनुपालन प्रणालियों (सीपीसीबी, एसपीसीबी) के साथ समन्वय आवश्यक है।
- **संसाधन और संस्थागत बाधाएँ:** पर्याप्त स्टाफिंग, फंडिंग, तकनीकी अवसंरचना (प्रयोगशालाएँ, डेटा सिस्टम) के बिना, लेखा परीक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता सीमित हो सकती है।

आगे की राह

- **सशक्त निगरानी:** लेखा परीक्षकों की निगरानी, मान्यता और दंड के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा नियामक स्थापित करना।
- **स्थानीय क्षमता निर्माण:** स्थानीय निकायों को लेखा परीक्षा निष्कर्षों की व्याख्या और उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित करें। जिला/पंचायत-स्तरीय प्रवर्तन को सशक्त बनाना।
- **पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच:** एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लेखा परीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक करना।
- **नियामकों का पूरक बनाना, उनकी जगह न लेना:** सीपीसीबी/एसपीसीबी निरीक्षणों को सक्रिय रखना - लेखा परीक्षक सहायक हैं, विकल्प नहीं।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन और जोखिम पर ध्यान:** उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों से शुरुआत करें; जोखिम-आधारित आवृत्ति अपनाना।
- **तकनीक और प्रशिक्षण का उपयोग करना:** दूरस्थ सेंसर, एआई उपकरणों को एकीकृत करें; प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से लेखा परीक्षकों को प्रमाणित करना।
- **प्रोत्साहनों से जोड़ना, ग्रीनवाशिंग से बचाव करना:** लेखा परीक्षा परिणामों को ग्रीन क्रेडिट से जोड़ना, लेकिन सख्त जाँच लागू करना।
- **कानूनी समर्थन और दंड:** झूठे ऑडिट को दंडित करने और अनुपालन लागू करने के लिए कानूनों में संशोधन करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत के पर्यावरण नियामक ढांचे के संदर्भ में, पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 के अंतर्गत शुरू किए गए निजी पर्यावरण लेखा परीक्षकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उनकी भागीदारी अनुपालन में कैसे सुधार ला सकती है, और हितों के टकराव को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन से सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

शिक्षा का अधिकार और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया कि क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के दायरे से पूरी तरह मुक्त हैं।

मुख्य विवरण

- न्यायाधीशों की दो-पीठ ने अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने पर स्कूल शिक्षा विभागों के आग्रह पर सवाल उठाने वाली कई दीवानी अपीलों पर आधारित एक फैसले में यह संदर्भ दिया।
- यह संदर्भ संविधान पीठ द्वारा प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में 2014 में दिए गए एक फैसले से संबंधित चिंताओं से उत्पन्न हुआ है। इस मामले में, पाँच-न्यायाधीशों की पीठ **शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी)** की संवैधानिकता का मूल्यांकन कर रही थी।
- इस प्रावधान के तहत शैक्षणिक संस्थानों को प्रारंभिक शिक्षा में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए प्रवेश स्तर पर वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए **25% सीटें** आवंटित करने की आवश्यकता होती है।
- फिर भी, 2014 के फैसले ने निर्धारित किया कि **धारा 12(1)(सी)** इन संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति का उल्लंघन करती है और उनकी संस्थागत स्वायत्तता को प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप, संविधान पीठ ने अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया।

पृष्ठभूमि

- शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुसार, सभी स्कूलों (निजी सहित) को वंचित बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी होगी।
- अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 30(1) के तहत कुछ आरटीई प्रावधानों से छूट का दावा करते हैं, जो उनके अपने स्कूल स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने के अधिकार की रक्षा करता है।
- 2014 के प्रमति फैसले ने अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए इस छूट को बरकरार रखा।
- इस फैसले ने अल्पसंख्यक अधिकारों और समावेशी शिक्षा के बीच संतुलन बनाने पर बहस छेड़ दी।
- वर्तमान न्यायालय की पीठ चिंतित है कि ऐसी छूटें:
  - ✓ समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों को कमज़ोर करना।
  - ✓ स्कूली शिक्षा के मानकों में असमानता लाना।
  - ✓ अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशिक्षित शिक्षक, उचित बुनियादी ढाँचा और वंचित बच्चों को मुफ़्त शिक्षा प्रदान करने से रोकना।

आरटीई और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान
• **पूरा नाम:** निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009। • **उद्देश्य:** 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। • **मुख्य प्रावधान:** ✓ सरकारी स्कूलों और वंचित समूहों के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा (25% आरक्षण)। ✓ किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक रोका नहीं जा सकता, निष्कासित नहीं किया जा सकता, या फीस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ✓ स्कूलों को कुछ निश्चित बुनियादी ढाँचे और शिक्षक योग्यता मानकों को पूरा करना होगा। • **कार्यान्वयन:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है।	• **परिभाषा:** धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान। • **संरक्षण:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। • **उद्देश्य:** शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म का संरक्षण करना। • **स्वायत्तता:** अल्पसंख्यक संस्थानों को राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपने कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है।

बड़े पीठ को भेजे गए मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी पीठ द्वारा जांचे जाने हेतु चार प्रमुख प्रश्न तैयार किए हैं:

- **2014 के प्रमति निर्णय पर पुनर्विचार:** क्या अल्पसंख्यक-संचालित विद्यालयों को आरटीई अधिनियम के प्रावधानों से पूर्व में दी गई छूट का वर्तमान शैक्षिक और संवैधानिक प्राथमिकताओं के आलोक में पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।
- **अल्पसंख्यक अधिकारों पर आरटीई अधिनियम का प्रभाव:** क्या आरटीई अधिनियम अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, और क्या अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की व्याख्या अल्पसंख्यक समुदायों के उन बच्चों को शामिल करने के लिए की जानी चाहिए जो कमज़ोर और वंचित वर्गों से संबंधित हैं।
- **अनुच्छेद 29(2) पर विचार:** पिछले निर्णय में अनुच्छेद 29(2) को शामिल न करने का प्रभाव, जो अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है और अल्पसंख्यक छात्रों के विरुद्ध कोई भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित करता है।
- **आरटीई प्रावधानों की संवैधानिकता:** क्या आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के व्यापक संवैधानिक विश्लेषण का अभाव अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में संपूर्ण अधिनियम को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करने का औचित्य प्रदान करता है।

व्यापक निहितार्थ

- सर्वोच्च न्यायालय इस बात का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है कि शिक्षा के अधिकार और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
- यह निर्णय अल्पसंख्यक-संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को प्रभावित कर सकता है, जिससे प्रवेश, आरक्षण और स्कूल प्रबंधन पर असर पड़ सकता है।
- शिक्षा विशेषज्ञ और कार्यकर्ता सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु इस समीक्षा का समर्थन करते हैं।
- अल्पसंख्यक समूहों को चिंता है कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के सख्त प्रवर्तन से स्कूल प्रशासन पर उनकी संवैधानिक स्वायत्तता सीमित हो सकती है।

अंतरिम स्थिति

- जब तक बड़ी पीठ कोई फैसला नहीं सुना देती, तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि शिक्षा के अधिकार के प्रावधान अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों सहित सभी स्कूलों पर लागू होंगे।
- अल्पसंख्यक संस्थानों को वंचित बच्चों के लिए आरक्षण और मुफ्त शिक्षा संबंधी शिक्षा के अधिकार की आवश्यकताओं का पालन करना जारी रखना होगा।

आगे की राह

एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान करे लेकिन साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को भी कायम रखे। न्यायपालिका, सरकार और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच सहयोग ऐसी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण होगा जो संवैधानिक सुरक्षा से समझौता किए बिना समान पहुँच सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ सार्वभौमिक शिक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को उजागर करता है। आगामी फैसला यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा कि अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा कैसे की जाए और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।



अंतरराष्ट्रीय संबंध

लिपुलेख दर्रा का मुद्दा

चर्चा में क्यों: हाल ही में, विदेश मंत्रालय ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए इसे "अनुचित" करार दिया और कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्यों या साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है।

मुख्य विवरण

- भारत कूटनीति और बातचीत के ज़रिए लंबित सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल के साथ "रचनात्मक बातचीत" के लिए तैयार है।
- भारत का कहना है कि लिपुलेख के ज़रिए सीमा व्यापार 1954 से चल रहा था और कोविड-19 व अन्य घटनाओं के कारण ही बाधित हुआ था।
- भारत और चीन लिपुलेख, शिपकी ला और नाथू ला सहित कुछ दर्रों के ज़रिए सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।

विवाद की पृष्ठभूमि

- लिपुलेख दर्रा हिमालय में भारत, नेपाल और चीन (तिब्बत) के त्रि-जंक्शन पर स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है।
- नेपाल का दावा है कि लिपुलेख दर्रा, कालापानी और लिंपियाधुरा के क्षेत्रों सहित, उसके क्षेत्र में स्थित है।
- नेपाल का दावा है कि ऐतिहासिक मानचित्रों और संधियों के आधार पर ये क्षेत्र उसके संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा हैं।
- हालाँकि, भारत का कहना है कि लिपुलेख दर्रा और उस तक बनी सड़क पूरी तरह से उसके क्षेत्र में स्थित है।



लिपुलेख दर्रे का महत्व

- **सामरिक स्थिति:** यह दर्रा भारत की रक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर चीन से इसकी निकटता को देखते हुए।
- **व्यापार मार्ग:** यह भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो आर्थिक आदान-प्रदान को सुगम बनाता है और क्षेत्रीय संपर्क बनाए रखता है।
- **तीर्थयात्रा:** लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग का हिस्सा है, जो कई हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है।

द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव

- **तनावपूर्ण राजनयिक संबंध:** इस विवाद ने भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक दरार पैदा कर दी है, दोनों देशों ने विरोध दर्ज कराया है और आधिकारिक बयान जारी कर एक-दूसरे के दावों को खारिज कर दिया है। नेपाल भारत के कार्यों को अतिक्रमण और एकतरफा मानता है, जिससे अविश्वास पैदा हो सकता है और अन्य मुद्दों पर सहयोग करने की इच्छा कम हो सकती है।
- **क्षेत्रीय सहयोग पर प्रभाव:** भारत और नेपाल के बीच मजबूत सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक संबंध हैं, जिनमें सार्क और बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय मंच भी शामिल हैं। लिपुलेख जैसे सीमा विवाद व्यापार, सुरक्षा और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर सहयोग को जटिल बना सकते हैं।
- **राजनयिक दबाव और मध्यस्थता:** नेपाल सीमा विवादों में अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन या मध्यस्थता की मांग कर सकता है, जिसमें संभवतः तीसरे पक्ष के देश या संगठन शामिल हों। भारत द्विपक्षीय वार्ता को प्राथमिकता देता है, लेकिन विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से बचने के लिए स्थिति को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
- **सुरक्षा और सीमा प्रबंधन चुनौतियाँ:** विवादित क्षेत्र चीन के साथ संवेदनशील सीमाओं के पास स्थित है, जिससे भारत की सुरक्षा गणना जटिल हो जाती है।

संभावित समाधान और आगे का रास्ता

- ✓ द्विपक्षीय वार्ता तंत्र को पुनर्जीवित करना
- ✓ एक संयुक्त सीमा आयोग की स्थापना करना
- ✓ एक तटस्थ तृतीय-पक्ष मध्यस्थ को शामिल करना (यदि दोनों सहमत हों)
- ✓ विश्वास-निर्माण उपायों को बढ़ावा देना
- ✓ विकास परियोजनाओं को विवाद से अलग करना
- ✓ राष्ट्रवादी भावनाओं का ज़िम्मेदारी से समाधान करना
- ✓ रणनीतिक चिंताओं की पारस्परिक मान्यता

निष्कर्ष

भारत और नेपाल दोनों के लिए अंतर्निहित मुद्दों को सुलझाने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में रचनात्मक बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। लिपुलेख दर्रा विवाद सीमा संबंधों के प्रबंधन की चुनौतियों और पड़ोसी देशों के बीच आपसी सम्मान और समझ की आवश्यकता को उजागर करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे विवाद से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए। द्विपक्षीय संबंधों पर इसके क्या प्रभाव हैं और दोनों देश इस मामले को कूटनीतिक रूप से कैसे सुलझा सकते हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

ग्लोबल एआई गवर्नेंस पर भारत-चीन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, चीन ने विश्व आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहयोग संगठन (WICO) के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य AI मानकों, नैतिकता और सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

मुख्य विवरण

- भारत ने ग्लोबल एआई गवर्नेंस और सहयोग के लिए "सतर्क समर्थन" व्यक्त किया है, फिर भी आधिकारिक तौर पर WICO में शामिल होने से परहेज किया है, जो रणनीतिक स्वायत्तता और संरेखण को लेकर चिंताओं को दर्शाता है।
- यह मुद्दा शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और फरवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट जैसे बहुपक्षीय मंचों पर उठने की उम्मीद है।

वैश्विक एआई शासन (ग्लोबल एआई गवर्नेंस)

- यह एआई प्रौद्योगिकियों के डिज़ाइन, उपयोग और परिनियोजन को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानकों, मानदंडों और विनियमों के विकास को संदर्भित करता है।

- यह सुनिश्चित करना कि एआई का उपयोग नैतिक, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए और यह असमानता, भेदभाव या भू-राजनीतिक असंतुलन को बढ़ावा न दे।

ग्लोबल एआई गवर्नेंस की आवश्यकता

- **सीमा-पार प्रभाव:** एआई प्रौद्योगिकियाँ वैश्विक स्तर पर कार्य करती हैं और राष्ट्रीय सीमाओं से परे अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को प्रबंधित करने के लिए एक एकीकृत शासन ढाँचे की आवश्यकता है।
- **एआई के दुरुपयोग और हानि को रोकना:** शासन डीपफेक या स्वायत्त हथियारों जैसे हानिकारक उपयोगों को रोकने में मदद करता है।
- **नियामक विखंडन से बचना:** परस्पर विरोधी राष्ट्रीय कानूनों और नियामक अंतरालों से बचना।
- **नैतिक और निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करना:** पारदर्शिता, निष्पक्षता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है।
- **समान पहुँच और लाभ:** यह सुनिश्चित करता है कि सभी राष्ट्र एआई से लाभान्वित हों, न कि केवल कुछ ही।

ग्लोबल एआई गवर्नेंस पर भारत की स्थिति

- ज़िम्मेदार, मानव-केंद्रित एआई विकास का समर्थन करता है।
- किसी एक देश या समूह के प्रभुत्व के बजाय समावेशी, बहुपक्षीय चर्चाओं की वकालत करता है।
- जी20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (2023) की मेज़बानी की और 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करने की योजना है।

चीन की स्थिति

- वैश्विक तकनीकी शासन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का प्रयास।
- "समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण" वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए WICO का गठन किया गया।
- निगरानी और एआई के दुरुपयोग के संबंध में पारदर्शिता की कमी और नैतिक चिंताओं के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

भारत का एआई विजन

- भारत का एआई बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है और 2025 के अंत तक 8 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 40% से अधिक होगी।
- भारत एआई को एक बल गुणक के रूप में उपयोग करने की कल्पना करता है:
  - ✓ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
  - ✓ शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करना
  - ✓ नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना
  - ✓ सामाजिक चुनौतियों (स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आदि) का समाधान करना
  - ✓ ज़िम्मेदार एआई का वैश्विक केंद्र बनाना

> "भारत को न केवल ग्लोबल साउथ की समस्याओं को हल करने के लिए बल्कि वैश्विक एआई नैतिकता और शासन को आकार देने के लिए भी एआई का लाभ उठाना चाहिए।" – **नीति आयोग**

भारत में प्रमुख एआई पहल

- **आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति - #AIforAll (2018)**
  - ✓ नीति आयोग द्वारा प्रकाशित
  - ✓ फोकस क्षेत्र: **स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी, बुनियादी ढाँचा**
  - ✓ इसका उद्देश्य भारत को समावेशी और नैतिक एआई अपनाने में अग्रणी बनाना है।
- **सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी एआई (RAISE) शिखर सम्मेलन**
  - ✓ 2020 में आयोजित।
  - ✓ इसका उद्देश्य एआई विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग को एक साथ लाना है।
  - ✓ इसमें नैतिक और समावेशी एआई विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।
- **भारत एआई कार्यक्रम (2024)**
  - ✓ डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया।
  - ✓ **प्रमुख घटक:**
    - ➢ इंडियाएआई कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर: उच्च-शक्ति कंप्यूटिंग क्षमता का निर्माण।
    - ➢ इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर: एआई अनुसंधान और स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करता है।
    - ➢ इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म: खुली और सुरक्षित डेटा पहुँच के लिए।
    - ➢ इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एनएसडीसी के साथ साझेदारी में एआई कौशल विकास।
  - ✓ इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल की परिकल्पना की गई है।
- **शासन और सार्वजनिक क्षेत्र में एआई**
  - ✓ एआई-संचालित शिकायत निवारण (जैसे, केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) संवर्द्धन)।
  - ✓ कृषि में एआई: फसल उपज पूर्वानुमान, कीट नियंत्रण, सटीक खेती।
  - ✓ स्वास्थ्य सेवा में एआई: रोग निदान, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन।
  - ✓ शिक्षा में एआई: अनुकूली शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म।
- **एआई अनुसंधान और स्टार्टअप**
  - ✓ आईएनएआई (इंटेल + तेलंगाना सरकार + आईआईटी हैदराबाद): स्वास्थ्य सेवा और स्मार्ट मोबिलिटी के लिए एआई में अनुप्रयुक्त अनुसंधान।
  - ✓ एआई में उत्कृष्टता केंद्र: आईआईटी, आईआईआईटी में स्थापित।
  - ✓ भारत का एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम तेज़ी से बढ़ रहा है (जैसे, वाधवानी एआई, निरमाई, स्टाकू)।

ग्लोबल एआई गवर्नेंस में भारत की भूमिका

- **G20, संयुक्त राष्ट्र, SCO** आदि में मानव-केंद्रित, समावेशी AI की वकालत।
- चीन के नेतृत्व वाले **विश्व आविष्कार रचनात्मकता ओलंपिक (WICO)** के साथ गठबंधन से बचता है, लेकिन बहुपक्षीय चर्चाओं में शामिल होता है।
- एआई गवर्नेंस पर ग्लोबल साउथ की अवधारणा का नेतृत्व करने के लिए AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी।

नैतिक एआई और विनियमन

- नीति आयोग की "ज़िम्मेदार एआई" रिपोर्ट (2021) में रेखांकित सिद्धांत: **सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेशिता, गोपनीयता**
- भारत को अभी एक समर्पित एआई कानून लागू करना बाकी है, लेकिन नियामक ढांचे को निम्नलिखित के तहत आकार दिया जा रहा है: **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, डिजिटल इंडिया अधिनियम (प्रगति पर)**

चुनौतियां

- ✓ वैश्विक नेताओं की तुलना में सीमित एआई अनुसंधान एवं विकास निवेश।
- ✓ कुशल पेशेवरों की कमी।
- ✓ डेटा गोपनीयता और एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह की चिंताएँ।
- ✓ उद्योग-अकादमिक सहयोग में कमी।
- ✓ मज़बूत नियमन के बिना एआई के दुरुपयोग (डीपफेक, निगरानी) का जोखिम।

एआई पर भारत-चीन सहयोग में प्रमुख मुद्दे

- **भू-राजनीतिक विश्वास की कमी**
  - ✓ सीमा पर तनाव (जैसे, गलवान 2020) उच्च-स्तरीय रणनीतिक विश्वास को सीमित करता है।
  - ✓ भारत चीनी तकनीकी प्रभुत्व को सतर्कता से देखता है (जैसे, टिकटॉक प्रतिबंध, हुआवेई प्रतिबंध)।
- **डेटा संप्रभुता और गोपनीयता**

- ✓ भारत अपने स्वयं के डेटा संरक्षण कानून (जैसे, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम) तैयार कर रहा है।
- ✓ चीन के साथ सहयोग से डेटा साझाकरण और निगरानी को लेकर चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

- **मानदंड-निर्धारण नेतृत्व**
  - ✓ भारत ग्लोबल साउथ में एक आदर्श स्थापित करने वाला देश बनने की आकांक्षा रखता है।
  - ✓ WICO में शामिल होने से इसकी स्वतंत्र नेतृत्वकारी भूमिका प्रभावित हो सकती है।
- **तकनीकी क्षमताओं का अंतर**
  - ✓ चीन एआई पेटेंट, बुनियादी ढाँचे और अनुसंधान में काफ़ी आगे है।
  - ✓ भारत को संयुक्त एआई ढाँचे में असमानता का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह

- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना**
  - ✓ बिना किसी बाध्यकारी प्रतिबद्धता के एआई शासन संवाद में शामिल हों।
  - ✓ किसी एक गुट (चीन या पश्चिमी) के साथ गठबंधन से बचना।
- **बहुपक्षीय जुड़ाव**
  - ✓ समावेशी वैश्विक एआई मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए एससीओ, ब्रिक्स, जी20 और संयुक्त राष्ट्र मंचों का उपयोग करना।
  - ✓ खुले स्रोत, नैतिक और सुरक्षित एआई प्रथाओं की वकालत करना।
- **घरेलू ताकत का निर्माण**
  - ✓ एआई अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास, नियामक क्षमता में निवेश करना।
  - ✓ मजबूत डेटा संरक्षण और एआई जवाबदेही कानून लागू करना।
- **ग्लोबल साउथ पहल शुरू करना**
  - ✓ एआई नैतिकता, पहुँच और निष्पक्षता के मामले में भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में स्थापित करना।
  - ✓ समान विचारधारा वाले देशों को एकजुट करने के लिए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जैसे मंचों का उपयोग करना।
- **चीन के साथ सतर्क संपर्क**
  - ✓ कम राजनीतिक संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों (जैसे, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, जलवायु तकनीक) में सहयोग करना।
  - ✓ मानदंड निर्माण के लिए ट्रैक II संवाद (शैक्षणिक या नागरिक समाज स्तर पर) स्थापित करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के विकास और परिनियोजन के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। उत्तरदायी एआई को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी प्रमुख पहलें की गई हैं, और वैश्विक एआई केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किन चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए? [250 शब्द] [15 अंक]

ग्लोबल साउथ के साथ भारत का बढ़ता जुड़ाव और बहुपक्षीय सहयोग

चर्चा में क्यों: हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका से बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण, भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पुनः संतुलित कर रहा है, तथा पारंपरिक साझेदारों से आगे बढ़कर व्यापार साझेदारी का विस्तार कर रहा है।

अन्य मुख्य आकर्षण

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अधिकारियों ने गाजा में अकाल की घोषणा की, जिससे मानवीय आपदा और भुखमरी को बढ़ाने में युद्ध की भूमिका पर चिंता बढ़ गई।

अब यह क्यों मायने रखता है?

- 7 अगस्त, 2025 को, अमेरिका ने विभिन्न भारतीय निर्यातों पर **25%** टैरिफ लगाया।
- रूसी तेल के भारतीय आयातों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा।
- ये उपाय सिले-सिलाए कपड़ों और रसायनों से लेकर सौर पैनलों तक के उद्योगों को प्रभावित करते हैं।
- अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता के संभावित नुकसान को देखते हुए, भारतीय निर्यातक और सरकार आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार भागीदारों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं।
- साथ ही, गाजा में खाद्य सुरक्षा इतनी खराब हो गई है कि संयुक्त राष्ट्र के एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आईपीसी) ने गाजा शहर और उसके आसपास के कुछ हिस्सों को अकाल की स्थिति में घोषित कर दिया है।
- पाँच लाख से ज़्यादा लोग **"विनाशकारी"** स्थिति में हैं।

व्यापार पुनर्गठन और नई साझेदारियां

- **EAEU वार्ता:**
  - ✓ भारत ने यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU; रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान) के साथ बातचीत शुरू की है, जिसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद लगभग 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - ✓ ईएईयू के साथ व्यापार कारोबार 2024 में लगभग 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो 2023 की तुलना में लगभग 7% अधिक है।
- **रूस एक बाज़ार के रूप में:**
  - ✓ अमेरिकी टैरिफ के कारण पारंपरिक निर्यात चैनल संकुचित हो रहे हैं, इसलिए भारतीय निर्यातक कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान तथा उसकी ऊर्जा एवं निवेश क्षमता का लाभ उठाने के लिए रूस की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं।
- **ब्राज़ील से तेल:**
  - ✓ 2025 की पहली छमाही में, ब्राज़ील से तेल आयात साल-दर-साल लगभग 75% बढ़कर लगभग 41,000 बैरल प्रतिदिन से बढ़कर लगभग 72,000 बैरल प्रतिदिन हो जाएगा। ब्राज़ील एक महत्वपूर्ण गैर-ओपेक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है।
- **विविधीकरण में चुनौतियाँ:**
  - ✓ यद्यपि, पश्चिम एशिया में लॉजिस्टिक संबंधी बाधाएं, मूल्य प्रतिस्पर्धा, दूरी और स्थापित पाइपलाइनें और मार्ग अभी भी पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में हैं।

गाजा: मानवीय आपदा और वैश्विक प्रतिक्रियाएँ

- आईपीसी के अकाल वर्गीकरण में गाजा शहर और आसपास के प्रांत शामिल हैं, जो "भुखमरी, अभाव और मृत्यु" की स्थितियों का वर्णन करते हैं।
- 500,000 से ज़्यादा लोग भयावह खाद्य परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लगभग 1.07 मिलियन लोग "आपातकाल" (चरण 4) में हैं, जबकि लगभग 400,000 लोग खाद्य असुरक्षा के "संकट" (चरण 3) स्तर पर हैं।
- संघर्ष, विस्थापन, सहायता प्रतिबंध और खाद्य प्रणालियों के पतन को अकाल के "मानव निर्मित" कारणों के रूप में उद्धृत किया गया है। सहायता की पहुँच अभी भी काफी सीमित है।
- इज़राइल ने मिस्र और कतर द्वारा प्रस्तावित 60-दिवसीय युद्धविराम योजना को अस्वीकार कर दिया है, हालाँकि हमास ने बंधकों की रिहाई और निरस्त्रीकरण दायित्वों पर चिंताओं का हवाला देते हुए इसे स्वीकार कर लिया है। इज़राइली सरकार का कहना है कि हमास को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई आवश्यक है।

भारत की विदेश एवं व्यापार नीति के लिए आगे का रास्ता

- **वैकल्पिक व्यापार समझौतों को गहरा करना**
  - ✓ अमेरिकी टैरिफ़ के प्रभाव को कम करने के लिए EAEU और ब्राज़ील के साथ सार्थक व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देना। लागत का बोझ कम करने के लिए बुनियादी ढाँचे (बंदरगाह, लॉजिस्टिक) में निवेश करना।

- **निर्यातकों के लिए नीतिगत समर्थन**
  - ✓ टैरिफ-नुकसान की भरपाई के लिए सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों (वस्त्र, रसायन, सौर) के लिए सब्सिडी, प्रोत्साहन या बीमा तंत्र।
- **अति-निर्भरता पर जोखिम-मूल्यांकन**
  - ✓ संतुलन की आवश्यकता है ताकि भारत दीर्घकालिक स्थिरता या भू-राजनीति की कीमत पर किसी एक वैकल्पिक साझेदार पर अत्यधिक निर्भर न हो जाए।



पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक)

- ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है जो अपने सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण सुनिश्चित करता है:
  - ✓ स्थिर तेल बाज़ार
  - ✓ उत्पादकों के लिए उचित प्रतिफल
  - ✓ उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति
  - ✓ निवेशकों के लिए स्थिर आय
- 1960 में बगदाद, इराक में स्थापित
- **मुख्यालय:** वियना, ऑस्ट्रिया
- **वर्तमान सदस्य (2025):** 13 देश - अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब (वास्तविक नेता), संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), वेनेजुएला
- इंडोनेशिया ने 2016 में अपनी सदस्यता निलंबित कर दी। इक्वाडोर 2020 में निकल गया। हालाँकि कतर 2019 में बाहर हो गया।

गाजा: मानवीय आपदा और वैश्विक प्रतिक्रियाएँ

- आईपीसी के अकाल वर्गीकरण में गाजा शहर और आसपास के प्रांत शामिल हैं, जो "भुखमरी, अभाव और मृत्यु" की स्थितियों का वर्णन करते हैं।
- 500,000 से ज़्यादा लोग भयावह खाद्य परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लगभग 1.07 मिलियन लोग "आपातकाल" (चरण 4) में हैं, जबकि लगभग 400,000 लोग खाद्य असुरक्षा के "संकट" (चरण 3) स्तर पर हैं।
- संघर्ष, विस्थापन, सहायता प्रतिबंध और खाद्य प्रणालियों के पतन को अकाल के "मानव निर्मित" कारणों के रूप में उद्धृत किया गया है। सहायता की पहुँच अभी भी काफी सीमित है।
- इज़राइल ने मिस्र और कतर द्वारा प्रस्तावित 60-दिवसीय युद्धविराम योजना को अस्वीकार कर दिया है, हालाँकि हमास ने बंधकों की रिहाई और निरस्त्रीकरण दायित्वों पर चिंताओं का हवाला देते हुए इसे स्वीकार कर लिया है। इज़राइली सरकार का कहना है कि हमास को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई आवश्यक है।

भारत की विदेश एवं व्यापार नीति के लिए आगे का रास्ता

- **वैकल्पिक व्यापार समझौतों को गहरा करना**
  - ✓ अमेरिकी टैरिफ़ के प्रभाव को कम करने के लिए EAEU और ब्राज़ील के साथ सार्थक व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देना। लागत का बोझ कम करने के लिए बुनियादी ढाँचे (बंदरगाह, लॉजिस्टिक) में निवेश करना।

- **निर्यातकों के लिए नीतिगत समर्थन**
  - ✓ टैरिफ-नुकसान की भरपाई के लिए सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों (वस्त्र, रसायन, सौर) के लिए सब्सिडी, प्रोत्साहन या बीमा तंत्र।
- **अति-निर्भरता पर जोखिम-मूल्यांकन**
  - ✓ संतुलन की आवश्यकता है ताकि भारत दीर्घकालिक स्थिरता या भू-राजनीति की कीमत पर किसी एक वैकल्पिक साझेदार पर अत्यधिक निर्भर न हो जाए।

गाजा अकाल पर चर्चा

- मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी युद्धविराम और सुरक्षित गलियारों पर ज़ोर देना; युद्धरत पक्षों पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाना।
- नागरिकों को नुकसान पहुँचाने या सहायता में बाधा डालने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए कूटनीतिक गठबंधन और कानूनी रास्ते मज़बूत करना—खासकर जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून लागू हो।
- युद्धग्रस्त आबादी की सुरक्षा बढ़ाने वाले वैश्विक मानदंडों और मंचों का समर्थन करना, और राहत कार्यों या मध्यस्थता में भारत की भूमिका (द्विपक्षीय या संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से) पर विचार करना।

निष्कर्ष

भारत बदलती वैश्विक गतिशीलता से जूझ रहा है, अमेरिका के व्यापारिक दबाव का जवाब देने के लिए साझेदारों में विविधता ला रहा है और चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर रहा है। साथ ही, गाजा अकाल मानवीय नेतृत्व की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। रणनीतिक हितों और नैतिक ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन वैश्विक मंच पर भारत की उभरती भूमिका को परिभाषित करेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: हाल ही में, भारत ने चीन, रूस और ब्राज़ील जैसे देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने की कोशिश की है, मुख्यतः इसलिए:

(a) ये देश भारत को सैन्य सहायता प्रदान करते हैं
(b) अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता रुक गई है और भारतीय वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया गया है
(c) भारत बहुपक्षीय व्यापार ढाँचों से दूर जा रहा है
(d) इन देशों ने भारत को अपने क्षेत्रीय रक्षा समझौतों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है

उत्तर : (b)

सऊदी-पाकिस्तान के बीच "रणनीतिक पारस्परिक रक्षा" समझौता

चर्चा में क्यों: हाल ही में, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सऊदी क्राउन प्रिंस ने रियाद में 'रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते' (एसएमडीए) पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य विवरण

- इस समझौते के तहत, किसी एक देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।
- इसका उद्देश्य क्षेत्र में रक्षा सहयोग को गहरा करना और संयुक्त प्रतिरोध को मज़बूत करना है।
- यह समझौता भारत के लिए अपने पश्चिमी पड़ोस के प्रबंधन को जटिल बनाता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की स्थिति को मज़बूत करता है।

प्रमुख घटक और खंड

- यह समझौता रक्षा सहयोग को औपचारिक रूप देता है: संयुक्त निवारण, सैन्य सहयोग, संभवतः खुफिया जानकारी साझा करना और समन्वय।
- पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस समझौते को पूरी तरह रक्षात्मक बताया और ज़ोर देकर कहा कि यह किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं है।
- पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इस समझौते के तहत पाकिस्तान की सैन्य क्षमताएँ—जिसमें उसका परमाणु शस्त्रागार भी शामिल है -"उपलब्ध" कराई जा सकती हैं; हालाँकि पाकिस्तान अब भी यही कहता है कि उसका परमाणु सिद्धांत भारत-केंद्रित है।

समझौते के संभावित कारण

- **बढ़ते क्षेत्रीय तनाव:** हाल ही में इज़राइली हवाई हमलों (जैसे, दोहा पर) ने खाड़ी देशों में सुरक्षा खतरों और पारंपरिक सुरक्षा गारंटरों की विश्वसनीयता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- **अमेरिकी गारंटियों में अनिश्चितताएँ:** बदलती परिस्थितियों को देखते हुए खाड़ी देश अधिक विविध सुरक्षा साझेदारियाँ चाह रहे हैं।
- **सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दीर्घकालिक संबंध:** रक्षा, वित्तीय सहायता, तेल, सैन्य प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में संबंध, जिसने इस समझौते को औपचारिक रूप देने का मार्ग प्रशस्त किया।

उद्देश्य

- **क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता**
  - ✓ यह समझौता फारस की खाड़ी और व्यापक मध्य पूर्व में, खासकर पाकिस्तान की परमाणु स्थिति को देखते हुए, शक्ति संतुलन को बदल सकता है।
  - ✓ कुछ विश्लेषक इसे सऊदी अरब के लिए एक वास्तविक परमाणु छत्र व्यवस्था के रूप में देखते हैं।
  - ✓ इज़राइल, ईरान और भारत गठबंधन की गणनाओं में संभावित बदलावों के साथ, इस पर कड़ी नज़र रखेंगे।
- **पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए**
  - ✓ पाकिस्तान के लिए, यह अरब सुरक्षा ढांचे में उसकी रणनीतिक भूमिका को और मज़बूत करता है; रक्षा सहयोग और संभवतः सहायता/सुरक्षा समर्थन को मज़बूत करता है।
  - ✓ सऊदी अरब के लिए, यह उसकी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता लाता है और क्षेत्रीय ख़तरों के बीच उसकी निवारक स्थिति को मज़बूत करता है।
- **भारत और अन्य के लिए**
  - ✓ भारत ने उम्मीद जताई है कि सऊदी अरब "पारस्परिक हितों और संवेदनशीलताओं" को ध्यान में रखेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्टता की माँग की है।
  - ✓ भारत के सामरिक परिवेश के और अधिक जटिल होने की संभावना है, खासकर पिछले पाकिस्तान-भारत तनावों और परस्पर जुड़ी क्षेत्रीय चिंताओं के मद्देनजर।

चिंताएँ

- अमेरिका, ईरान, इज़राइल और भारत जैसे देश कूटनीतिक रूप से प्रतिक्रिया दे सकते हैं या अपनी नीतियों में बदलाव कर सकते हैं।
- ऐसे पारस्परिक रक्षा समझौतों में, गलतफ़हमियाँ या आक्रामक व्याख्याएँ तनाव बढ़ा सकती हैं।

निष्कर्ष

सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौता पश्चिम एशिया में एक बड़े रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो गहरे सैन्य संबंधों और संभावित परमाणु प्रतिरोध का संकेत देता है। आधिकारिक तौर पर रक्षात्मक होने के बावजूद, यह क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है, खासकर भारत के लिए। यह समझौता दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों को और जटिल बना देता है।

भारत और ईरान: नई दुनिया को आकार देने वाली प्राचीन सभ्यताएँ

चर्चा में क्यों: अपनी समृद्ध सभ्यतागत अंतर्दृष्टि, रणनीतिक स्वायत्तता और सहयोगात्मक साझेदारी के साथ, तेहरान और नई दिल्ली में हमारी विकासशील दुनिया में एक नई व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता है।

मुख्य विवरण

- भारत-ईरान बदलते वैश्विक शक्ति समीकरणों का एक सशक्त चित्रण प्रस्तुत करते हैं।
- दशकों से पश्चिमी देशों – विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका – द्वारा नियंत्रित वैश्विक व्यवस्था अब गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है।
- वित्त, प्रौद्योगिकी, मीडिया और मानवाधिकार मानकों पर प्रभुत्व जैसे पश्चिम के नियंत्रण के पुराने साधन अब पहले की तरह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं।

ग्लोबल साउथ का उदय

- ग्लोबल साउथ के कई देश - खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के - उन्नति कर रहे हैं। वे अब पश्चिमी प्रभाव के अधीन रहने को तैयार नहीं हैं। इसके बजाय, वे:
  - ✓ अपने स्वयं के विकास मॉडल बनाना
    - स्थानीय उद्योगों और प्रौद्योगिकियों का निर्माण
    - रक्षा और सुरक्षा प्रणालियों को मज़बूत करना
- यह बदलाव एक अधिक संतुलित वैश्विक शक्ति संरचना की ओर अग्रसर है।

ईरान और भारत की सभ्यतागत भूमिका

- दोनों ही दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से हैं, जिनकी संस्कृतियाँ, दर्शन, साहित्य और परंपराएँ समृद्ध हैं।
- शासन, कला, वास्तुकला और दर्शन पर इनका गहरा प्रभाव है।
- दोनों देशों के साझा मूल्यों में शामिल हैं:
  - ✓ विविधता का सम्मान
  - ✓ बुराई पर अच्छाई की विजय में विश्वास
  - ✓ आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर ध्यान
  - ✓ प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

समकालीन प्रासंगिकता और लचीलापन

- आधुनिक इतिहास के उदाहरण:
  - ✓ भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया और उपनिवेशवाद का विरोध करने में ग्लोबल साउथ देशों का समर्थन किया।
  - ✓ ईरान ने अपने तेल का राष्ट्रीयकरण (1950 के दशक में) किया और पश्चिमी प्रभुत्व से खुद को मुक्त करने के लिए इस्लामी क्रांति (1979) की।
- दोनों देश भारी दबाव के बावजूद भी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने हुए हैं:
  - ✓ ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों, साइबर हमलों और विदेशी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा है।

- ✓ भारत को भी वैश्विक दबावों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसने कभी अपनी संप्रभुता नहीं छोड़ी।

बहुध्रुवीय विश्व और दक्षिण-दक्षिण सहयोग

- ईरान और भारत इस दृष्टिकोण के केंद्र में हैं। वे दक्षिण-दक्षिण सहयोग का समर्थन करते हैं।
- साथ मिलकर, वे ब्रिक्स (उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह) जैसे समूहों में सक्रिय हैं और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) जैसी परियोजनाओं का समर्थन करते हैं, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक व्यापार मार्ग है।
- ऐसी पहल सांस्कृतिक और सभ्यतागत सेतुओं का निर्माण करेंगी और पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों में स्थिरता लाएँगी।

फिलिस्तीन मुद्दा: ग्लोबल साउथ के संघर्ष का प्रतीक

- फिलिस्तीन की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए:
  - ✓ मानवाधिकारों पर पश्चिम का दोहरा मापदंड।
  - ✓ शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा समर्थित जारी कब्ज़ा और विस्तारवाद।
- फिलिस्तीनी न केवल अपनी भूमि के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि **सभी कमजोर राष्ट्रों के वर्चस्व का विरोध करने के अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं।**
- इसी प्रकार, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए ईरान की लड़ाई प्रतीकात्मक है - यह ग्लोबल साउथ के सभी देशों के स्वतंत्र रूप से विकास करने के अधिकार की रक्षा करता है।

अमेरिकी हस्तक्षेप और क्षेत्रीय अस्थिरता

- अमेरिका की इन दोनों देशों में अस्थिरता पैदा करने में भूमिका के लिए आलोचना की जा रही है:
  - ✓ पश्चिम एशिया (सीरिया, इराक, यमन आदि में युद्धों का समर्थन करना और ज़ायोनी शासन का समर्थन करना)
  - ✓ दक्षिण एशिया (अपने हितों के अनुसार आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना या उनकी उपेक्षा करना)
- क्षेत्र की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के नाते ईरान विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है और अपने पड़ोसियों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करता है।

क्षेत्रीय सुरक्षा और संतुलन सुनिश्चित करना

- ईरान और भारत जैसे देश बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय, आपसी सम्मान, कूटनीति, संवाद और बाहरी हस्तक्षेप से बचने पर आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणालियाँ बनाने में विश्वास करते हैं।
- यह दृष्टिकोण पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देता है।

भारत के लिए महत्व

- भारत-ईरान संबंध भारत के लिए रणनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह भारत को सक्षम बनाता है, जैसे -
  - ✓ अपनी सभ्यतागत पहचान स्थापित करना
  - ✓ क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव बढ़ाना
  - ✓ बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देना
  - ✓ पश्चिम पर निर्भरता कम करना
  - ✓ अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना
  - ✓ एक्ट ईस्ट के पूरक के रूप में एक्ट वेस्ट नीति को मज़बूत करना
  - ✓ यूरेशिया के साथ भारत के संपर्क को बढ़ाना
  - ✓ खाड़ी राजतंत्रों से परे ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी में विविधता लाना

चुनौतियां

- अमेरिकी प्रतिबंधों से व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध
- बैंकिंग और बीमा बाधाएँ
- ईरान की घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय भूमिका में अनिश्चितता

आगे की राह

- विश्व अब एक नई वैश्विक व्यवस्था की तलाश कर रहा है जो न्याय और मानवीय गरिमा, श्रेष्ठता के बजाय समानता और प्रभुत्व के बजाय भागीदारी पर आधारित हो।
- ईरान व् भारत, अपनी सभ्यतागत बुद्धिमत्ता, रणनीतिक स्वतंत्रता और बढ़ते सहयोग के साथ, इस नई दुनिया को आकार देने में मदद कर सकते हैं।
- वे एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करने में सक्षम हैं जो सत्ता-आधारित राजनीति के स्थान पर नैतिकता, स्थिरता और विविधता के सम्मान को स्थापित करे।

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे पश्चिमी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है, ईरान और भारत जैसे देश आगे बढ़ रहे हैं। अपनी गहरी सभ्यतागत जड़ों से प्रेरणा लेते हुए, वे ग्लोबल साउथ को एक अधिक न्यायपूर्ण, समान और शांतिपूर्ण विश्व की ओर ले जा रहे हैं।
- महाशक्तियों के हाथों का खिलौना बनने के बजाय, राष्ट्र अब अपने भाग्य के स्वामी बनने की माँग कर रहे हैं।
- और इस बदलाव का मार्गदर्शन करने के लिए सदियों से चुनौतियों का सामना करने वाली प्राचीन सभ्यताओं—ईरान और भारत—से बेहतर कौन हो सकता है, जो बुद्धि, शक्ति और सहयोग से भविष्य को आकार देने के लिए तैयार हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: बहुध्रुवीय विश्व को आकार देने और ग्लोबल साउथ को मजबूत करने में भारत-ईरान संबंधों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत

चर्चा में क्यों: भारत ने हाल ही में दोहा में हुए हवाई हमलों की सार्वजनिक रूप से निंदा की और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में कतर की संप्रभुता का औपचारिक रूप से बचाव किया।

भारत की स्थिति के मुख्य बिंदु

- ये हमले कथित तौर पर दोहा में इज़राइली हवाई हमले थे जिनमें हमास के अधिकारियों को निशाना बनाया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा: "हम कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं।"
- उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार बातचीत और कूटनीति के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए, और आगे तनाव बढ़ने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के बयान में इज़राइल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया।
- भारत ने बताया कि कतर एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जहाँ 8,30,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं और यह भारत को एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

निहितार्थ

- **कूटनीतिक संतुलन**
  - ✓ भारत ने संप्रभुता के उल्लंघन की कड़ी निंदा की, लेकिन इज़राइल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया।
  - ✓ यह दृष्टिकोण भारत को पश्चिम एशिया (इज़राइल, खाड़ी देशों, फिलिस्तीन) में विभिन्न हितधारकों के साथ संबंध बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही अपने हितों की रक्षा करता है और खुद को एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता है।
- **संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखना**
  - ✓ संप्रभुता, कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पालन पर भारत का ज़ोर उसकी व्यापक विदेश नीति के अनुरूप है।
  - ✓ ऐसे उल्लंघनों की निंदा करके, भारत नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।
- **सामरिक और आर्थिक हित**
  - ✓ कतर भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है - ऊर्जा (एलएनजी आपूर्ति) और कतर में रहने वाले विशाल प्रवासी भारतीय समुदाय के

लिए। भारत-कतर संबंधों में किसी भी तरह की गड़बड़ी या टूटन घरेलू और आर्थिक रूप से महंगी पड़ेगी।

- ✓ चूँकि इज़राइल भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है (विशेषकर रक्षा, प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में), इसलिए भारत इज़राइल की इस तरह से निंदा करने से सावधान रह सकता है जिससे द्विपक्षीय सहयोग को खतरा हो।

- **क्षेत्रीय स्थिरता**
  - ✓ तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त करके, भारत यह स्वीकार करता है कि मध्य पूर्व में संघर्षों का ऊर्जा की कीमतों, प्रवासन, सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
  - ✓ भारत का रुख संयम को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आक्रामक कार्रवाई की निंदा भी करता है।

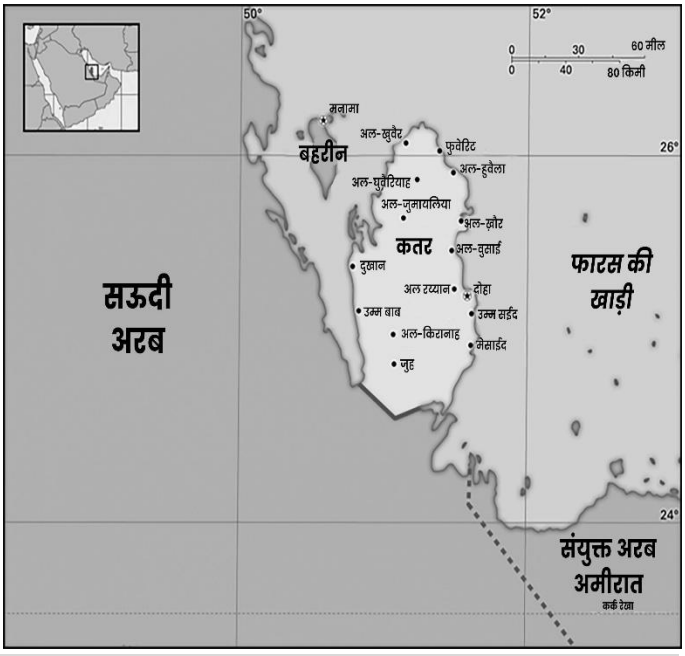
विभिन्न अन्य आयाम

- **संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भारत का रुख**
  - ✓ **संयुक्त राष्ट्र चार्टर:** भारत अहस्तक्षेप, संप्रभुता के सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान जैसे सिद्धांतों का पालन करता है।
  - ✓ **नियम-आधारित विश्व व्यवस्था:** भारत बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।
  - ✓ **संतुलनकारी कार्य:** हमले की निंदा की, लेकिन इज़राइल का नाम लेने से परहेज किया, जिससे इज़राइल और कतर दोनों के साथ रणनीतिक संबंध बरकरार रहे।
- **भारत-कतर संबंध**
  - ✓ **सामरिक एवं आर्थिक महत्व:**
    - ➢ प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता - विशेष रूप से एलएनजी।
    - ➢ क़तर में लगभग 830,000 भारतीय प्रवासी - धन प्रेषण स्रोत और कूटनीतिक लाभ।
  - ✓ **सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंध:** क्षेत्रीय स्थिरता में साझा हित, नियमित उच्च-स्तरीय संपर्क।
  - ✓ **प्रवासी कूटनीति:** कतर में किसी भी प्रकार की अस्थिरता भारतीय कामगारों के लिए ख़तरा है - इसलिए क्षेत्रीय शांति में भारत की भी हिस्सेदारी है।
- **भारत-इज़राइल संबंध**
  - ✓ **मजबूत द्विपक्षीय संबंध:**
    - ➢ रक्षा सहयोग
    - ➢ आतंकवाद-विरोधी
    - ➢ प्रौद्योगिकी और कृषि
  - ✓ इजराइल का नाम लेने पर भारत की चुप्पी रणनीतिक संयम और संतुलन को दर्शाती है।
- **मध्य पूर्व भू-राजनीति (पश्चिम एशिया)**
  - ✓ **इज़राइल-हमास संघर्ष का फैलाव:** यह संघर्ष गाजा से आगे तक फैल गया, जिससे कतर जैसे तटस्थ खाड़ी देश प्रभावित हुए।
  - ✓ **खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) तनाव:** कतर को यूएई/सऊदी अरब के विपरीत, हमास का करीबी माना जाता है - जो अरब जगत में आंतरिक विभाजन को दर्शाता है।
  - ✓ भारत को इस क्षेत्र में सांप्रदायिक, राजनीतिक और रणनीतिक जटिलताओं से निपटना होगा।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) एक मंच के रूप में**
  - ✓ भारत ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक **बहुपक्षीय मंच** का उपयोग किया - जो कूटनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है।
  - ✓ UNHRC का उपयोग अक्सर **मानवीय और कानूनी निहितार्थ वाले गैर-सुरक्षा मुद्दों** को उठाने के लिए किया जाता है।
  - ✓ यह वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।
- **आतंकवाद पर भारत का रुख**
  - ✓ भारत पारंपरिक रूप से **सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा** करता है।
  - ✓ लेकिन वह आतंकवाद-विरोध के नाम पर संप्रभुता के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराता - इसीलिए यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
  - ✓ **भारत अपनी संतुलित स्थिति दोहराता है:** आतंकवाद के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का सम्मान।

- **ऊर्जा सुरक्षा**
  - ✓ कतर भारत के शीर्ष **एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं** में से एक है।
  - ✓ कतर के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में व्यवधान = भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा।
  - ✓ भारत की प्रतिक्रिया **ऊर्जा स्थिरता** को लेकर उसकी चिंता को भी दर्शाती है।
- **प्रवासी संरक्षण**
  - ✓ क़तर में लगभग 8.5 लाख भारतीय रहते हैं।
  - ✓ भारत का यह कूटनीतिक रुख आंशिक रूप से विदेश में अपने **नागरिकों की सुरक्षा की चिंता** से उपजा है।
  - ✓ यह भारत की बढ़ती **प्रवासी-केंद्रित विदेश नीति** को दर्शाता है (जैसा कि यूक्रेन युद्ध, खाड़ी देशों से लोगों को निकालने, सूडान आदि के दौरान भी देखा गया)।
- **दक्षिण-दक्षिण एकजुटता / ग्लोबल साउथ कूटनीति**
  - ✓ कतर जैसे "भाईचारे वाले देश" का भारत द्वारा किया गया पुरज़ोर बचाव, **ग्लोबल साउथ एकजुटता** के उसके व्यापक आख्यान के अनुरूप है।
  - ✓ विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में, भारत अक्सर बड़ी शक्तियों द्वारा किए गए उल्लंघनों का विरोध करता है।
- **कार्रवाई में रणनीतिक स्वायत्तता**
  - ✓ भारत ने किसी भी गुट से जुड़े बिना एक **सैद्धांतिक रुख** अपनाया।
  - ✓ यह उसकी **गुटनिरपेक्षता 2.0** या **बहु-गठबंधन रणनीति** को दर्शाता है।
  - ✓ पश्चिमी निंदा या इस्लाम समर्थक गुट की बयानबाजी में शामिल होने से परहेज किया।

कतर के बारे में (आधिकारिक तौर पर – कतर राज्य)

- **राजधानी:** दोहा
- **भाषा:** अरबी
- **सरकार:** पूर्ण राजतंत्र (अमीरात)
- **स्थान:** अरब प्रायद्वीप, सऊदी अरब (भूमि) और फ़ारस की खाड़ी (समुद्र) से घिरा हुआ
- **पड़ोसी देश:** सऊदी अरब (भूमि): ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन (खाड़ी के पार)
- **जलवायु:** शुष्क रेगिस्तान - अत्यधिक गर्म ग्रीष्मकाल, हल्की सर्दियाँ
- **रणनीतिक महत्व:** गठबंधनों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से "होर्मुज जलडमरूमध्य" के एक हिस्से पर नियंत्रण
- **भारत के साथ राजनयिक संबंध:** 1973 में स्थापित
- **रक्षा एवं सुरक्षा (भारत के साथ):** नियमित नौसैनिक दौरे, समुद्री सुरक्षा पर सहयोग



पहलू	विवरण
भारत की स्थिति	संप्रभुता, अहस्तक्षेप और बहुपक्षवाद के प्रबल समर्थक
उल्लेखनीय योगदान	यूपीआर में भाग लिया, विशेष दूत भेजे, गाजा, कतर में उल्लंघनों की निंदा की
आलोचना का सामना करना पड़ा	कश्मीर, सीएए, अफस्पा, इंटरनेट शटडाउन को लेकर कभी-कभी आलोचना की जाती है
दृष्टिकोण	संतुलित, सिद्धांतबद्ध रुख को बढ़ावा देता है - सहयोगियों का नाम लेने से बचता है, संप्रभुता का समर्थन करता है

यूएनएचआरसी के बारे में

- **पूरा नाम:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
- **स्थापना:** 15 मार्च 2006 (संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 60/251 द्वारा)
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- **मूल निकाय:** संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
- **प्रतिस्थापित:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग
- **सदस्यता:** 47 सदस्य देश
- **उद्देश्य:** वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों का संवर्धन और संरक्षण
- **मुख्य कार्य:**
  - ✓ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करना
  - ✓ घोर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान देना
  - ✓ मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देना
  - ✓ तत्काल मानवाधिकार आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया देना
  - ✓ विषयगत मानवाधिकार मुद्दों (जैसे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिला अधिकार) पर चर्चा करना

निष्कर्ष

कतर की संप्रभुता पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का रुख व्यावहारिक कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी जड़ें इस प्रकार हैं:

- संप्रभुता के सिद्धांत
- प्रमुख साझेदारों (इज़राइल और कतर) के बीच वास्तविक राजनीति का संतुलन
- प्रवासी समुदाय की सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा
- एक जटिल भू-राजनीतिक परिवेश में एक उभरती हुई बहुपक्षीय रणनीति।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत ने हाल ही में दोहा में हवाई हमलों की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में कतर की संप्रभुता के लिए समर्थन व्यक्त किया। इस संदर्भ में, परीक्षण कीजिए कि भारत की विदेश नीति अपने सामरिक हितों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ कैसे संतुलित करती है। [**250** शब्द] [**15** अंक]

रक्षा खरीद नियमावली - 2025

चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री ने सेनाओं के लिए राजस्व खरीद में तेजी लाने, सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से घरेलू उद्योग को सक्षम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उद्यम को समर्थन देने के लिए रक्षा खरीद नियमावली (डिफेन्स प्रोक्योरमेंट मैन्युअल - डीपीएम) 2025 को मंजूरी दी है।

मुख्य विवरण

- संशोधित दस्तावेज़ आधुनिक युद्ध के युग में सशस्त्र बलों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- यह तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा देगा और शीघ्र निर्णय लेने के माध्यम से सैन्य तैयारी के उच्चतम स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा।

उद्देश्य और लक्ष्य

- **कार्यकुशलता बढ़ाना:** प्रक्रियाओं को सरल बनाएँ, नौकरशाही संबंधी देरी कम करें और अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेज़ी लाएँ।
- **उद्योग सहयोग को सुगम बनाना:** कार्यशील पूँजी संबंधी चुनौतियों को कम करें, दंड संरचनाओं को युक्तिसंगत बनाएँ और विक्रेताओं के लिए ऑर्डर आश्वासन सुनिश्चित करें।
- **अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना:** स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी, आईआईएससी, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के साथ सहयोग को बढ़ावा दें।

रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) -भारत

- रक्षा मंत्रालय रक्षा खरीद नियमावली (डिफेन्स प्रोक्योरमेंट मैन्युअल डीपीएम) प्रकाशित करता है।
- **उपलब्ध संस्करणों में शामिल हैं:**
  - ✓ डीपीएम 2006 (संशोधनों सहित)
  - ✓ डीपीएम 2009
  - ✓ संशोधन और अनुपूरक (~ अनुपूरक 2010)
- 2025 में, एक नए संस्करण डीपीएम 2025 को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें स्वदेशीकरण, विकेंद्रीकरण और तेजी से निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करने वाले सुधार शामिल हैं।

डीपीएम 2025 में प्रमुख परिवर्तन और विशेषताएँ

- **राजस्व खरीद को सुव्यवस्थित करना**
  - ✓ डीपीएम 2025 का उद्देश्य राजस्व खरीद (अर्थात संचालन, रखरखाव, पुर्जों, गोला-बारूद आदि के लिए आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की खरीद) को सरल, युक्तिसंगत और तीव्र बनाना है।
- **आधुनिकीकरण और अनुकूलन**
  - ✓ इसे आधुनिक युद्ध में उभरती जरूरतों को पूरा करने, सेना, नौसेना, वायु सेना के बीच "संयुक्तता" को बढ़ावा देने और तेजी से निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना ("आत्मनिर्भरता")**
  - ✓ भारतीय उद्योग जगत, निजी क्षेत्र, एमएसएमई, स्टार्ट-अप, शिक्षाविदों और सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) की अधिक भागीदारी।
  - ✓ नवाचार और स्वदेशीकरण पर नया अध्याय: आंतरिक डिज़ाइन और विकास को समर्थन, शिक्षा जगत और प्रयोगशालाओं के साथ गठजोड़।
- **दंड में छूट और अधिक सहायता**
  - ✓ विकास चरण के दौरान, कोई तरलता क्षति (लिक्विडिटी डैमेज-LD) नहीं लगाई जाएगी। प्रोटोटाइप-विकास के बाद, न्यूनतम LD (0.1%) लागू होगा।
  - ✓ कुल मिलाकर अधिकतम LD को घटाकर 5% कर दिया गया है, केवल अत्यधिक देरी के मामलों में यह 10% तक जा सकता है।
  - ✓ कुछ मात्राओं के लिए 5 वर्ष तक की गारंटीशुदा ऑर्डर; विशेष मामलों में और उससे आगे भी विस्तार। ।
- **क्षेत्र/निचले स्तर के निर्णयकर्ताओं को सशक्त बनाना**
  - ✓ क्षेत्रीय या अधीनस्थ स्तरों पर सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों (सीएफए) को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, विशेष रूप से फाइलों को आगे बढ़ाए बिना वितरण अवधि में विस्तार प्रदान करने के लिए।
  - ✓ यदि भागीदारी की कमी है, तो बोली खोलने की तिथियाँ स्थानीय स्तर पर (कुछ सीमाओं के भीतर) बढ़ाई जा सकती हैं, इसके लिए हमेशा उच्च प्राधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- **अधिक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा**
  - ✓ खुली बोली से पहले कुछ डीपीएसयू से कुछ "अनापत्ति प्रमाणपत्र" की आवश्यकता को हटाया गया; निविदाएँ अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी।
  - ✓ समान अवसर की चिंताओं का समाधान किया गया।
- **वित्तीय परिमाण और दायरा**
  - ✓ इस नियमावली के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में लगभग ₹1 लाख करोड़ की राजस्व खरीद होने की उम्मीद है।
  - ✓ पिछला पूर्ण नियमावली 2009 में जारी किया गया था, इसलिए यह एक बड़ा अपडेट है।

निहितार्थ एवं संभावित चुनौतियाँ

- तेज़ खरीद चक्र सशस्त्र बलों को तैयार रहने और तेज़ी से बदलते ख़तरों के अनुसार ढलने में मदद कर सकते हैं।
- उद्योग जगत, खासकर छोटी कंपनियों और स्टार्ट-अप्स के लिए, कम जुर्माने और ज़्यादा सुनिश्चित ऑर्डर आकर्षक हैं। इससे जोखिम कम होता है।
- सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नियमावली का ज़मीनी स्तर पर कितनी अच्छी तरह क्रियान्वयन होता है—क्या अधिकारी वास्तव में अधिकार सौंपते हैं और लालफीताशाही कम करते हैं।
- निगरानी और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना अब भी महत्वपूर्ण है; सीएफए को नई शक्तियाँ मिलने का मतलब है कि निगरानी मज़बूत होनी चाहिए।
- साथ ही, रक्षा खरीद में गुणवत्ता, सुरक्षा और विशिष्टताओं को बनाए रखने के साथ गति का संतुलन बनाए रखना अभी भी महत्वपूर्ण होगा।

भारत में रक्षा स्वदेशीकरण के लिए सरकारी पहल

- **मेक इन इंडिया (रक्षा):** रक्षा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना; आयात पर निर्भरता कम करना; निजी क्षेत्र को शामिल करना।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020:** इसमें भारतीय खरीदें - आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित) और वैश्विक खरीदें - भारत में निर्माण जैसी खरीद श्रेणियाँ शामिल हैं; न्यूनतम स्वदेशी सामग्री में वृद्धि।
- **रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति (डीपीईपीपी) 2020:** घरेलू विनिर्माण और रक्षा निर्यात के लिए लक्ष्य निर्धारित करना; पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना।
- **सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ (पीआईएल):** रक्षा वस्तुओं की सूची जिनका उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जाना चाहिए, कुछ निश्चित तिथियों के बाद आयात प्रतिबंधों के साथ।
- **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स):** रक्षा आवश्यकताओं के लिए स्टार्टअप/एमएसएमई नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, प्रोटोटाइपिंग का समर्थन करें।
- **प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) (डीआरडीओ द्वारा):** निजी फर्मों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स द्वारा रक्षा/दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुदान/सहायता।

मेक I/ मेक II परियोजनाएं

- **मेक I:** घरेलू विक्रेताओं के साथ भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ।
- **मेक II:** उद्योग/निजी संस्था द्वारा वित्त पोषित प्रोटोटाइप या उप-प्रणालियाँ, विशेष रूप से आयात प्रतिस्थापन के लिए।
- **रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS):** स्वदेशी उत्पादन को समर्थन देने हेतु परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना (जैसे, यूएवी, ईडब्ल्यू सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स के लिए) का निर्माण करना।
- **ADITI योजना:** (2024 में आरंभ) महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देना।
- **सरलीकृत औद्योगिक लाइसेंसिंग और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) उदारीकरण:** लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में ढील; निवेश और तकनीकी हस्तांतरण को आकर्षित करने के लिए उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (जैसे, 74% तक स्वचालित मार्ग) की अनुमति।
- **रक्षा औद्योगिक गलियारे:** रक्षा विनिर्माण समूहों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु) में अवसंरचना और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास।
- **सार्वजनिक खरीद वरीयता:** "मेक इन इंडिया" जैसी नीतियाँ, जहाँ विनिर्देश मेल खाते हैं, वहाँ खरीद में घरेलू निर्माताओं (DPSU, निजी उद्योग सहित) को प्राथमिकता देना।
- **सृजन पोर्टल:** स्वदेशीकरण के लिए रक्षा वस्तुओं को सूचीबद्ध करने और भारतीय उद्योग/एमएसएमई को देखने, बोली लगाने और भाग लेने की सुविधा प्रदान करने वाला पोर्टल।
- **डीपीएम-2025 के अंतर्गत ऑर्डर आश्वासन तंत्र:** नई रक्षा खरीद नियमावली में उद्योग जगत का विश्वास बढ़ाने के लिए 5 वर्षों (विस्तार योग्य) के लिए "ऑर्डर आश्वासन" शामिल है। साथ ही, तकनीकी जानकारी का बेहतर आदान-प्रदान/मौजूदा परिसंपत्तियों के साथ उद्योग की सहायता आदि।
- **बजटीय आवंटन और खरीद कोटा:** घरेलू स्रोतों के लिए खरीद बजट का अधिक हिस्सा अनिवार्य करना; आधुनिकीकरण बजट का बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों को आवंटित करना; अनुसंधान एवं विकास/तकनीकी योजनाओं के लिए धनराशि बढ़ाना।

आगे की राह

रक्षा खरीद नियमावली (डिफेन्स प्रोक्योरमेंट मैन्युअल डीपीएम) - 2025 की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, रक्षा मंत्रालय को खरीद अधिकारियों का समय पर प्रशिक्षण, प्रक्रियाओं की डिजिटल ट्रैकिंग और सभी सेवाओं में एकरूप अनुप्रयोग सुनिश्चित करना होगा। उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स के साथ फीडबैक लूप को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। साथ ही, डीएपी के तहत पूंजीगत खरीद सुधारों को संरेखित करना एक समग्र, भविष्य के लिए तैयार रक्षा अधिग्रहण ढांचे के लिए आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

रक्षा खरीद नियमावली (डिफेन्स प्रोक्योरमेंट मैन्युअल डीपीएम) - 2025 भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में गति, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, दंडों को कम करके और स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाकर, यह उद्योग जगत की दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान करती है। हालाँकि, इसके प्रगतिशील सुधारों को मूर्त परिचालन और औद्योगिक परिणामों में बदलने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन, पारदर्शिता और निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

भारत-सिंगापुर संबंध

चर्चा में क्यों: भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत-सिंगापुर संबंधों को एक 'उद्देश्यपूर्ण साझेदारी' बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि उनका संबंध कूटनीति से कहीं आगे तक जाता है। यह साझा मूल्यों, आपसी हितों और शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझा दृष्टिकोण वाली साझेदारी है।

मुख्य बातें

- निवेश प्रवाह के मामले में सिंगापुर वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया में **भारत का सबसे बड़ा साझेदार** है।
- दोनों देशों ने **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** स्थापित करके अपने संबंधों को बढ़ाया है और पिछले वर्ष में उनकी बातचीत और सहयोग और भी गहरा हुआ है।
- नेताओं ने **हरित नौवहन, कौशल विकास, असैन्य परमाणु ऊर्जा, शहरी जल प्रबंधन, एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान सहित नए (गैर-पारंपरिक)** क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार की घोषणा की।
- **सेमीकॉन इंडिया 2025** में सिंगापुर की भागीदारी, **"सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप"** समझौते ने अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए दिशा प्रदान की है।
- उन्होंने **अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और नवाचार** के क्षेत्र में विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए; एक उद्देश्य चेन्नई में **कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित करना है।
- सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देशों ने आतंकवाद के संबंध में साझा चिंताओं की पुष्टि की।
- दोनों नेताओं ने **जेएन पोर्ट पीएसए मुंबई टर्मिनल चरण-II** का भी उद्घाटन किया।
- **सीईसीए** (व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता) की तीसरी समीक्षा और **एआईटीआईजीए** (आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता) की **"पर्याप्त समीक्षा"** 2025 में शुरू की जाएगी।

सीएसपी का हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए रोडमैप

- सितंबर 2024 में, भारत-सिंगापुर देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) तक बढ़ाने पर सहमत हुए।
- सितंबर 2025 में, दोनों नेताओं ने अपने द्विपक्षीय सहयोग के अगले चरण के लिए दृष्टि और दिशा प्रदान करने हेतु सीएसपी के लिए एक रोडमैप अपनाया।

- सीएसपी रोडमैप गहन सहयोग के लिए **आठ प्रमुख स्तंभों या क्षेत्रों** को परिभाषित करता है:

1. **आर्थिक सहयोग**
   - ✓ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना।
   - ✓ सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है; कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
   - ✓ "अगली पीढ़ी के औद्योगिक पार्कों" और टिकाऊ औद्योगिक पार्कों का संयुक्त विकास।
   - ✓ प्रमुख क्षेत्र फोकस: सेमीकंडक्टर, उन्नत विनिर्माण, हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, विमानन, आदि।
2. **कौशल विकास**
   - ✓ चेन्नई में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (उन्नत विनिर्माण) की स्थापना।
   - ✓ राज्य-स्तरीय कौशल केंद्र; विमानन मरम्मत/रखरखाव और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण।
   - ✓ नर्सिंग कौशल, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा सहयोग।
3. **डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी**
   - ✓ फिनटेक और डिजिटल वित्त सहयोग, साइबर सुरक्षा, पूंजी बाजार संबंधों को गहरा करना।
   - ✓ एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, मानवरहित प्रणालियों आदि में सहयोग।
   - ✓ सीमा पार डेटा प्रवाह का विस्तार, डिजिटल परिसंपत्ति नवाचार।
4. **वहनीयता**
   - ✓ हरित नौवहन, हरित/डिजिटल नौवहन गलियारे।
   - ✓ शहरी जल प्रबंधन, असैन्य परमाणु सहयोग, खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ईंधन।
5. **कनेक्टिविटी**
   - ✓ समुद्री व्यापार, बंदरगाहों और टर्मिनलों (जैसे पीएसए मुंबई / भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल चरण 2) में वृद्धि
   - ✓ विमानन संपर्क; टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) सहयोग की संभावनाएँ तलाशना।
   - ✓ हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर।
6. **स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा**
   - ✓ डिजिटल स्वास्थ्य, रोग निगरानी, दवाओं तक पहुंच, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य पर सहयोग।
7. **लोगों से लोगों का संपर्क एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान**
   - ✓ छात्र आदान-प्रदान, सिविल सेवा सहयोग, प्रशिक्षण एवं अध्ययन दौरे।
   - ✓ सांस्कृतिक केंद्र / संस्कृति को बढ़ावा देना (जैसे, सिंगापुर में भारत का तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र)
8. **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग**
   - ✓ रक्षा प्रौद्योगिकी (एआई, मानवरहित जहाज, क्वांटम) में संयुक्त कार्य।
   - ✓ समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना, गश्त (मलक्का जलडमरूमध्य गश्त में रुचि सहित)
   - ✓ पारस्परिक कानूनी सहायता, कानून प्रवर्तन/आतंकवाद-निरोध में अधिक सहयोग।

सीएसपी की महत्ता एवं इसका रणनीतिक महत्व

- व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) दक्षिण-पूर्व एशिया के एक प्रमुख केंद्र के साथ संबंधों को गहरा करके भारत के एक्ट ईस्ट/इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण को मज़बूत करता है।
- यह भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं (सेमीकंडक्टर आदि) में लचीलापन बनाने, महत्वपूर्ण कच्चे माल व तकनीकी इनपुट की व्यवस्था में मदद करता है।
- सिंगापुर के लिए, आकार में छोटा होने के बावजूद, यह गहरी साझेदारी क्षेत्रीय मामलों में उसे लाभ प्रदान करती है और उसकी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाती है।
- **साझा मूल्य:** कानून का शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार में खुलापन, लोकतांत्रिक शासन - ये सभी अस्थिर वैश्विक परिवेश में लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

प्रमुख समझौते

- 1968: द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता
- 1994: दोहरे कराधान से बचाव समझौता
- 1994: विदेश कार्यालय परामर्श पर समझौता ज्ञापन
- 2003: रक्षा सहयोग समझौता
- 2005: व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता
- 2005: पारस्परिक कानूनी सहायता संधि

आगे की राह

- **तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना:** एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक और अंतरिक्ष में संयुक्त प्रयासों को तेज़ करना।
- **व्यापार और संपर्क को गहरा करना:** डिजिटल अर्थव्यवस्था संपर्कों और हरित शिपिंग कॉरिडोर का विस्तार करना।
- **वित्तीय एकीकरण बढ़ाना:** यूपीआई-पेनाउ को मज़बूत करें, सीमा पार स्टार्टअप निवेश को बढ़ावा देना।
- **कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना:** चेन्नई कौशल केंद्र का संचालन शुरू करें और प्रतिभाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- **सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करना:** साइबर सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग करना।
- **लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना:** युवा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

तेज़ी से बदलते हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और सिंगापुर स्वाभाविक साझेदार हैं। उभरती हुई तकनीक, बुनियादी ढाँचे और मानव पूँजी में सहयोग बढ़ाकर, दोनों देश एक ऐसी मज़बूत और भविष्य-तैयार साझेदारी बना सकते हैं जो कूटनीति से कहीं आगे तक जाए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत-सिंगापुर संबंध एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं जो पारंपरिक कूटनीति से आगे जाती है। हाल के घटनाक्रमों के आलोक में, दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने के लिए आगे की राह सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत-अमेरिका 2+2 अंतरसत्रीय वार्ता

चर्चा में क्यों: भारत-अमेरिका 2+2 अंतर-सत्रीय वार्ता, 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता की मध्य-चक्र समीक्षा है, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है:

- **व्यापार एवं निवेश:** द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, निवेश प्रवाह को सुदृढ़ करना और व्यापार तनावों का समाधान करना।
- **ऊर्जा सुरक्षा (नागरिक-परमाणु सहयोग को सुदृढ़ करने सहित):** उन्होंने असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने, ऊर्जा आपूर्ति (एलएनजी/नवीकरणीय ऊर्जा सहित) में विविधता लाने और संबंधित क्षेत्रों में सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर ज़ोर दिया।
- **महत्वपूर्ण खनिजों की खोज:** महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग - उन्नत प्रौद्योगिकियों, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और प्रतिकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक।
- **मादक द्रव्य निरोधक और आतंकवाद निरोधक सहयोग:** आतंकवाद से निपटने, मादक द्रव्यों की तस्करी और क्षेत्रीय सुरक्षा आकलनों के आदान-प्रदान में सहयोग भी एजेंडे में था।
- रक्षा सहयोग, औद्योगिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग, परिचालन समन्वय, सूचना साझाकरण।
- **हिंद-प्रशांत/ क्वाड और क्षेत्रीय स्थिरता:** दोनों पक्षों ने "स्वतंत्र, खुले, समावेशी हिंद-प्रशांत" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्वाड प्राथमिकताओं (जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ) के साथ संरेखण और बहुपक्षीय नियम-आधारित व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता पर ज़ोर दिया।

रणनीतिक परिणाम

- दोनों पक्ष भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए **10-वर्षीय ढांचे** पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहे हैं।
- वे **COMPACT पहल (सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य एवं प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करना)** के तहत सहयोग को गहरा करने का इरादा रखते हैं।
- क्वाड जैसे बहुपक्षीय ढांचों का लाभ उठाते हुए, **"सुरक्षित, मजबूत और अधिक समृद्ध हिंद-प्रशांत"** क्षेत्र को बढ़ावा देने की पुनः पुष्टि।

महत्व और चुनौतियाँ

- **द्विपक्षीय संबंधों में रणनीतिक गहराई:** अंतर-सत्रीय तंत्र राजनीतिक या आर्थिक तनाव के बीच भी भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में गति बनाए रखने में मदद करता है।
- **महत्वपूर्ण खनिज और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा:** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमज़ोरियों को देखते हुए, विशेष रूप से रणनीतिक सामग्रियों (दुर्लभ मृदा, बैटरी धातु) के लिए, इस क्षेत्र में सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ भारत और अमेरिका के पारस्परिक हित हैं, ताकि अमित्र स्रोतों (विशेषकर चीन) पर निर्भरता कम की जा सके।
- **कॉम्पैक्ट एक केन्द्रीय तंत्र के रूप में:** कॉम्पैक्ट (सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करना) को एक ऐसे तंत्र के रूप में रेखांकित किया गया है जिसके माध्यम से इनमें से कई महत्वाकांक्षाओं को क्रियान्वित किया जाना है। इससे पता चलता है कि भविष्य के सहयोग में संयुक्त उद्योग परियोजनाएँ, अनुसंधान एवं विकास, और संभवतः सह-उत्पादन/सह-विकास शामिल होंगे।
- **रक्षा एवं तकनीकी संबंध:** यह 10-वर्षीय ढाँचा संस्थागत रक्षा सहयोग, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, और प्रौद्योगिकी साझाकरण को सुदृढ़ कर सकता है। तीव्र होती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा (विशेषकर चीन के उदय) वाले क्षेत्र में, यह एक प्रमुख आधार है।
- **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में संकेत:** यह संवाद हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है, जो क्वाड और व्यापक नियम-आधारित व्यवस्था की महत्वाकांक्षाओं के साथ संरेखित है।
- **टकराव का प्रबंधन:** यह संवाद व्यापार और टैरिफ तनावों की पृष्ठभूमि में हुआ, जो इस बात पर जोर देता है कि रणनीतिक और आर्थिक संबंधों में किस प्रकार व्यवधान हो सकते हैं।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

- **व्यापार एवं आर्थिक घर्षण:** मौजूदा टैरिफ मुद्दे, व्यापार बाधाएँ और बाज़ार पहुँच संभावित टकराव के बिंदु बने हुए हैं जो संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संप्रभुता संबंधी चिंताएँ:** भारत महत्वपूर्ण तकनीक या रक्षा हस्तांतरण को लेकर संवेदनशील है—सहयोग बनाम स्वायत्तता के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना हमेशा नाजुक होता है।
- **वचनों से ज़्यादा क्रियान्वयन:** कई रणनीतिक संवादों की तरह, कथनों को कार्रवाई में बदलने (अनुबंध, संयुक्त कार्यक्रम, निवेश) में समय, बजट आवंटन और नौकरशाही समन्वय की आवश्यकता होती है।
- **भू-राजनीतिक संतुलन:** भारत के अन्य शक्तियों (जैसे रूस) के साथ भी दीर्घकालिक संबंध हैं। प्रतिस्पर्धी दबावों के बीच संतुलन बनाना एक निरंतर संतुलनकारी कार्य है।

2+2 संवाद

- **भारत:** विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री
- **अमेरिका:** विदेश मंत्री और रक्षा सचिव
- इसका उद्देश्य द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
- 2018 में शुरू की गई इस वार्ता ने पहले की "भारत-अमेरिका रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता" का स्थान लिया।

2+2 वार्ता के उद्देश्य

- रक्षा सहयोग और अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संरेखण को मज़बूत करना
- उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को सुगम बनाना
- क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों—जैसे, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा—का समाधान करना
- लोगों के बीच संबंधों, शिक्षा, विज्ञान और जलवायु सहयोग को गहरा करना

भारत के लिए महत्व

- अत्याधुनिक रक्षा तकनीक तक पहुँच
- सीमावर्ती क्षेत्रों और हिंद महासागर में मज़बूत निवारक स्थिति
- सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम, हरित तकनीक पर बेहतर सहयोग
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को समर्थन

अमेरिका के लिए महत्व

- एशिया में एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार का आधार
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करता है
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में एक विश्वसनीय साझेदार प्राप्त करता है

क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता)

- एक बहुपक्षीय रणनीतिक वार्ता जिसका लक्ष्य एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और लचीला हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है।
- यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि साझा क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक लचीली साझेदारी है, जिसमें शामिल हैं:
  - ✓ समुद्री सुरक्षा
  - ✓ बुनियादी ढाँचा विकास
  - ✓ जलवायु परिवर्तन
  - ✓ उभरती प्रौद्योगिकियाँ
  - ✓ आपूर्ति श्रृंखलाएँ
  - ✓ स्वास्थ्य सुरक्षा (जैसे, टीके)
- **सहयोग के स्तंभ:** सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, जलवायु, अंतरिक्ष

क्वाड में भारत की भूमिका

- **सामरिक स्वायत्तता:** भारत क्वाड को महत्व देता है, लेकिन गुटनिरपेक्ष बना हुआ है; एशिया में बहुध्रुवीयता और संतुलन चाहता है।
- **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में पहुँच:** क्वाड भारत की एक्ट ईस्ट नीति और बढ़ती नौसैनिक भागीदारी का पूरक है।
- **भारत निम्नलिखित में योगदान देता है:**
  - ✓ टीका उत्पादन और स्वास्थ्य कूटनीति
  - ✓ हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की उपस्थिति
  - ✓ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और ओपन-सोर्स मॉडल (जैसे, आधार, यूपीआई-प्रेरित समाधान)

आगे की राह

दोनों पक्षों को विशेष रूप से रक्षा सह-उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी साझाकरण में कार्रवाई योग्य कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, साथ ही नियमित उच्च-स्तरीय बैठकों और हिंद-प्रशांत रणनीतियों पर संरेखण के माध्यम से गति बनाए रखनी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत-अमेरिका 2+2 अंतर-सत्रीय वार्ता ने रक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक अभिसरण की पुष्टि की। 10-वर्षीय रक्षा ढाँचे के प्रति प्रतिबद्धता और COMPACT जैसी पहल एक मज़बूत, भविष्योन्मुखी साझेदारी का संकेत देती हैं।

भारत-जापान संबंध

चर्चा में क्यों: 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन (टोक्यो में आयोजित) के दौरान, दोनों देशों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

प्रमुख समझौते और पहल

- **अगले दशक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण:** आठ स्तंभों पर आधारित एक व्यापक रूपरेखा: अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संबंध और राज्य-प्रान्त सहभागिता।
- **सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा:** साइबर, खुफिया जानकारी साझाकरण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उद्योग सहयोग को शामिल करते हुए, उभरते खतरों से निपटने के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **मानव संसाधन आदान-प्रदान एवं सहयोग हेतु कार्य योजना:** पाँच वर्षों में 500,000 कर्मियों के आदान-प्रदान/गतिशीलता का लक्ष्य, जिसमें जापान में 50,000 कुशल भारतीय शामिल हैं।
- **भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा पहल:** सेमीकंडक्टर, दुर्लभ मृदा, उन्नत विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित।
- **एआई/डिजिटल/तकनीकी सहयोग:** जापान-भारत एआई सहयोग पहल का शुभारंभ, उद्योग-अकादमिक सहयोग का विस्तार, डेटा सेंटर विकास, एलएलएम, क्वांटम आदि पर अनुसंधान एवं विकास।
- **स्वच्छ ऊर्जा, हाइड्रोजन और जलवायु:** संयुक्त ऋण व्यवस्था (जेसीएम) पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर, और स्वच्छ हाइड्रोजन एवं अमोनिया पर संयुक्त आशय घोषणा।
- **विज्ञान एवं अंतरिक्ष सहयोग:** इसरो और जाक्सा के बीच संवर्धित सहयोग, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण (लूपेक्स) मिशन के लिए समर्थन, समझौता ज्ञापनों का विस्तार (जैसे केईके में भारतीय बीमलाइन)।
- **कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचा:** जापानी शिंकानसेन तकनीक (ई10 श्रृंखला, सिग्नलिंग, आदि) का उपयोग करते हुए मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना पर ज़ोर।
- **लोगों के बीच/सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** फुकुओका में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलना, जापानी भाषा शिक्षा का विस्तार (जैसे निहोंगो पार्टनर्स), पर्यटन को बढ़ावा देना, राज्य-प्रान्त संबंध।

शिखर सम्मेलन के रणनीतिक एवं नीतिगत निहितार्थ

- **रणनीतिक संरेखण को गहरा करना:** शिखर सम्मेलन विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रही गतिशीलता के संदर्भ में, सुदृढ़ रणनीतिक विश्वास का संदेश देता है।
- **आर्थिक और निवेश प्रोत्साहन:** जापान अगले दशक में भारत में ¥10 ट्रिलियन (जापानी येन) का निजी निवेश जुटाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और तकनीकी संप्रभुता:** आर्थिक सुरक्षा पहल पर ध्यान केंद्रित करने से दोनों देशों की एकल-स्रोत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करने की इच्छा रेखांकित होती है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए।
- **सॉफ्ट पावर / मानव कूटनीति:** बड़े पैमाने पर मानवीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देना इस मान्यता को दर्शाता है कि दीर्घकालिक संबंध जमीनी स्तर के संपर्कों - छात्रों, पेशेवरों, संस्कृति - से मजबूत होते हैं।
- **संस्थागत गहराई:** भारत और जापान के बीच 70 से अधिक संवाद तंत्र और कार्य समूह मौजूद हैं, जो एक परिपक्व और संस्थागत संबंध को दर्शाते हैं।
- **साझा क्षेत्रीय दृष्टिकोण:** दोनों पक्षों ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की और बहुपक्षीय मंचों (क्वाड, संयुक्त राष्ट्र सुधार) में समर्थन को रेखांकित किया।

महत्व

- यह शिखर सम्मेलन भारत-जापान सहयोग में एक नया अध्याय शुरू करता है, जिसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी, रक्षा और मानव संसाधन आदान-प्रदान के क्षेत्र में दृश्यमान और व्यापक परिणाम प्राप्त करना है।
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना वैश्विक बदलावों के अनुरूप भविष्योन्मुखी एजेंडे को दर्शाता है।
- यह भारत और जापान को हिंद-प्रशांत व्यवस्था को आकार देने में, विशेष रूप से क्षेत्रीय रणनीतिक अनिश्चितताओं के आलोक में, प्रमुख साझेदारों के रूप में स्थापित करता है।

चुनौतियाँ / जोखिम

- **कार्यान्वयन:** महत्वाकांक्षी लक्ष्यों (जैसे, 500,000 लोगों का स्थानांतरण) के लिए मज़बूत लॉजिस्टिक, कानूनी और नियामक ढाँचे की आवश्यकता होती है।
- **हितों में संतुलन:** जापान के निवेश को भारतीय प्राथमिकताओं (जैसे, पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में) के अनुरूप होना चाहिए।
- **भू-राजनीतिक संवेदनशीलताएं:** चीन की प्रतिक्रियाओं और क्षेत्रीय प्रतिरोध से निपटना महत्वपूर्ण होगा।
- विभिन्न क्षेत्रों (रक्षा, तकनीक, बुनियादी ढाँचा) के कार्यान्वयन के लिए कई मंत्रालयों, राज्यों और एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे से जुड़े समझौतों का त्वरित कार्यान्वयन।
- संतुलित विकास के लक्ष्य के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना।
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, सेमीकंडक्टर और उभरती हुई तकनीक में सहयोग का विस्तार करना।
- कौशल विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत करना।
- क्वाड और जी20 जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों में रणनीतिक समन्वय को बढ़ाना।

निष्कर्ष

15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन ने रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों पर केंद्रित, अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मज़बूत किया। इसने एक स्वतंत्र, खुले और लचीले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया।

भारत-जापान संबंध

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध छठी शताब्दी से भारत से जापान तक बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ जुड़े हुए हैं।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वैश्विक समुदाय में जापान के पुनः एकीकरण के लिए भारत के समर्थन ने सद्भावना निर्माण में मदद की।
- भारत की यात्रा करने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री नोबुसुके किशी 1957 में आए थे।

राजनीतिक और सामरिक सहयोग

- दोनों देश नियमित रूप से उच्च-स्तरीय वार्ता (वार्षिक शिखर सम्मेलन, 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता) आयोजित करते हैं।
- वे क्वाड (भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) का हिस्सा हैं, जो एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देता है।
- क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर सहयोग करते हैं, विशेष रूप से चीन को संतुलित करने के लिए।

आर्थिक और बुनियादी ढांचा विकास

- जापान भारत में एक प्रमुख निवेशक है:
- 2000-2023 के बीच 38 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
- बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश, जैसे:
  - ✓ मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना
  - ✓ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी)
- जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) वित्तपोषण में प्रमुख भूमिका निभाती है।

रक्षा और सुरक्षा

- JIMEX जैसे वार्षिक भारत-जापान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास।
- मेक इन इंडिया के तहत रक्षा निर्माण में सहयोग।
- लॉजिस्टिक सहायता और सैन्य प्रशिक्षण पर समझौते।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

- अंतरिक्ष (इसरो-जाक्सा), आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग।
- शैक्षणिक आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान पहल।

बहुपक्षीय और वैश्विक सहयोग

- संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद-निरोध और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर समान दृष्टिकोण।
- दोनों ही नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं।

भविष्य की संभावनाएँ

- सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ
- रक्षा उत्पादन और साइबर सुरक्षा
- ऊर्जा परिवर्तन (हरित हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा)

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मज़बूत करने में 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के महत्व पर चर्चा कीजिए। इस साझेदारी के परिणामों को साकार करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

एच-1बी वीज़ा

चर्चा में क्यों: फ्लोरिडा के गवर्नर ने एच-1बी वीजा को 'एक पूर्ण घोटाला' बताया और दावा किया कि कंपनियां भारत से सस्ते श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए इसका फायदा उठाती हैं, जिससे अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचता है।

अन्य विवरण

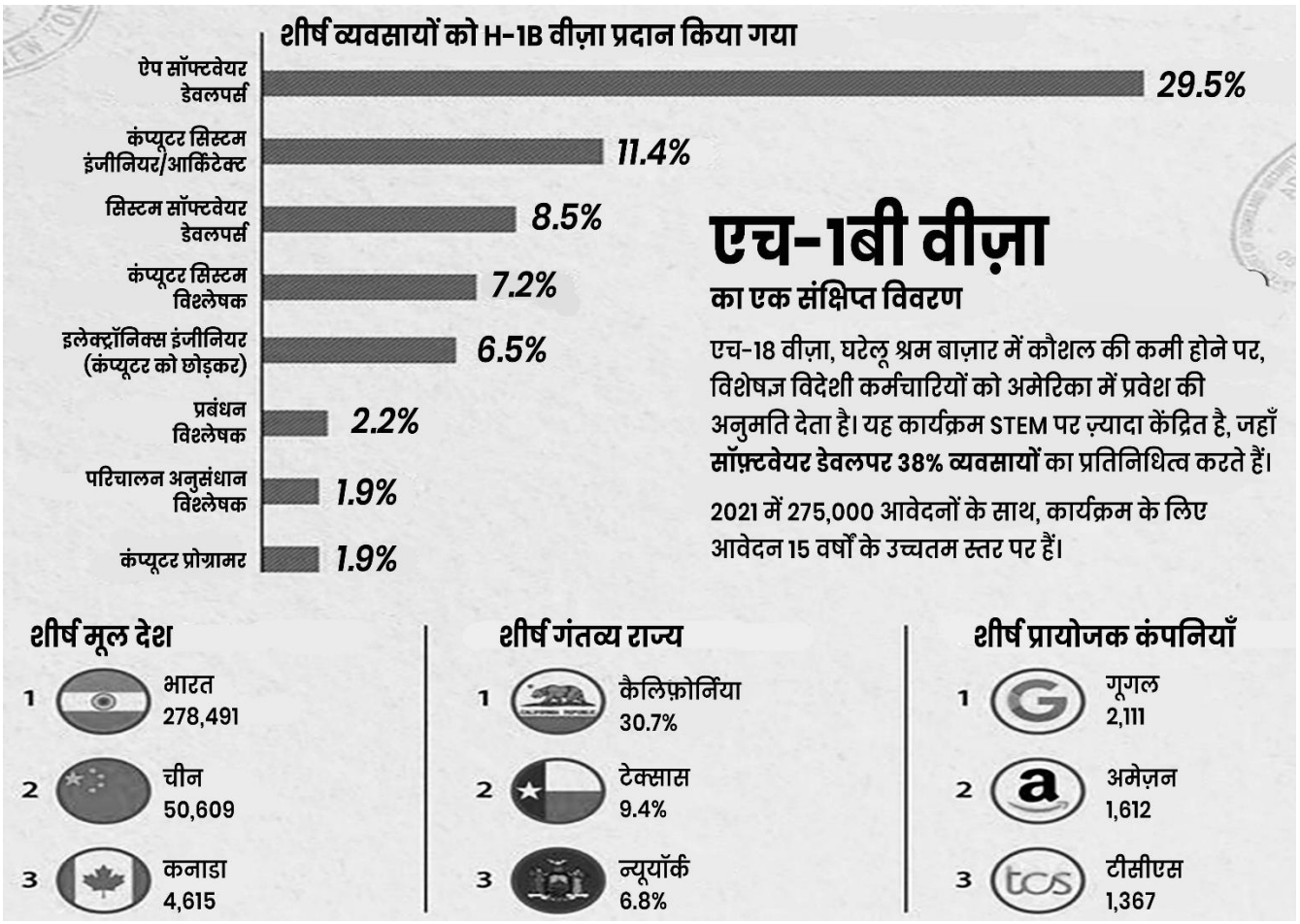
- कंपनियाँ बड़ी संख्या में अमेरिकियों की छंटनी कर रही हैं, जबकि नए एच-1बी कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही हैं और मौजूदा एच-1बी वीज़ा का नवीनीकरण कर रही हैं।
- भारत विशेष रूप से असुरक्षित है, क्योंकि लगभग 70% एच-1बी वीज़ा धारक भारत से हैं।

एच-1बी वीज़ा और इसका उद्देश्य

- एच-1बी वीज़ा एक अमेरिकी गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को आईटी, इंजीनियरिंग, विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों में **"विशिष्ट व्यवसायों"** (जिनके लिए कम से कम स्नातक की डिग्री या समकक्ष की आवश्यकता होती है) में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- इसका उद्देश्य अमेरिकी श्रम बाजार में उन कमियों को दूर करना है जहाँ योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं या उनकी कमी है।
- **वैधता:** शुरुआत में 3 वर्ष, जिसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- इसकी एक सीमा है (वर्तमान में प्रति वर्ष 85,000, जिसमें अमेरिकी मास्टर डिग्री धारकों के लिए 20,000 शामिल हैं) और जब आवेदन सीमा से अधिक हो जाते हैं, तो लॉटरी आयोजित की जाती है।
- **दोहरा उद्देश्य:** आवेदकों को एच-1बी पर रहते हुए स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) प्राप्त करने की अनुमति देता है।

एच-1बी वीज़ा के विकल्प

- ✓ **एल-1 वीज़ा:** कंपनी के भीतर स्थानांतरण के लिए।
- ✓ **ओ-1 वीज़ा:** असाधारण क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए।
- ✓ **टीएन वीज़ा:** कनाडाई/मैक्सिकन नागरिकों के लिए (नाफ्टा/यूएसएमसीए के तहत)।
- ✓ **एफ-1 ओपीटी/एसटीईएम ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT):** अक्सर छात्रों द्वारा एच-1बी के लिए एक कदम के रूप में उपयोग किया जाता है।
- ✓ **एच-2बी:** अस्थायी गैर-कृषि नौकरियों को भरने के लिए विदेशी नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका लाने की अनुमति देता है।



आईटी क्षेत्र की प्रतिक्रिया

- भारतीय आईटी कंपनियाँ (जैसे, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो) बदलते नियमों का पालन करने के लिए अमेरिका में नियुक्तियों में कटौती कर सकती हैं या स्थानीय प्रतिभाओं की संख्या बढ़ा सकती हैं।
- कंपनियाँ बाज़ारों (कनाडा, यूके, यूरोप) में विविधता ला रही हैं और मेक्सिको तथा लैटिन अमेरिका में निकटवर्ती केंद्रों में निवेश कर रही हैं।
- एच-1बी प्रतिबंध वैश्विक तकनीकी मंदी, छंटनी और AI व्यवधान की चुनौतियों को और बढ़ा रहे हैं।

भारत के प्रतिभा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रणनीतिक निहितार्थ

- इससे रिवर्स ब्रेन ड्रेन की शुरुआत हो सकती है, जिसमें शीर्ष भारतीय प्रतिभाएँ या तो वापस लौट आएंगी या फिर भारत छोड़कर कभी नहीं जाएंगी।
- कुशल प्रतिभाओं के बने रहने से भारत के घरेलू तकनीकी/स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा।
- यह भारत सरकार को अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल कौशल विकास और स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा।

नवाचार के दीर्घकालिक परिणाम

- अमेरिका ऐतिहासिक रूप से तकनीकी नेतृत्व और नवाचार के लिए अप्रवासी प्रतिभाओं (विशेषकर भारतीयों) पर निर्भर रहा है।
- एच-1बी वीजा तक पहुँच को प्रतिबंधित करने से सिलिकॉन वैली की प्रतिस्पर्धात्मकता बाधित हो सकती है और वैश्विक नवाचार धीमा हो सकता है।
- यदि लौटने वाली प्रतिभाओं को प्रभावी ढंग से समायोजित किया जाए, तो भारत आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, सेमीकंडक्टर और डीप टेक के क्षेत्र में और मज़बूती से उभर सकता है।

आर्थिक प्रभाव और बाजार की गतिशीलता

- अमेरिका में एच-1बी वीजा प्राप्तकर्ताओं द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि भारत की विदेशी आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
- वीज़ा नीति में बदलाव उपभोक्ता मांग, रियल एस्टेट और शिक्षा के रुझान को प्रभावित कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, कम भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों का चयन कर रहे हैं)।
- अमेरिकी कंपनियों को प्रतिभा की कमी, बढ़ती लागत और धीमी डिजिटल परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

एच-1बी वीज़ा पर बहस एक संतुलित आव्रजन सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है जो स्थानीय नौकरियों की रक्षा करते हुए वैश्विक प्रतिभा को महत्व दे। भारत को अपने घरेलू तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना होगा, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना होगा और कुशल पेशेवरों को बनाए रखना होगा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता निष्पक्ष नीतियों को सुनिश्चित कर सकती है जो नवाचार, आर्थिक विकास और पारस्परिक रणनीतिक हितों का समर्थन करती हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: "भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के लिए एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम पर हाल ही में अमेरिकी नीतिगत बदलावों के प्रभावों पर चर्चा करें। भारत को अपनी प्रतिभा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अपनी घरेलू नीतियों को कैसे पुनर्संयोजित करना चाहिए?" [150 शब्द] [10 अंक]

यूरोपीय संघ-भारत का नया रणनीतिक रोडमैप - 2025

चर्चा में क्यों: यूरोपीय संघ ने भारत के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक नया व्यापक रणनीतिक एजेंडा पेश किया है, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्थिरता और वैश्विक सहयोग के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्य विवरण

- यह घोषणा यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ के विदेश मामलों एवं सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि द्वारा **'नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा'** को अपनाने के साथ की गई।
- 2020 की शुरुआत में सहयोग को गहरा करने और व्यापार, जलवायु परिवर्तन, रक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे व्यापक क्षेत्रों में दोनों पक्षों के साझा हितों को संरेखित करने के लिए एक और रोडमैप अपनाया गया था।
- दोनों ने अगले **भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के 2026** में भारत में आयोजित होने की पुष्टि की है।

पृष्ठभूमि

- 15 जुलाई 2020 को 15वें यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन में अपनाया गया
- इसका उद्देश्य 2025 तक की अवधि में विदेश नीति और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, स्थिरता, संपर्क, लोगों के बीच संबंध आदि के क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई का मार्गदर्शन करना था।

नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा (2025) के पांच रणनीतिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र

1. **व्यापार और निवेश**
   - 2025 के अंत तक **भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)** को पूरा करने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि।
   - इस पर जोर:
     - ✓ **आपूर्ति श्रृंखला** के लचीलेपन को मज़बूत करना
     - ✓ **प्रतिभा गतिशीलता** को सुगम बनाना
     - ✓ रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना
     - ✓ नियामक संरेखण और मानकों में सहयोग
2. **प्रौद्योगिकी और नवाचार**
   - सहयोग:
     - ✓ **उभरती प्रौद्योगिकियाँ** - एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर
     - ✓ **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना**
     - ✓ **साइबर सुरक्षा और साइबर रक्षा**
   - विस्तारित अनुसंधान एवं विकास सहयोग (जैसे, होराइजन यूरोप में भारत की संभावित गहरी भूमिका)
3. **सुरक्षा और रक्षा**
   - **सूचना सुरक्षा समझौते (वर्गीकृत डेटा साझाकरण हेतु)** हेतु वार्ता का शुभारंभ
   - सहयोग के क्षेत्र:
     - ✓ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **समुद्री सुरक्षा**
     - ✓ **संकट प्रबंधन और आतंकवाद-निरोध**
     - ✓ **साइबर रक्षा और हाइब्रिड खतरे**
     - ✓ **औद्योगिक रक्षा सहयोग,** जिसमें संभावित रूप से सह-उत्पादन भी शामिल है
4. **स्थिरता और स्वच्छ संक्रमण**
   - इसके लिए मजबूत प्रयास:
     - ✓ **हरित हाइड्रोजन** सहयोग
     - ✓ **नवीकरणीय ऊर्जा निवेश** और प्रौद्योगिकी साझाकरण
     - ✓ **जलवायु लचीलेपन** के लिए संयुक्त प्रयास
   - यूरोपीय संघ का **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम)** व्यापार वार्ता में एक महत्वपूर्ण बिंदु है
5. **वैश्विक संपर्क और शासन**
   - वैश्विक अवसंरचना पहलों के लिए समर्थन जैसे:
     - ✓ **वैश्विक प्रवेश द्वार**
     - ✓ **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी)**
   - सहयोग:
     - ✓ **खाद्य सुरक्षा**
     - ✓ **बहुपक्षीय शासन**
     - ✓ वैश्विक संस्थाओं (जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन) में सुधार
     - ✓ तीसरे देशों में विकास सहयोग

रणनीतिक महत्व

पहलू	रणनीतिक प्रभाव
भू-राजनैतिक	चीन और रूस के साथ तनाव के बीच विश्वसनीय हिंद-प्रशांत साझेदारों की ओर यूरोपीय संघ के झुकाव को दर्शाता है
आर्थिक	मुक्त व्यापार समझौते (FTA), नए बाजार तक पहुंच, निवेश और विनियामक सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता
सुरक्षा	यूरोपीय संघ-भारत सहयोग को संवाद से आगे बढ़ाकर रक्षा, औद्योगिक और सूचना क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाएगा
तकनीक और जलवायु	नवाचार और हरित परिवर्तन को सहयोग के केंद्र में रखता है
वैश्विक व्यवस्था	नियम-आधारित बहुपक्षीय प्रणाली के प्रति साझा प्रतिबद्धता का संकेत

चुनौतियां

- **एफटीए की समय-सीमाएँ:** बाज़ार पहुँच, टैरिफ़ (जैसे, यूरोपीय संघ की कारें), स्थिरता (सीबीएएम), बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर अभी भी समाधान की आवश्यकता है।
- **रक्षा क्षेत्रक संवेदनशीलताएं:** सूचना सुरक्षा समझौते के लिए मज़बूत पारस्परिक विश्वास और कानूनी ढाँचे की आवश्यकता है।
- **भू-राजनीतिक बारीकियाँ:** संघर्षों (जैसे, यूक्रेन) पर भारत के तटस्थ रुख के लिए यूरोपीय संघ के सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन आवश्यक हो सकता है।
- **कार्यान्वयन क्षमता:** प्रतिबद्धताओं (जैसे, हरित हाइड्रोजन, आपूर्ति श्रृंखलाओं पर) को ठोस संयुक्त परियोजनाओं में परिवर्तित करना।

2025 तक का घटनाक्रम

- **मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)**
  - ✓ भारत और यूरोपीय संघ का लक्ष्य 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को पूरा करना है।
  - ✓ कई अध्याय (जैसे, बौद्धिक संपदा अधिकार, सीमा शुल्क, व्यापार सुविधा) अंतिम रूप दिए जा चुके हैं।
  - ✓ प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं: बाज़ार पहुँच (ऑटोमोबाइल, कृषि), तकनीकी मानक और स्थिरता संबंधी मुद्दे (जैसे, CBAM)।
- **नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा (सितंबर 2025)**
  - ✓ यूरोपीय संघ ने संबंधों को उन्नत करने के लिए एक नया एजेंडा शुरू किया, जिसमें पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया:
    - ➢ समृद्धि और स्थिरता
    - ➢ प्रौद्योगिकी और नवाचार
    - ➢ सुरक्षा और रक्षा
    - ➢ संपर्क और वैश्विक शासन
    - ➢ लोगों के बीच सहयोग
  - ✓ **प्रमुख क्षेत्र:** स्टार्टअप, डिजिटल अवसंरचना, रक्षा उद्योग, एआई, सेमीकंडक्टर, अनुसंधान (क्षितिज यूरोप)।
- **वैश्विक प्रवेशद्वार और त्रिपक्षीय सहयोग**
  - ✓ सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ग्लोबल गेटवे के अंतर्गत तीसरे देशों में संयुक्त कार्य।
  - ✓ फ़ोकस क्षेत्र: डिजिटलीकरण, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि, जल, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता।
- **सुरक्षा और रक्षा**
  - ✓ साइबर सुरक्षा, संकट प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमता में बढ़ता सहयोग।
  - ✓ वर्गीकृत डेटा साझाकरण हेतु सूचना सुरक्षा समझौते पर बातचीत शुरू होगी।
- **कनेक्टिविटी पहल**
  - ✓ रणनीतिक मार्ग के रूप में IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर) पर ध्यान केंद्रित करना।
  - ✓ बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं में यूरोपीय संघ का अधिक निवेश।
- **गतिशीलता, अनुसंधान और नवाचार**
  - ✓ प्रतिभा गतिशीलता, शैक्षणिक आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग पर ज़ोर।
  - ✓ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र संबंधों को गहरा करना और नवाचार क्षेत्रों में नियामक संरेखण।

साझेदारी का भविष्य

- प्रधानमंत्री मोदी ने इसे "साझा प्रतिबद्धता, साझा लक्ष्य और साझा ज़िम्मेदारी" बताया।
- दोनों देशों ने प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों का विस्तार करने के लिए अपने निरंतर प्रयासों पर ज़ोर दिया।
- दोनों देश वैश्विक संघर्षों (यूक्रेन संकट) को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाएंगे।

भारत के लिए निहितार्थ

नया यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडा भारत के लिए प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है:

- **व्यापार एवं निवेश:** मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने से भारतीय निर्यात के लिए यूरोपीय बाजार खुल सकते हैं, जिससे आईटी, फार्मा और वस्त्र जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार:** एआई, डिजिटल परिवर्तन और उभरती हुई तकनीक में सहयोग भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल विकास को बढ़ावा देगा।
- **रक्षा एवं सुरक्षा:** समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने में घनिष्ठ संबंध भारत की रणनीतिक स्थिति को, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, मजबूत करते हैं।
- **स्थायित्व:** हरित तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा में यूरोपीय संघ का समर्थन भारत के जलवायु लक्ष्यों और ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं के अनुरूप है।
- **वैश्विक स्थिति:** यूरोपीय संघ के साथ मजबूत संबंध एक बहुध्रुवीय, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में भारत की भूमिका को बढ़ाते हैं।

निष्कर्ष

नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा द्विपक्षीय संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को समान आर्थिक और भू-राजनीतिक लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। चूँकि दोनों साझेदार एक जटिल वैश्विक परिदृश्य का सामना कर रहे हैं, यह एजेंडा व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और सतत विकास में गहन सहयोग की एक मज़बूत नींव रखता है।

आगे की राह

एजेंडे की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, भारत और यूरोपीय संघ को मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को शीघ्रता से संपन्न करने, नियमित उच्च-स्तरीय संवादों को संस्थागत बनाने और लोगों और उद्योग जगत के बीच मज़बूत संबंधों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देनी होगी। डिजिटल बुनियादी ढाँचे, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और वैश्विक शासन सुधार में सहयोगात्मक प्रयास एक लचीली और भविष्य-तैयार साझेदारी के निर्माण के लिए आवश्यक होंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: "नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा 2025 दो प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच साझेदारी को पुनः संतुलित और गहन करने का अवसर प्रदान करता है। उभरते वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में भारत के लिए इस एजेंडा के रणनीतिक महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।" [250 शब्द] [15 अंक]

अर्थव्यवस्था एवं कृषि

शहरी चुनौती निधि (अर्बन चैलेंज फण्ड)

चर्चा में क्यों: केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत मिशन के तहत प्रस्तावित शहरी चुनौती निधि (अर्बन चैलेंज फण्ड - यूसीएफ) के **300** रुपये मूल्य के एक प्रोटोटाइप को अंतिम रूप दे दिया है।

मुख्य विवरण

- 1 लाख से अधिक जनसंख्या (2011 की जनगणना) वाले पायलट शहरों का चयन किया जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को बढ़ावा देना है जो वित्तीय रूप से बैंक योग्य, जलवायु-अनुकूल और आत्मनिर्भर हों।
- प्रोटोटाइप के तहत, सरकार 70% धनराशि के लिए ऋण गारंटी प्रदान करेगी।
- पूर्ण यूसीएफ में 25% तक परियोजनाओं के लिए सह-वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि शेष लागत के कम से कम 50% के लिए बॉन्ड, बैंक ऋण या पीपीपी का लाभ उठाया जाए।
- इसका लक्ष्य नगर निकायों में वित्तीय अनुशासन स्थापित करना, अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता कम करना और निजी निवेश आकर्षित करना है।
- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत को जलवायु-अनुकूल, कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहरी बुनियादी ढाँचे के लिए वर्ष 2050 तक लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।

अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT-अमृत) मिशन

- जून 2015 में शुरू किया गया।
- इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों, विशेषकर शहरों और कस्बों में, आवश्यक बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।
  - ✓ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 अनुपात
  - ✓ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 50:50 अनुपात
  - ✓ अन्य राज्यों के लिए 60:40 अनुपात

अमृत बनाम अमृत 2.0

विशेषता	अमृत (2015)	अमृत 2.0 (2021)
केंद्र	बुनियादी सेवाएँ (पानी, सीवरेज, शहरी परिवहन)	सार्वभौमिक जल आपूर्ति और 100% सीवेज प्रबंधन
कवरेज	500 शहरें	सभी शहर/कस्बें (जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाले शहरों को छोड़कर)
लक्ष्य	बुनियादी ढांचे में सुधार	शहरों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना

शहरी चुनौती निधि (यूसीएफ)

- यूसीएफ एक नया शहरी वित्तपोषण मॉडल है, जिसकी घोषणा वित्तीय रूप से टिकाऊ, जलवायु-लचीले शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए की गई है:
  - ✓ नवोन्मेषी, बाज़ार-संचालित शहरी वित्तपोषण को प्रोत्साहित करना (अनुदानों से परे)
  - ✓ निजी पूंजी आकर्षित करना
  - ✓ शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना

महत्त्व

- **शहरी अवसंरचना एवं विकास:** यूसीएफ का उद्देश्य शहरों में केवल अनुदान-आधारित मॉडलों से आगे बढ़कर जल, स्वच्छता, परिवहन, हरित क्षेत्रों आदि में अवसंरचना को उत्प्रेरित करना है।
- **नवोन्मेषी वित्तपोषण/राजकोषीय स्थिरता:** नगरपालिका निधि को शुद्ध अनुदानों से ऋण, इक्विटी, पीपीपी और गारंटी के मिश्रण में परिवर्तित करता है।
- **जोखिम साझाकरण और ऋण गारंटी:** राज्य (केंद्र/संघ) द्वारा जोखिम वहन (**70%** गारंटी) निजी निवेशों को जोखिम मुक्त करने में मदद करता है।
- **मापनीयता और प्रतिकृति:** पायलट शहरों में सफलता पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को आकार दे सकती है।
- **जलवायु एवं लचीलापन फोकस:** सतत शहरी विकास के साथ, यूसीएफ जलवायु अनुकूलन, निम्न-कार्बन अवसंरचना के लिए प्रासंगिक है।
- **शासन एवं क्षमता निर्माण:** नगर निकायों को परियोजना तैयारी, वित्तीय मॉडलिंग, ऋण प्रबंधन में क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी।
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय:** वित्त मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकायों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ / जोखिम

- **कई नगर निकायों में "बैंक योग्य"** परियोजनाएँ तैयार करने की क्षमता का अभाव है।
- **ऋण जोखिम और चूक** - गारंटी के बावजूद, परियोजना का खराब क्रियान्वयन घाटे का कारण बन सकता है।
- **नैतिक जोखिम** - बहुत अधिक गारंटी उचित परिश्रम को हतोत्साहित कर सकती है।
- **बाज़ार की रुचि** - नगर निकायों के कमज़ोर ऋण इतिहास के कारण निजी निवेशक हिचकिचा सकते हैं।
- **नियामक/कानूनी मुद्दे** - भूमि अधिग्रहण, मंज़ूरी, संपत्ति के अधिकार, स्थानीय नियमन बाधा बन सकते हैं।
- **पायलट-टू-स्केल जोखिम** - प्रोटोटाइप शहरों के लिए जो कारगर है, वह छोटे या अधिक सीमित शहरों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

आगे की राह

- विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण करने के लिए विविधता (आकार, क्षेत्र, क्षमता) सुनिश्चित करते हुए, पायलट शहरों का सावधानीपूर्वक चयन करें।
- नगर निकायों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य/केंद्रीय एजेंसियों या अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता।
- प्रोटोटाइप चरण के दौरान सीखों को आत्मसात करने के लिए मज़बूत निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) ढाँचा।
- प्रोत्साहन और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने के लिए जोखिम-साझाकरण तंत्र को परिष्कृत करें।
- अनुदान, ऋण, इक्विटी और निजी निवेश को शामिल करते हुए मिश्रित वित्त मॉडल को प्रोत्साहित करें।
- तेज़ परियोजना कार्यान्वयन के लिए खरीद/अनुमोदन प्रक्रियाओं को मानकीकृत और सरल बनाएँ।
- एक अनुकरणीय टेम्पलेट परियोजना दस्तावेज़ीकरण, मॉडल अनुबंध, वित्तीय टेम्पलेट, सर्वोत्तम प्रथाओं को सक्षम करें।
- हितों को संरेखित करने के लिए हितधारकों (राज्य सरकारें, शहरी स्थानीय निकाय, समुदाय) की भागीदारी सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

शहरी चुनौती निधि (अर्बन चैलेंज फण्ड - यूसीएफ) भारत के शहरी वित्तपोषण दृष्टिकोण में अनुदान पर निर्भरता से आत्मनिर्भर, प्रदर्शन-आधारित बुनियादी ढाँचे के विकास की ओर एक आमूल-चूल परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी सफलता शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण, साझेदारियों को बढ़ावा देने और भारतीय शहरों को भविष्य के लिए तैयार और आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने हेतु जोखिम-साझाकरण में संतुलन बनाने पर निर्भर करेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: शहरी चुनौती निधि (यूसीएफ) अनुदान-आधारित शहरी विकास से प्रदर्शन-आधारित और बाज़ार-उन्मुख वित्तपोषण की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। यूसीएफ के उद्देश्यों, महत्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। [150 शब्द] [10 अंक]

भारत का श्रम उत्पादकता अंतराल

चर्चा में क्यों: भारत का औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र तेजी से संविदा श्रम पर निर्भर हो रहा है, लेकिन वादा किए गए लचीलेपन और दक्षता को प्रदान करने के बजाय, यह प्रवृत्ति उत्पादकता को कमजोर कर रही है, श्रमिक अधिकारों को कमजोर कर रही है, और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास को खतरा पहुंचा रही है।

प्रमुख रुझान उजागर

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार:

- भारत के औपचारिक विनिर्माण कार्यबल में ठेका श्रमिकों की हिस्सेदारी पिछले दो दशकों में दोगुनी हो गई है—1999-2000 में 20% से बढ़कर 2022-23 में 40.7% हो गई है।
- इस बदलाव का औचित्य परिचालन लचीलापन या विशिष्ट कौशल तक पहुँच है; वास्तविकता अधिक जटिल और समस्याग्रस्त प्रतीत होती है।
- अध्ययन में पाया गया है कि लागत में कटौती और नियामक चोरी, न कि श्रम लचीलापन, इस प्रवृत्ति के प्रमुख चालक हैं।

ठेका श्रमिकों की संवेदनशीलता

- अधिकांश ठेका श्रमिकों को तृतीय-पक्ष ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखा जाता है।
- वे उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में निहित मूल श्रम सुरक्षा से वंचित रखते हैं।
- वे अक्सर मनमाने ढंग से बर्खास्तगी, छंटनी के मुआवजे और अन्य वैधानिक अधिकारों के विरुद्ध सुरक्षा उपायों से वंचित रहते हैं।
- **2018-19 के आंकड़े:**
  - ✓ ठेका कर्मचारियों का वेतन नियमित कर्मचारियों की तुलना में औसतन 14.47% कम था।
  - ✓ बड़े उद्यमों में वेतन का अंतर और बढ़ गया:
    - ➢ बड़ी कंपनियों में 31% कम
    - ➢ मध्यम आकार की कंपनियों में 23% कम
    - ➢ छोटे उद्यमों में 12% कम
  - ✓ ठेका श्रमिकों के लिए नियोक्ताओं की श्रम लागत प्रतिदिन 24% कम थी।
  - ✓ कुछ उद्योगों में, यह लागत अंतर 78-85% तक था, जो गंभीर शोषण की ओर इशारा करता है।

श्रम उत्पादकता

- श्रम उत्पादकता प्रति श्रमिक या प्रति घंटे काम किए गए उत्पादन (आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद या मूल्य वर्धित) को संदर्भित करती है।
- श्रम उत्पादकता = सकल घरेलू उत्पाद / कुल श्रम निवेश
- यह निम्नलिखित के लिए एक प्रमुख मीट्रिक है:
  - ✓ आर्थिक दक्षता
  - ✓ जीवन स्तर
  - ✓ मजदूरी वृद्धि
  - ✓ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता

श्रम उत्पादकता अंतर

क्षेत्रीय अंतराल

- ✓ कृषि: कुल कार्यबल का लगभग 45% हिस्सा रोजगार देता है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में केवल 15-18% योगदान देता है।
- ✓ उद्योग एवं विनिर्माण: 20-25% को रोजगार देता है, लेकिन कृषि से अधिक योगदान देता है।
- ✓ सेवाएँ: 30-35% को रोजगार देता है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में 50% से अधिक योगदान देता है।

औपचारिक बनाम अनौपचारिक क्षेत्र

- ✓ अनौपचारिक क्षेत्र भारत के लगभग 85-90% कार्यबल को रोजगार देता है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान केवल लगभग 50% है।
- ✓ बेहतर पूँजी, प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं के कारण औपचारिक क्षेत्र की नौकरियाँ काफ़ी अधिक उत्पादक हैं।

अनुबंध बनाम नियमित कर्मचारी

- ✓ औपचारिक क्षेत्र की फर्मों में ठेका श्रमिकों की उत्पादकता नियमित श्रमिकों की तुलना में 30-35% कम होती है।
- ✓ प्रशिक्षण की कमी, नौकरी की सुरक्षा और खराब कार्य परिस्थितियाँ इसके प्रमुख कारण हैं।

भारत में उत्पादकता अंतर के कारण

- **संरचनात्मक:** कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कम औद्योगिक आधार, कमज़ोर शहरीकरण
- **श्रम बाज़ार:** अनौपचारिकता, ठेका श्रमिकों का दुरुपयोग, कम कौशल, अल्परोज़गार
- **शिक्षा और कौशल:** शिक्षा की खराब गुणवत्ता, कौशल में भारी असमानता, कम व्यावसायिक प्रशिक्षण
- **प्रौद्योगिकी और पूँजी:** प्रति कर्मचारी कम पूँजी, एमएसएमई में तकनीक का कम इस्तेमाल
- **नियमन और नीति:** कठोर या खराब तरीके से लागू किए गए श्रम कानून, छोटी फर्मों पर अनुपालन का बोझ
- **बुनियादी ढाँचा:** लॉजिस्टिक संबंधी अड़चनें, अविश्वसनीय बिजली, खराब शहरी नियोजन

कम श्रम उत्पादकता के परिणाम

- **कम मज़दूरी:** कम उत्पादकता मज़दूरी वृद्धि को सीमित करती है।
- **धीमी जीडीपी वृद्धि:** खासकर जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है।
- **बेरोज़गारी वृद्धि:** उत्पादन बढ़ता है, लेकिन आनुपातिक रोज़गार नहीं होता।
- **उच्च असमानता:** उत्पादक नौकरियाँ एक छोटे से औपचारिक केंद्र में केंद्रित होती हैं।
- **वैश्विक अप्रतिस्पर्धात्मकता:** खासकर विनिर्माण निर्यात में।

अपवाद: उच्च-कौशल और पूंजी-गहन क्षेत्र

इस प्रवृत्ति के कुछ उल्लेखनीय अपवाद हैं:

- उच्च-कौशल अनुबंध-प्रधान उद्यमों में, उत्पादकता **उनके निम्न-कौशल समकक्षों की तुलना** में **5-20%** अधिक थी।
- **बड़ी पूंजी-प्रधान** सीएलआई **फर्मों ने 17% उत्पादकता वृद्धि दिखाई।**

हालाँकि, कुल औपचारिक विनिर्माण में इनकी हिस्सेदारी केवल 20% है। शेष 80% - जिनमें से अधिकांश छोटे और मध्यम उद्यम हैं - ठेका श्रम के दुरुपयोग से लगातार प्रभावित हो रहे हैं।

समस्याएँ और तंत्र

- **प्रशिक्षण/कौशल विकास में कम निवेश:** ठेका श्रमिकों को अक्सर प्रशिक्षण नहीं मिलता, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता कमज़ोर होती है।
- **उच्च टर्नओवर/कमज़ोर निष्ठा:** अल्पकालिक अनुबंध, नौकरी की सुरक्षा का अभाव और लाभों की कमी के कारण कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में कमी और कम जुड़ाव होता है।
- **प्रमुख-एजेंट संबंधी समस्याएँ/नैतिक जोखिम:** चूँकि ठेकेदार (बिचौलिया) नियोक्ता होता है, इसलिए उनके प्रोत्साहन प्रमुख कंपनी के अनुरूप नहीं हो सकते - जिसके परिणामस्वरूप काम से जी चुराना, गुणवत्ता में कमी या न्यूनतम प्रतिबद्धता हो सकती है।
- **नियामक चोरी:** तृतीय-पक्ष ठेकेदारों का उपयोग करके, कंपनियाँ छंटनी, छंटनी नियमों, सामाजिक सुरक्षा योगदान आदि से संबंधित देनदारियों से बचती हैं।

सरकारी योजनाएँ और पहल

- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (मार्च 2022 में बंद)
- श्रम संहिता सुधार (2020)
  - ✓ औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
  - ✓ सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
  - ✓ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020
  - ✓ मजदूरी संहिता, 2019
- श्रम सुविधा पोर्टल
- राष्ट्रीय कैरियर सेवा
- कौशल भारत मिशन (पीएमकेवीवाई सहित)
- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (अब बंद-CoVID के दौरान घोषित)
- स्टार्टअप इंडिया और एमएसएमई सहायता योजनाएं

आगे की राह

- **रोज़गार संबंधों का औपचारिककरण:** श्रमिकों को फर्मों के साथ (ठेकेदारों के माध्यम से नहीं) अधिक प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध प्रदान करना, जिसमें अनिवार्य बुनियादी लाभ (पीएफ, सामाजिक सुरक्षा) शामिल हों।
- श्रम कानून सुधारों/श्रम संहिताओं, विशेष रूप से औद्योगिक संबंध संहिता (2020) का पूर्ण कार्यान्वयन, जो बिना किसी तृतीय-पक्ष मध्यस्थ के निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति की अनुमति देता है।
- **फर्मों को नियुक्ति को औपचारिक बनाने के लिए प्रोत्साहन:** उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) जैसी योजनाओं को पुनर्जीवित या पुनः डिज़ाइन करना (जो नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के ईपीएफ/ईपीएस अंशदान में सब्सिडी देती है), या लंबे अनुबंध अपनाने वाली फर्मों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान में छूट प्रदान करना।
- **कानूनी प्रवर्तन, पारदर्शिता और डिजिटल अनुपालन को मज़बूत करना:** उदाहरण के लिए, यादृच्छिक निरीक्षण, ठेका श्रमिकों की संख्या का सार्वजनिक प्रकटीकरण, अनुपालन की निगरानी के लिए डिजिटल पोर्टल।
- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना:** नियोक्ताओं और राज्यों में पोर्टेबिलिटी के साथ सभी श्रमिकों (अनुबंध और गिग सहित) को ईपीएफ, ईएसआईसी और अन्य कल्याणकारी कवर प्रदान करना।
- **श्रम कानून:** सभी राज्यों में 4 श्रम संहिताओं को लागू करना। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अनुपालन को सरल बनाना।

निष्कर्ष

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में न केवल अधिक नौकरियों की आवश्यकता है, बल्कि अधिक उत्पादक, स्थिर और सुरक्षित नौकरियों की भी आवश्यकता है। सस्ते, डिस्पोजेबल अनुबंध श्रम पर अत्यधिक निर्भरता अल्पकालिक लागत बचत प्रदान कर सकती है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक दक्षता और समता को कमजोर करती है। भारत अब एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहाँ नीति, उद्योग और श्रम को कार्य संरचना में सुधार के लिए एक साथ आना होगा - यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पादकता और श्रमिक सम्मान साथ-साथ चलें।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: किस श्रेणी के उद्यम में ठेका श्रम-प्रधान (सीएलआई) और नियमित श्रम-प्रधान (आरएलआई) फर्मों के बीच उत्पादकता का अंतर सबसे अधिक पाया गया?

(a) बड़े पूंजी-प्रधान उद्यम
(b) उच्च-कौशल उद्यम
(c) लघु उद्यम (<100 श्रमिक)
(d) निर्यात-उन्मुख इकाइयाँ

उत्तर : (c)

आरबीआई तरलता प्रबंधन ढांचे की समीक्षा

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तरलता प्रबंधन ढांचे की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट जारी की।

समीक्षा की शुरुआत कैसे हुई?

- वर्तमान ढाँचे (फरवरी 2020 से) ने दिन-प्रतिदिन और संरचनात्मक तरलता के प्रबंधन के लिए विभिन्न उपकरणों (रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, वीआरआर/वीआरआरआर, खुले बाजार परिचालन-OMO, आदि) का उपयोग किया है।
- कुछ स्थायी मुद्दे: अधिशेष तरलता, छोटी दरों में अस्थिरता, अंतर-बैंक बाजार गतिविधि में कमी, विशेष रूप से लंबी अवधि में परिचालन अक्षमताएँ।

तरलता प्रबंधन ढांचे (LMF) के बारे में

तरलता प्रबंधन ढांचा (लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रणनीति है, जो यह सुनिश्चित करती है कि बैंकिंग प्रणाली में सही मात्रा में धन (तरलता) हो - न बहुत अधिक, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, और न बहुत कम, जिससे आर्थिक विकास बाधित हो सकता है।

उद्देश्य:

- वित्तीय स्थिरता बनाए रखना।
- मौद्रिक नीति संचरण का समर्थन करना।
- पर्याप्त तरलता की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- अल्पकालिक ब्याज दरों को नीतिगत रेपो दर के अनुरूप रखना।
- तरलता में दिन-प्रतिदिन की अस्थिरता का प्रबंधन करना।

आरबीआई के तरल प्रबंधन उपकरणों के प्रमुख घटक

औजार	उद्देश्य	आवृत्ति	उदाहरण
रेपो / रिवर्स रेपो	अल्पकालिक तरलता इंजेक्शन/अवशोषण	दैनिक	आरबीआई बैंकों को धन उधार देता है (रेपो) या तरलता अवशोषित करता है (रिवर्स रेपो)
परिवर्तनीय दर रेपो (VRR) / रिवर्स रेपो (VRRR)	विशिष्ट अवधि के लिए तरलता को ठीक करने के लिए	साप्ताहिक/ तदर्थ	अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए 7-दिवसीय या 14-दिवसीय VRRR
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)	बैंकों के लिए उच्च दर पर आपातकालीन उधार	दैनिक	बैंक आरबीआई से रेपो से 25 आधार अंक अधिक पर उधार लेते हैं
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)	गलियारे का फर्श (2022 में शुरू किया गया)	दैनिक	बैंक बिना किसी संपार्श्विक के एसडीएफ दर पर अधिशेष जमा करते हैं
खुले बाजार परिचालन (ओएमओ)	टिकाऊ तरलता प्रबंधन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री	जरुरत के अनुसार	आरबीआई ने तरलता बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां खरीदीं
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)	अधिदेशित रिज़र्व बैंकों को RBI के पास रखना होगा	पाक्षिक औसत	प्रणाली में समग्र तरलता को प्रभावित करता है
तरलता समायोजन सुविधा (LAF)	रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ को कवर करने वाली अम्ब्रेला सुविधा	दैनिक	पॉलिसी रेपो के आसपास अल्पकालिक बाजार दरें निर्धारित करने में मदद करता है

आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की सिफारिशें

- **परिचालन लक्ष्य:** मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य के रूप में भारित औसत कॉल दर (WACR) को बनाए रखना।
- **कॉरिडोर प्रणाली:** रेपो दर को मध्य में रखते हुए कॉरिडोर प्रणाली जारी रखना। नीति दर को केंद्रीय संदर्भ के रूप में बनाए रखना।
- **14-दिवसीय परिवर्तनीय-दर रेपो/रिवर्स रेपो (VRR/VRRR):** 14-दिवसीय VRR/VRRR नीलामियों को मुख्य उपकरण के रूप में उपयोग करना बंद करना। इसके बजाय: क्षणिक तरलता के प्रबंधन के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में 7-दिवसीय परिचालनों का उपयोग करना। आवश्यकतानुसार विभिन्न अवधियों (लगभग 14 दिनों तक की ओवरनाइट अवधि) के उपकरणों का भी उपयोग करना।
- **परिचालनों की आवृत्ति और लचीलापन:** साप्ताहिक मुख्य परिचालन, संचालनों के सूक्ष्म समायोजन द्वारा समर्थित; तरलता आवश्यकताओं के आधार पर अवधियों के चयन में बेहतर लचीलापन।
- **आरक्षित आवश्यकताएँ/औसतन तंत्र:** आरक्षित आवश्यकताओं और औसत को बनाए रखना, लेकिन अक्षमताओं को कम करने के लिए उन्हें संशोधित करना: कई बैंक आवश्यकता से कहीं अधिक रखते हैं (जिससे 'निष्क्रिय' तरलता होती है)। अधिक अंतरपणन (ऋणपत्र का क्रय-विक्रय) और सुचारू दर व्यवहार की अनुमति देने के लिए रखरखाव अवधि के दौरान कम न्यूनतम दैनिक आरक्षित आवश्यकताओं पर विचार करना।
- **स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी):** एसपीडी कॉल मनी मार्केट से भारी मात्रा में उधार लेते हैं, लेकिन आरबीआई की सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) तक उनकी पहुँच नहीं होती, जिससे अस्थिरता बढ़ती है—दरें कभी-कभी कॉरिडोर की अधिकतम सीमा को पार कर जाती हैं। समूह कॉल मार्केट में एसपीडी की भागीदारी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश करता है; इसके बजाय, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **संरचनात्मक तरलता अधिशेष:** यह पहचानें कि निरंतर अधिशेष तरलता एक चुनौती है: यह अप्रत्याशित तरीकों से भारित औसत कॉल दर (WACR) को नीतिगत दरों/कॉरिडोर सीमाओं से दूर खींचती है, जिससे मौद्रिक संचरण प्रभावित होता है। इस तरह के अधिशेष को दूर करने के लिए ढांचे में टिकाऊ/तरलता संचालन (दीर्घकालिक उपकरण) होने चाहिए।

समझौता और चुनौतियाँ

यद्यपि सिफारिशों का उद्देश्य नियंत्रण, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है, फिर भी इसमें कई समझौते और संभावित चुनौतियां हैं:

- **पूर्वानुमान बनाम लचीलापन:** छोटी अवधि को प्राथमिकता देने वाले बैंक तरलता की योजना बनाने में अधिक निश्चितता चाहते हैं, लेकिन यदि बाजार सहभागी परिचालनों का गलत अनुमान लगाते हैं, तो अत्यधिक लचीलापन अधिक अस्थिरता का कारण बन सकता है।
- **अंतर-बैंक बाजार गतिविधि:** संकीर्ण गलियारे अस्थिरता को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन अंतर-बैंक लेनदेन को दबा सकते हैं; कम लेनदेन नीति संचरण और बाजार अनुशासन को कमजोर कर सकते हैं। गलियारे की चौड़ाई को संतुलित करना महत्वपूर्ण है।
- **सरकारी नकदी प्रवाह और पूर्वानुमान:** सरकारी प्राप्तियां, भुगतान और नकदी शेष अक्सर अस्थिर होते हैं; ये अप्रत्याशित रूप से प्रणाली की तरलता को प्रभावित करते हैं। आरबीआई की टिकाऊ तरलता आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने और दीर्घकालिक परिचालनों के माध्यम से हस्तक्षेप करने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।
- **संस्थागत समायोजन:** एसपीडी प्रभावित होंगे; कॉल मनी मार्केट में उनकी भूमिका को हटाने या कम करने के लिए वैकल्पिक संरचनाओं की आवश्यकता होगी। साथ ही, यदि न्यूनतम दैनिक आवश्यकता कम की जाती है या अलग तरीके से औसत निकाला जाता है, तो बैंकों को भंडार का प्रबंधन अलग तरीके से करना होगा।
- **संचरण और दर संबंध:** डब्ल्यूएसीआर को बनाए रखने का अर्थ है कि अन्य लघु ओवरनाइट दरों (बाजार रेपो, टीआरईपीएस आदि) के साथ इसका सहसंबंध मजबूत होना चाहिए; यदि ये कमजोर हो जाएं (कम गतिविधि के कारण), तो WACR भी प्रभावी संकेत के रूप में विफल हो सकता है।

आशय

- **बैंकों के लिए:** दैनिक/साप्ताहिक चक्रों में अधिशेष/घाटे के धन के प्रबंधन के तरीके में बदलाव; आंतरिक राजकोषीय कार्यों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- **वित्तीय बाजारों के लिए:** नीतिगत दरों के साथ लघु दरों का बेहतर संरेखण अनिश्चितता को कम कर सकता है, बॉन्ड प्रतिफल स्थिरता में मदद कर सकता है और मौद्रिक नीति संचरण में सुधार कर सकता है। कॉरिडोर समायोजन के आधार पर अंतर-बैंक बाजार अधिक सक्रिय हो सकते हैं।
- **आरबीआई के लिए:** तरलता पर बेहतर नियंत्रण, लेकिन टिकाऊ और परिष्कृत परिचालनों का पूर्वानुमान लगाना और उन्हें क्रियान्वित करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही, आरबीआई को विभिन्न ओवरनाइट सेगमेंट की मजबूत निगरानी की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

यद्यपि आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट में तरलता प्रबंधन ढाँचे () को बेहतर बनाने के लिए कई बदलावों का प्रस्ताव है, लेकिन लेख में संशोधित ढाँचे की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए पहचानी गई चिंताओं को दूर करने के महत्व पर ज़ोर दिया गया है। प्रस्तावित बदलावों की सफलता के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण, जो अल्पकालिक ब्याज दरों पर नियंत्रण और अंतर-बैंक बाज़ार की गतिशीलता, दोनों पर विचार करता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: "तरलता प्रबंधन प्रश्न" की समीक्षा के अनुसार, RBI के प्रस्तावित तरलता प्रबंधन ढाँचे में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चिंता का विषय है?

(a) मुख्य तरलता उपकरण के रूप में 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (VRRR) को बढ़ाना
(b) अनुभवजन्य विश्लेषण के बिना ब्याज दर गलियारे को सीमित करना
(c) परिचालन लक्ष्य के रूप में भारित औसत कॉल दर (WACR) को समाप्त करना
(d) एकल प्राथमिक डीलरों (SPD) को सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) तक अप्रतिबंधित पहुँच की अनुमति देना

उत्तर : (b)

छाया शिक्षण (शैडो स्कूलिंग)

चर्चा में क्यों: भारत में छाया शिक्षण (शैडो स्कूलिंग) बढ़ रही है, जिसमें 33% छात्र कक्षा के अलावा निजी कोचिंग पर निर्भर हैं।

मुख्य विवरण

हाल ही में हुए एक सरकारी सर्वेक्षण में एक स्पष्ट विभाजन सामने आया है: जहां गांवों में सरकारी स्कूलों का प्रभुत्व अभी भी बना हुआ है, वहीं शहरी परिवार पारंपरिक स्कूली शिक्षा के साथ-साथ सशुल्क कोचिंग भी ले रहे हैं, जिससे लाखों बच्चों के शिक्षा के अनुभव में बदलाव आ रहा है।

छाया शिक्षण (शैडो स्कूलिंग)

औपचारिक स्कूल में जो कुछ भी होता है, उसके अलावा अतिरिक्त निजी ट्यूशन, कोचिंग, घर पर कक्षाएं, या अतिरिक्त पाठ। इसका उद्देश्य स्कूल के पाठों को मज़बूत करना, परीक्षा की तैयारी में मदद करना, या प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करना है।

विस्तार और विकास

- बताया गया है कि लगभग 33% छात्र किसी न किसी प्रकार की निजी कोचिंग पर निर्भर हैं।
- यह प्रथा ग्रामीण क्षेत्रों (लगभग 25.5%) की तुलना में शहरी क्षेत्रों (लगभग 30.7%) में अधिक आम है।

लागत असमानता

- सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च लगभग ₹2,863 है।
- निजी स्कूलों में यह लगभग ₹25,002 (लगभग ×9) है।
- शहरी परिवारों को बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता है: औसत पाठ्यक्रम शुल्क लगभग ₹15,143 प्रति छात्र है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग ₹3,979 है।
- **विशेष रूप से कोचिंग के लिए:**
  - ✓ शहरी क्षेत्र में प्रति छात्र लगभग ₹3,988 वार्षिक
  - ✓ ग्रामीण क्षेत्र में लगभग ₹1,793
  - ✓ विशेष रूप से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लागत बढ़ जाती है (शहरी क्षेत्र में लगभग ₹9,950 बनाम ग्रामीण क्षेत्र में लगभग ₹4,548)
- **शहरी-ग्रामीण नामांकन और स्कूल प्रकार मिश्रण**
  - ✓ ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों का दबदबा अभी भी बना हुआ है (लगभग दो-तिहाई ग्रामीण बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं)।
  - ✓ शहरी इलाकों में, कई माता-पिता निजी (गैर-सहायता प्राप्त) स्कूलों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। केवल लगभग 30.1% शहरी बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं।
- **कौन भुगतान करता है/कौन बोझ उठाता है:**
  - ✓ इन सेवाओं के लिए परिवार भारी मात्रा में भुगतान कर रहे हैं; लगभग 95% छात्रों ने बताया कि उनके परिवार ही वित्तपोषण का मुख्य स्रोत हैं।
  - ✓ छात्रवृत्ति या राज्य सहायता इन अतिरिक्त सेवाओं के लिए केवल एक छोटे से अंश (लगभग 1.2%) छात्रों को ही कवर करती है।

निहितार्थ और चिंताएँ

- छाया शिक्षण (शैडो स्कूलिंग) असमानता को और मज़बूत कर रहे हैं: धनी, शहरी परिवार अक्सर व्यापक ट्यूशन का खर्च उठा सकते हैं, जबकि ग्रामीण या निम्न-आय वाले परिवार वंचित या वंचित रह सकते हैं।
- साथ ही, यह इस बात पर भी सवाल उठाता है कि क्या नीतियाँ (विशेषकर नई शिक्षा नीति/सार्वजनिक स्कूली शिक्षा सुधारों के तहत) वास्तव में इस अंतर को पाट सकती हैं या निजी कोचिंग पर निर्भरता कम कर सकती हैं।

महत्वपूर्ण मुद्दे

- **शिक्षा एक वस्तु बनाम सार्वजनिक वस्तु के रूप में**
  - ✓ आदर्श रूप से, एक मज़बूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बाहरी ट्यूशन की ज़रूरत को कम करना चाहिए। यह तथ्य कि कई छात्र "अतिरिक्त कक्षाओं" की तलाश करते हैं, यह दर्शाता है कि औपचारिक प्रणाली को कई मामलों में अपर्याप्त माना जाता है (या अनुभव किया जाता है): गुणवत्ता, परीक्षा संरेखण, या व्यक्तिगत ध्यान के मामले में।
- **नियमित स्कूलों में गुणवत्ता और जवाबदेही**
  - ✓ कक्षाएँ बड़ी हैं/शिक्षक-छात्र ध्यान का अभाव है।
  - ✓ कक्षा में पाठ्यक्रम ठीक से नहीं पढ़ाया जाता।
  - ✓ प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव छात्रों को पूरक शिक्षा लेने के लिए मजबूर करता है।
  - ✓ बुनियादी शिक्षा में अंतराल (छात्र पिछड़ जाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है)
  - ✓ यदि नियमित स्कूली शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाए (शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन, छोटी कक्षाएं, उपचारात्मक सहायता, आदि), तो इससे निजी ट्यूशन पर निर्भरता कम हो सकती है।
- **समानता और पहुंच**
  - ✓ शहरी इलाकों में और उच्च ग्रेड के लिए कोचिंग की लागत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा संसाधनों वाले परिवार ज़्यादा निवेश कर सकते हैं, जिससे उनके बच्चों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। जो लोग इसे वहन नहीं कर सकते, वे पिछड़ सकते हैं। इससे असमानता बढ़ती है, बजाय इसके कि प्रतिस्पर्धा का स्तर समान हो।
- **ग्रामीण असुविधा**
  - ✓ यद्यपि ग्रामीण छात्रों का एक छोटा सा हिस्सा कोचिंग लेने की रिपोर्ट करता है, फिर भी उच्च-गुणवत्ता वाले ट्यूटर्स (विशेषकर उन्नत या विशिष्ट विषय-वस्तु के लिए) तक उनकी पहुँच बहुत कम होने की संभावना है। इसके अलावा, वहाँ प्रति इकाई लागत का बोझ आय के सापेक्ष अधिक हो सकता है।
- **व्यवहारिक/ सांस्कृतिक दबाव**
  - ✓ "अतिरिक्त कक्षाओं" की ओर रुझान आंशिक रूप से सांस्कृतिक है: माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे "दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करना", खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में। भले ही स्कूली शिक्षा में सुधार हो, फिर भी कुछ परिवार कोचिंग में निवेश करना पसंद कर सकते हैं।

छाया शिक्षण (शैडो स्कूलिंग) के पक्ष और विपक्ष

पक्ष:	विपक्ष:
✓ संघर्षरत छात्रों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता	✓ शैक्षिक असमानता को बढ़ाता है (अमीर लोग ज़्यादा मदद का खर्च उठा सकते हैं)
✓ व्यक्तिगत ध्यान	✓ बाहरी मदद पर निर्भरता बढ़ाता है
✓ परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त	✓ छात्रों पर दबाव/तनाव बढ़ाता है
✓ पाठ्यक्रम में कमियों या स्कूल में खराब शिक्षण को पूरा करने में मदद करता है	✓ नियमित स्कूली शिक्षा पर ध्यान कम कर सकता है
	✓ अनियमित या घटिया शिक्षकों के साथ शोषणकारी हो सकता है
	✓ शैक्षणिक अतिरेक को बढ़ावा देता है (स्कूल + ट्यूशन + स्व-अध्ययन का बोझ)

वैश्विक संदर्भ

- छाया शिक्षण (शैडो स्कूलिंग) सिर्फ़ भारत तक सीमित नहीं है। यह इन देशों में भी व्यापक रूप से फैली हुई है:
  - ✓ जापान (जुकू या क्रैम स्कूल)
  - ✓ दक्षिण कोरिया (हैगवॉन)
  - ✓ चीन (हालिया कार्रवाई से पहले)
  - ✓ मिस्र, तुर्की, बांग्लादेश, केन्या (शहरी क्षेत्रों में ट्यूशन को भी मानक माना जाता है)
- लेकिन भारत का पैमाना और विविधता (शहरी/ग्रामीण, अमीर/गरीब) इस समस्या को और अधिक जटिल बना देती है।

आगे की राह

- **पब्लिक स्कूल को मजबूत करना**
  - ✓ शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ढाँचे और कक्षा शिक्षण में सुधार करना।
  - ✓ बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता कार्यक्रमों (जैसे निपुण भारत) सहित, NEP 2020 सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
  - ✓ स्कूलों में शंका-समाधान सत्र, उपचारात्मक सहायता और ब्रिज कोर्स शुरू करना।
- **गुणवत्तापूर्ण पूरक शिक्षा को न्यायसंगत बनाएं**
  - ✓ विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में (जैसे डिजिटल लर्निंग वैन, सामुदायिक केंद्र) स्कूल के बाद सरकारी प्रायोजित ट्यूशन कार्यक्रम शुरू करना।
  - ✓ क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री तक कम लागत या मुफ़्त पहुँच प्रदान करने के लिए एड-टेक प्लेटफ़ॉर्म के साथ साझेदारी करना।
- **निजी कोचिंग को विनियमित और मॉनिटर करना**
  - ✓ पारदर्शिता, गुणवत्ता आश्वासन और छात्र सुरक्षा के लिए कोचिंग सेंटरों को सख्त नियमों के दायरे में लाना।
  - ✓ शोषणकारी शुल्क या अनैतिक प्रथाओं को रोकना।
- **परीक्षा का दबाव कम करना**
  - ✓ रटने की बजाय वैचारिक समझ पर ध्यान केंद्रित करना।
  - ✓ प्रतिस्पर्धी सफलता पर कोचिंग उद्योग की पकड़ को कम करने के लिए मूल्यांकन को नया स्वरूप देना।
- **ग्रामीण शिक्षा निवेश को प्रोत्साहित करना**
  - ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग की पहुंच बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और निजी खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, सब्सिडी या कर छूट प्रदान करना।

निष्कर्ष

छाया शिक्षण (शैडो स्कूलिंग) का बढ़ता चलन औपचारिक शिक्षा में व्याप्त अंतराल और बढ़ती असमानता को दर्शाता है। इस निर्भरता को कम करने के लिए, स्कूलों को मज़बूत किया जाना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण सहायता तक पहुँच को समान बनाया जाना चाहिए। एक मज़बूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को अतिरिक्त प्रशिक्षण को एक विकल्प बनाना चाहिए, न कि एक अनिवार्यता।

निर्यात संवर्धन मिशन

चर्चा में क्यों: हाल ही में सरकार केंद्रीय बजट में घोषित नए निर्यात संवर्धन मिशन (एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन) के तहत छह वित्तीय वर्षों (2025-2031) में निर्यातकों के लिए 25,000 करोड़ रुपये के सहायता पैकेज पर विचार कर रही है।

मुख्य विवरण

- यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति (EFC) को भेज दिया गया है।
- इसका उद्देश्य निर्यातकों को किफायती और आसान ऋण उपलब्ध कराना है, विशेष रूप से वैश्विक व्यापार व्यवधानों (जैसे अमेरिकी शुल्क) से निपटने में उनकी सहायता करना।
- नोडल मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

नए निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में

- निर्यात संवर्धन मिशन सरकारों, व्यापार संगठनों या उद्योग संघों द्वारा व्यवसायों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने में मदद करने के लिए शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है।
- यह पैकेज दो योजनाओं में संरचित है:
  - ✓ **निर्यात प्रोत्साहन** (लगभग ₹10,000 करोड़+):
    - ब्याज समकारी सहायता (6 वर्षों में लगभग ₹5,000 करोड़)
    - वैकल्पिक व्यापार वित्त साधन
    - ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए एक क्रेडिट "कार्ड"
    - तरलता की कमी को पूरा करने के लिए अन्य तंत्र
  - ✓ **निर्यात दिशा** (लगभग ₹14,500 करोड़+):
    - निर्यात गुणवत्ता अनुपालन हेतु सहायता (लगभग ₹4,000 करोड़)
    - ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, निर्यात भंडारण, विदेशी बाजार विकास (लगभग ₹4,000 करोड़)
    - अधिक भारतीय उद्यमों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में लाने के लिए क्षमता निर्माण।
- उच्च अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात क्षेत्रों में कपड़ा, रसायन, चमड़ा और जूते आदि पर दबाव पड़ने की आशंका है।

निर्यात आँकड़े

- जुलाई में निर्यात 7.29% बढ़कर 37.24 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
- अप्रैल-जुलाई 2025-26 के लिए निर्यात में लगभग 3.07% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में लगभग 5.36% की वृद्धि हुई, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया।

महत्वपूर्ण भाग

- **प्रतिनिधिमंडल की संरचना:** सरकारी अधिकारी (जैसे, व्यापार मंत्री), निर्यातक कंपनियाँ, व्यापार संवर्धन एजेंसी के प्रतिनिधि, उद्योग विशेषज्ञ
- **आम तौर पर शामिल गतिविधियाँ:** B2B मैचमेकिंग और नेटवर्किंग कार्यक्रम, व्यापार मेले या प्रदर्शनियाँ, सरकारी या नियामक निकायों के साथ बैठकें, स्थानीय व्यवसायों या वितरकों के कार्यस्थलों का दौरा, बाज़ार ब्रीफिंग या सेमिनार।
- **लक्षित देश:** व्यापार क्षमता, रणनीतिक साझेदारी, या विशिष्ट उत्पादों/सेवाओं की माँग के आधार पर चुने गए।

निर्यात संवर्धन मिशन के उद्देश्य

- **राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देना:** विदेशी बाज़ारों में संभावित खरीदारों को घरेलू उत्पादों या सेवाओं का प्रदर्शन करना।
- **बाज़ार पहुँच:** व्यवसायों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का पता लगाने और उन तक पहुँचने में मदद करना।
- **व्यापार संबंध:** विदेशी आयातकों, वितरकों और सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी बनाना।
- **निवेश आकर्षण:** कभी-कभी मिशनों का उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना भी होता है।
- **बाज़ार के रुझानों को समझें:** विदेशों में उपभोक्ता व्यवहार, नियमों और प्रतिस्पर्धा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना।

सम्बद्ध लाभ

- बिक्री और निर्यात मात्रा में वृद्धि।
- नए बाज़ारों में ब्रांड की बेहतर दृश्यता।
- कानूनी और तार्किक चुनौतियों की गहन समझ।
- नेटवर्किंग और व्यवसाय विकास के अवसर।
- उभरते बाज़ारों में अग्रणी होने का लाभ।
- विविधीकरण और बाज़ार विकास सहायता।

संबद्ध जोखिम/चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन में देरी:** EFC प्राप्त करना: कैबिनेट की मंज़ूरी, फिर योजनाओं को लागू करने में समय लगेगा।
- यदि योजनाएँ अनुपालन के लिए बहुत जटिल हैं, तो MSMEs की अवशोषण क्षमता सीमित हो सकती है।
- जब तक निगरानी, ऑडिट और निरीक्षण मज़बूत नहीं होंगे, लीक/दुरुपयोग का जोखिम बना रहेगा।
- **वैश्विक व्यापार वातावरण:** समर्थन के बावजूद, निर्यातकों को बाहरी चुनौतियों (शुल्क, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मुद्रा में अस्थिरता) का सामना करना पड़ेगा।

निर्यातकों/हितधारकों के लिए निहितार्थ

- निर्यातकों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए - जैसे, बही खाते व्यवस्थित रखना, अनुपालन मानकों को पूरा करना, और ऑडिट के लिए तैयार रहना।
- मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और गुणवत्ता मानकों पर ध्यान केंद्रित करने से सहायता व्यवस्था के तहत लाभ होगा।
- इससे प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता में बदलाव आ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जहाँ कई छोटे निर्यातक हैं।

आगे की राह

- मिशन को बिना किसी देरी के शुरू करने के लिए त्वरित अनुमोदन।
- एकल-खिड़की डिजिटल पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई के लिए पहुँच को सरल बनाना।
- वैश्विक पहुँच और व्यापार डेटा के माध्यम से बाजार विविधीकरण को बढ़ावा देना।
- वैश्विक अनुपालन के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे का उन्नयन करना।
- ऑडिट और प्रभाव मूल्यांकन के साथ निगरानी को शामिल करना।
- निर्यातक समूहों को संसाधनों के विस्तार और साझाकरण में सहायता करना।
- वास्तविक समय की प्रतिक्रिया और संरेखण के लिए उद्योग निकायों को शामिल करना।

निष्कर्ष

नया निर्यात संवर्धन मिशन (एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन) भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने की दिशा में एक समयोचित कदम है। अगर इसे कुशलतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए, तो यह एमएसएमई को सशक्त बना सकता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकता है और भारत को अपने 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य के और करीब ला सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा नए निर्यात संवर्धन मिशन का प्रमुख घटक नहीं है?

(a) निर्यातकों के लिए हित समकारी सहायता
(b) वैश्विक बाजारों के लिए ब्रांडिंग और गुणवत्ता अनुपालन
(c) उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण
(d) एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने हेतु क्षमता निर्माण

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: निर्यात संवर्धन मिशन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और भारत के निर्यात क्षेत्र, विशेषकर एमएसएमई के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों की आलोचनात्मक जांच कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

चर्चा में क्यों: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का त्वरित अनुमान अब हर महीने की 28 तारीख को (या यदि 28 तारीख को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस पर) जारी किया जाएगा।

मुख्य अंश

- जुलाई 2025 में, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 3.5% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।
- यह वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित थी, जिसमें जुलाई 2025 में 5.4% की वृद्धि हुई।
- क्षेत्रवार प्रदर्शन:
  - ✓ **खनन:** -7.2% (संकुचन)
  - ✓ **विनिर्माण:** +5.4%
  - ✓ **बिजली:** +0.6%
- जुलाई 2025 के लिए समग्र आईआईपी सूचकांक मूल्य 155.0 था, जबकि जुलाई 2024 में यह 149.8 था।
- विनिर्माण उप-क्षेत्रों में, जुलाई 2025 में शीर्ष योगदानकर्ता थे:
  - ✓ **मूल धातुओं का निर्माण:** +12.7%
  - ✓ **विद्युत उपकरणों का निर्माण:** +15.9%
  - ✓ **अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण:** +9.5%
- उपयोग-आधारित वर्गीकरण परिप्रेक्ष्य (अर्थात वस्तुओं के प्रकार के अनुसार) से, जुलाई 2024 की तुलना में जुलाई 2025 में वृद्धि दरें इस प्रकार थीं:
  - ✓ प्राथमिक वस्तुएँ: -1.7%
  - ✓ पूंजीगत वस्तुएँ: +5.0%
  - ✓ मध्यवर्ती वस्तुएँ: +5.8%
  - ✓ बुनियादी ढाँचा/निर्माण वस्तुएँ: +11.9%
  - ✓ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ: +7.7%
  - ✓ उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएँ: +0.5%

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है जो किसी देश में एक निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को मापता है।
- आईआईपी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन को ट्रैक करता है, जिनमें शामिल हैं:
  - ✓ खनन
  - ✓ विनिर्माण
  - ✓ बिजली
- यह रिपोर्ट भारत के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित की जाती है तथा औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है।

आईआईपी कैसे मापा जाता है?

- **आधार वर्ष:** वर्तमान में, आईआईपी का आधार वर्ष 2011-12 = 100 है।
- **आवृत्ति:** मासिक प्रकाशित
- सूचकांक की गणना भारत में कंपनियों और कारखानों के आंकड़ों का उपयोग करके की जाती है।

आईआईपी क्षेत्रीय वर्गीकरण

- आईआईपी को दो तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है

1. **क्षेत्रवार:**

क्षेत्र	वज़न (%)
उत्पादन	लगभग 77.6
खनन	लगभग 14.4
बिजली	लगभग 8.0

2. **उपयोग-आधारित वर्गीकरण:**
   यह उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपयोग को संदर्भित करता है:

श्रेणी	उदाहरण आइटम
प्राथमिक वस्तुएँ	कच्चा माल (कोयला, कच्चा तेल)
पूंजीगत माल	मशीनरी, उपकरण
सहायक सामग्री	अंतिम उत्पादों में प्रयुक्त घटक
बुनियादी ढांचा/निर्माण सामग्री	स्टील, सीमेंट
उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुएँ	टीवी, वाशिंग मशीन
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	भोजन, प्रसाधन सामग्री

आईआईपी का महत्व

- ✓ औद्योगिक गतिविधि और आर्थिक स्वास्थ्य को दर्शाता है।
- ✓ मौद्रिक नीतिगत निर्णयों में नीति निर्माताओं और RBI की सहायता करता है।
- ✓ आर्थिक रुझानों पर निवेशकों और अर्थशास्त्रियों का मार्गदर्शन करता है।
- ✓ जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

निष्कर्ष

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) भारत में औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक है। जुलाई 2025 के आँकड़े 3.5% की वृद्धि दर्शाते हैं, जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित है, जबकि खनन क्षेत्र में संकुचन हुआ है। आईआईपी आर्थिक गति को ट्रैक करने, नीति निर्माताओं और निवेशकों को अल्पकालिक औद्योगिक रुझानों का आंकलन करने और सूचित आर्थिक निर्णयों का समर्थन करने में मार्गदर्शन करने में मदद करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भार सबसे अधिक है?

(a) खनन
(b) विद्युत
(c) विनिर्माण
(d) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ

उत्तर: (c)

अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) एवं कृषि परिवारों का स्थिति आंकलन सर्वेक्षण (SAS)

चर्चा में क्यों: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विषयों को कवर करते हुए व्यापक घरेलू सर्वेक्षण कर रहा है।

मुख्य विवरण

- इसके प्रमुख सर्वेक्षणों में से दो देश के वित्तीय और कृषि क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं - अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) और कृषि परिवारों का स्थिति आंकलन सर्वेक्षण (SAS)।
- ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि सर्वेक्षण जुलाई 2026 से जून 2027 तक आयोजित किए जाने हैं।

- एनएसएसओ 1950 में अपनी स्थापना के बाद से नियमित रूप से ये सर्वेक्षण करता आ रहा है।
- एनएसएस साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, घरेलू कल्याण, उपभोग, रोजगार, स्वास्थ्य, संपत्ति, ऋणग्रस्तता और सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंधित पहलुओं के दस्तावेजीकरण के लिए आधिकारिक आंकड़ों का एक आवश्यक स्रोत बन गया है।

- **एआईडीआईएस ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवारों की वित्तीय स्थिति:** ऋण, निवेश, संपत्ति और देनदारियों पर केंद्रित है।
- **एसएएस कृषि परिवारों पर केंद्रित है:** उनकी आय और व्यय, भूमि और पशुधन, फसल/पशुधन उत्पादन, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ऋण और सरकारी योजनाओं तक पहुँच, आदि।

अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (AIDIS)

- यह ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में घरेलू ऋणग्रस्तता, परिसंपत्ति और निवेश स्वामित्व, ऋण के स्रोत (संस्थागत बनाम गैर-संस्थागत), परिसंपत्तियों के वितरण आदि पर डेटा प्रदान करता है।
- ऐतिहासिक रूप से, यह 1951-52 के अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण से विकसित हुआ, जिसे बाद में (1961-62) निवेशों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया, और इस प्रकार यह ऋण और निवेश सर्वेक्षण बन गया।

कृषि परिवारों का स्थिति आंकलन सर्वेक्षण (SAS)

- यह सर्वेक्षण भी एनएसओ/पूर्व में एनएसएसओ (पुनर्गठन से पहले) द्वारा संचालित किया जाता है। यह सर्वेक्षण कृषि परिवारों - उनकी आय, व्यय, उत्पादन, ऋण तक पहुँच, प्रौद्योगिकियाँ आदि पर केंद्रित है।
- किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए पहली बार 2003 में (एसएएस-59वां दौर) आयोजित किया गया था। फिर 2013 में इसका एक अधिक व्यापक संस्करण (एनएसएस का 70वाँ दौर) प्रकाशित किया गया। 2019 (77वाँ दौर) में भी एसएएस घटक शामिल था।
- एसएएस और एआईडीआईएस दोनों को जुलाई 2026 से जून 2027 के लिए फिर से आयोजित करने की योजना है।

मुख्य परिभाषाएँ और कवरेज

- **कृषि परिवार:** कृषि परिवारों का स्थिति आंकलन सर्वेक्षण (SAS) में, "कृषि परिवार" का अर्थ पिछले 365 दिनों में कृषि उत्पादन (खेत की फ़सलें, बागवानी, पशुधन, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन आदि) से कुछ आय प्राप्त करने वाला परिवार है। इसमें ज़मीन वाले या ज़मीन रहित, लेकिन कृषि गतिविधि वाले परिवार शामिल हैं।
- नोट: एसएएस में वे परिवार शामिल नहीं हैं जिनकी पूरी आय कुछ चरणों में केवल कृषि श्रम (अर्थात विशुद्ध श्रम) से आती है।
- इसके अलावा, कृषि उपज से आय की एक न्यूनतम सीमा भी है - 2013 में यह 3,000 रुपये थी, 2019 में मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए इसे बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया। इससे कम आय वाले परिवारों को एसएएस में "कृषि परिवार" नहीं माना जाता है।

नमूना दायरा (सैंपल कवरेज)

- एसएएस मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है, क्योंकि कृषि परिवार ज़्यादातर ग्रामीण हैं। लेकिन कृषि-संबंधी गतिविधियों के मामले में, यह बिना ज़मीन वाले परिवारों को भी कवर करता है।
- एआईडीआईएस ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों को कवर करता है। संपत्ति, देनदारियां आदि दोनों के लिए प्रासंगिक हैं।

क्या सर्वेक्षण किया गया है?

- घरेलू विशेषताएँ: जनसांख्यिकी, शिक्षा, आदि।
- कृषि गतिविधियों (फसलें, पशुधन आदि) और गैर-कृषि/मजदूरी/अन्य स्रोतों से आय।
- व्यय स्तर और स्वरूप।
- उत्पादक संपत्तियाँ: भूमि, पशुधन, उपकरण, आदि।
- ऋणग्रस्तता, देयताएँ, ऋण स्रोत और शर्तें।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग, जागरूकता, आधुनिक आदानों तक पहुँच।
- हाल के दौर (2019) में भूमि और पशुधन जोतों को एसएएस में विलय/एकीकृत किया गया है।

आगे की राह

हितधारकों को परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए और रचनात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। डेटा संग्रह को मज़बूत करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाना सर्वेक्षण परिणामों की सटीकता और उपयोगिता को बढ़ाएगा।

निष्कर्ष

आगामी अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) और कृषि परिवारों का स्थिति आंकलन सर्वेक्षण (SAS) भारत के वित्तीय और कृषि परिदृश्य को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे प्राप्त समयबद्ध, डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि, विशेष रूप से ग्रामीण और कृषक समुदायों के लिए, अधिक लक्षित नीति-निर्माण और कुशल संसाधन आवंटन में सहायक होगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: स्थिति आंकलन सर्वेक्षण (एसएएस) मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है:

(a) शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन के रुझान
(b) शहरी परिवारों के निवेश पैटर्न
(c) कृषि परिवारों की आय, व्यय और संपत्ति
(d) सेवा क्षेत्र में रोजगार के रुझान

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: एसएएस और एआईडीआईएस भारत की ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करते हैं। चर्चा कीजिए कि इन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष किसान कल्याण और ग्रामीण ऋण वितरण में सुधार के उद्देश्य से नीतिगत उपायों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत उपभोक्ता दृष्टिकोण रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: हाल ही में, अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के कारण, इस वित्तीय वर्ष में भारतीय आर्थिक विकास में 30-80 आधार अंकों की गिरावट आ सकती है, तथा कपड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में हजारों श्रमिकों की छंटनी होने की संभावना है।

मुख्य विवरण

- अमेरिका से भारी टैरिफ दबाव के बावजूद, भारत के आंतरिक मांग इंजन (कम मुद्रास्फीति, आय वृद्धि, उपभोक्ता भावना, रोजगार) उपभोक्ताओं को उत्साहित रखने और विकास को गति देने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं।
- यद्यपि उपभोग भारत की आधी से अधिक अर्थव्यवस्था को संचालित करता है, इसलिए एक मजबूत उपभोक्ता भावना भारत को टैरिफ के कुछ प्रभावों की भरपाई करने में मदद करेगी।
- बीएमआई (एक फिच सॉल्यूशंस कंपनी) की नवीनतम 'इंडिया कंज्यूमर आउटलुक' रिपोर्ट में 2025 और 2026 में भारत में उपभोक्ता भावनाओं और खर्च की एक आशावादी तस्वीर पेश की गई है।
- बीएमआई के अनुसार, 2025 में घरेलू खर्च में मज़बूत वृद्धि (वास्तविक रूप से 6.9% वार्षिक) और 2026 में स्वस्थ वृद्धि (5.5%) देखी जा रही है।
- उपभोक्ता विश्वास में तेज़ी आई है: वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) और भविष्य की अपेक्षा सूचकांक (एफईआई) महामारी-पूर्व के स्तर से काफ़ी ऊपर हैं।
- मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है: जुलाई 2025 में मुद्रास्फीति लगभग 1.55% वार्षिक थी, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति 1.8% थी। यह कम मुद्रास्फीति परिवारों को अधिक व्यय योग्य आय प्रदान करती है।

- श्रम बाज़ार लचीला बना हुआ है: बेरोज़गारी घटकर 5.2% रह गई है (जुलाई 2025 तक)।
- बढ़ती वास्तविक मज़दूरी/क्रय शक्ति: औसत परिवार 2019 की तुलना में 2025 में लगभग 29% अधिक क्रय शक्ति का आनंद लेंगे।
- घरेलू ऋण का स्तर प्रबंधनीय बना हुआ है (नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 41.9%) और उपभोक्ता खर्च पर इसका कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।
- जोखिमों के बारे में सावधानी बरती जा रही है - वैश्विक मुद्रास्फीति, व्यापार तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, और संभावित बाह्य मांग संबंधी झटके।

भारत उपभोक्ता परिदृश्य (2024-25) सारांश

- **उपभोक्ता खर्च में मजबूत वृद्धि**
  - ✓ भारत का निजी उपभोग 2024 में बढ़कर 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2013 से लगभग दोगुना हो गया है, और इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर ~7.2% है।
  - ✓ खुदरा एवं उपभोक्ता क्षेत्र का अनुमानित आकार ~1.06 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (हालिया आँकड़ा) है और 2030 तक इसके ~1.93 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- **ई-कॉमर्स और डिजिटल प्रभाव का विस्तार**
  - ✓ 2024 में, ऑनलाइन रिटेल लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था; उम्मीद है कि 2030 तक यह बढ़कर लगभग 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।
  - ✓ डिजिटल टचपॉइंट खरीदारी के निर्णयों को तेज़ी से प्रभावित कर रहे हैं: जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सहकर्मी समीक्षाएं, YouTube समीक्षाएं, आदि।
- **जनसांख्यिकी और क्षेत्रीय विकास**
  - ✓ जेनरेशन ज़ेड एक उभरती हुई ताकत है: अनुमान है कि 2025 तक भारत की कुल खपत में जेनरेशन ज़ेड का योगदान 43% होगा, और उनकी प्रत्यक्ष व्यय क्षमता लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
  - ✓ उभरते (टियर II/III) शहर अब ई-कॉमर्स लेनदेन में कहीं अधिक योगदान देते हैं - 60% से भी अधिक।
  - ✓ ग्रामीण खपत में कुछ वृद्धि हो रही है, लेकिन शहरी/ग्रामीण अंतर अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है।
- **प्रीमियमीकरण और 'मेड इन इंडिया' वरीयता**
  - ✓ उपभोक्ता अधिक व्यापार कर रहे हैं - फ़ैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्सनल केयर जैसी श्रेणियों में उच्च-स्तरीय या महत्वाकांक्षी उत्पादों पर अधिक खर्च कर रहे हैं।
  - ✓ घरेलू उत्पादों को ज़्यादा प्राथमिकता: 'मेड इन इंडिया' को उपभोक्ता विकल्पों में एक सकारात्मक कारक के रूप में देखा जा रहा है।
- **उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और FMCG रुझान**
  - ✓ वित्त वर्ष 2025 में टिकाऊ वस्तुओं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों पर खर्च में भारी उछाल।
  - ✓ नियामक और नीतिगत समर्थन (पीएलआई योजनाएँ, एफडीआई, विनिर्माण प्रोत्साहन) टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन और स्थानीय आपूर्ति को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं।
- **उपभोक्ता भावना का लचीलापन**
  - ✓ मुद्रास्फीति या आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भी, सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि भारतीय उपभोक्ता अपेक्षाकृत आशावादी बने हुए हैं और कई लोग खर्च बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।
  - ✓ करों में कटौती, कुछ वस्तुओं पर जीएसटी में कमी और कीमतों में स्थिरता से कुछ क्षेत्रों में मांग को पुनर्जीवित करने में मदद मिल रही है।

सामर्थ्य/सहायक कारक

- **कम मुद्रास्फीति एक बड़ा कारक है:** जब मुद्रास्फीति बहुत कम होती है (विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति), तो परिवारों को अपने बजट में अधिक राहत मिलती है। यह विवेकाधीन खर्च को बढ़ावा देता है।
- **घरेलू गतिशीलता अब अधिक मायने रखती है:** वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, घरेलू अर्थव्यवस्था (सेवाएँ, खुदरा, आंतरिक माँग) का लचीलापन महत्वपूर्ण है। लेख इस बात पर ज़ोर देता है कि उपभोक्ता की कहानी बाहरी की तुलना में स्थानीय स्तर पर अधिक संचालित हो रही है।
- **व्यापक विश्वास:** शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण भारत में विश्वास में आई तेज़ी एक मज़बूत सकारात्मक संकेत है: यह दर्शाता है कि सुधार केवल अभिजात वर्ग या बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है।
- **मध्यम ऋण भार:** घरेलू ऋण अभी भी सहनीय स्तर पर है और ब्याज दरों में कमी आने की उम्मीद है, इसलिए सेवा भुगतान का बोझ खर्च को प्रभावित नहीं करेगा।

जोखिम व कमजोरियाँ

- **बाहरी झटके वास्तविक बने रहेंगे:** भले ही घरेलू माँग मज़बूत हो, निर्यात-उन्मुख क्षेत्र कमज़ोर वैश्विक माँग या टैरिफ़ में और वृद्धि से प्रभावित हो सकते हैं। इसके दुष्प्रभाव विकास को धीमा कर सकते हैं।
- **कम मुद्रास्फीति की स्थिरता:** कुछ महीनों के लिए बहुत कम मुद्रास्फीति होना एक बात है; आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव या आयात लागत में वृद्धि के बावजूद इसे बनाए रखना दूसरी बात है।
- **रोज़गार सृजन और अनौपचारिक क्षेत्र की कमज़ोरियाँ:** लेख कम बेरोज़गारी दर की ओर इशारा करता है, लेकिन भारत में अधिकांश रोज़गार अनौपचारिक क्षेत्र में है। मंदी अक्सर अनौपचारिक श्रमिकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यदि वैश्विक माँग कमज़ोर होती है, तो विशेष रूप से निर्यात-संबंधित उद्योगों में छंटनी तेज़ हो सकती है।
- **आय असमानता और असमान सुधार:** अधिकांश लाभ मध्यम/उच्च आय वर्ग को मिल सकते हैं, और ग्रामीण या वंचित वर्ग पिछड़ सकते हैं। सकारात्मक मुख्य आँकड़े अनुभव में असमानता को छिपा सकते हैं।
- **आशावाद पर निर्भरता:** उपभोक्ता विश्वास कमज़ोर होता है - एक नकारात्मक झटका (जैसे, वैश्विक मंदी, मुद्रास्फीति का अचानक आना) भावनाओं को तेज़ी से उलट सकता है।
- **मुद्रा/आयात दबाव:** टैरिफ और वैश्विक मुद्रास्फीति के कारण आयात कीमतें खराब हो सकती हैं या रुपये पर मूल्यह्रास का दबाव हो सकता है, जिससे लाभ कम हो सकता है।

आगे की राह

गति बनाए रखने के लिए, नीति निर्माताओं को ग्रामीण माँग को बढ़ावा देने, रोज़गार सृजन (विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में) को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति के दबावों से बचाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से अर्थव्यवस्था को वैश्विक उथल-पुथल से और अधिक सुरक्षित रखा जा सकता है।

निष्कर्ष

अमेरिकी टैरिफ वृद्धि जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय उपभोक्ता कम मुद्रास्फीति, बढ़ती वास्तविक आय और बेहतर होते रोज़गार बाज़ारों से उत्साहित होकर, लचीले बने हुए हैं। मज़बूत घरेलू बुनियादी ढाँचे बाहरी झटकों के असर को कम कर रहे हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: वैश्विक टैरिफ उथल-पुथल के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं की उत्साहपूर्ण भावना का मुख्य कारण क्या है?

(a) बढ़ती बेरोजगारी दर
(b) कम मुद्रास्फीति और बढ़ती वास्तविक आय
(c) भारी घरेलू ऋण बोझ
(d) घरेलू मांग में गिरावट

उत्तर: (b)

जीडीपी वृद्धि दर 7.8% पर पहुंची

चर्चा में क्यों: अप्रैल-जून 2025 तिमाही के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.8% हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 6.5% थी।

मुख्य बातें

- यह पाँच तिमाहियों में सबसे तेज़ तिमाही वृद्धि है, और यह कई अनुमानों से भी आगे निकल गई है (RBI ने पहली तिमाही के लिए लगभग 6.5% का अनुमान लगाया था)।
- मज़बूत क्षेत्रों में सेवाएँ (9.3%), विनिर्माण (7.7%), और निर्माण (7.6%) शामिल थे।
- कृषि में 3.7% की वृद्धि हुई।
- निजी उपभोग में 7% की वृद्धि हुई; सकल स्थिर पूँजी निर्माण (निवेश) में 7.8% की वृद्धि हुई।
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8.8% रही (कम मुद्रास्फीति/अपस्फीति के कारण)।
- दूसरी ओर, खनन और उत्खनन में लगभग 3.1% की गिरावट आई, और उपयोगिता सेवाओं में मामूली वृद्धि (0.5%) देखी गई।

सकारात्मक

- **गति:** यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था ने वर्ष की शुरुआत मज़बूती से की, जिसमें उपभोग और निवेश दोनों का योगदान रहा।
- **आत्मविश्वास बढ़ाने वाला:** उम्मीदों से बेहतर, जिसका व्यावसायिक धारणा, बाज़ार और निवेशकों के विश्वास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **नीतिगत गुंजाइश:** मज़बूत विकास के साथ, सरकार के पास बुनियादी ढाँचे और अन्य विकास-सहायक उपायों को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा गुंजाइश हो सकती है।

जोखिम और योग्यताएं

- **स्थायित्व:** एक मज़बूत तिमाही इस बात की गारंटी नहीं देती कि पूरे साल यही गति बनी रहेगी। धीमी निर्यात माँग या बाहरी झटके विकास को धीमा कर सकते हैं।
- **टैरिफ़ दबाव:** अमेरिका ने रूस से तेल खरीद से जुड़े कुछ भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ़ लगाया है, जिससे निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है।
- **अनुकूल परिस्थितियों का उलटना:** अगर सरकारी खर्च, जो अक्सर एक मज़बूत तिमाही में मददगार होता है, धीमा पड़ता है या वैश्विक माँग कमज़ोर होती है, तो विकास धीमा पड़ सकता है।
- **मौद्रिक नीति की बाधाएँ:** इतने मज़बूत आँकड़े निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश कम कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के दबावों को लेकर चिंतित होगा। कुछ अर्थशास्त्री पहले ही संकेत दे रहे हैं कि 7.8% का आँकड़ा आगामी नीति समीक्षा में दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर सकता है।

वित्त वर्ष 26 के लिए संशोधित पूर्वानुमान और अनुमान

स्रोत/संस्था	संशोधित विकास अनुमान वित्त वर्ष 26	मुख्य नोट्स
भारतीय रिजर्व बैंक	6.8%	भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है।
फिच	6.9%	मजबूत घरेलू मांग को इसका कारण बताया गया है, हालांकि दूसरी छमाही में इसमें नरमी की चेतावनी दी गई है।
आईबीईएफ/सरकार	6.3% - 6.8%	अपने आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने 6.3-6.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया था।
इंड-रा (इंडिया रेटिंग्स)	6.3%	हाल ही में निर्यात और निवेश संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों का हवाला देते हुए पूर्व के अनुमानों को संशोधित कर नीचे कर दिया गया है।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स	6.3%	अमेरिकी टैरिफ नीति की अनिश्चितता का हवाला देते हुए अपने पूर्वानुमान में कटौती की।
यूबीएस	6.0% (पूर्व में कटौती) – 6.4% (अपग्रेड)	प्रारंभ में वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण रेटिंग में कमी की गई, बाद में मजबूत घरेलू मांग के कारण इसे संशोधित कर ऊपर की ओर कर दिया गया।
नोमुरा	6.2%	निवेश और निर्यात में कुछ कमजोर संकेतों का हवाला देते हुए, यह पूर्वानुमान अधिक रूढ़िवादी है।



पर्यावरण एवं भूगोल

यूएनएफसीसीसी (COP-30): ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस में वार्ता से कार्यान्वयन तक

चर्चा में क्यों: हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत 30वां पक्षकारों का सम्मेलन (सीओपी-30) नवंबर 2025 में अमेज़न वर्षावन के किनारे स्थित ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में नई वैश्विक वार्ताओं पर कम और पिछले जलवायु समझौतों, विशेष रूप से पेरिस समझौते (2015) के तहत की गई मौजूदा प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।

मुख्य विवरण

- **आयोजन:** सीओपी-30 (UNFCCC के पक्षकारों का तीसवाँ सम्मेलन)
- **मेजबान देश:** ब्राज़ील
- **स्थल:** बेलेम, अमेज़न क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शहर।
- **मनोनीत अध्यक्ष:** आंद्रे कोरेआ डो लागो, एक ब्राज़ीलियाई राजनयिक और पर्यावरण नेता
- **मुख्य उद्देश्य:** नए वार्ता प्रारूप तैयार करने के बजाय सहमत जलवायु समाधानों के कार्यान्वयन पर ज़ोर देना
- **पृष्ठभूमि:** पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने और चल रहे वैश्विक व्यापार एवं राजनीतिक अनिश्चितताओं ने बहुपक्षीय जलवायु कार्रवाई की मज़बूती को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- **पिछला मील का पत्थर:** सीओपी-29 (बाकू, 2024) ने 2030 तक सालाना 300 अरब डॉलर का एक नया वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य निर्धारित किया, जो 2025 तक पहले के 100 अरब डॉलर के लक्ष्य की जगह लेगा।

पृष्ठभूमि: ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस की यात्रा

- 1992 में अपनाया गया यूएनएफसीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार प्रदान करता है।
- वर्षों से, विभिन्न सीओपी का उद्देश्य उत्सर्जन में कमी के लिए प्रतिबद्धताओं को परिभाषित और परिष्कृत करना रहा है।
- सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि **पेरिस (2015)** में आयोजित सीओपी-21 में मिली, जहाँ पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- इसने सभी देशों—विकसित और विकासशील दोनों—को वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 2°C से काफ़ी नीचे, और संभवतः 1.5°C तक सीमित रखने के लिए कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया।
- यद्यपि, **यूएनईपी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट (2024)** जैसे वैज्ञानिक आंकलन से संकेत मिलता है कि वर्तमान राष्ट्रीय प्रतिज्ञाएं (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान - एनडीसी) अभी भी 2100 तक **2.6 डिग्री सेल्सियस** की वृद्धि का कारण बनेंगी, जो प्रतिबद्धताओं और परिणामों के बीच एक महत्वपूर्ण **कार्यान्वयन अंतर** को दर्शाती है।

सीओपी-30 का मुख्य फोकस: टेक्स्ट से लेकर ठोस कार्रवाई तक

- 30वां पक्षकारों का सम्मेलन (सीओपी-30) की ब्राज़ीलियाई अध्यक्षता ने एक नई दिशा प्रस्तावित की है: **बातचीत की प्रक्रिया को कार्यान्वयन की प्रक्रिया** से अलग करना।
- नए समझौते बनाने के बजाय मौजूदा समझौतों को अमल में लाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

फोकस के प्रमुख क्षेत्र

1. **नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण में तेज़ी:** देशों को तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और ज्ञान-साझाकरण तंत्र के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) सौर ऊर्जा में वैश्विक सहयोग के लिए एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है।
2. **वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण:** मेज़बान देश के रूप में, ब्राज़ील वैश्विक कार्बन अवशोषण और जैव विविधता संरक्षण में **अमेज़न वर्षावन** की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने की योजना बना रहा है।
3. **संवर्धित वन प्रबंधन,** पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली और वनों की कटाई की रोकथाम प्रमुख विषय होंगे।
4. **जलवायु-अनुकूल कृषि:** सीओपी-30 टिकाऊ कृषि पद्धतियों, मृदा संरक्षण और सूखा-अनुकूल फसल किस्मों को बढ़ावा देगा, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।
5. **जलवायु वित्त जुटाना:** सीओपी-29 में प्रगति के बावजूद, 2030 तक 300 अरब डॉलर का वर्तमान लक्ष्य, पेरिस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुमानित वार्षिक **1.3 ट्रिलियन डॉलर** की आवश्यकता से काफी कम है। शिखर सम्मेलन विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त तक पूर्वानुमानित, पारदर्शी और न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा।
6. **अनुकूलन और स्थानीय कार्रवाई:** जलवायु कार्रवाई में राज्यों, शहरों और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करके स्थानीय स्तर पर अनुकूलन उपायों के लिए अधिक जोर दिया जाएगा।

सीओपी-30 में भारत और ब्राजील की भूमिका

- **भारत और ब्राजील** दोनों ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं और **ग्लोबल साउथ** के साथ-साथ **बेसिक समूह** (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) के सदस्यों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
- उनके **समन्वित प्रयास समता-आधारित और विकास-अनुकूल जलवायु कार्रवाई** की दिशा में संवाद को आकार दे सकते हैं।
- **प्रमुख योगदान:**
  - ✓ साझा लेकिन **विभेदित ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी)** के सिद्धांत की वकालत करना, जो उत्सर्जन में ऐतिहासिक अंतरों को मान्यता देता है।
  - ✓ प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान, अनुसंधान सहयोग और संयुक्त अनुकूलन परियोजनाओं के लिए **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** को बढ़ावा देना।
  - ✓ भारत के सौर और पवन ऊर्जा विस्तार और ब्राज़ील के **जैव ईंधन** कार्यक्रम जैसे नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के सफल मॉडलों का प्रदर्शन करना।
  - ✓ यह सुनिश्चित करना कि विकासशील देशों की विकासात्मक आकांक्षाएँ कड़े उत्सर्जन लक्ष्यों के कारण प्रभावित न हों।

गैर-सरकारी और उप-राष्ट्रीय अभिनेताओं की भागीदारी

- अंतर-सरकारी वार्ताओं की सीमाओं को समझते हुए, COP-30 प्रेसीडेंसी ने **गैर-सरकारी संस्थाओं** - जैसे स्थानीय सरकारें, निजी उद्योग, थिंक टैंक और नागरिक समूहों - को शामिल करने के महत्व पर ज़ोर दिया है।
- ऐसा विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण निम्नलिखित में मदद कर सकता है:
  - ✓ क्षेत्र-विशिष्ट जलवायु समाधानों की पहचान करना,
  - ✓ स्टार्ट-अप और स्वच्छ प्रौद्योगिकी फर्मों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना, और
  - ✓ कार्यान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता को मज़बूत करना।
- उदाहरणों में शहरी नवीकरणीय ऊर्जा मिशन, नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम और नेट-शून्य संचालन के लिए कॉर्पोरेट प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. **अपर्याप्त जलवायु वित्त:** बढ़ी हुई प्रतिबद्धताओं के बावजूद, विकसित देश यूएनएफसीसीसी के तहत अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में लगातार विफल रहे हैं, जिससे अविश्वास और धीमी प्रगति हुई है।
2. **राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता:** पेरिस समझौते से अमेरिका के पीछे हटने और वैश्विक टैरिफ विवादों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को खतरा है।

3. **कार्यान्वयन में खामियाँ:** कई देशों में अपनी जलवायु योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए संस्थागत तंत्र, डेटा सिस्टम और कुशल क्षमता का अभाव है।
4. **तकनीकी विभाजन:** स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तक सीमित पहुँच और बौद्धिक संपदा प्रतिबंध विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए लगातार नुकसानदेह बने हुए हैं।
5. **समता और न्याय संबंधी चिंताएँ:** अनुकूलन का बोझ अक्सर उन गरीब देशों पर असमान रूप से पड़ता है जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में सबसे कम योगदान दिया है।

भारत का दृष्टिकोण और अपेक्षाएँ

- 2070 तक **नेट जीरो** हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध भारत ने पेरिस समझौते के तहत **अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)** प्रस्तुत किया है।
- **इसके प्रमुख लक्ष्यों में शामिल हैं:**
  - ✓ **2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% विद्युत ऊर्जा क्षमता** प्राप्त करना।
  - ✓ 2030 तक **सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन** तीव्रता को 2005 के स्तर से **45%** तक कम करना।
  - ✓ **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन** और **राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन** के माध्यम से कार्बन सिंक का विस्तार करना।
- **सीओपी-30** में भारत द्वारा **जलवायु न्याय, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्त** तक समान पहुंच तथा पर्यावरणीय जिम्मेदारी को विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने पर जोर दिए जाने की उम्मीद है।

निष्कर्ष: वादों को प्रगति में बदलना

30वां पक्षकारों का सम्मेलन (सीओपी-30) वैश्विक जलवायु यात्रा में एक निर्णायक क्षण का प्रतीक है, जो प्रतिबद्धताओं को मापनीय परिणामों में बदलने का अवसर प्रदान करता है। **कार्यान्वयन, सहयोग और समावेशिता** पर ज़ोर देकर, यह जलवायु शासन को अधिक **व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी** बनाने का प्रयास करता है। भारत और ब्राज़ील जैसे देशों का नेतृत्व एक संतुलित ढाँचे को प्रेरित कर सकता है जो पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक समता दोनों को बनाए रखना। अंततः सीओपी-30 की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या राष्ट्र शब्दों से आगे बढ़कर **सामूहिक, सतत और विज्ञान-आधारित जलवायु** कार्रवाई की ओर बढ़ सकते हैं, जो भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य ग्रह सुनिश्चित करना।

एकल-धारा बनाम बहु-धारा प्रवाह वाली नदियाँ

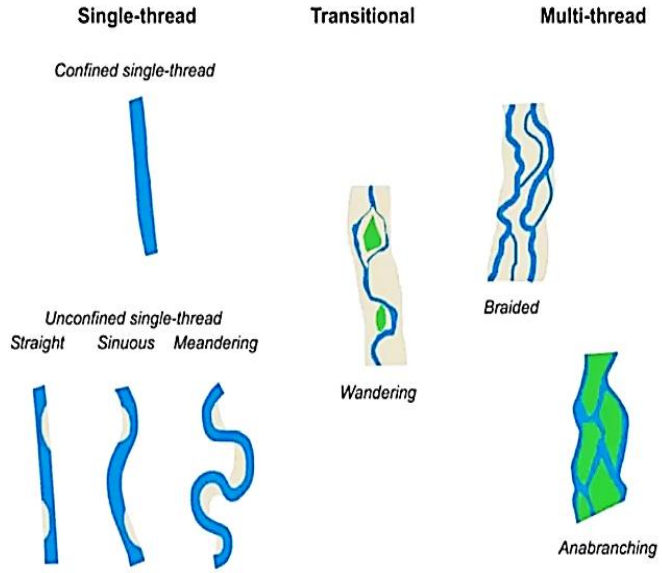
चर्चा में क्यों: हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा (UCSB) के भूगोलवेत्ताओं ने उस भौतिक तंत्र की खोज की है जिसके कारण कुछ नदियाँ एकल एकल-धारा (**Single-thread rivers**) के रूप में बहती हैं, जबकि अन्य कई उप-धाराओं में विभाजित हो जाती हैं।

अनुसंधान क्रियाविधि

- उन्होंने उपग्रह चित्रों और कण चित्र वेलोसिमेट्री नामक एक नवीन प्रसंस्करण तकनीक का उपयोग करके 36 वर्षों (1985-2021) में 84 नदियों की गतिशीलता का विश्लेषण किया।
- विभिन्न जलवायु, ढलानों और जल प्रवाह के आधार पर 4 लाख से अधिक मापों की तुलना की गई।
- **भारतीय नदियाँ:** गंगा (पटना, फरक्का, पाक्से) और ब्रह्मपुत्र (बहादुराबाद, पांडु, पासीघाट, ऊपरी हिमालय) पर भी विचार किया गया।
- इस ज्ञान के दुनिया भर में बाढ़ प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और नदी पुनर्बहाली के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- **एकल-धाराप्रवाह वाली नदियाँ:**
  - ✓ इनकी विशेषता यह है कि इनमें तट अपरदन और पट्टी अभिवृद्धि (Bank Erosion & Bar Accretion) के बीच संतुलन होता है।
  - ✓ एक तट से अपरदित सामग्री को विपरीत तट पर जमा करके संतुलित किया जाता है, जिससे चौड़ाई स्थिर बनी रहती है।
- **बहु-धाराप्रवाह वाली नदियाँ:**
  - ✓ वे निक्षेपण की तुलना में अधिक अपरदन प्रदर्शित करते हैं।
  - ✓ जलमार्गों के निरंतर चौड़ीकरण और विभाजन के परिणामस्वरूप लट प्रणालियाँ बनती हैं, जहाँ अस्थिरता हावी रहती है और गतिशील जलमार्ग विस्थापन होता है।
- दूसरे शब्दों में, कटाव नदियों को विभाजित कर देता है, जिससे बहु-धाराप्रवाह वाली नदियाँ बनती हैं।



अपरदन/क्षरण

- यह वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी, चट्टानें या भूमि की सतह पानी, हवा या बर्फ जैसी प्राकृतिक शक्तियों के कारण नष्ट हो जाती है।
- **नदियों में** कटाव/अपरदन तब होता है जब बहता पानी नदी के किनारों या तल को घिस देता है। तेज़ बहाव वाला पानी मिट्टी और चट्टानों को अपने साथ बहाकर नीचे की ओर ले जा सकता है। समय के साथ, कटाव नदी के आकार को बदल सकता है, उसे चौड़ा, गहरा बना सकता है, या उसका मार्ग बदल सकता है।

पौधों की भूमिका

अन्य वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि नदी के किनारों पर स्थित पौधे नदी के मोड़ को किस प्रकार प्रभावित करते हैं:

- वनस्पतियुक्त नदी तट नदियों को अलग तरह से मोड़ते हैं और प्राकृतिक तटबंध (उभरे हुए किनारे) बनाते हैं, जिससे नदी का घुमाव और गति सीमित हो जाती है।
- यह समय के साथ नदी के मोड़ों के स्थानांतरण को प्रभावित करता है।

भारतीय नदियों के बारे में

- ब्रह्मपुत्र एक पारंपरिक रूप से तलछट के जमाव से विभाजित उथली नदी है, जिसमें कई उप-धाराएँ हैं जो अपने किनारों को तेज़ी से काटती हैं और विभाजित होती रहती हैं।
- ब्रह्मपुत्र जैसी बहु-धाराप्रवाह वाली नदियाँ अस्थिर और निरंतर बदलती रहती हैं।

मानवीय हस्तक्षेप

- बाँध निर्माण, तटबंध निर्माण, तलछट खनन और भूमि समाशोधन जैसी मानवीय गतिविधियों ने प्राकृतिक नदी प्रवाह को बदल दिया है, जिससे अक्सर नदियों को एकल धाराओं में परिवर्तित होना पड़ता है।
- इससे उनकी प्राकृतिक गतिशीलता बाधित होती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।

प्रकृति आधारित समाधान

विशेषज्ञों का सुझाव है कि नदी को प्राकृतिक रूप से बहने देना, कृत्रिम तटबंधों को हटाना, बाढ़ के मैदानों को बहाल करना, तथा नदी के किनारों पर वनस्पति लगाना बाढ़ का बेहतर प्रबंधन करने तथा जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।

बाढ़ के जोखिम और पुनर्बहाली पर प्रभाव

- यह अध्ययन नदी प्रवाह मापन तकनीकों को नियमित रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से बहु-धागा नदियों में, क्योंकि समय के साथ उनके चैनलों का आकार बदलता रहता है।
- नदियों की अंतर्निहित अस्थिरता को समझते हुए उनका प्रबंधन करके, बाढ़ की भविष्यवाणी और शमन को बेहतर बनाया जा सकता है।
- प्राकृतिक नदी पैटर्न की बहाली जैव विविधता को बढ़ावा देती है और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को कम करती है।
- यह समझ भारत जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहाँ महत्वपूर्ण नदियाँ काफी मानवीय दबाव के अधीन हैं।

कुछ नदियाँ एकल-धाराप्रवाह वाली क्यों रहती हैं?

एकल-धाराप्रवाह वाली नदियाँ (सिंगल-थ्रेड रिवर) एक ही, निरंतर चैनल बनाए रखती हैं। उनका निर्माण और स्थिरता कई कारकों से प्रभावित होती है:

- ✓ **तलछट भार:** एकसमान तलछट भार वाली नदियों में ऐसी सामग्री जमा होने की संभावना कम होती है जो प्रवाह को कई धाराओं में विभाजित कर दे।
- ✓ **प्रवाह वेग:** उच्च प्रवाह वेग तलछट जमाव को रोक सकते हैं, जिससे एक ही धारा बनी रहती है।
- ✓ **ढलान और प्रवणता:** अधिक तीव्र ढाल अधिक अपरदन शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे नदी एक ही मार्ग तक सीमित रह जाती है।
- ✓ **वनस्पति:** तटवर्ती वनस्पति नदी के किनारों को स्थिर कर सकती है, जिससे धारा विभाजन की संभावना कम हो जाती है।
- ✓ **मानवीय हस्तक्षेप:** बाँध और तटबंध प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बदल सकते हैं, जिससे एकल-धागा धाराएँ बन सकती हैं।

कुछ नदियाँ एकल-धाराप्रवाह वाली क्यों हो जाती हैं?

तलछट के जमाव से विभाजित उथली नदियाँ (Braided rivers) कई परस्पर जुड़ी हुई जलधाराओं से बनी होती हैं जो द्वीपों या अवरोधों द्वारा अलग होती हैं। इनका निर्माण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है:

- ✓ **उच्च तलछट भार:** अत्यधिक तलछट नदी की उसे ले जाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे निक्षेपण और जलधाराएँ विभाजित हो सकती हैं।
- ✓ **परिवर्तनशील निस्सरण:** जल प्रवाह में उतार-चढ़ाव के कारण जलधाराएँ बन और गायब हो सकती हैं, जिससे एक गुंथी हुई/ तलछट के जमाव से विभाजित उथली आकृति बनती है।
- ✓ **उथला ढाल:** हल्की ढलानें नदी की तलछट ले जाने की क्षमता को कम कर देती हैं, जिससे निक्षेपण और जलधाराएँ विभाजित हो जाती हैं।
- ✓ **हिमनद प्रभाव:** हिमनदों का पिघला हुआ जल अक्सर बड़ी मात्रा में तलछट ले जाता है, जिससे गुंथी हुई नदी प्रणालियाँ बनती हैं।
- ✓ **विवर्तनिक गतिविधि:** भूकंप और अन्य विवर्तनिक घटनाएँ नदी के मार्ग को तेज़ी से बदल सकती हैं, जिससे बहु-धाराप्रवाह वाली प्रणालियाँ बनती हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन से पता चलता है कि अपरदन और निक्षेपण के बीच असंतुलन यह तय करता है कि नदियाँ एकल-धाराप्रवाह रहेंगी या बहु-धाराप्रवाह । यह अंतर्दृष्टि नदी प्रबंधन, बाढ़ पूर्वानुमान और पुनर्बहाली प्रयासों को बेहतर बनाती है। प्राकृतिक नदी गतिशीलता को समझना पारिस्थितिक तंत्रों और समुदायों में लचीलापन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो मानवीय गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्पष्टीकरण देता है कि कुछ नदियाँ एकल-धाराप्रवाह वाली रहने के बजाय बहु-धाराप्रवाह वाली क्यों हो जाती हैं?

(a) दोनों किनारों पर अपरदन और निक्षेपण की समान दरें
(b) नदी के किनारों पर घनी वनस्पति की उपस्थिति
(c) विपरीत किनारों पर निक्षेपण की तुलना में अधिक अपरदन
(d) समय के साथ नदी की चौड़ाई और गहराई का स्थिर होना

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: एकल-धाराप्रवाह और बहु-धाराप्रवाह नदी प्रणालियों के बीच प्रमुख अंतरों की व्याख्या कीजिए। बाढ़ प्रबंधन और नदी पुनर्बहाली प्रयासों, विशेष रूप से भारत जैसे उच्च मानवीय हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों में, के लिए इन अंतरों के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

उच्च समुद्री संधि

चर्चा में क्यों: हाल ही में, महासागर प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तब प्राप्त हुई जब मोरक्को उच्च समुद्री संधि (हाई सी ट्रिटी) की पुष्टि करने वाला **60**वां देश बन गया, जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर समझौता (बीबीएनजे) या संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर जैव विविधता संधि कहा जाता है।

मुख्य विवरण

- यह संधि अगले साल से लागू होने वाली है।
- यह संधि ग्रह की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक, उन समुद्री क्षेत्रों की रक्षा से संबंधित है जो किसी भी एक देश के नियंत्रण से बाहर हैं।
- यह संधि पहली बार चिह्नित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचे द्वारा शासित होंगे।
- ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र दुनिया के महासागरों के 2/3 भाग और पृथ्वी की सतह के आधे हिस्से को कवर करते हैं, जिससे यह समझौता समुद्री संरक्षण के लिए एक विकास बन जाता है।

संधि की मुख्य विशेषताएं

- **समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) का निर्माण**
  - ✓ अब देश अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं।
  - ✓ इसका उद्देश्य जैव विविधता और लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों का संरक्षण करना है।
  - ✓ यह "30x30" लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है - 2030 तक 30% महासागरों का संरक्षण।
- **अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए)**
  - ✓ अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में किसी भी नियोजित गतिविधि (जैसे गहरे समुद्र में खनन या औद्योगिक मछली पकड़ना) के लिए पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) अनिवार्य है।
  - ✓ यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएँ शुरू होने से पहले संभावित पर्यावरणीय नुकसान का आंकलन किया जाए।
- **समुद्री आनुवंशिक संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा**
  - ✓ मूल्यवान समुद्री संसाधनों (जैसे, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त जीव) तक उचित पहुँच और लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करता है।
  - ✓ यह उन विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनकी अक्सर ऐसे संसाधनों या प्रौद्योगिकियों तक पहुँच नहीं होती।
- **वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग**
  - ✓ ज्ञान साझाकरण, क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी तक पहुँच को बढ़ावा देता है।
  - ✓ इसका उद्देश्य विकासशील देशों को समुद्री विज्ञान और संरक्षण में भाग लेने और इससे लाभान्वित होने में मदद करना है।

अंतर्राष्ट्रीय जल

- ➢ अंतर्राष्ट्रीय जल, जिसे उच्च सागर भी कहा जाता है, महासागर के वे क्षेत्र हैं जो किसी एक देश के अधीन नहीं होते। ये जल क्षेत्र राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित होते हैं, आमतौर पर किसी देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील (लगभग 370 किमी) की दूरी से शुरू होते हैं।
- ➢ ये महासागरीय विस्तार महासागर की सतह का 64% और उसके आयतन का 95% प्रतिनिधित्व करते हैं।

- **उच्च समुद्रों के शासन के लिए कानूनी ढांचा**
  - ✓ राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
  - ✓ अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक बड़ी कमी को पूरा करता है (पहले, इन जल क्षेत्रों में नियम कमज़ोर या खंडित थे)।
- **उन्नत वैश्विक सहयोग**
  - ✓ अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण और जलवायु प्रभावों जैसे मुद्दों पर बहुपक्षीय समन्वय को प्रोत्साहित करता है।
  - ✓ महासागरों के स्वास्थ्य और शांति के लिए आवश्यक उच्च सागरों के सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देता है।

संधि का महत्व

- **वैश्विक सहयोग को मजबूत करता है:**
  - ✓ महासागरीय प्रशासन पर राष्ट्रों को मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  - ✓ महासागरीय संसाधनों पर संघर्षों को रोकने में मदद करता है, विशेष रूप से विवादित या अतिव्यापी क्षेत्रों में।
  - ✓ विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए वैज्ञानिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है।
- **जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद:**
  - ✓ स्वस्थ महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करते हैं।
  - ✓ समुद्री जीवन और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने से महासागरों की जलवायु परिवर्तन, जैसे तापमान वृद्धि, अम्लीकरण और बढ़ते समुद्री स्तर के प्रति लचीलापन बढ़ता है।
- **एक कानूनी ढांचा तैयार करता है:**
  - ✓ पहली बार, अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्री संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है।
  - ✓ यह समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (जैसे गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों से प्राप्त नई दवाइयाँ) से प्राप्त लाभों के उचित बँटवारे को सक्षम बनाता है।
  - ✓ यह गहरे समुद्र में खनन या औद्योगिक मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन के लिए दिशानिर्देश स्थापित करता है।

संधि के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- **कठिन प्रवर्तन:** विशाल महासागरीय क्षेत्रों की निगरानी करना कठिन है; कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है।
- **संसाधनों की कमी:** विकासशील देशों के पास धन, तकनीक और क्षमता की कमी हो सकती है।
- **वैश्विक समन्वय की आवश्यकता:** कई देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।
- **कानूनी अतिव्यापन:** संधि को मौजूदा महासागरीय कानूनों और निकायों के अनुरूप होना चाहिए।
- **राजनीतिक प्रतिरोध:** कुछ देश संरक्षण के बजाय आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं।
- **निगरानी और पारदर्शिता:** अवैध मछली पकड़ने जैसे उल्लंघनों पर नज़र रखना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है।
- **धीमी अनुसमर्थन:** कई देशों को अभी भी संधि का अनुसमर्थन और कार्यान्वयन करना है।

समुद्र और महासागरों से संबंधित अन्य अभिसमय

अभिसमय (कन्वेंशन)	फोकस क्षेत्र
यूएनसीएलओएस - समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1982)	महासागर शासन, समुद्री क्षेत्र, संसाधन
मार्पोल - जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1973/78)	जहाजों से समुद्री प्रदूषण
लंदन कन्वेंशन (1972) और लंदन प्रोटोकॉल (1996)	समुद्र में कचरे का डंपिंग
जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी, 1992)	समुद्री जैव विविधता
रामसर कन्वेंशन (1971)	आर्द्रभूमि (तटीय सहित) संरक्षण
जिम्मेदार मत्स्य पालन के लिए एफएओ आचार संहिता (1995)	टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाएँ
इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सैल्वेज (1989)	समुद्री बचाव और पर्यावरण संरक्षण
उच्च समुद्री संधि (2023)	अंतर्राष्ट्रीय जल में जैव विविधता

आगे की राह

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, देशों को समय पर अनुसमर्थन सुनिश्चित करना होगा, उपग्रह और निगरानी तकनीक में निवेश करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना होगा। विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण, पारदर्शी डेटा साझाकरण और मौजूदा समुद्री कानूनों के साथ तालमेल, जैव विविधता की रक्षा और उच्च समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

उच्च समुद्री संधि (हाई सी ट्रिटी) वैश्विक महासागरीय शासन में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सीमाओं से परे समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है। चुनौतियाँ तो बनी हुई हैं, लेकिन इसकी सफलता सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक सहयोग और हमारी साझा महासागरीय विरासत के स्वास्थ्य और स्थायित्व को सुनिश्चित करने हेतु समान भागीदारी पर निर्भर करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: हाल ही में अपनाई गई उच्च सागर संधि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
2. यह अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) के निर्माण की अनुमति देता है।
3. यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
4. इसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह वर्तमान में लागू है।

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में कौन से सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

वन अधिकारों के लिए 'सनसेट क्लॉज'

चर्चा में क्यों: भारत में वन अधिकार अधिनियम की प्रगति पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि एक "सनसेट क्लॉज" के लिए आम सहमति बनाने की आवश्यकता हो सकती है।

मुख्य विवरण

- यूएनडीपी ने **"अधिकारों की सुरक्षा, भविष्य को सक्षम बनाना - एफआरए और भविष्य के मार्गों से नीतिगत सबक"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
- यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पिछले 20 वर्षों में **वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006** के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।
- रिपोर्ट में **व्यक्तिगत वन अधिकारों (आई.एफ.आर.)** और **सामुदायिक वन अधिकारों (सी.एफ.आर.)** को मान्यता देने और उन्हें प्रदान करने में आने वाली प्रमुख बाधाओं पर ध्यान दिया गया है।

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य वनवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया था, जो पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं और उन पर निर्भर हैं।
- यह कानून निम्न अधिकार देता है:
  - ✓ वन भूमि पर अधिकार
  - ✓ वन उपज एकत्र करने और बेचने का अधिकार
  - ✓ वन की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार

एफआरए की वर्तमान स्थिति

- वन अधिकार अधिनियम के तहत 2.32 करोड़ एकड़ वन भूमि दी गई।
- केवल 1.88 करोड़ एकड़ सामुदायिक अधिकार हैं।
- लेकिन संभावित भूमि लगभग 9.88 करोड़ एकड़ है - यानी केवल लगभग 18% संभावित अधिकारों को ही मान्यता दी गई है।

मुख्य समस्याएं

- **अपर्याप्त कार्यान्वयन:**
  - ✓ कई पात्र समुदायों को अधिकार नहीं मिले हैं।
  - ✓ कुछ व्यक्तिगत उपाधियाँ गलत तरीके से दी गईं।
- **खराब रिकॉर्ड-रखरखाव:**
  - ✓ सरकारी अभिलेखों से उपाधियाँ 'गायब' हो गई हैं (जैसे, छत्तीसगढ़)
  - ✓ केंद्रीकृत डेटा प्रणाली का अभाव
- **विभागीय संघर्ष:**
  - ✓ आदिवासी कल्याण विभाग और वन विभाग अक्सर असहमत होते हैं।
  - ✓ सामुदायिक वन प्रबंधन योजनाओं को कैसे और कब स्वीकार किया जाना चाहिए, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।

सनसेट क्लॉज़

- सनसेट क्लॉज़ एक समय-सीमा है जिसके बाद वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी नए वन अधिकार दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- इस तिथि के बाद, अधिकारों की मान्यता और निहितीकरण (Recognition & vesting of rights) की प्रक्रिया प्रभावी रूप से बंद हो जाएगी।

यूएनडीपी की स्थिति

- यूएनडीपी सनसेट क्लॉज़ को तत्काल लागू करने की अनुशंसा नहीं करता है।
- इसके बजाय, यह "एक सनसेट क्लॉज़ लागू करने पर हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने" का आह्वान करता है।
- **सुझाव के पीछे तर्क**
  - ✓ वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के समय पर कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना।
  - ✓ दावों के निपटान में अनिश्चितकालीन देरी को रोकना।
  - ✓ प्रशासनिक जवाबदेही और नियोजन में सुधार करना।
  - ✓ लंबित मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए राज्य तंत्र पर दबाव डालना।

सनसेट क्लॉज़ से संबंधित चिंताएँ

- जागरूकता की कमी, खराब दस्तावेज़ीकरण और राज्य-स्तरीय निष्क्रियता के कारण पहले आवेदन करने में असमर्थ रहे वास्तविक दावेदारों को इससे बाहर रखा जा सकता है।
- इससे एफआरए की मूल भावना का उल्लंघन होने का जोखिम है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना है।
- यदि इसे आम सहमति और सुरक्षा उपायों के बिना लागू किया जाता है, तो मनमाने ढंग से बहिष्करण हो सकता है।

लैंगिक समानता की आवश्यकता

- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वन अधिकारों के मामले में महिलाएँ अक्सर पीछे छूट जाती हैं।
- **सुझाव:**
  - ✓ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग आँकड़े एकत्र करना।
  - ✓ योजना और कार्यान्वयन में महिला नेताओं को शामिल करना।
  - ✓ वन अधिकारों को महिला-केंद्रित आजीविका योजनाओं से जोड़ना।

जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान पर ध्यान न देना

- **एफआरए की धारा 3(1)(k)** समुदायों को निम्नलिखित से संबंधित अधिकारों का दावा करने की अनुमति देती है:
  - ✓ जैव विविधता
  - ✓ पारंपरिक ज्ञान
  - ✓ बौद्धिक संपदा (आईपी)
- **हालांकि रिपोर्ट के अनुसार:**
  - ✓ इन अधिकारों का दावा किया जा रहा है या नहीं, इस बारे में कोई डेटा मौजूद नहीं है।
  - ✓ पारंपरिक ज्ञान से पैसा कमाने की संभावना है, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं किया गया है।

यूएनडीपी की मुख्य अनुशंसाएँ:

- ❖ अंतर-विभागीय समन्वय को मज़बूत करना
- ❖ आजीविका और विकास के लिए मान्यता-पश्चात सहायता सुनिश्चित करना
- ❖ वन अधिकारों की मान्यता में लैंगिक समावेशिता में सुधार करना
- ❖ सटीक और पारदर्शी रिकॉर्ड रखना।
- ❖ सुचारू कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण करना
- ❖ निर्णय लेने में ग्राम सभाओं को शामिल करना।
- ❖ सभी आजीविका और सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत वन अधिकार धारकों को मान्यता देना।
- ❖ अगले 5 वर्षों के लिए एक राष्ट्रीय जनजातीय नीति बनाना।
- ❖ जनजातीय और वन प्रशासन कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) का उपयोग करना।

आगे की राह

- कार्यान्वयन में विश्वास और पारदर्शिता का निर्माण करना।
- आदिवासी समुदायों को क्षमता निर्माण और कानूनी जागरूकता प्रदान करना।
- समुदाय-नेतृत्व वाले वन प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।
- केवल त्वरित योजनाओं पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना।

निष्कर्ष

सनसेट क्लॉज़ कार्यकुशलता बढ़ाने का एक साधन है, अधिकारों में कटौती का नहीं। हालाँकि यूएनडीपी इस बात पर ज़ोर देता है कि ऐसे किसी भी क्लॉज़ से पहले क्षमता निर्माण, क़ानूनी सुरक्षा उपाय और वनवासी समुदायों के साथ समावेशी संवाद होना चाहिए। यूएनडीपी रिपोर्ट वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार के लिए एक संतुलित और व्यावहारिक रोडमैप प्रस्तुत करती है। हालाँकि एक "सनसेट क्लॉज़" प्रक्रियाओं को गति दे सकता है, लेकिन इससे वास्तविक दावेदारों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। असली सफलता समावेशी शासन, मज़बूत संस्थाओं और वन समुदायों, विशेषकर महिलाओं को अपनी ज़मीन और संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सशक्त बनाने में निहित है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 पर यूएनडीपी की रिपोर्ट में सुझाए गए "सनसेट क्लॉज़" का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(a) पूर्व में दिए गए सभी वन अधिकारों को रद्द करना।
(b) वन अधिकारों की मान्यता और निहितीकरण के लिए एक समय सीमा तय करना।
(c) केवल आदिवासी पुरुषों को ही वन अधिकारों का दावा करने की अनुमति देना।
(d) व्यावसायिक उपयोग के लिए वन भूमि का निजीकरण करना।

उत्तर: (b)

खारे पानी के मगरमच्छ

चर्चा में क्यों: हाल ही में, पश्चिम बंगाल राज्य के वन विभाग द्वारा किए गए जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार, **सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व (एसबीआर)** में खारे पानी के मगरमच्छों (Saltwater Crocodiles) की अनुमानित जनसंख्या पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है।

मुख्य विवरण

- वन विभाग की रिपोर्ट का शीर्षक है **'सुंदरवन में खारे पानी के मगरमच्छों की जनसंख्या आंकलन और आवास पारिस्थितिकी अध्ययन 2025'।**
- पश्चिम बंगाल सरकार ने खारे पानी के मगरमच्छों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पहल की है, तथा **भगबतपुर मगरमच्छ परियोजना** (Bhagabatpur Crocodile Project) के नाम से एक संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की है।

सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व

- **अवस्थिति**
  - ✓ भारत के पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में स्थित
  - ✓ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित
  - ✓ दक्षिण 24 परगना जिले में फैला
  - ✓ बड़े सुंदरवन क्षेत्र का एक हिस्सा, जो बांग्लादेश तक फैला हुआ है
- **भौगोलिक विशेषताएँ**
  - ✓ दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन
  - ✓ इसमें नदियों, खाड़ियों, मुहाना और ज्वारीय कीचड़ का एक नेटवर्क शामिल है
  - ✓ भारत में लगभग 9,630 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है (विशेष रूप से SBR का मुख्य क्षेत्र लगभग 4,263 वर्ग किमी है)
- **संरक्षित स्थिति**
  - ✓ बायोस्फीयर रिजर्व (1989) - यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर (एमएबी) कार्यक्रम के अंतर्गत
  - ✓ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (1987) - सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान (कोर क्षेत्र) के लिए
  - ✓ रामसर आर्द्रभूमि स्थल (2019) - अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त
- **ख़तरा**
  - ✓ जलवायु परिवर्तन: समुद्र का बढ़ता स्तर, लवणता का अतिक्रमण, बार-बार आने वाले चक्रवात
  - ✓ क्षरण: बसे हुए द्वीपों का जलमग्न होना (जैसे, घोरामारा)
  - ✓ मानव-वन्यजीव संघर्ष: विशेष रूप से बाघों के हमले
  - ✓ अत्यधिक मछली पकड़ना और अवैध संसाधन दोहन
  - ✓ आवास क्षरण और प्रदूषण
  - ✓ झींगा पालन: मैंग्रोव को नुकसान
  - ✓ अतिक्रमण और शहरी दबाव
- **संरक्षण उपाय**
  - ✓ सुंदरबन बाघ अभयारण्य (1973 से प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा)
  - ✓ भगबतपुर मगरमच्छ परियोजना - खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन और विमोचन
  - ✓ मैंग्रोव वनरोपण परियोजनाएँ
  - ✓ स्थानीय आजीविका के लिए पारिस्थितिक विकास कार्यक्रम
  - ✓ चक्रवातों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ
  - ✓ स्थायी मत्स्य पालन और शहद संग्रहण को बढ़ावा

भगबतपुर मगरमच्छ परियोजना

- **अवस्थिति**
  - ✓ पश्चिम बंगाल, भारत के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरवन क्षेत्र के भगबतपुर में स्थित
  - ✓ सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है
  - ✓ सप्तमुखी नदी के तट पर स्थित
- **स्थापना**
  - ✓ पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा 1976 में शुरू किया गया
  - ✓ खारे पानी के मगरमच्छों (क्रोकोडाइलस पोरोसस) के संरक्षण और प्रजनन केंद्र के रूप में स्थापित
- **मुख्य उद्देश्य**
  - ✓ लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन और संरक्षण करना
  - ✓ मगरमच्छों का पुनर्वास करें और उन्हें सुंदरबन जैसे प्राकृतिक आवासों में छोड़ देना
  - ✓ मगरमच्छ संरक्षण के बारे में शिक्षा और जागरूकता पैदा करना
  - ✓ अनुसंधान और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना

खारे पानी का मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस)

- यह सभी **मगरमच्छों** में सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है।
- ये **"अति मांसाहारी शीर्ष शिकारी"** हैं जो पानी में मौजूद शवों और जंगली अवशेषों को खाकर बहते जल पारिस्थितिकी तंत्र को स्वच्छ रखते हैं।
- भारत में, खारे पानी के मगरमच्छ ओडिशा और **पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों, नदियों, मैंग्रोव** और **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

सर्वेक्षण परिणाम और आवास संबंधी जानकारी

- सर्वेक्षण में लगभग 1,168 किलोमीटर लंबी खाड़ियों को शामिल किया गया, जो सुंदरबन के जंगलों में कुल महत्वपूर्ण खाड़ियों की लंबाई का लगभग 64% है।
- 2025 में प्रति 5.5 किलोमीटर खाड़ी में लगभग एक मगरमच्छ मिलने की दर थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार है।
- **खतरे बने हुए हैं:** बढ़ती लवणता, घोंसले बनाने के स्थानों का नुकसान, और जलवायु परिवर्तन के कारण तटरेखा के बदलते स्वरूप दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं।

सीमाएँ और सावधानियाँ

- **कवरेज अंतराल:** सभी खाड़ियों का सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। सुंदरबन के कुछ हिस्से अभी तक मूल्यांकन नहीं किए गए हैं या कम पहुँच योग्य हैं।
- **अनुमान, सटीक गणना नहीं:** ये संख्याएँ जनसंख्या का अनुमान हैं, सटीक गणना नहीं। सर्वेक्षण दल प्रत्यक्ष संकेतों और अप्रत्यक्ष संकेतों (पदचिह्न, घोंसले आदि) दोनों का उपयोग करते हैं।
- **आवासीय दबाव जारी:** यद्यपि संख्या में वृद्धि हुई है, आवास का नुकसान, समुद्र का बढ़ता स्तर और मानवीय अतिक्रमण अभी भी मगरमच्छों की आबादी के लिए खतरा हैं।
- **दोहरी गणना और भू-भाग संबंधी चुनौतियाँ:** यद्यपि सर्वेक्षण कई दिनों तक चलता है, इसलिए यदि गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो एक ही मगरमच्छ की एक से अधिक बार गणना की जा सकती है। इसके अलावा, मौसम और दृश्यता भी मगरमच्छों के देखे जाने को प्रभावित कर सकते हैं।

सुझाव एवं आगे की राह

- **निरंतर निगरानी और नियमित सर्वेक्षण**: लगातार और व्यवस्थित सर्वेक्षण जनसंख्या प्रवृत्तियों पर नज़र रखने और समस्याओं का शीघ्र पता लगाने में मदद करते हैं।
- **आवास संरक्षण और पुनर्स्थापन:** मैंग्रोव वनों का संरक्षण और पुनर्स्थापन, घोंसले के शिकार स्थलों की सुरक्षा, लवणता के अतिक्रमण को नियंत्रित करना और मीठे पानी के प्रवाह को बनाए रखना।
- **सामुदायिक भागीदारी:** संघर्षों और अवैध शिकार को कम करने के लिए स्थानीय समुदायों को संरक्षण, निगरानी और जागरूकता में शामिल करना।
- **कानूनी और नीतिगत समर्थन:** आवास विनाश, अवैध मछली पकड़ने और भूमि पुनर्ग्रहण के विरुद्ध कानूनों और प्रवर्तन को मज़बूत करना।
- अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का उपयोग: अनुमानों की सटीकता में सुधार के लिए उपग्रह इमेजरी, ड्रोन, कैमरा ट्रैप और बेहतर डेटा प्रणालियों का उपयोग करना।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियाँ:** दीर्घकालिक आवासों को सुरक्षित करने के लिए बढ़ते समुद्र स्तर, लवणता में परिवर्तन और तूफान की तीव्रता में वृद्धि की योजना बनाना।

निष्कर्ष

सुंदरबन में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है कि संरक्षण प्रयासों के परिणाम मिल रहे हैं। अधिक संख्या में युवा और नवजात मगरमच्छों का दिखना बहुत उत्साहजनक है। लेकिन इस सफलता को कायम रखना होगा - निरंतर आवास संरक्षण, सावधानीपूर्वक निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और जलवायु चुनौतियों का समाधान यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये शानदार सरीसृप सुंदरबन के बदलते परिदृश्य में फलते-फूलते रहें।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी में क्या रुझान देखा गया?

(a) आबादी में गिरावट आई है
(b) आबादी अपरिवर्तित बनी हुई है
(c) आबादी में वृद्धि हुई है
(d) इस क्षेत्र में प्रजाति विलुप्त हो गई है

उत्तर: (c)

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने पम्पा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) में शामिल करने के लिए कार्रवाई की है, जो एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश भर में प्रमुख नदियों की सुरक्षा पर केंद्रित है।

मुख्य विवरण

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने केरल राज्य सरकार से इस समावेशन प्रक्रिया के भाग के रूप में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

शामिल करने के कारण

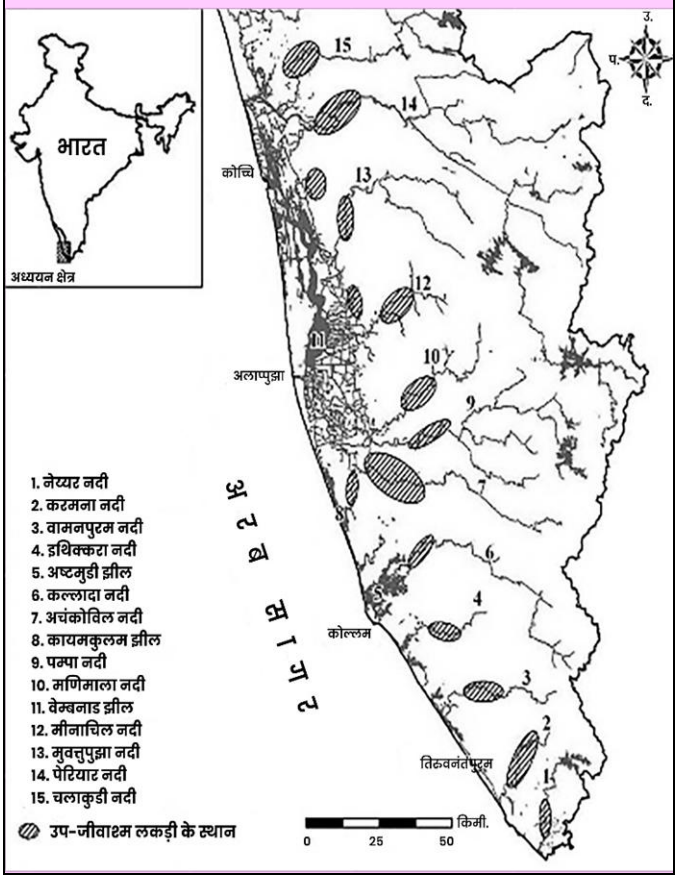
- पम्पा नदी पर्यावरणीय और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- यह सबरीमाला मंदिर से निकटता से जुड़ी हुई है, और इसके तट पर मारामोन और चेरुकोलपुझा जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं।
- कुछ गंभीर चिंताएँ हैं:
  - ✓ स्थानीय निकायों द्वारा अप्रबंधित अपशिष्ट निपटान से प्रदूषण।
  - ✓ कई भागों में नदी के किनारों का कटाव/विनाश, विशेष रूप से बरसात के मौसम में, धारणीय संरचनाओं के अभाव के कारण।
- **समावेशन से क्या होगा?**
  - ✓ नदी में अनुपचारित अपशिष्ट जल के प्रवाह को रोकने के लिए परियोजनाएँ।
  - ✓ ठोस अपशिष्ट का निष्कासन और जल शोधन संयंत्रों की स्थापना।
  - ✓ नदी की दीवारों का निर्माण/तट-सुरक्षा उपाय।
  - ✓ राज्य और स्थानीय सरकारों को तकनीकी सहायता।

निहितार्थ और विश्लेषण

- **पर्यावरणीय लाभ:** यदि समावेशन सफल हो जाता है, तो नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार की संभावना है: प्रदूषण का भार कम होगा, तट का बेहतर स्थिरीकरण होगा, जलीय जीवन की सुरक्षा होगी और नदी का अधिक टिकाऊ उपयोग होगा।
- **धार्मिक एवं सामाजिक महत्व:** प्रमुख तीर्थस्थलों (जैसे सबरीमाला) और बड़े धार्मिक आयोजनों के साथ पम्पा के जुड़ाव को देखते हुए, स्वच्छ और सुरक्षित नदी की स्थिति से सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य और विरासत संरक्षण को लाभ हो सकता है।
- **शासन एवं स्थानीय निकाय:** विस्तृत रिपोर्ट की आवश्यकता का अर्थ है कि राज्य सरकार को प्रदूषण के स्रोत, नदी की आकृति विज्ञान, उपयोग आदि से संबंधित आंकड़े एकत्र करने होंगे। स्थानीय निकायों (पंचायतों, नगर पालिकाओं) को रिपोर्टिंग और कार्यान्वयन दोनों में शामिल करना होगा।

पम्पा नदी

- **केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी**
- **लंबाई-** 176 किमी
- **बेसिन क्षेत्र:** 2235 वर्ग किमी
- **उद्गम:** पश्चिमी घाट में पुलचिमलाई पहाड़ियाँ, पीरुमेदु पठार, इडुक्की जिला (केरल)
- **वेमदंड झील में गिरती है**
- **मुख्य सहायक नदियाँ:** कक्कड़ नदी, अझुथा नदी, मणिमाला नदी
- **धार्मिक महत्व:** सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र नदी (सबरीमाला अयप्पा मंदिर - पंपा त्रिवेणी में अनुष्ठानिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता है)
- **निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन करता है:**
  - ✓ **मैरामन कॉन्वेंटियो** (नदी के किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई जमावड़ा)
  - ✓ **चेरुकोलपुझा हिंदू सम्मेलन**



चुनौतियों का सामना करना

- कई छोटी स्थानीय शासन इकाइयों में अपशिष्ट निपटान का प्रभावी प्रबंधन।
- विभिन्न भूभागों में नदी तट सुरक्षा का निर्माण, संभवतः भूमि स्वामित्व संबंधी मुद्दों के साथ।
- केवल एकमुश्त हस्तक्षेप नहीं, बल्कि निरंतर वित्तपोषण और रखरखाव सुनिश्चित करना।
- धार्मिक आयोजनों के दबाव (भीड़, बड़े समारोहों के दौरान प्रदूषण) को संरक्षण उपायों के साथ संतुलित करना।

आगे की राह

- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में समावेशन में तेज़ी लाना।
- आधुनिक अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियाँ स्थापित करना।
- तीर्थयात्रा और उत्सव स्थलों में शून्य-अपशिष्ट क्षेत्र स्थापित करना।
- गैबियन संरचनाओं या वानस्पतिक तकनीकों का उपयोग करके पर्यावरण-अनुकूल अवरोधक दीवारें बनाना।
- पम्पा नदी बेसिन प्राधिकरण बनाने के पूर्व प्रस्ताव को पुनर्जीवित करना।
- वास्तविक समय जल गुणवत्ता निगरानी सेंसर लगाना।
- जल अधिनियम (1974) के तहत प्रदूषण के लिए कठोर दंड लागू करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के उद्देश्यों और कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में, पम्पा नदी को एनआरसीपी के अंतर्गत शामिल करने के महत्व का परीक्षण कीजिए और इसके संरक्षण से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रकाश डालिए। [250 शब्द] [15 अंक]

राष्ट्रीय कार्बन व्यापार प्राधिकरण

चर्चा में क्यों: भारत ने **कार्बन ट्रेडिंग** और अन्य बाजार आधारित रणनीतियों से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण सचिव के नेतृत्व में 21 सदस्यीय राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में उल्लिखित अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना है।

मुख्य विवरण

- अगस्त 2025 में अधिसूचित कार्बन बाज़ारों के लिए नए **राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीए)** ने उसी निकाय के पुराने संस्करण का स्थान लिया है जिसका गठन पहली बार मई 2022 में किया गया था।
- **इसके 19 मुख्य कार्यों में शामिल हैं:**
  - ✓ केंद्र सरकार को सुझाव दें कि कौन सी गतिविधियाँ/परियोजनाएँ उत्सर्जन न्यूनीकरण इकाइयों (अर्थात कार्बन ट्रेडिंग के लिए पात्र) के लिए योग्य हो सकती हैं।
  - ✓ स्वीकृत परियोजनाओं और उनके उत्सर्जन न्यूनीकरण की एक रजिस्ट्री बनाए रखना (एक "भारतीय कार्बन बाज़ार" प्रशासक के माध्यम से)।
  - ✓ पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 तंत्र (जो बाज़ार और गैर-बाज़ार दोनों दृष्टिकोणों को कवर करता है) के अंतर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन, अनुमोदन और प्राधिकरण करना।
- **एनडीए में कई मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं:** विदेश, वित्त, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इस्पात, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कृषि, और नवीकरणीय ऊर्जा।
- भारत उन कई देशों (लगभग 113) में शामिल हो गया है जिन्होंने पहले ही यूएनएफसीसीसी के लिए इसी तरह के राष्ट्रीय प्राधिकरणों को अधिसूचित कर दिया है।

चुनौतियाँ और जोखिम

- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय एवं संघर्ष:** यद्यपि ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्र कार्बन बाज़ारों से गहराई से प्रभावित हैं, इसलिए उन्हें एक एकीकृत प्राधिकरण के अंतर्गत लाना राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **क्षमता एवं तकनीकी विशेषज्ञता:** भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी, कानूनी और निगरानी क्षमता हो। परियोजनाओं की अखंडता बनाए रखने के लिए उनका नियमित रूप से ऑडिट, सत्यापन और प्रमाणन किया जाना चाहिए।
- **खामियों/खेल से बचना:** कार्बन बाज़ार खामियों, हेराफेरी, कमज़ोर आधार रेखाओं या ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिटिंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। कड़े नियम और उनका पालन ज़रूरी है।
- **विकास एवं उत्सर्जन में संतुलन:** यदि सब्सिडी/संक्रमण समर्थन के बिना कड़े नियम लागू किए जाते हैं, तो भारत की विकास आवश्यकताएँ (ऊर्जा, औद्योगीकरण, बुनियादी ढाँचा) दबाव में आ सकती हैं।
- **वैश्विक कार्बन बाज़ार में अस्थिरता:** कार्बन बाज़ारों में राजस्व, मूल्य, माँग वैश्विक नीतिगत परिवर्तनों, बाज़ार की धारणा और आपूर्ति-माँग की गतिशीलता के अधीन हैं।
- **समानता और वितरण:** यह सुनिश्चित करना कि लाभ (ऋण, राजस्व) समान रूप से वितरित हों - विशेष रूप से गरीब राज्यों, छोटी परियोजनाओं या संवेदनशील समुदायों के लिए - नाजुक होगा।

संभावित लाभ

- **मज़बूत शासन और जवाबदेही:** मंत्रालयों के बीच व्यापक प्रतिनिधित्व वाली एक समर्पित समिति के ज़रिए, भारत कार्बन बाज़ार नीतियों का समन्वय करने, क्षेत्रीय हितों में सामंजस्य बिठाने और परियोजनाओं को जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर स्थिति में है।
- **पात्र परियोजनाओं और मानकों पर स्पष्टता:** एनडीए स्पष्ट मानदंड/मानक निर्धारित कर सकता है जिसके तहत परियोजनाएँ उत्सर्जन न्यूनीकरण इकाइयों के लिए योग्य होंगी, जिससे अस्पष्टता कम होगी और विश्वसनीयता में सुधार होगा।
- **मज़बूत रजिस्ट्री और निगरानी:** स्वीकृत परियोजनाओं और उनके उत्सर्जन न्यूनीकरण की एक रजिस्ट्री बनाए रखना पारदर्शिता, दोहरी गणना से बचने और कार्बन बाज़ारों में विश्वास बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता:** एक औपचारिक राष्ट्रीय प्राधिकरण का होना दर्शाता है कि भारत अनुच्छेद 6 तंत्रों को लागू करने के प्रति गंभीर है। इससे द्विपक्षीय सहयोग में मदद मिल सकती है, निवेश आकर्षित हो सकता है और जलवायु कूटनीति में अपनी स्थिति बेहतर हो सकती है।
- **कार्बन व्यापार/वित्तीय प्रवाह को सुगम बनाना:** एक नियामक की स्थापना के साथ, भारत पेरिस नियमों के तहत वैश्विक कार्बन वित्त (जैसे उत्सर्जन न्यूनीकरण ऋण, व्यापार) का बेहतर उपयोग कर सकता है।

राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण/राष्ट्रीय कार्बन व्यापार प्राधिकरण

- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत, देशों को सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने और सीमा पार उत्सर्जन में कमी/शमन परिणामों का आदान-प्रदान करने की अनुमति है। इसे क्रियान्वित करने के लिए, प्रत्येक देश को ऐसे तंत्रों की देखरेख और अनुमोदन के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण नियुक्त करना होगा।
- भारत ने हाल ही में (अगस्त 2025) अपना एनडीए गठित किया है - पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में एक 21 सदस्यीय निकाय।

संघटन

- केंद्रीय मंत्रालय (पर्यावरण, विदेश मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा, इस्पात, आदि)
- नीति आयोग (योजना/नीति थिंक टैंक के रूप में)
- ऊर्जा, जलवायु, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित अन्य संबंधित विभाग/मंत्रालय।
- पर्यावरण सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, MoEFCC) इसके अध्यक्ष हैं।

अधिदेश/कार्य

- **योग्य गतिविधियों/परियोजनाओं की सिफ़ारिश:** एनडीए यह प्रस्तावित करेगा कि किस प्रकार की परियोजनाएँ/गतिविधियाँ अनुच्छेद 6 के अंतर्गत उत्सर्जन न्यूनीकरण इकाइयाँ (ईआरयू) या क्रेडिट जारी करने के लिए योग्य हो सकती हैं (सहकारी दृष्टिकोण/व्यापार और क्रेडिटिंग तंत्र दोनों के अंतर्गत)।
- **परियोजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन/अधिकृत करना:** प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन, सत्यापन और (यदि वे मानदंडों को पूरा करती हैं) एनडीए द्वारा अधिकृत किया जाएगा।
- **रजिस्ट्री और ट्रैकिंग:** स्वीकृत परियोजनाओं की एक रजिस्ट्री बनाए रखें, प्रगति की निगरानी करें, उत्सर्जन न्यूनीकरण या इकाइयों आदि को रिकॉर्ड करें। इससे दोहरी गणना जैसी समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है।
- **भारत के एनडीसी के लिए ईआरयू/क्रेडिट के उपयोग को अधिकृत करना:** एनडीए क्रेडिट आवंटित और अधिकृत करेगा ताकि उन्हें भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में गिना जा सके।
- **समय के साथ दायरे/मानदंडों को अद्यतन और संशोधित करें:** जैसे-जैसे जलवायु प्राथमिकताएँ विकसित होती हैं, एनडीए को समय-समय पर यह अद्यतन करना होगा कि कौन सी गतिविधियाँ पात्र हैं, मान्यता नियमों को संशोधित करना होगा, आदि।
- **अनुच्छेद 6 तंत्रों पर निर्देश/नीति मार्गदर्शन:** एनडीए पेरिस समझौते के नियमों (अनुच्छेद 6.8 के तहत गैर-बाज़ार तंत्रों सहित) के अनुपालन

के लिए निर्देश, मार्गदर्शन जारी कर सकता है और निगरानी कर सकता है।

- **सतत विकास के साथ संरेखण सुनिश्चित करें:** अनुमोदित परियोजनाओं को राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए, प्रतिकूल दुष्प्रभावों (सामाजिक, पर्यावरणीय) से बचना चाहिए, और समानता, स्थानीय समुदाय के प्रभाव आदि को ध्यान में रखना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत दिसंबर 2015 में अपनाए गए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना और कम कार्बन, जलवायु-लचीले विकास को बढ़ावा देना है।

पेरिस समझौते में रेखांकित जलवायु लक्ष्य:

- **वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना:** 2°C से काफ़ी नीचे, आदर्श रूप से 1.5°C
- **उत्सर्जन के वैश्विक शिखर तक पहुँचना:** जितनी जल्दी हो सके, फिर सदी के उत्तरार्ध में शुद्ध शून्य तक पहुँचना।
- **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC):** प्रस्तुत करना, हर 5 साल में अद्यतन करें, महत्वाकांक्षा बढ़ाना।
- **अनुकूली क्षमता और लचीलापन बढ़ाना:** अनुकूली क्षमता और लचीलापन मज़बूत करना।
- **जलवायु वित्त:** $100 बिलियन/वर्ष (प्रारंभिक लक्ष्य); 2025 के बाद नया लक्ष्य
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** उत्सर्जन और जलवायु कार्रवाई पर नज़र रखने के लिए मज़बूत प्रणाली
- **वैश्विक स्टॉकटेक (जीएसटी):** वैश्विक प्रगति का आंकलन करने के लिए हर 5 साल में
- **स्वैच्छिक सहयोग (अनुच्छेद 6):** स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्बन बाज़ार।
- **नुकसान और क्षति के लिए समर्थन:** जलवायु प्रभावों से कमज़ोर देशों के नुकसान को पहचानना और उसका समर्थन करना।

आगे की राह

भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनडीए पारदर्शी, तकनीकी रूप से मज़बूत और सुसंगठित हो। वैश्विक मानकों के अनुरूप, क्षमता संवर्धन और समावेशी, टिकाऊ परियोजनाओं का समर्थन कार्बन व्यापार और जलवायु कार्रवाई में इसकी भूमिका को मज़बूत करेगा।

निष्कर्ष

भारत का एनडीए पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, यह निम्न-कार्बन विकास को गति दे सकता है, वित्त आकर्षित कर सकता है और भारत के वैश्विक जलवायु नेतृत्व को बढ़ा सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीए) की प्राथमिक भूमिका क्या है?

(a) सभी राज्यों में पर्यावरण कानूनों को लागू करना।
(b) अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन बाज़ार परियोजनाओं को मंज़ूरी देना और उनकी देखरेख करना।
(c) प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करना।
(d) जलवायु प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपदा राहत निधि का प्रबंधन करना।

उत्तर: (b)

भारत का पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क

चर्चा में क्यों: हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने देश का पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क लांच किया और इसे जैव प्रौद्योगिकी को भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार (इकॉनमी, एनवायरनमेंट & एम्प्लॉयमेंट) का चालक बनाने की दिशा में एक कदम बताया।

मुख्य विवरण

- यह पहल 2024 में स्वीकृत **बायोई3 (पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति** का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश में जैव-विनिर्माण अवसंरचना को मजबूत करना है।
- **नेशनल बायो-फाउंड्री नेटवर्क (एनबीएन)** में छह संस्थान शामिल हैं जो अवधारणा-सिद्धांत विकास को बढ़ावा देने, स्वदेशी जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करते हैं।
- इस नेटवर्क की परिकल्पना **"बायो-इनेबलर सुविधाओं"** या केंद्रों (कुछ रिपोर्टों के अनुसार, पूरे भारत में 21 सुविधाएँ) के एक समूह के रूप में की गई है जो शिक्षा जगत, स्टार्टअप्स, एसएमई और उद्योग को साझा अवसंरचना (स्वचालन, एआई, सिंथेटिक जीव विज्ञान उपकरण) प्रदान करते हैं ताकि जैव-प्रौद्योगिकी नवाचारों को अवधारणा-सिद्धांत से लेकर पायलट या पूर्व-व्यावसायिक स्तर तक बढ़ाने में मदद मिल सके।
- **विशिष्ट उदाहरण:**
  - ✓ अहमदाबाद में एक बायोफाउंड्री प्रोबायोटिक उत्पादन पर केंद्रित होगी।
  - ✓ आईआईटी मद्रास में एक सुविधा फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधनों के विस्तार में सहायता करेगी।
  - ✓ भुवनेश्वर में, केआईआईटी के प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर के माध्यम से, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक इनक्यूबेटर की योजना बनाई गई है।
- भारत में पहली सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित बायोफाउंड्री, नई दिल्ली स्थित **अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (ICGEB)** में स्थापित की जा रही है।
- इसके लक्ष्यों में जैव प्रौद्योगिकी में आयात निर्भरता को कम करना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, रोज़गार सृजन, प्रयोगशाला नवाचारों को बाज़ार में उतारने में तेज़ी लाना और भारत को जैव-अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाना शामिल है।
- ऐसा कहा जाता है कि भारत में जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 165 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है, और 2030 तक इसे 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य है।

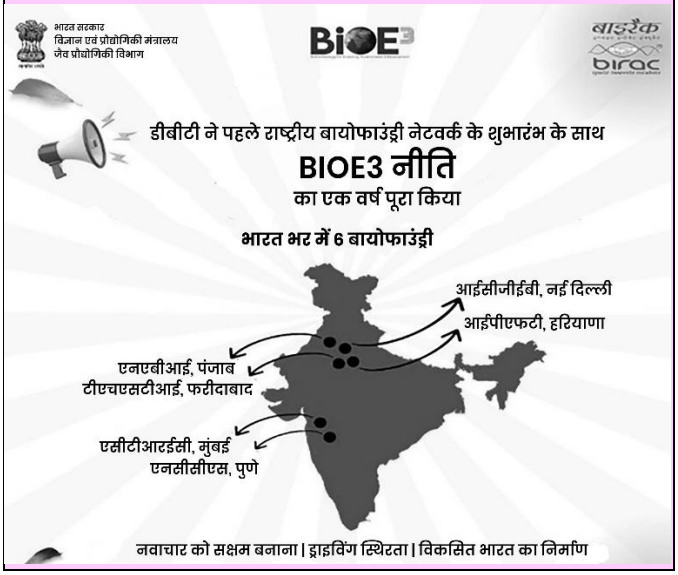
निहितार्थ

- **प्रयोगशाला और बाज़ार के बीच की खाई को पाटना:** जैव प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, अवधारणा-सिद्धांत से लेकर मापनीय उत्पादन तक की ओर बढ़ना। साझा बुनियादी ढाँचा (जैसे ढलाईघर) महंगे उपकरण, स्वचालन और प्रक्रिया विकास विशेषज्ञता तक पहुँच प्रदान करके छोटी संस्थाओं के लिए प्रवेश की बाधा को कम करता है।
- **नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा:** ऐसी उन्नत सुविधाओं तक पहुँच के साथ, अधिक जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप (विशेषकर छोटे शहरों में) उभर सकते हैं और विकसित हो सकते हैं, जिससे नवाचार का लोकतंत्रीकरण हो सकता है।
- **आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता:** घरेलू स्तर पर जैविक उत्पादों, जैव-इनपुट और विशिष्ट जैव-अणुओं का उत्पादन करके, भारत महत्वपूर्ण क्षेत्रों (जैसे एंजाइम, जैव-फार्मा घटक, कृषि जैव-प्रौद्योगिकी इनपुट) में विदेशी आयात पर निर्भरता कम कर सकता है।
- **जैव-अर्थव्यवस्था का विकास और रोज़गार सृजन:** यह नेटवर्क भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के विस्तार और उच्च-तकनीकी, टिकाऊ क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र तालमेल:** एआई, सिंथेटिक जीव विज्ञान, ओमिक्स और स्वचालन के एकीकरण का मतलब है कि भारत जीव विज्ञान + इंजीनियरिंग + डेटा विज्ञान के अभिसरण पर सवार होने के लिए खुद को तैयार कर रहा है।

राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क में छह संस्थान

इन छह मुख्य संस्थानों को आधिकारिक तौर पर "बायोफाउंड्री नेटवर्क" के रूप में उल्लेखित किया गया है:

- अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (ICGEB)
- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद - राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (BRIC-NABI)
- स्थानांतरित स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (THSTI)
- कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (IPFT)
- राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (NCCS)
- कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र (ACTREC), टाटा मेमोरियल केंद्र



आगे की चुनौतियां

- सभी क्षेत्रों (केवल महानगरीय केंद्रों तक ही सीमित नहीं) में समान पहुँच सुनिश्चित करना।
- निरंतर वित्तपोषण और परिचालन लागत।
- उन्नत प्रणालियों के उपयोग और रखरखाव के लिए कुशल जनशक्ति का प्रशिक्षण।
- अनुवाद संबंधी एवं विनियामक अड़चनें।
- प्रभावी उद्योग-अकादमिक सहयोग।

बायोई3 नीति

- **पूरा नाम:** "अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी (BioE3)" नीति, जिसे अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
- **उद्देश्य:** जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, व्यावसायीकरण को समर्थन प्रदान करते हुए उच्च-प्रदर्शन जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देना; "बायोफाउंड्रीज़", "बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायो-एआई हब", बायोएनेबलर्स आदि को संस्थागत बनाना।

बायोफाउंड्री / बायो-एनेबलर सुविधाएं / हब नेटवर्क

- एनबीएन के समानांतर, पूरे भारत में 21 जैव-सक्षमकारी (बायोएनेबलर्स) सुविधाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। ये साझा बुनियादी ढाँचा केंद्र (स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, सिंथेटिक जीव विज्ञान आदि) हैं जो पायलट और पूर्व-व्यावसायिक स्तर के विकास में सहायता करेंगे।

युवा चुनौती (बायोई3 चुनौती)

- **लक्ष्य:** युवाओं (कक्षा 6-12 के स्कूली छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र, शोधकर्ता, संकाय, स्टार्टअप) को स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, उद्योग के क्षेत्रों में "सुरक्षित" जैविक समाधान डिज़ाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **पुरस्कार और सहायता:** शीर्ष 10 मासिक विजेताओं को ₹1 लाख मिलेंगे; लगभग 100 चयनित पुरस्कार विजेताओं को BIRAC के माध्यम से अवधारणा के प्रमाण कार्य, साथ ही ऊष्मायन और सुविधाओं तक पहुँच के लिए ₹25 लाख तक मिल सकते हैं।

भविष्य के लक्ष्य

- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (जो 2014 में लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में लगभग 165.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई) को 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक ले जाना।
- **आयात पर निर्भरता कम करना:** जैव-विनिर्माण, जैव-इनपुट, विशिष्ट जैव-अणुओं आदि के लिए घरेलू क्षमता विकसित करना।
- साझा बुनियादी ढाँचा, क्षमताओं का विस्तार, मार्गदर्शन और वित्तपोषण प्रदान करके स्टार्टअप्स, शिक्षा जगत, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन प्रदान करना।
- **हरित विकास, टिकाऊ/चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर/उपयोग, स्मार्ट प्रोटीन, समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी, आदि।
- उच्च-प्रदर्शन जैव-विनिर्माण, सिंथेटिक जीव विज्ञान आदि के लिए कुशल कार्यबल और क्षमता का निर्माण करना।

आगे की राह

प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, बायोफाउंड्री नेटवर्क को निर्बाध समन्वय, निरंतर वित्त पोषण, कुशल कार्यबल विकास और मज़बूत उद्योग-अकादमिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्पष्ट KPI, समावेशी पहुँच नीतियों और व्यावसायीकरण के लिए समर्थन वाला एक राष्ट्रीय शासन ढाँचा मापनीयता और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष

भारत का राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क वैश्विक जैव-विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रणनीतिक क्रियान्वयन के साथ, यह राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप नवाचार, आत्मनिर्भरता और एक मज़बूत जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: अगस्त 2025 में शुरू किए जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(a) महामारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित मेडिकल कॉलेजों का एक नेटवर्क विकसित करना
(b) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण को समर्थन देना
(c) बायोमैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाना और बायोटेक स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए साझा बुनियादी ढाँचा प्रदान करना
(d) भारतीय कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक विकल्प अपनाना

उत्तर: (c)

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)

चर्चा में क्यों: "सीएमआईपी6 अनुमानों में गहरे मिश्रण पतन के बाद 2100 के बाद उत्तरी अटलांटिक उलटफेर का बंद होना" शीर्षक से एक अध्ययन में तर्क दिया गया है कि एएमओसी बंद होने का महत्वपूर्ण बिंदु दशकों के भीतर पार हो सकता है, और पतन 50-100 साल बाद हो सकता है। हालांकि अध्ययन में यह भी तर्क दिया गया है कि एएमओसी के पतन को अब कम संभावना वाली घटना नहीं माना जाना चाहिए।

एएमओसी के बारे में

- अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी) अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म, नमकीन पानी को उत्तरी अटलांटिक तक पहुँचाती है और ठंडे, गहरे पानी को वापस दक्षिण की ओर लौटाती है।

- पानी की इस बड़े पैमाने पर, लूप जैसी गति के कारण इसे कभी-कभी **"कन्वेयर बेल्ट"** भी कहा जाता है।

एएमओसी क्यों महत्वपूर्ण है?

- **जलवायु को नियंत्रित करता है:** एएमओसी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह पश्चिमी यूरोप को समान अक्षांश पर स्थित अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म रखता है।
- **वर्षा पैटर्न:** अफ्रीका और दक्षिण एशिया में मानसून प्रणालियों को प्रभावित करता है।
- **कार्बन भंडारण:** गहरे समुद्र की परतों में वायुमंडलीय CO_2 को अवशोषित और संग्रहीत करने में मदद करता है।
- **समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र:** समुद्री जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का वितरण करता है।

एएमओसी के पतन के संभावित परिणाम

- उत्तरी गोलार्ध में, विशेष रूप से उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में, ठंडक।
- वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन, विशेष रूप से यूरोप में वर्षा में कमी।
- समुद्री बर्फ के विस्तार पर प्रभाव (कुछ क्षेत्रों में वृद्धि) और उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में बदलाव।

कमजोर होने के कारण

- ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों और आर्कटिक क्षेत्रों के पिघलने से मीठे पानी की आपूर्ति में वृद्धि हुई है (मीठे पानी का घनत्व कम है, जो डूबने में बाधा डालता है), जिससे परिसंचरण को संचालित करने वाले लवणता और घनत्व प्रवणता में परिवर्तन हुआ है।

निहितार्थ

- **एएमओसी और जलवायु स्थिरता:** एएमओसी थर्मोहेलिन परिसंचरण (जिसे अक्सर "वैश्विक कन्वेयर बेल्ट" कहा जाता है) का एक हिस्सा है जो वैश्विक स्तर पर ऊष्मा के पुनर्वितरण में मदद करता है। परिवर्तन या पतन जलवायु पैटर्न में अचानक बदलाव ला सकते हैं।
- **टिपिंग पॉइंट डायनेमिक्स: "टिपिंग पॉइंट"** का विचार यह है कि एक बार कुछ सीमाएँ पार हो जाने पर, प्रतिक्रियाएँ प्रणाली को अपरिवर्तनीय रूप से एक नई स्थिति की ओर धकेलती हैं। अध्ययन कहता है कि यह सीमा पहले की अपेक्षा अधिक निकट हो सकती है।
- **क्षेत्रीय प्रभाव बनाम वैश्विक प्रभाव:** हालाँकि अधिकांश ध्यान उत्तरी अटलांटिक और यूरोप पर है, एएमओसी में परिवर्तन मानसून, उष्णकटिबंधीय वर्षा, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और संभवतः अन्यत्र मौसम की चरम स्थितियों को भी प्रभावित कर सकते हैं।
- **अस्थायी अनिश्चितता:** भले ही एक टिपिंग पॉइंट जल्द ही पार कर लिया जाए, लेकिन पूर्ण पतन आवश्यक रूप से तत्काल नहीं होता है। सीमा पार करने और वास्तविक विघटन के बीच का अंतराल अनुकूलन या शमन के लिए कुछ समय देता है, हालाँकि संभवतः सीमित।
- **शमन अनिवार्यता:** इस तरह के निष्कर्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, बर्फ पिघलने की गति को धीमा करने, और संभवतः हस्तक्षेपों की खोज करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं (यद्यपि महासागर परिसंचरण में हस्तक्षेप अत्यधिक काल्पनिक और जोखिम भरा है)।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के पतन का एक प्रमुख परिणाम क्या हो सकता है?

(a) उत्तरी यूरोप में वर्षा में वृद्धि
(b) आर्कटिक समुद्री बर्फ निर्माण में वृद्धि
(c) पश्चिमी यूरोप में प्रमुख शीतलन और मानसून में व्यवधान
(d) गल्फ स्ट्रीम का सुदृढ़ीकरण

उत्तर: (c)



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

फेंटेनाइल: वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा

चर्चा में क्यों: हाल ही में, फेंटेनाइल (Fentanyl), एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपिओइड, वैश्विक ओपिओइड महामारी में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, सबसे घातक मादक पदार्थ के रूप में उभरा है। इसकी उच्च क्षमता और उत्पादन में आसानी वैश्विक जन स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए गंभीर चुनौतियाँ पेश करती है।

फेंटेनाइल: प्रकृति, उपयोग और खतरा प्रोफ़ाइल:

विशेषता	विवरण	महत्व (स्वास्थ्य और सुरक्षा)
शक्ति	**फेंटेनाइल मॉर्फिन से लगभग 100 गुना ज़्यादा** और हेरोइन से 50 गुना ज़्यादा असरदार है। सिर्फ़ **2 मिलीग्राम** की एक माइक्रोडोज़ भी जानलेवा हो सकती है।	अवैध तस्करी के लिए असाधारण खतरे और आवश्यक कम मात्रा (छोटी मात्रा, उच्च प्रभाव) पर प्रकाश डाला गया है।
उत्पत्ति और चिकित्सा उपयोग	मूल रूप से 1960 के दशक में नैदानिक उपयोग के लिए विकसित किया गया। इसका कानूनी तौर पर गंभीर दर्द प्रबंधन (जैसे, कैंसर रोगियों में) के लिए इंजेक्शन, लॉज़ेंज या **ट्रांसडर्मल पैच** के माध्यम से उपयोग किया जाता है।	यह इसकी **दोहरी उपयोग प्रकृति** और सख्त दवा नियंत्रण की आवश्यकता को दर्शाता है।
अवैध उपयोग	इसका निर्माण प्रायः अवैध रूप से किया जाता है तथा इसका प्रयोग हेरोइन या मेथामफेटामाइन जैसी अन्य नशीली दवाओं में मिलावट करने के लिए किया जाता है, जिससे इनकी क्षमता और लाभ मार्जिन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।	ओवरडोज से होने वाली अधिकांश मौतें इसी के कारण होती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ओपिओइड संकट को बढ़ावा मिलता है।
अमेरिकी संकट का पैमाना	अब अमेरिका में फेंटेनाइल के कारण होने वाली ओवरडोज से होने वाली मौतों की संख्या हेरोइन और प्रिस्क्रिप्शन ओपिओइड से होने वाली मौतों से भी अधिक है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।	पूर्ववर्ती रसायनों के लिए स्रोत/पारगमन देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का संदर्भ प्रदान करता है।

भारत और प्रीकर्सर रसायनों का विनियमन:

अमेरिका की "**मेजर लिस्ट**" में भारत का हाल ही में शामिल होना सिंथेटिक नशीले पदार्थों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसकी महत्वपूर्ण, यद्यपि चुनौतीपूर्ण, भूमिका को उजागर करता है।

1. अमेरिकी मेजर की सूची

मेजर्स लिस्ट, अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा एक वार्षिक वर्गीकरण है जो **नशीले पदार्थों और उनके पूर्ववर्ती रसायनों के उत्पादन** या परिवहन में प्राथमिक चिंता वाले देशों की पहचान करता है। भारत को इसमें शामिल करना प्राथमिक फेंटेनाइल उत्पादन का आरोप नहीं है, बल्कि **अवैध फेंटेनाइल संश्लेषण** के लिए आवश्यक पूर्ववर्ती रसायनों के विचलन को लेकर चिंता का विषय है।

2. प्रीकर्सर चैलेंज

भारत दवा और रासायनिक उत्पादों का एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक है। देश को निम्नलिखित कारणों से सूचीबद्ध किया गया है:

- **उत्पादन और विपथन:** एनपीपी और 4-एएनपीपी जैसे पूर्ववर्ती रसायनों का कथित अवैध उत्पादन या विपथन, जो फेंटेनाइल के लिए आवश्यक निर्माण खंड हैं।
- **भौगोलिक निकटता:** गोल्डन क्रीसेंट (अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान) के निकट भारत का स्थान, जो मादक पदार्थों की तस्करी का एक प्रमुख केंद्र है, इसे एक महत्वपूर्ण पारगमन और स्रोत क्षेत्र बनाता है।
- **शासन और विनियमन में मुख्य चुनौतियाँ:** फेंटेनाइल की प्रकृति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए अनोखी बाधाएँ उत्पन्न करती है:
- **कृत्रिम प्रकृति बनाम पारंपरिक नशीले पदार्थ:** पौधों से प्राप्त दवाओं (जैसे, अफीम पोस्त से हेरोइन या कोका पत्ती से कोकीन) के विपरीत, फेंटेनाइल पूरी तरह से सिंथेटिक है। इससे इसके स्रोत का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह विशिष्ट कृषि क्षेत्रों तक सीमित नहीं है।
- **दोहरे उपयोग की दुविधा:** पूर्ववर्ती पदार्थों (जैसे एनपीपी) के दवा, रंग और कीटनाशक उद्योगों में वैध और आवश्यक अनुप्रयोग हैं। पूर्ण प्रतिबंध से वैध वाणिज्य और स्वास्थ्य सेवा को गंभीर नुकसान होगा, जिसके लिए एक सूक्ष्म नियामक ढाँचे की आवश्यकता होगी।
- **कम मात्रा, उच्च उपज:** पूर्ववर्ती रसायनों की अल्प मात्रा भी घातक फेंटेनाइल की विशाल मात्रा उत्पन्न कर सकती है, जिससे सीमा शुल्क और सीमाओं पर प्रवर्तन प्रयास जटिल हो जाते हैं।
- **चोरी की रणनीतियाँ:** ऑनलाइन बाज़ारों, डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड भुगतानों के माध्यम से अवैध व्यापार को तेज़ी से बढ़ावा मिल रहा है, जिससे पारंपरिक कानून प्रवर्तन पहचान और ट्रैकिंग विधियों में बाधा आ रही है।
- **वैश्वीकृत आपूर्ति श्रृंखलाएँ:** फेंटेनाइल के उत्पादन, प्रसंस्करण और तस्करी में अक्सर कई देश शामिल होते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए निर्बाध अंतर-क्षेत्राधिकार खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

फेंटेनाइल खतरे से निपटने के लिए आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और संवर्धित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है।

1. **घरेलू नियामक ढांचे को मजबूत करना**
   - ✓ **सख्त लाइसेंसिंग और पर्यवेक्षण:** प्रीकर्सर रसायनों से संबंधित कंपनियों, विशेष रूप से निर्यात में शामिल कंपनियों, के लिए सख्त लाइसेंसिंग और अनिवार्य पर्यवेक्षण लागू करना।
   - ✓ **डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रीकर्सर के जीवनचक्र की निगरानी करने और अवैध चैनलों में जाने से रोकने के लिए **डिजिटल आपूर्ति-श्रृंखला ट्रैकिंग तंत्र** को शामिल करना।
   - ✓ **अनुपालन संस्कृति:** निर्यात को बाधित किए बिना जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए वैध दवा और रसायन उद्योग के भीतर एक मजबूत अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देना।
2. **उन्नत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**
   - ✓ **खुफिया जानकारी साझा करना: संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ** सम्मेलनों के अनुरूप, अमेरिका, मेक्सिको और चीन जैसे देशों के साथ सहयोग के स्तर को बढ़ाना, और पूर्ववर्ती विपथन और अंतरराष्ट्रीय तस्करी संगठनों के बारे में खुफिया जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना।
   - ✓ **क्षमता निर्माण:** नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को उन्नत तकनीक और प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे बड़ी मात्रा में रासायनिक निर्यात की निगरानी कर सकें और अवैध निर्यातकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर सकें।

3. **सार्वजनिक स्वास्थ्य और मांग में कमी**
   - ✓ **ओपिओइड प्रतिस्थापन चिकित्सा (ओएसटी):** ओएसटी का विस्तार करें और देश भर में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना।
   - ✓ **सशक्त जागरूकता अभियान:** सिंथेटिक ओपिओइड और नकली गोलियों से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लक्षित जन स्वास्थ्य अभियान चलाना।

निष्कर्ष

फेंटेनाइल संकट के कारण सिंथेटिक नशीले पदार्थों को राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य, दोनों के लिए एक चुनौती के रूप में देखना आवश्यक हो गया है। भारत के लिए, सफलता एक जीवंत दवा निर्यात अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता और पूर्ववर्ती रसायनों के अप्रसार को सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने में निहित है। इस शक्तिशाली वैश्विक खतरे को कम करने के लिए मज़बूत घरेलू विनियमन, तकनीकी सतर्कता और गहन बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित एक एकीकृत रणनीति आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला शब्द "मेजर लिस्ट" सबसे सटीक रूप से किससे संबंधित है:

(a) ओपिओइड की लत की उच्चतम दर वाले देशों का विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वर्गीकरण।
(b) प्रमुख नशीली दवाओं के उत्पादक या नशीली दवाओं के परिवहन वाले देशों के नामों वाला अमेरिकी विदेश विभाग का एक वार्षिक वर्गीकरण।
(c) राजस्व के आधार पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रग कार्टेलों को रैंक करने का UNODC का एक प्रयास।
(d) मनोविकार पदार्थों पर कन्वेंशन का पालन न करने के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित देशों की सूची।

उत्तर: (b)

आकाशगंगा में दुर्लभ चतुष्क तारा प्रणाली की खोज

चर्चा में क्यों: हाल ही में खगोलविदों ने UPM J1040−3551 AabBab की खोज की है, जो आकाशगंगा में दो लाल बौनों और दो भूरे बौनों से युक्त एक दुर्लभ चतुष्क तारा प्रणाली (Quadruple Star System) है - यह अपनी तरह की पहली प्रतिपुष्ट प्रणाली है।

UPM J1040−3551 AabBab क्या है?

- **प्रणाली की प्रकृति:** हाइड्रा तारामंडल में लगभग **150 प्रकाश वर्ष** दूर स्थित एक चतुष्क तारा प्रणाली (Quadruple Star System), जिसमें गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे दो द्वि-तारा युग्म (Aab & Bab) शामिल हैं।
- **संरचना:**
  - ✓ **दो लाल बौने (रेड ड्वार्फ):** छोटे, दीर्घायु, ठंडे तारे जो धीरे-धीरे हाइड्रोजन जलाते हैं।
  - ✓ **दो टी-प्रकार के भूरे बौने (ब्राउन ड्वार्फ):** उप-तारकीय पिंड जो कभी भी हाइड्रोजन संलयन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान प्राप्त नहीं कर पाए।
- **दुर्लभता:**
  - ✓ भूरे रंग के बौने तारे आमतौर पर अकेले रहते हैं; **5%** से भी कम के तारकीय साथी होते हैं, जिससे यह खोज अत्यंत दुर्लभ हो जाती है।

लाल बौने (रेड ड्वार्फ)

- आकाशगंगा में सबसे प्रचुर तारे (सभी तारों का लगभग 70%)।
- **सतह का तापमान:** 2,500°C–4,000°C।
- तेज़ ज्वालाएँ और पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करते हैं, लेकिन इनका **जीवनकाल खरबों वर्ष** होता है।
- **उदाहरण:** प्रॉक्सिमा सेंटॉरी, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा।

भूरे बौने (ब्राउन ड्वार्फ) - "असफल तारे"

- **द्रव्यमान सीमा:** बृहस्पति की तुलना में 13-75 गुना।
- तारों की तरह दिखते हैं, लेकिन **हाइड्रोजन संलयन** को सहन नहीं कर सकते।
- बृहस्पति जैसे गैस दानवों के समान गुण।
- बहुत मंद और ठंडा, अक्सर **अवरक्त दूरबीनों या गाया मिशन डेटा** के माध्यम से पता लगाया जाता है।

वैज्ञानिक महत्व

- यह इस बारे में नई जानकारी प्रदान करता है कि **कम द्रव्यमान वाले तारे और उप-तारकीय पिंड किस प्रकार एक साथ बनते हैं।**
- **तारकीय विकास, बहुलता** और **ग्रह निर्माण** के मॉडल को परिष्कृत करने में सहायता करता है।
- यह अध्ययन मंद, कम द्रव्यमान वाली प्रणालियों का पता लगाने में **गैया और भू-आधारित दूरबीनों** की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

निष्कर्ष

UPM J1040−3551 AabBab की खोज से तारकीय विविधता के बारे में हमारी समझ बढ़ती है और तारों, भूरे बौनों और ग्रहीय प्रणालियों के निर्माण तंत्र (Formation Mechanisms of Stars, Brown Dwarfs, And Planetary Systems) के अध्ययन के लिए एक नया ढांचा उपलब्ध होता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: हाल ही में समाचारों में देखा गया UPM J1040−3551 AabBab, किससे संबंधित है?

(a) एक लाल दानव तारे की परिक्रमा करता हुआ खोजा गया एक बाह्यग्रह
(b) लाल बौनों और भूरे बौनों से युक्त एक चतुर्भुज तारामंडल
(c) गहरे अंतरिक्ष का अवलोकन करने के लिए प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष दूरबीन
(d) आकाशगंगा के निकट एक बौनी आकाशगंगा

उत्तर: (b)

सूर्या एआई: सौर पूर्वानुमान में नासा और आईबीएम की सफलता

चर्चा में क्यों: हाल ही में, नासा और आईबीएम ने सूर्या एआई (SURYA AI) का अनावरण किया, जो हेलियोफिजिक्स के लिए दुनिया का पहला आधारभूत एआई मॉडल है, जिसे नौ वर्षों के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी (एसडीओ) डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। यह अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे सौर ज्वालाओं, कोरोनल मास इजेक्शन और पृथ्वी तथा अंतरिक्ष मिशनों को प्रभावित करने वाली अन्य सौर घटनाओं की पूर्व चेतावनी संभव हो गई है।

सूर्या एआई क्यों महत्वपूर्ण है?

- सूर्य, जीवन के लिए आवश्यक होने के बावजूद, सौर ज्वालाएँ और सीएमई उत्पन्न करता है जो पृथ्वी की ओर आवेशित कणों का उत्सर्जन करते हैं।
- ये घटनाएँ उपग्रहों, जीपीएस, विमानन, संचार नेटवर्क और पावर ग्रिड को बाधित कर सकती हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विकिरण संबंधी खतरे पैदा कर सकती हैं।
- सूर्या एआई वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को सौर खतरों का सटीक पूर्वानुमान लगाने, तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

सूर्या एआई की मुख्य विशेषताएं:

- **उन्नत एआई आर्किटेक्चर:**
  - ✓ दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के सौर पैटर्न को कैप्चर करने के लिए स्पेक्ट्रल ब्लॉक परतों और दीर्घ-अल्प दृष्टि ट्रांसफॉर्मरों को संयोजित करता है।
  - ✓ ज्वाला पूर्वानुमान, सनस्पॉट पहचान और EUV स्पेक्ट्रम पूर्वानुमान (flare prediction, sunspot detection, and EUV spectrum

forecasting) जैसे कार्यों के लिए सामान्य-उद्देश्यीय सौर अभ्यावेदन सीखता है।

- **स्मृति नवाचार (Memory Innovation):**
  - ✓ कम्प्यूटेशनल शोर को कम करने और विशाल सौर छवि डेटासेट के प्रसंस्करण में दक्षता में सुधार करने के लिए **स्पेक्ट्रल गेटिंग** का उपयोग करता है।
- **भविष्यवाणी एवं सटीकता:**
  - ✓ **सौर ज्वालाओं का 2 घंटे पहले** और **सौर वायु की गति का 4 दिन** पहले तक पूर्वानुमान।
  - ✓ ज्वाला वर्गीकरण में मौजूद मॉडलों की तुलना में **16% तक बेहतर** सटीकता प्राप्त की।
  - ✓ बड़ी सौर घटनाओं का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण किया, जैसे कि 2015 **सेंट पैट्रिक दिवस का भू-चुंबकीय तूफान।**
- **ओपन-सोर्स सहयोग:**
  - ✓ **हगिंग फेस, गिटहब** और **आईबीएम के टेराटॉर्च** के माध्यम से सुलभ।
  - ✓ इसमें सूर्यबेंच भी शामिल है, जो सौर भौतिकी में अनुसंधान और विकास के लिए एक बेंचमार्क डेटासेट है।
  - ✓ यह वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है और **अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान** में नवाचार का विस्तार करता है।

वैज्ञानिक और व्यावहारिक लाभ

- **बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा:** बिजली ग्रिड, **जीपीएस, विमानन, इंटरनेट** और **उपग्रहों** को सौर ऊर्जा से उत्पन्न व्यवधानों से बचाता है।
- **अंतरिक्ष मिशनों का समर्थन:** अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाता है और अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष विकिरण के खतरों के लिए तैयार करता है।
- **तैयारी में सुधार:** सरकारों और उद्योगों को सौर गतिविधि से होने वाले जोखिमों को सक्रिय रूप से कम करने में सक्षम बनाता है।
- **अनुसंधान को सुगम बनाता है:** हेलियोफिजिक्स और उन्नत पूर्वानुमान उपकरणों में नई अंतर्दृष्टि के लिए एक मंच प्रदान करता है।

निष्कर्ष

सूर्या एआई (Surya AI) कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूर्यभौतिकी और मुक्त विज्ञान (Artificial Intelligence, Heliophysics, And Open Science) के सम्मिश्रण का उदाहरण है। सौर गतिविधि की पूर्व चेतावनी देकर, यह पृथ्वी-आधारित बुनियादी ढाँचे और अंतरिक्ष अभियानों, दोनों की क्षमता को मज़बूत करता है। इसका मुक्त-स्रोत स्वरूप वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करता है, जिससे प्रौद्योगिकी-संचालित युग में नवाचार और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: सूर्या एआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे नासा और ईएसए द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
2. इसे नासा की सौर गतिकी वेधशाला के आँकड़ों पर प्रशिक्षित किया गया था।
3. यह सौर ज्वालाओं के घटित होने से दो घंटे पहले तक उनका पूर्वानुमान लगा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

चंद्र मॉड्यूल प्रक्षेपण यान (एलएमएलवी)

चर्चा में क्यों: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, चंद्र मॉड्यूल प्रक्षेपण यान (लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल - एलएमएलवी) के लिए योजनाओं का अनावरण किया है, जिसके 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है, जो चंद्र और गहरे अंतरिक्ष मिशनों का समर्थन करेगा, जिसमें 2040 तक चंद्रमा पर भारत का पहला मानवयुक्त मिशन भी शामिल है।

एलएमएलवी के बारे में

- एलएमएलवी को एक सुपर हेवी-लिफ्ट प्रक्षेपण यान के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जो पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे तक बड़े पेलोड ले जाने में सक्षम है।
- यह अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) अवधारणा के उत्तराधिकारी के रूप में काम करेगा और भारत के दीर्घकालिक मानव और गहन अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह वाहन भविष्य के चंद्र मिशनों, प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपण मॉड्यूल और चंद्रमा से परे गहरे अंतरिक्ष मिशनों को सक्षम करेगा।

प्रमुख विशेषताएँ

डिज़ाइन और विन्यास:

- यह रॉकेट **40 मंज़िला इमारत जितना ऊँचा** होगा, जिससे यह इसरो द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट बन जाएगा।
- **इसमें तीन चरणों वाला विन्यास होगा:**
  - ✓ **प्रथम और द्वितीय चरण:** द्रव प्रणोदक इंजन।
  - ✓ **तृतीय चरण:** उच्चतर कक्षाओं में अधिक दक्षता के लिए क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली।
- कोर स्टेज और दो बड़े स्ट्रैप-ऑन बूस्टर मिलकर 27 इंजनों (नौ इंजनों के तीन समूह) को शक्ति प्रदान करेंगे।

भार क्षमता:

- **निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO)** तक: 80 टन तक।
- **चंद्र कक्षा तक:** लगभग 27 टन, जो मानव-निर्धारित चंद्र मिशनों और भारी चंद्र अवसंरचना के लिए पर्याप्त है।

प्रणोदन और संरचना:

- प्रत्येक स्ट्रैप-ऑन बूस्टर वर्तमान एलवीएम-3 रॉकेट से अधिक ऊंचा होगा, जो वर्तमान में इसरो का सबसे भारी परिचालन वाहन है।
- यह रॉकेट प्रणोदन और दक्षता को अनुकूलित करने के लिए द्रव और क्रायोजेनिक प्रणोदकों के संयोजन का उपयोग करेगा।

समयावधि

- **विकास पूरा होने का लक्ष्य:** 2035 तक।
- **परिचालन उपयोग:** 2040 तक भारत के पहले मानव चंद्र मिशन की योजना।

सामरिक और वैज्ञानिक महत्व

- **मानव अंतरिक्ष उड़ान और चंद्र अन्वेषण:** यह भारत की नियोजित **मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग** को संभव बनाएगा, जिसका लक्ष्य 2040 निर्धारित किया गया है, जो चंद्रयान मिशनों से आगे बढ़ेगा।
- **अंतरिक्ष अवसंरचना:** एक **स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन** (भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन) के निर्माण में सहायता करता है, जिसका प्रक्षेपण 2035 तक प्रस्तावित है।
- **भारी पेलोड परिवहन:** कार्गो, रोवर और संभावित **बेस मॉड्यूल** सहित विशाल चंद्र अवसंरचना पहुँचाने में सक्षम।
- **गहन अंतरिक्ष अन्वेषण:** 2040 के दशक में चंद्र कक्षा से परे, अंतरग्रहीय मिशनों का मार्ग प्रशस्त करता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** भारत को **सुपर हेवी-लिफ्ट क्षमता** वाले चुनिंदा देशों (अमेरिका, चीन, रूस) में स्थान देता है, जिससे **आत्मनिर्भर भारत पहल** के तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष

चंद्र मॉड्यूल प्रक्षेपण यान (LMLV) भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक परिवर्तनकारी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो उपग्रह प्रक्षेपणों से हटकर मानव और गहन अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके चालू होने पर,

यह भारत को सुपर हेवी-लिफ्ट क्षमताओं वाले विशिष्ट राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल कर देगा, जिससे चंद्रमा पर निरंतर उपस्थिति, स्वदेशी अंतरिक्ष अवसंरचना और भविष्य के अंतरग्रहीय मिशनों को संभव बनाया जा सकेगा। यह 21वीं सदी के मध्य तक एक अग्रणी वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने के भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल (LMLV) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक सुपर हेवी-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो वर्तमान में चंद्र और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए विकसित कर रहा है।
2. रॉकेट के पहले दो चरणों में द्रव प्रणोदक का उपयोग होता है, और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है।
3. LMLV लगभग 27 टन पेलोड चंद्र कक्षा तक ले जा सकता है।
4. इसे LVM-3 की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह भारत के भविष्य के मानव और चंद्र मिशनों का समर्थन करेगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1, 2 और 4

उत्तर: (b)

इसरो का एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण (आईएडीटी-1)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, इसरो ने अपने **गगनयान** मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट (आईएडीटी-01) - गगनयान की सुरक्षा वास्तुकला में एक मील का पत्थर सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसमें पैराशूट-आधारित मंदी और क्रू मॉड्यूल रिकवरी सिस्टम के अंत-से-अंत प्रदर्शन का प्रदर्शन किया गया।

मुख्य विवरण

पैरामीटर	विवरण
परीक्षण स्थल	सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी), श्रीहरिकोटा
पेलोड	पूर्ण पैराशूट प्रणाली के साथ नकली क्रू मॉड्यूल (≈ 4.8 टन)
ड्रॉप ऊंचाई और प्लेटफ़ॉर्म	भारतीय वायु सेना के चिनूक हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग 3 किमी की ऊंचाई से छोड़ा गया
पैराशूट विन्यास	चार प्रकार: एपेक्स कवर सेपरेशन (एसीएस), ड्रोग, पायलट और मुख्य पैराशूट
प्रदर्शन संबंधी उद्देश्य	सुरक्षित समुद्री लैंडिंग के लिए स्पलैशडाउन पर मॉड्यूल की गति को ~8 मीटर/सेकंड तक धीमा करें
रिकवरी ऑपरेशन	मॉड्यूल को आईएनएस अन्वेषा द्वारा पुनः प्राप्त किया गया और चेन्नई बंदरगाह पर पहुँचाया गया

- परीक्षण में **पूर्ण अनुक्रम पैराशूट पृथक्करण** और सत्यापित एवियोनिक्स संचार, वास्तविक समय टेलीमेट्री और सॉलिड-स्टेट डेटा रिकॉर्डर (एसएसडीआर) के माध्यम से डेटा रिकॉर्डिंग शामिल थी।

गगनयान मिशन रोडमैप और आईएडीटी-1 की भूमिका

- मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में कई तकनीकी सत्यापन चरण होते हैं। **आईएडीटी-1, TV-D1** (परीक्षण यान निरस्तीकरण, चालक दल के पलायन की पुष्टि) के बाद आता है और **TV-D2**, गगनयान-1 (मानवरहित) और अंत में चालक दल युक्त उड़ान (2027 लक्ष्य) से पहले आता है।
- IADT-1 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि पैराशूट और मंदन प्रणालियाँ, जैसा कि एक यथार्थवादी परिदृश्य में तैनात हैं, सही ढंग से कार्य करती हैं, जो कि प्रणाली की मानव रेटिंग के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।

प्रौद्योगिकी, नीति और भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्व

- **सुरक्षा प्रणालियों का सत्यापन:** यह सफलता साबित करती है कि पैराशूट संयोजन, अनुक्रमण, पृथक्करण और पुनर्प्राप्ति वास्तविक परिस्थितियों में विश्वसनीय रूप से संचालित हो सकते हैं। यह अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- **प्रौद्योगिकी तत्परता की परिपक्वता:** एवियोनिक्स ट्रिगरिंग, टेलीमेट्री, यांत्रिक विश्वसनीयता, संरचनात्मक अखंडता और मॉडलिंग सत्यापन का परीक्षण एक एकीकृत प्रयोग में किया जाता है।
- **अंतर-एजेंसी तालमेल:** इस परीक्षण में इसरो, डीआरडीओ (विशेष रूप से पैराशूट प्रणालियों के लिए एडीआरडीई, आगरा), भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल शामिल थे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर बल मिला।
- **भविष्य के मिशनों के लिए रणनीतिक आत्मविश्वास:** एक सफल आईएडीटी आगामी मिशन टीवी-डी2, मानवरहित गगनयान-1 और अंतिम मानवयुक्त मिशन से पहले आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह मानव अंतरिक्ष उड़ान, अंतरिक्ष स्टेशनों और ग्रहीय मिशनों में भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आधारभूत कदम है।
- **घरेलू क्षमता और आत्मनिर्भरता:** पैराशूट और संबंधित प्रणालियां स्वदेशी रूप से विकसित की गई हैं (उदाहरण के लिए, ADRDE द्वारा) जो भारत की तकनीकी स्वायत्तता को बढ़ाती हैं।

निष्कर्ष

आईएडीटी-1 परीक्षण सिर्फ़ एक तकनीकी प्रयोग नहीं है—यह इस बात का प्रमाण है कि भारत **मानव-योग्य अंतरिक्ष** प्रणालियों की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चालक दल के सुरक्षित निकलने से लेकर सुरक्षित वापसी तक, हर सफल परीक्षण, गगनयान को सफलता के और क़रीब ले आता है। यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए, यह इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे **अंतरिक्ष मिशन** की संरचनाओं में क्रमिक सत्यापन, हितधारकों के तालमेल, जोखिम न्यूनीकरण और नीतिगत समर्थन की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: इसरो के आईएडीटी-1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. इस परीक्षण में C-130 विमान का उपयोग करके लगभग 10 किमी की ऊँचाई से मॉड्यूल को गिराया गया।
2. इसका उद्देश्य गगनयान के क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट मंदन प्रणालियों का सत्यापन करना था।
3. स्पलैशडाउन के बाद भारतीय नौसेना द्वारा मॉड्यूल को बरामद कर लिया गया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रतुश रेडियोमीटर

चर्चा में क्यों: रमन अनुसंधान संस्थान (आरआरआई), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन से प्राप्त संकेतों का उपयोग करके ब्रह्मांड के पुनर्आयनीकरण की जाँच करने वाला एक नया अंतरिक्ष-आधारित उपकरण, प्रतुश (PRATUSH - प्रोबिंग रीआयनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन)) विकसित किया है। इसे कॉस्मिक डॉन का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वह युग जब लाखों वर्षों के अंधकार के बाद ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हुए, पहले तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ था।

कॉस्मिक डॉन के बारे में

- **कॉस्मिक डॉन** उस काल को चिह्नित करता है जब **पहले चमकदार पिंडों, तारों** और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और इस तरह ब्रह्मांड के **"अंधकार युग"** का अंत हुआ।
- इस चरण के दौरान, उदासीन हाइड्रोजन गैस का पुनः आयनीकरण शुरू हुआ, जिससे ब्रह्मांड एक अंधकारमय, उदासीन माध्यम से आयनित, प्रकाश से परिपूर्ण माध्यम में परिवर्तित हो गया।
- उदासीन हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित **21-सेमी रेडियो संकेत** इस युग के अध्ययन की कुंजी है।
- यद्यपि, रेडियो हस्तक्षेप, आयनमंडलीय विकृतियों और मानव निर्मित शोर के कारण पृथ्वी से आने वाले इन मंद संकेतों का पता लगाना अत्यंत कठिन है।

प्रतुश रेडियोमीटर (PRATUSH RADIOMETER) के बारे में

- रमन अनुसंधान संस्थान (आरआरआई), बेंगलुरु द्वारा विकसित, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।
- **उद्देश्य:** कॉस्मिक डॉन के दौरान हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित 21-सेंटीमीटर रेडियो आवृत्ति संकेत को ग्रहण करना और उसका विश्लेषण करना।
- **प्रस्तावित कक्षा:**
  - ✓ इसे चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग पर स्थापित किया जाएगा, जो आंतरिक सौरमंडल का सबसे शांत रेडियो क्षेत्र है।
  - ✓ यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से **पृथ्वी के रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप** और **आयनमंडलीय विकृतियों** से सुरक्षित है, जो इसे सटीक ब्रह्माण्ड संबंधी अध्ययनों के लिए आदर्श बनाता है।
- **डिज़ाइन और घटक:**
  - ✓ यह **सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर (एसबीसी)** का उपयोग करके संचालित होता है, जो एक क्रेडिट कार्ड से भी छोटा एक कॉम्पैक्ट मास्टर कंट्रोलर है।
  - ✓ एसबीसी एंटीना, एनालॉग रिसीवर और **फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे (एफपीजीए) का** समन्वय करता है जो आने वाले रेडियो डेटा को संसाधित करता है।
  - ✓ यह प्रणाली **उच्च डेटा सटीकता** और **ऊर्जा दक्षता** सुनिश्चित करती है, जो अंतरिक्ष-आधारित उपकरणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **प्रयोगशाला सत्यापन:**
  - ✓ आरआरआई में किए गए परीक्षणों से केवल कुछ **मिलीकेल्विन (एमके)** का शोर स्तर प्रदर्शित हुआ, जिससे **अति-कमजोर ब्रह्मांडीय** संकेतों का पता लगाने की इसकी क्षमता सिद्ध हुई।

वैज्ञानिक महत्व

- अंतरिक्ष-आधारित ब्रह्मांड विज्ञान और रेडियो खगोल विज्ञान में **अग्रणी भारतीय योगदान।**
- यह नासा के DARE (डार्क एजेस रेडियो एक्सप्लोरर) और यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) के **लूनर पाथफाइंडर मिशन** जैसे वैश्विक प्रयासों में शामिल होने की भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड संकेतों का अध्ययन करते हैं।
- यह निम्नलिखित की बेहतर समझ को सक्षम बनाता है:
  - ✓ **प्रथम तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण,**
  - ✓ ब्रह्मांड का उदासीन से आयनित **अवस्था में परिवर्तन,** और
  - ✓ बिग बैंग के बाद पहले अरब वर्षों के दौरान हाइड्रोजन का वितरण
- यह **कम आवृत्ति वाले रेडियो खगोल विज्ञान** में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ करता है, जो कि आरआरआई के पहले के उपकरणों जैसे **सारस रेडियोमीटर** पर आधारित है।

निष्कर्ष

प्रतुश रेडियोमीटर (PRATUSH RADIOMETER) का विकास **वैश्विक ब्रह्मांड विज्ञान** अनुसंधान में भारत की भागीदारी में एक बड़ा कदम है। **कॉस्मिक डॉन** से प्राप्त मंद हाइड्रोजन संकेतों की खोज करके, PRATUSH वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद करेगा कि कैसे पहले प्रकाश ने ब्रह्मांड को बदल दिया, और **खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी** के बीच की खाई को पाट दिया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: प्रतुश रेडियोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह रमन अनुसंधान संस्थान (आरआरआई) द्वारा विकसित एक चंद्र सुदूर रेडियोमीटर मिशन है।
2. इसका उद्देश्य कॉस्मिक डॉन के दौरान बने हाइड्रोजन परमाणुओं से मंद 21-सेमी रेडियो संकेतों का पता लगाना है।
3. यह प्रणाली डेटा संग्रह और प्रसंस्करण के समन्वय के लिए एकल-बोर्ड कंप्यूटर (एसबीसी) का उपयोग करती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

कच्छ में जारोसाइट की खोज: भारत का अपना मंगल ग्रह सदृश्य प्रतिरूप

चर्चा में क्यों: हाल ही में, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कच्छ (गुजरात) के मतानोमध गांव में जारोसाइट नामक एक दुर्लभ पीले-भूरे रंग का खनिज है - यह वह स्थान है जिसे इसरो ने मंगलयान-2 जैसे आगामी ग्रह मिशनों के लिए संभावित मंगल अनुरूप परीक्षण स्थल के रूप में पहचाना है।

जारोसाइट के बारे में

- **संरचना:** जारोसाइट एक सल्फेट खनिज है जो पोटेशियम (K), आयरन (Fe), सल्फर (S) और ऑक्सीजन (O_2) से बना होता है।
- **स्वरूप:** यह पीले-भूरे से गेरू रंग का होता है और इसकी बनावट क्रिस्टलीय होती है।
- **निर्माण:** यह उत्पाद ज्वालामुखी की राख या जलीय चट्टानों के पानी के साथ अभिक्रिया करके बनता है, और परिस्थितियाँ अम्लीय और ऑक्सीकरणकारी होती हैं।
- **सूचक मान:** अतीत में जल-चट्टान की परस्पर क्रिया की घटना को दर्शाता है, आमतौर पर अत्यधिक खारे और भू-रासायनिक वातावरण में।

भूवैज्ञानिक और मंगल ग्रह संबंध

- **स्थलीय उपस्थिति:** जारोसाइट पृथ्वी पर दुर्लभ है; केरल के वर्कला क्लिफ में जारोसाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है और यह दुनिया भर के कई स्थानों, जैसे मेक्सिको, स्पेन, जापान, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूटा और कैलिफ़ोर्निया) में भी पाया गया है।
- **मंगल ग्रह की खोज:** नासा के ऑपर्चुनिटी रोवर ने मंगल ग्रह के मेरिडियनी प्लैनम (2004) में जारोसाइट की खोज की - जो मंगल ग्रह पर अतीत में पानी की मौजूदगी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है।
- **कच्छ कनेक्शन:** मतानोमध में पाया गया खनिज लगभग 55 मिलियन वर्ष पुराना (पैलियोसीन काल) है।

खोज का महत्व

- **ग्रहीय अनुरूप अनुसंधान:** मतानोमध की संरचना और भूवैज्ञानिक विशेषताएँ मंगल ग्रह के प्रारंभिक दिनों से अप्रभेद्य हैं, इसलिए इसे इसरो के मंगल रोवर्स, ड्रिल और सुदूर संवेदन उपकरणों के लिए एक क्षेत्र परीक्षण स्थल माना जा सकता है।
- **खगोलीय जैविक महत्व:** यह जीवन-खोज अभियानों के साथ-साथ ग्रहीय सतह के रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिए एक प्रशिक्षण स्थल प्रदान करता है।

- **वैज्ञानिक और सामरिक लाभ:** यह भारत में ग्रह विज्ञान और खगोलीय जीव विज्ञान की शाखा के विकास में सहायक है। यह भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंगल कार्यक्रमों में सहयोग की संभावना का भी संकेत देता है।

निष्कर्ष

कच्छ में जारोसाइट की खोज पृथ्वी के भूवैज्ञानिक अतीत और मंगल ग्रह के विज्ञान के बीच एक कड़ी है। अकादमिक जिज्ञासा के अलावा, यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमता का विस्तार करता है और मंगल ग्रह के जलीय इतिहास की एक झलक प्रदान करता है, जो पृथ्वी से परे जीवन के अस्तित्व को उजागर करने की दिशा में एक कदम है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: खनिज "जेरोसाइट" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक सल्फेट खनिज है जिसमें लोहा, सल्फर और पोटेशियम होता है।
2. इसके निर्माण के लिए अम्लीय और ऑक्सीकरण स्थितियों में तरल जल की उपस्थिति आवश्यक है।
3. इसे हाल ही में भारत में खोजा गया है और यह मंगल ग्रह पर भी पाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में सा/से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की छिपी मानवीय लागत

चर्चा में क्यों: 2023 ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से पता चला है कि चैटजीपीटी और स्वचालित कारों जैसे एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक वैश्विक डेटा एनोटेशन कार्य का लगभग 70% विकासशील देशों, मुख्य रूप से भारत, केन्या, फिलीपींस और पाकिस्तान में कम वेतन वाले श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विकास के पीछे छिपी मानवीय लागत और नैतिक चिंताओं को उजागर करता है।

एआई विकास में मानवीय भागीदारी

एआई प्रणालियाँ अपने आप कच्चे डेटा का अर्थ नहीं समझ सकतीं। सार्थक डेटासेट बनाने के लिए उन्हें छवियों, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट के डेटा एनोटेशन लेबलिंग की आवश्यकता होती है।

उदाहरण के लिए:

- एक **स्वचालित कार पैदल यात्री** और ट्रैफ़िक लाइट के बीच अंतर करना तभी सीखती है जब मानव एनोटेटर लाखों फ्रेमों को लेबल करते हैं।
- चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे **वृहद् भाषा मॉडल (लार्ज लैंग्वेज माडल - एलएलएम)** निम्नलिखित के माध्यम से प्रशिक्षित होते हैं:
  - ✓ **स्व-पर्यवेक्षित शिक्षण (Self-supervised learning):** मॉडल असंरचित वेब डेटा को अवशोषित करता है।
  - ✓ **पर्यवेक्षित फ़ाइन-ट्यूनिंग (Supervised fine-tuning):** एनोटेटर गलत या अप्रासंगिक प्रतिक्रियाओं को परिष्कृत करते हैं।
  - ✓ **मानव प्रतिक्रिया से सुदृढीकरण शिक्षण (RLHF):** सुधार का मार्गदर्शन करने के लिए मनुष्य AI प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं।

इनमें से प्रत्येक चरण में कुशल मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जो यह साबित करता है कि एआई की "बुद्धिमत्ता/इंटेलीजेंस" एक सामूहिक मानवीय रचना है।

वैश्विक डेटा एनोटेशन उद्योग

- **वैश्विक एआई प्रशिक्षण डेटा बाज़ार** का मूल्यांकन 2023 में **2.3 बिलियन डॉलर (ग्रैंड व्यू रिसर्च)** था और **2030 तक इसके 17 बिलियन डॉलर** तक पहुँचने का अनुमान है। फिर भी, यह वृद्धि विकासशील देशों में कम वेतन वाले और **अदृश्य कर्मचारियों** पर निर्भर है।
- **केस स्टडी:** केन्या (2023): टाइम पत्रिका की एक जाँच से पता चला है कि ओपनएआई के चैटजीपीटी कंटेंट फ़िल्टरिंग पर काम करने वाले डेटा एनोटेटर्स 2 डॉलर प्रति घंटे से भी कम कमाते हैं, और अक्सर बाल शोषण, यातना और हिंसा जैसी परेशान करने वाली सामग्री की समीक्षा करते हैं। वे समा (एक अमेरिकी डेटा-लेबलिंग फर्म) जैसे मध्यस्थों के माध्यम से, खराब परिस्थितियों में काम करते हैं।
- **भारत की भूमिका:** भारत आईमेरिट, प्लेमेंट और स्केल एआई के ऑफशोर पार्टनर्स जैसी कंपनियों के माध्यम से सबसे बड़े डेटा-लेबलिंग कार्यबलों में से एक की मेजबानी करता है। ये हजारों कर्मचारियों को रोजगार देते हैं, जिनमें से कई बिना सामाजिक सुरक्षा के गिग अनुबंधों पर काम करते हैं।

"स्वचालित" प्रणालियों में अदृश्य मानव कार्य

यहां तक कि कथित "स्वचालित" डिजिटल प्रणालियां भी मानवीय नियंत्रण और इनपुट पर निर्भर करती हैं:

- **सोशल मीडिया सामग्री मॉडरेशन:** मेटा (फ़ेसबुक) और यूट्यूब दुनिया भर में हज़ारों मानव मॉडरेटर नियुक्त करते हैं।
- **आवाज़ पहचान प्रणालियाँ:** अमेज़न और गूगल जैसी कंपनियाँ एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट को प्रशिक्षित करने के लिए कई भाषाओं में भाषण रिकॉर्ड करने के लिए अभिनेताओं पर निर्भर करती हैं।
- **एआई इमेज जनरेशन:** मानव कलाकार लाखों छवियों को टैग और वर्णित करते हैं ताकि DALL·E और मिडजर्नी जैसे मॉडल मानवीय मुद्राओं, क्रियाओं और भावनाओं को पहचान सकें।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO, 2024) के एक अध्ययन के अनुसार, सामग्री मॉडरेटर हिंसक सामग्री के लगातार संपर्क में रहने के कारण उच्च स्तर के मनोवैज्ञानिक संकट का अनुभव करते हैं, फिर भी उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सहायता और कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है।

नैतिक और श्रम सम्बंधी मुद्दे

- **वेतन असमानता:** ग्लोबल साउथ में कामगारों को समान एआई माइक्रोटास्क के लिए अमेरिका के समकक्षों की तुलना में **10-15 गुना कम** भुगतान किया जाता है।
- **मान्यता का अभाव:** अधिकांश एनोटेटर्स को उस अंतिम उत्पाद या कंपनी के बारे में पता नहीं होता जिसमें वे योगदान करते हैं।
- **यूनियन दमन:** बेहतर वेतन की माँग या संगठित होने के प्रयास अक्सर बर्खास्तगी का कारण बनते हैं, जैसा कि द गार्जियन (2024) में बताया गया है।
- **गिग विखंडन:** काम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किया जाता है, जहाँ "माइक्रोटास्क" को एल्गोरिदम के माध्यम से ट्रैक, समयबद्ध और मॉनिटर किया जाता है।

इस घटना ने मैरी एल. ग्रे और सिद्धार्थ सूरी (पुस्तक: घोस्ट वर्क, 2019) जैसे विद्वानों को इन अदृश्य श्रमिकों को "एआई का घोस्ट वर्क फोर्स" कहने के लिए प्रेरित किया है।

भारतीय संदर्भ और नीतिगत चिंताएँ

भारत, अपनी विशाल अंग्रेजी-भाषी और तकनीकी-साक्षर आबादी के साथ, **एआई डेटा एनोटेशन और कंटेंट मॉडरेशन** का केंद्र बन गया है। हालाँकि, ऐसी अधिकांश नौकरियाँ औपचारिक श्रम कानूनों और डिजिटल अर्थव्यवस्था विनियमन के दायरे से बाहर हैं।

चिंताएँ:

- ✓ **श्रम अधिकार:** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) से संबंधित कार्यों में लगे गिग श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में अस्पष्ट बनी हुई है।
- ✓ **मानसिक स्वास्थ्य:** ऑनलाइन डिजिटल श्रम में कार्यस्थल पर होने वाले आघात की निगरानी के लिए कोई समर्पित ढाँचा मौजूद नहीं है।
- ✓ **पारदर्शिता:** बिचौलियों के माध्यम से उप-ठेकेदारी जवाबदेही को अस्पष्ट बनाती है।

सकारात्मक कदम:

- **नीति आयोग की "एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति" (एनएसएआई, 2023)** "सभी के लिए उत्तरदायी एआई" का आह्वान करती है, जो मानव-केंद्रित, नैतिक और समावेशी एआई विकास पर केंद्रित है।
- **डिजिटल इंडिया अधिनियम (प्रस्तावित 2024)** का उद्देश्य प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही और ऑनलाइन श्रम प्रथाओं को विनियमित करना है।
- **जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह (2023)** ने "निष्पक्ष एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं" को वैश्विक नीति प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया।

नैतिक और पारदर्शी एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता

एआई पारिस्थितिकी तंत्र में मानव शोषण को रोकने के लिए कई सुधार आवश्यक हैं:

- ✓ **उचित वेतन और सभ्य कार्य मानक:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सभ्य कार्य एजेंडे को अपनाएँ और न्यूनतम वेतन समानता सुनिश्चित करना।
- ✓ **पारदर्शिता अधिदेश:** तकनीकी कंपनियों को उप-ठेकेदार नेटवर्क और कर्मचारियों की स्थितियों का खुलासा करना होगा।
- ✓ **मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा:** सामग्री मॉडरेटर के लिए परामर्श और आघात सहायता स्थापित करना।
- ✓ **कौशल प्रमाणन:** स्किल इंडिया मिशन के तहत एआई डेटा-लेबलिंग कौशल मानकों को लागू करना।
- ✓ **नैतिक एआई प्रमाणन:** वस्तुओं में "निष्पक्ष व्यापार" के समान, उचित श्रम मानकों के तहत प्रशिक्षित एआई प्रणालियों को लेबल करें।
- ✓ **वैश्विक सहयोग:** यूनेस्को की 2021 "आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की नैतिकता पर अनुशंसा" के साथ संरेखित करना।

निष्कर्ष

एआई स्वायत्त बुद्धिमत्ता नहीं है; यह अनगिनत मानव मस्तिष्कों और हाथों की उपज है। इस अदृश्य कार्यबल को पहचानना और उसकी रक्षा करना, तकनीक को मानवीय, न्यायसंगत और टिकाऊ बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे-जैसे दुनिया एक स्वचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, श्रम की नैतिकता को एआई शासन के लिए डेटा की नैतिकता की तरह ही केंद्रीय होना चाहिए।

संभव: भारत का स्वदेशी सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम

चर्चा में क्यों: संभव (SAMBHAV) (सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन), भारतीय सेना द्वारा स्वदेश में विकसित एक सुरक्षित मोबाइल संचार प्रणाली है। परिचालन सुरक्षा बढ़ाने और विदेशी तकनीकों पर निर्भरता कम करने के लिए डिज़ाइन की गई, संभव ने पहलगाम में आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत की सैन्य प्रतिक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

प्रमुख विशेषताएं

- **स्वदेशी विकास:** सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप, 'संभव' पूरी तरह से भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया है।
- **सुरक्षित संचार:** यह प्रणाली एन्क्रिप्टेड, रीयल-टाइम संचार सुनिश्चित करती है और व्हाट्सएप जैसे व्यावसायिक अनुप्रयोगों से जुड़े जोखिमों को कम करती है।
- **एम-सिग्मा अनुप्रयोग:** 'संभव' में एम-सिग्मा शामिल है, जो एक सुरक्षित, स्थानीय अनुप्रयोग है जो उपयोगकर्ताओं को एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट, चित्र, दस्तावेज़ और वीडियो साझा करने की अनुमति देता है।
- **5G-रेडी हैंडसेट:** यह पारिस्थितिकी तंत्र बहु-स्तरीय एन्क्रिप्शन वाले 5G-रेडी हैंडसेट पर आधारित है, जो मज़बूत सुरक्षा और भविष्य में मापनीयता सुनिश्चित करता है।
- **नेटवर्क-अज्ञेय:** यह निजी या विदेशी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता के बिना मानक सेलुलर नेटवर्क पर संचालित होता है।
- **मापनीयता:** भारतीय सेना का लक्ष्य दो चरणों में 35,000 'संभव' सेट तैनात करना है: 15 जनवरी 2024 तक 2,500 सेट और शेष 31 मई 2024 तक।

सामरिक महत्व

- **उन्नत सुरक्षा:** संभव सैन्य संचार को गुप्तचरों द्वारा की जाने वाली बातचीत और डेटा से छेड़छाड़ से बचाता है, जिससे संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित होती है।
- **परिचालन दक्षता:** यह तत्काल संपर्क को सक्षम बनाता है, जिससे क्षेत्रीय और सामरिक अभियानों के दौरान प्रभावी कमान और नियंत्रण संभव होता है।
- **तकनीकी संप्रभुता:** विदेशी तकनीकों पर निर्भरता कम करके, संभव आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करता है।
    - **नागरिक-सैन्य एकीकरण:** यह प्रणाली भारत की नागरिक-सैन्य संलयन रणनीति का उदाहरण है, जो संभावित रूप से अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी सुरक्षित संचार का विस्तार करती है।

परिचालन प्रभाव

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, संभव ने सैनिकों, कमांडरों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच वास्तविक समय समन्वय की सुविधा प्रदान की, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'संपूर्ण राष्ट्र' दृष्टिकोण को मूर्त रूप दिया गया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: संभव (सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारतीय सेना का घरेलू स्तर पर विकसित 5G-आधारित सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम है।
2. यह केवल निजी सैन्य नेटवर्क पर ही कार्य करता है और सार्वजनिक सेलुलर अवसंरचना पर निर्भर नहीं करता है।
3. इसमें सुरक्षित संचार के लिए एम-सिग्मा नामक एक स्वदेशी एप्लिकेशन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

इसरो द्वारा गगनयान के लिए एयर ड्रॉप टेस्ट

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपना पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण (IADT-1) सफलतापूर्वक किया। इस परीक्षण में गगनयान क्रू मॉड्यूल के पैराशूट-आधारित मंदन और पुनर्प्राप्ति प्रणाली (Parachute-Based Deceleration And Recovery System) का मूल्यांकन किया गया, जो भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के पुनः प्रवेश और लैंडिंग चरणों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

मुख्य विवरण

गगनयान मिशन का उद्देश्य

- **लक्ष्य:** तीन सदस्यीय भारतीय दल को **निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO)** (लगभग 400 किमी ऊँचाई) पर भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना।
- **समयरेखा:**
    - ✓ **पहला मानवरहित मिशन (G-1):** 2025 के अंत में
    - ✓ **मानवयुक्त मिशन: 2027** के लिए लक्षित
- इस मिशन का उद्देश्य **मानव अंतरिक्ष उड़ान** में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है, जिससे वह विशिष्ट राष्ट्रों (अमेरिका, रूस, चीन) के समूह में शामिल हो सके।
- **कार्यकारी एजेंसी:** अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इसरो, डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से।

एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण (IADT-1) क्या है?

- **आईएडीटी अंतरिक्ष यान** की पृथ्वी पर वापसी यात्रा के अंतिम अवतरण चरण का अनुकरण करता है।
- **चिनूक हेलीकॉप्टर** का उपयोग करके किए गए इस परीक्षण में **4.8 टन वजनी डमी क्रू मॉड्यूल** को 3 किमी की ऊँचाई से गिराया गया।
- परीक्षण में निम्नलिखित का मूल्यांकन किया गया:
  - ✓ अवमंदन निर्देशों (Deceleration Commands) के लिए स्वायत्त एवियोनिक्स प्रणाली।
  - ✓ पैराशूट परिनियोजन क्रम (Parachute deployment sequence)।
  - ✓ अवतरण के दौरान स्थिरता और अभिविन्यास।
  - ✓ स्पलैशडाउन सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति तत्परता (recovery readiness)।
- परिणाम: सभी **10 पैराशूट योजना** के अनुसार तैनात किए गए, जिससे मॉड्यूल का **टर्मिनल वेग सफलतापूर्वक ~8 मीटर/सेकंड** तक कम हो गया, जिससे सुरक्षित लैंडिंग गति सुनिश्चित हुई।

पैराशूट प्रणाली कैसे काम करती है?

पैराशूट-आधारित अवमंदन प्रणाली (Parachute-Based Deceleration System) में चार प्रकार के पैराशूट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट कार्य करता है:

- **शीर्ष आवरण पृथक्करण पैराशूट (2 इकाइयाँ, प्रत्येक 2.5 मीटर):** पैराशूट बे को सुरक्षित रखने वाले शीर्ष आवरण को हटाना।
- **ड्रोग पैराशूट (2 इकाइयाँ, प्रत्येक 5.8 मीटर):** मॉड्यूल को स्थिर करना और प्रारंभिक वेग कम करना।
- **पायलट पैराशूट (3 इकाइयाँ, प्रत्येक 3.4 मीटर):** मुख्य पैराशूट को बाहर निकलना।
- **मुख्य पैराशूट (3 इकाइयाँ, प्रत्येक 25 मीटर):** सुरक्षित स्पलैशडाउन के लिए अंतिम अवमंदन (deceleration) प्रदान करना।

यह बहुस्तरीय अतिरेकता (Multilayered Redundancy) चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, भले ही एक या अधिक पैराशूट खराब हो जाएं - जो मानव-रेटेड मिशनों के लिए एक **महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता** है।

यह परीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?

- **मानव सुरक्षा:** पैराशूट की विफलता, चालक दल के साथ पुनः प्रवेश में सबसे बड़े जोखिमों में से एक है। IADT सुरक्षित मंदन और पुनर्प्राप्ति की पुष्टि करता है।
- **प्रणाली सत्यापन (System Validation):** यथार्थवादी परिस्थितियों में एवियोनिक्स, सेंसर और पैराशूट परिनियोजन तर्क की पुष्टि करता है।
- **मिशन तत्परता (Mission Readiness):** बिना चालक दल की उड़ान (G-1) और चालक दल के मिशनों से पहले एक प्रमुख मील का पत्थर।
- **अतिरेक प्रूफिंग (Redundancy Proofing):** एकल-प्रणाली विफलताओं के साथ भी निरंतर अवतरण स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- **मानव-रेटिंग मानकों का अनुपालन:** चालक दल के संचालन के लिए ISRO और IAF द्वारा सुरक्षा प्रमाणन के लिए आवश्यक।

गगनयान कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति

घटक/परीक्षण	स्थिति (2025 तक)
क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल	निर्मित और परीक्षण की गई संरचनाएं और प्रणोदन प्रणालियां
चालक दल से बचने की प्रणाली	टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन (टीवी-डी1), 2023 में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया
अगला परीक्षण वाहन मिशन (टीवी-डी2)	अधिक जटिल निरस्तीकरण परिदृश्यों का परीक्षण करने के लिए **2025** की तीसरी तिमाही के लिए निर्धारित
मानवरहित मिशन (जी-1, जी-2, जी-3)	**2025-2026** के अंत के बीच योजनाबद्ध
चालक दल मिशन (जी-4)	**2027** के लिए योजनाबद्ध
सुविधाएँ	चालक दल का प्रशिक्षण, नियंत्रण केंद्र और पुनर्प्राप्ति अवसंरचना का कार्य पूरा हो गया

मूल्य संवर्धन

हाल ही में, इसरो की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति (25 अगस्त, 2025) ने IADT-1 की सफलता और विस्तृत पैराशूट सत्यापन परिणामों की पुष्टि की है।

- **प्रारंभिक परीक्षा विशेष:**
  - ✓ **गगनयान** = भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन।
  - ✓ प्रयुक्त वाहन: **LVM3 (मानव-रेटेड)।**
  - ✓ **क्रू मॉड्यूल:** पुनः प्रवेश, जीवन रक्षक प्रणाली और सुरक्षित स्पलैशडाउन के लिए डिज़ाइन किया गया।
  - ✓ **कक्षा:** निम्न पृथ्वी कक्षा (~400 किमी)।
- **यूपीएससी मुख्य परीक्षा विशेष:**
  - ✓ यह **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वदेशी डिजाइन** और **चालक दल सुरक्षा इंजीनियरिंग** में भारत की प्रगति को दर्शाता है।

यह **उच्च स्तरीय एयरोस्पेस क्षमता में रणनीतिक स्वायत्तता** और **तकनीकी आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत)** को दर्शाता है।

निष्कर्ष

सफल एकीकृत वायु-ड्रॉप परीक्षण भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की महत्वाकांक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह चालक दल की सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति तंत्र (crew safety and recovery mechanisms) में इसरो के विश्वास को और मज़बूत करता है – जो किसी भी मानवयुक्त मिशन की आधारशिला है। आगामी मानवरहित मिशनों और प्रणालियों की मानव-रेटिंग के लगभग पूरा होने के साथ, गगनयान 2027 स्वदेशी सटीकता और वैश्विक विश्वसनीयता के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण के अगले क्षेत्र में भारत के प्रवेश का प्रतीक है।

रक्षा एवं सुरक्षा

अभ्यास 'सस्टेनेबल पॉवर 1404'

चर्चा में क्यों: हाल ही में, इजरायल के साथ 12 दिनों के टकराव के बाद, ईरान ने अपनी नौसैनिक और रणनीतिक तैयारी को रेखांकित करने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर सैन्य युद्धाभ्यास किया।

मुख्य विवरण

- **अभ्यास का नाम:** सस्टेनेबल पॉवर **1404**
- **क्षेत्रीय फोकस:** उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी।
- **भाग लेने वाले पोत:** भाग लेने वाले पोतों में सहायक पोत आईआरआईएस गनवेह (IRIS Ganaveh) और नौसैनिक फ्रिगेट आईआरआईएस सबलान (IRIS Sabalan) शामिल हैं।
- **आयुध प्रणालियाँ:** क्रूज़ मिसाइलों नासिर और कादिर का परीक्षण किया गया, और दोनों ही समुद्री क्षेत्र में लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक प्रहार करने में सफल रहीं।
- निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन का उपयोग खुफिया जानकारी एकत्र करने और क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जाता है।

रणनीतिक पृष्ठभूमि

- यह अभ्यास इज़राइली हमलों के बाद हो रहा है, जिसमें ईरान के परमाणु और वायु रक्षा ढाँचे के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया गया था, जिससे तेहरान को अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- जून की लड़ाई के दौरान ईरान की नौसेना को ज़्यादातर नुकसान नहीं पहुँचा; इस प्रकार, युद्ध के बाद का यह अभ्यास दृढ़ता और प्रतिरोध का प्रतीक है।
- पारंपरिक ईरानी नौसेना मुख्य रूप से ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और कैस्पियन सागर में स्थित है, जबकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी
- गार्ड कॉर्प्स नेवी (IRGCN) फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य पर हावी है, और पश्चिमी नौसेना बलों के साथ सबसे अधिक नियमित रूप से संपर्क में रहती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: कौन सा देश "सस्टेनेबल पावर 1404" नौसैनिक अभ्यास से सम्बंधित है?

(a) कुवैत
(b) ईरान
(c) इज़राइल
(d) इराक

उत्तर: (b)

अभ्यास 'मैत्री'

चर्चा में क्यों: हाल ही में, मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड (JTN) में 14वें अभ्यास 'मैत्री' का आयोजन हुआ। पाँच साल बाद, यह अभ्यास पहली बार भारत में हो रहा है।

मुख्य विवरण

- **प्रारंभ:** वर्ष 2006।
- **प्रतिभागी:** रॉयल थाई सेना और भारतीय सेना।
- **आवृत्ति:** प्रतिवर्ष थाईलैंड और भारत बारी-बारी से मैत्री अभ्यास की मेजबानी करते हैं।
- **सैनिकों की भागीदारी (2025):** भारत की ओर से मद्रास रेजिमेंट के लगभग 120 सदस्य, जबकि रॉयल थाई सेना में थाईलैंड की 14वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की पहली इन्फैंट्री बटालियन के 53 सदस्य शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएं

- **आतंकवाद विरोधी गतिविधियाँ:**
  - ✓ **अर्ध-शहरी परिवेश** में संयुक्त अभ्यास, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के शांति स्थापना अधिदेश के अनुपालन में सिमुलेशन
- **परिचालन और सामरिक प्रशिक्षण**
  - ✓ सहयोगात्मक रणनीति, कॉर्पोरेट स्तर के अभ्यास और हमले
  - ✓ हथियार प्रबंधन और फिटनेस प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट विधियाँ।
  - ✓ 48 घंटों तक लगभग युद्ध जैसी परिस्थितियों में किए गए सत्यापन अभ्यास के साथ समापन।
- **Capacity Building**
  - ✓ आपसी विश्वास और अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि
  - ✓ आपदा राहत और मानवीय सहायता (HADR) प्रक्रियाओं से परिचित होना

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: अभ्यास 'मैत्री' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह थाईलैंड और भारत के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
2. यह पहली बार 2006 में किया गया था।
3. वर्तमान में, उमरोई, मेघालय, 14वें संस्करण (2025) की मेजबानी कर रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मिशन 'सुदर्शन चक्र'

चर्चा में क्यों: हाल ही में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने नव आरंभित मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का पहला उड़ान परीक्षण किया।

मुख्य विवरण

- प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के **79वें स्वतंत्रता दिवस (2025)** पर मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की, जो 2035 तक एक सर्वव्यापी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली होगी।
- वर्तमान समय में ड्रोन, क्रूज़ मिसाइल, सटीक-निर्देशित हथियार और मंडराते हथियार हाल के वर्षों में इतने व्यापक हो गए हैं कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है।
- भारत ऐतिहासिक रूप से **बराक-8 (भारतीय-इज़राइली), रूसी एस-400** और आकाश मिसाइल जैसी विदेशी या संयुक्त प्रणालियों पर निर्भर रहा है।
- भारत ने **ऑपरेशन सिंदूर** के दौरान शत्रुतापूर्ण ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिसके लिए एक शक्तिशाली स्वदेशी स्तरित वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक स्तरित सुरक्षा घेरा स्थापित करना होगा जो वायु, अंतरिक्ष और साइबर खतरों से निपट सके।

सुदर्शन चक्र की विशेषताएं

- IADWS (एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली) में QRSAM, VSHORADS और निर्देशित ऊर्जा हथियार (लेज़र हथियार) शामिल हैं।

- इस मिशन ने एक केंद्रीय कमान और **नियंत्रण केंद्र-आधारित प्रणाली** विकसित की है जो आने वाले खतरे का विश्वसनीय पता लगाने, उसे ट्रैक करने और उसे हराने में मदद करती है।
- **उन्नत युद्ध क्षमताएँ:**
  - ✓ साइबर-रक्षा और साइबर-अपराध उपकरण।
  - ✓ निगरानी और पूर्व चेतावनी के लिए अंतरिक्ष संसाधन।
  - ✓ कम दूरी और लंबी दूरी की दोनों तरह की ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ उपलब्ध हैं।
  - ✓ शत्रु ड्रोनों का जवाबी हमला।
  - ✓ तीनों सेनाओं के मिसाइल एकीकरण से थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **सामरिक एवं नागरिक अवसंरचना की सुरक्षा:** रक्षा ठिकानों के साथ-साथ बिजली संयंत्रों, अस्पतालों, परिवहन केन्द्रों और धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

सामरिक महत्व

- **रक्षा में आत्मनिर्भरता:** यह रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का समर्थन करती है और आयात पर निर्भरता कम करती है।
- **तकनीकी बढ़त:** इसका उद्देश्य अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध आक्रामक बढ़त हासिल करना है। भूमिगत और ऊपरी संरचनाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं, और यह शिविर अपने साइबर और अंतरिक्ष आयामों के कारण हाइब्रिड तरीके से भी काम कर सकता है।
- **सैद्धांतिक प्रभाव:** यह रणनीति भारत को 2035 के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में 21वीं सदी में बदलते खतरों का सामना करने में सक्षम बनाती है।

निष्कर्ष

मिशन सुदर्शन चक्र भारत की स्वदेशी वायु रक्षा को मजबूत करता है, संवर्धित कवरेज और आत्म-निर्भरता प्रदान करता है, तथा आधुनिक हवाई और साइबर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: हाल ही में खबरों में रहा मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है?

(a) धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना
(b) एक स्वदेशी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली
(c) भारत की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी पहल
(d) एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा परियोजना

उत्तर: (b)

सीआईएसएफ की पहली महिला कमांडो यूनिट

चर्चा में क्यों: हाल ही में, लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में अपनी तरह के पहले कदम के तहत, CISF 2025 में भारत के अर्धसैनिक बलों में अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो विंग स्थापित कर रहा है। पहले बैच का प्रशिक्षण क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बरवाहा (मध्य प्रदेश) में किया जा रहा है।

मुख्य विवरण

- **प्रारंभ:** अगस्त 2025
- **बैच का आकार:** 30 महिला कार्मिक (पहला बैच)
- **अवधि:** 8 सप्ताह
- **पाठ्यक्रम में शामिल हैं:** सहनशक्ति और युद्ध फिटनेस अभ्यास, लाइव-फायर अभ्यास के साथ हथियार संचालन, रैपलिंग और वन मॉड्यूल सहित उत्तरजीविता कौशल, आतंकवाद-रोधी रणनीति, और तनाव में निर्णय लेने का 48 घंटे का सिमुलेशन परीक्षण।
- **भविष्य का दृष्टिकोण:** अगला चरण कमांडो पदों के लिए 100 और महिलाओं को प्रशिक्षित करने के बारे में होगा, जो ज्यादातर विमानन सुरक्षा समूहों और उच्च-संवेदनशील इकाइयों से आएंगी।
- **तैनाती:** प्रशिक्षण के बाद इन महिला कमांडो को आतंकवादी खतरों पर तत्काल प्रतिक्रिया के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दलों (क्विक रिस्पांस टीम - क्यूआरटी) और बहु-चरणीय उच्च-जोखिम वाले आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए विशेष कार्य बलों (स्पेशल टास्क फ़ोर्स - एसटीएफ) में भेजा जाएगा।
- उनकी प्रमुख पोस्टिंग हवाई अड्डे, मेट्रो नेटवर्क, विरासत स्थल, सरकारी कार्यालय और महत्वपूर्ण निजी बुनियादी ढाँचे हैं।

सीआईएसएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- **वर्तमान हिस्सेदारी:** लगभग 8% (12,491 कर्मी)
- **लक्ष्य:** 2026 तक 10%
- **नियोजित भर्ती:** अगले वर्ष 2,400 महिला कर्मी
- कमांडो विंग का गठन दर्शाता है कि महिलाओं को केवल सहायक या प्रतीकात्मक पदों के बजाय अग्रिम पंक्ति की परिचालन भूमिकाओं में रखा जा रहा है।

सीआईएसएफ में महिलाओं का महत्व

- **ऐतिहासिक उपलब्धि:** सीआईएसएफ महिला-विशिष्ट कमांडो इकाई गठित करने वाला **पहला केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)** बन गया है, जो परिचालन समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना:** महिला कार्मिक अब आतंकवाद-रोधी और त्वरित प्रतिक्रिया संबंधी प्रमुख कार्यों में भाग ले रही हैं, जिससे सशस्त्र सुरक्षा बलों में लैंगिक भूमिकाओं के संबंध में कुछ रूढ़िवादिता को चुनौती देने में मदद मिलती है।
- **बेहतर परिचालन चपलता:** महिला कमांडो - जो सभी बलों में अग्रिम पंक्ति की टुकड़ियाँ हैं - को शामिल करने से वे अधिक चुस्त, विविध और लचीली बनती हैं, जिससे वे जटिल शहरी, उच्च-जोखिम या उच्च-पुरस्कार वाले परिदृश्यों का बेहतर ढंग से सामना कर पाती हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा में समावेशिता को प्रोत्साहित करना:** यह कदम भारत के लैंगिक-सशक्तीकरण एजेंडे के अनुरूप है, जिसके तहत भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है।
- **जनता का विश्वास बढ़ाना:** जनता का विश्वास बढ़ाने के अलावा, महिला कमांडो हवाई अड्डों, मेट्रो नेटवर्क और विरासत स्थलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर एक निवारक बल हो सकती हैं क्योंकि वे संवेदनशील स्थानों पर जनता के साथ बातचीत का केंद्र होती हैं।
- **नीतिगत प्रासंगिकता:** यह सीआईएसएफ द्वारा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में संरचना और सुरक्षा आधुनिकीकरण में बदलाव लाने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आगे की राह

- **नियमित प्रवेश और प्रशिक्षण:** CISF द्वारा महिलाओं को बैचों में प्रशिक्षित करने की योजना है, और धीरे-धीरे संख्या और कौशल बढ़ाकर 2026 तक 10% बल प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की उम्मीद है।
- **सीएपीएफ में विस्तार:** अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से भी इस उदाहरण का अनुसरण करने और महिला परिचालन इकाइयों का गठन करने की उम्मीद है, जिससे युद्ध और आतंकवाद-रोधी कर्तव्यों में महिलाओं की भागीदारी में और विविधता आएगी।
- **कार्यात्मक एकीकरण:** महिला कमांडो को त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT), विशेष कार्य बल (STF) और अन्य शीर्ष परिचालन इकाइयों में अधिकाधिक एकीकृत किया जाएगा और उन्हें सहायक या प्रतीकात्मक भूमिकाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा।
- **नेतृत्व की संभावनाएँ:** दीर्घावधि में, यह प्रयास महिलाओं के लिए संगठन के साथ उच्च-जोखिम वाले अभियानों में कमान और रणनीतिक भूमिकाएँ संभालने के रास्ते खोल सकता है, जिससे संगठन की प्रकृति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- **क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण:** साइबर सुरक्षा, परिष्कृत निगरानी और आतंकवाद-रोधी तकनीकों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिला कार्मिक उच्च तकनीक वाले परिचालन वातावरण में काम कर सकें।

- **नीति के रूप में लैंगिक मुख्यधारा:** सीआईएसएफ का दृष्टिकोण राष्ट्र के लिए लैंगिक मुख्यधारा का एक आदर्श उदाहरण है, जहाँ बदलते सुरक्षा परिवेश में परिचालन दक्षता, सार्वजनिक सुरक्षा और लचीलेपन से समझौता किए बिना समानता को बढ़ावा दिया जाता है।
- **सार्वजनिक धारणा और सॉफ्ट पावर:** अग्रिम पंक्ति की भूमिकाओं में महिलाओं की मजबूत भागीदारी न केवल जनता द्वारा लैंगिक समानता के प्रति दृष्टिकोण को बेहतर बनाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत स्थानीय और वैश्विक क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष

एक तरह से, सीआईएसएफ में पूर्ण महिला कमांडो विंग का शामिल होना भारत के सुरक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है, जिसमें लैंगिक समावेशिता और संचालन संबंधी जानकारी का एक मज़बूत मिश्रण है। यह अग्रिम मोर्चे पर आतंकवाद-रोधी प्रयासों को मज़बूत करता है, अधिक चुस्ती और तत्परता प्रदान करता है, और सभी सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों में महिलाओं के एकीकरण के लिए एक मानक स्थापित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने में सीआईएसएफ की पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भविष्य में सीएपीएफ के प्रभावी कामकाज, जनमत और नीतिगत बदलावों पर इसके संभावित प्रभावों पर ज़ोर दीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

भारतीय सशस्त्र बलों के लिए तीन नए संयुक्त सिद्धांत

चर्चा में क्यों: हाल ही में, अपनी सेनाओं की 'संयुक्तता' और 'नाट्यकरण' (Jointness & Theatrisation) की दिशा में एक साहसिक कदम उठाते हुए, भारत ने रण संवाद सैन्य सम्मेलन में तीन प्रमुख संयुक्त सिद्धांत जारी किए।

मुख्य विवरण

- ये दस्तावेज़ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किए गए।
- ये सिद्धांत, भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना को पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों में एकीकृत एक बल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगे।

मुख्य सिद्धांत

1. **विशेष बलों (एसएफ) संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत**
   - ✓ यह पैरा (एसएफ), मार्कोस और गरुड़ कमांडो के संचालन का समन्वय करता है।
   - ✓ यह सिद्धांत उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में **संयुक्त सेवा प्रशिक्षण संस्थानों (जेएसटीआई)** का प्रस्ताव करता है।
   - ✓ संयुक्त प्रशिक्षण अभियानों में रात्रिकालीन और प्रतिकूल मौसम संचालन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सटीक हमलों के अंतिम मार्गदर्शन पर ज़ोर दिया जाएगा।
   - ✓ मानकीकरण को मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर - एसओपी), अंतर-संचालनीयता संचार उपकरणों और संयुक्त अभ्यासों के रूप में विकसित किया जाएगा।
   - ✓ यह सिद्धांत ड्रोन, **एआई-सक्षम निगरानी** और परिष्कृत लक्ष्य निर्धारण प्रणालियों जैसी उभरती हुई तकनीकों के उपयोग पर केंद्रित है।

2. **हवाई और हेलीबोर्न संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत**
   - ✓ वायु और हेलीकॉप्टर-आधारित बलों की तैनाती का समन्वय करता है।
   - ✓ यह सिद्धांत ऐसी तकनीक को शामिल करता है जो **सटीक और त्वरित तैनाती** की अनुमति देती है।
   - ✓ इसका उद्देश्य शांतिकालीन सहायता (HADR) से लेकर उच्च-तीव्रता वाले युद्ध तक, संघर्ष के पूरे क्षेत्र में लड़ने के लिए तैयारी का निर्माण करना है।
   - ✓ यह सेवाओं के बीच रणनीति, प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं के बीच तालमेल को सुगम बनाता है।

3. **मल्टी डोमेन संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत (एमडीओ)**
   - ✓ एमडीओ (भूमि-समुद्र-वायु-अंतरिक्ष-साइबर-संज्ञानात्मक) को परिभाषित करने का पहला औपचारिक भारतीय प्रयास।
   - ✓ इसका उद्देश्य **लचीली और चुस्त सैन्य संरचनाएँ, कमांड केंद्रों पर तेज़ निर्णय लेना** और वास्तविक समय में युद्धक्षेत्र अनुकूलन करना है।
   - ✓ **भविष्य के संघर्षों में एआई, साइबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध** और अंतरिक्ष-आधारित संसाधनों की भूमिका को मान्यता देता है।
   - ✓ **भारत को वैश्विक सैन्य रुझानों के साथ जोड़ता है** (अमेरिका, नाटो और चीन के पास पहले से ही एमडीओ सिद्धांत हैं)।

महत्व

- **नाट्यकरण को बढ़ावा देना:** शेकटकर समिति द्वारा प्रस्तावित एकीकृत रंगमंच कमान की सुविधा से बुनियादी ढांचे के दोहराव को रोका जा सकेगा और संसाधनों की संयुक्त योजना और प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
- **उन्नत युद्ध शक्ति:** विभिन्न बलों के बीच एकल संरचना गति, आश्चर्य और सटीकता की गारंटी देती है क्योंकि यह एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक, गहन मिशन, विशेष टोही और कई अन्य विकल्पों को सक्षम बनाती है।
- **तकनीकी आधुनिकीकरण:** यह सूचना, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (ICEW) के विरुद्ध संभावित शमन उपायों के साथ AI, रोबोटिक्स, साइबर-रक्षा और ISR क्षमताओं के अभिसरण को बढ़ावा देता है और भविष्य के युद्ध के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की कल्पना करता है, जो हाइब्रिड ऑपरेशनों के साथ-साथ कम गतिज भी है।
- **सामरिक स्वायत्तता और निवारण:** यह न केवल हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, बल्कि चुनौती देने वालों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करता है कि भारत बहु-मोर्चे के संचालन और तत्काल संकट प्रतिक्रियाओं को संभालने में सक्षम है।
- **संयुक्त संस्कृति का संस्थागतकरण:** यह मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs), संयुक्त प्रशिक्षण और संचार के मानकीकरण, और सेवाओं में एक समान परिचालन शब्दावली और साझा स्थितिजन्य जागरूकता के विकास के माध्यम से पारंपरिक पृथक सेवा संस्कृति और भाषा को एकरूप बना रहा है।

निष्कर्ष

परिणामस्वरूप, भारत की सशस्त्र सेनाएं अब एक एकीकृत, आईटी-सक्षम और भविष्योन्मुखी सेना की ओर छलांग लगा रही हैं, जो आधुनिक युद्ध के हर क्षेत्र में सैन्य दक्षता, रणनीतिक निवारण और तैयारी को बढ़ावा दे सकती है।

अभ्यास 'अचूक प्रहार'

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और भारतीय सेना की स्पीयर कोर ने मध्य अरुणाचल प्रदेश में अभ्यास अचूक प्रहार का आयोजन किया।

मुख्य विवरण

- यह चार दिवसीय अभ्यास युद्ध की तैयारी का आंकलन करने और कठिन, उच्च-ऊँचाई वाले इलाकों में क्षमता निर्माण पर केंद्रित था।
- **उद्देश्य:** दोनों सेनाओं की युद्ध तत्परता का परीक्षण करना और कृत्रिम युद्धक्षेत्र स्थितियों में उनकी समन्वित मारक क्षमता को बढ़ाना।
- **परिणाम:** आईटीबीपी और सेना इकाइयों के बीच उत्कृष्ट सटीकता, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय का प्रदर्शन किया गया।

सामरिक महत्व

- **कुशल समन्वय:** सीमा प्रबंधन के लिए सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के बीच तालमेल को मज़बूत किया गया।
- **युद्ध तत्परता:** यह सीमा पर संभावित तनाव की स्थिति में त्वरित और सशक्त प्रतिक्रिया के लिए आधार तैयार करता है।
- **सामरिक आश्वासन:** अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्र में भारत की तत्परता को दर्शाता है, जहाँ चीन की नज़रें अक्सर लगी रहती हैं।
- **कौशल विकास:** विपरीत परिस्थितियों में बेहतर संचार, निर्णय लेने और सटीक निशाना साधने में मदद करता है।

भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

- ✓ **उत्पत्ति:** 1962 के प्रथम भारत-चीन युद्ध के बाद, भारत-चीन सीमा की सुरक्षा हेतु ITBP का गठन किया गया था।
- ✓ **मुख्य मंत्रालय:** गृह मंत्रालय
- ✓ **संचालन:** पर्वतीय युद्ध, उच्च-ऊंचाई पर उत्तरजीविता, स्कीइंग अभियान।
- ✓ **आदर्श वाक्य:** शौर्य-दृढ़ता कर्म निष्ठा (वीरता, दृढ़ संकल्प, कर्तव्य के प्रति समर्पण)।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: हाल ही में, अभ्यास 'अचूक प्रहार' का आयोजन या संचालन निम्नलिखित द्वारा किया गया:

(a) भारतीय सेना और बीएसएफ
(b) भारतीय वायु सेना और असम राइफल्स
(c) भारतीय सेना (स्पीयर कोर) और आईटीबीपी
(d) भारतीय नौसेना और एनएसजी

उत्तर: (c)



सामाजिक मुद्दे

भारत में बौनापन और कुपोषण: एक सतत चुनौती

चर्चा में क्यों: हाल ही में, पोषण अभियान के सात वर्षों में भारत ने बौनेपन (स्टंटिंग) को कम करने में बहुत कम प्रगति की है तथा बच्चों में बौनेपन को कम करने के लक्ष्य से चूक गया है।

बौनेपन क्या है?

- बौनापन (स्टंटिंग) शब्द का प्रयोग बच्चों में उम्र के हिसाब से कम ऊँचाई को दर्शाने के लिए किया जाता है - यह एक ऐसी स्थिति है जो मुख्य रूप से दीर्घकालिक या दीर्घकालिक कुपोषण के कारण होती है। यह वेस्टिंग (ऊँचाई के हिसाब से कम वज़न) जैसा नहीं है, जो तीव्र कुपोषण का संकेत है।
- **कारण:** बौनापन लंबे समय तक अपर्याप्त आहार, महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और पोषण, बार-बार होने वाले संक्रमण, खराब स्वच्छता और प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक वातावरण का परिणाम है।

भारत में रुझान

- **2016:** एनएफएचएस-4 के अनुसार, भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के 38.4 प्रतिशत बच्चे बौनेपन के शिकार थे।
- **2018:** पोषण अभियान की शुरुआत 2022 तक बौनेपन को **25 प्रतिशत तक कम करने** के उद्देश्य से की गई (मिशन 25, 2022 तक)।
- **2025: बौनापन 37% के उच्च स्तर पर बना हुआ है।**
- नवीनतम आँकड़े बौनेपन में मामूली गिरावट ही दर्शाते हैं।

बौनेपन के निहितार्थ

- **स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ**
  - ✓ **मस्तिष्क के विकास में कमी** और सीखने की क्षमता में कमी, जो ज्ञान-अर्जन क्षमता को बाधित करती है।
  - ✓ कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
  - ✓ **वयस्क मोटापे**, **टाइप 2 मधुमेह**, **उच्च रक्तचाप** और अन्य बीमारियों का उच्च जोखिम, शिशुओं में कुपोषण के कारण होने वाले चयापचय संबंधी विकारों से जुड़ा हुआ है (3-5)।
- **शैक्षिक परिणाम**
  - ✓ विकलांग बच्चों का **ध्यान कम समय** तक टिकेगा तथा वे स्कूल जाने के लिए कम सक्षम होंगे, जिसका अर्थ है कि कक्षा दोहराने तथा स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक होगी।
- **आर्थिक लागत**
  - ✓ यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताएँ कम हो जाती हैं, तो उसकी उत्पादकता कम होगी और **उसकी कमाई भी कम होगी।**
  - ✓ बचपन में कुपोषण के कारण दीर्घकालिक बीमारियाँ होने से स्वास्थ्य देखभाल पर भारी खर्च आता है।
  - ✓ **विश्व बैंक** के अनुसार, भारत में बाल कुपोषण देश के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग **2-3 प्रतिशत** की कमी का मुख्य कारण है।
- **सामाजिक दृष्टिकोण**
  - ✓ असमानता और भी बदतर हो जाती है क्योंकि कुपोषण हाशिए पर पड़े समुदायों की ओर झुका होता है।
  - ✓ कुपोषित माताओं द्वारा कुपोषित बच्चों को जन्म देने से पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी बढ़ती है।
  - ✓ एनीमिया या कुपोषण से ग्रस्त माँ के कम वजन वाले बच्चे के जन्म की संभावना अधिक होती है, जिससे कुपोषण चक्र चलता रहता है।

आगे की राह

- **खाद्य सुदृढ़ीकरण:** आहार के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाने के लिए चावल, गेहूं का आटा और खाद्य तेल जैसी बुनियादी वस्तुओं के संवर्धन को प्रोत्साहित करना।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना:** स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास करें, स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफिंग सुनिश्चित करना और **2025** तक स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के **2.5%** तक बढ़ाना।
- **डिजिटल निगरानी उपकरण:** सुपोषित बच्चों का वास्तविक समय डेटा प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर जैसे अनुप्रयोगों का उपयोग करना।
- **आहार विविधता को बढ़ावा देना:** दैनिक उपभोग के लिए पारंपरिक, स्थानीय, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना।
- **सामुदायिक सशक्तिकरण:** पोषण कार्यक्रमों की योजना और निगरानी में सामुदायिक आदान-प्रदान और ग्रामीण महिला समूहों, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और स्वयं सहायता समूहों के साथ सहभागिता में भागीदारी।

निष्कर्ष

एसडीजी-2 (2030 तक भुखमरी को समाप्त करना) को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए व्यापक राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यापक निगरानी और सामुदायिक स्तर की भागीदारी की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के साथ बढ़ने और विकसित होने का समान अवसर मिले।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत में बौनेपन के कारणों की बहुआयामी प्रकृति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा इससे निपटने के उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

यूजीसी अधिगम (लर्निंग) परिणाम आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा (LOCF) 2025

चर्चा में क्यों: हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नौ धाराओं - मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा और राजनीति विज्ञान - में स्नातक शिक्षा के लिए अधिगम (लर्निंग) आउटकम-आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा (एलओसीएफ) का मसौदा पेश किया।

मुख्य विवरण

- इस ढाँचे का उद्देश्य सीखने के परिणामों को कौशल विकास, रोज़गारपरकता और व्यापक विकास के लिए प्रासंगिक बनाकर उच्च शिक्षा में बदलाव लाना है, और साथ ही, **भारतीय ज्ञान प्रणालियों (इंडियन नॉलेज सिस्टम्स - आईकेएस) को मुख्यधारा की शिक्षा के स्तर पर लाना है।**
- यद्यपि, इस कदम ने उन आलोचनात्मक आवाज़ों के साथ चर्चाओं को जन्म दिया है जो तर्क देती हैं कि इससे राजनीतिक पूर्वाग्रह पैदा होगा और अंततः शिक्षा का "भगवाकरण" हो जाएगा।

मुख्य विशेषताएं

- **अधिगम परिणाम अभिविन्यास:** रटंत विद्या से हटकर विशिष्ट परिणामों की ओर अग्रसर होता है: स्नातक विशेषताएँ, कार्यक्रम परिणाम और पाठ्यक्रम परिणाम और आलोचनात्मक सोच, नैतिक सिद्धांतों और समस्या-समाधान को बढ़ावा देता है।
- **भारतीय ज्ञान प्रणालियों का एकीकरण (आईकेएस):** स्वदेशी परंपराएँ, सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि और प्राचीन ज्ञान प्रत्येक विषय में समाहित हैं। उदाहरण के लिए, वाणिज्य - कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अंतर्दृष्टि, सीएसआर में राम राज्य की अवधारणाएँ और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं में भारतीय दर्शन।
- **भेदभाव की पुनर्परिभाषा:** मसौदा जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा को केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक सीमित करता है, जिससे राजनीति विज्ञान, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों का शिक्षण प्रभावित होता है।

- **पाठ्यक्रम संरचना और क्रेडिट वितरण:** बहु-विषयकता की कम गुंजाइश के साथ एकल-प्रमुख मार्ग को प्राथमिकता देता है। उदाहरण: बीएससी रसायन विज्ञान ऑनर्स के लिए 172 क्रेडिट की आवश्यकता होती है, जिनमें से 96 कोर हैं।

महत्व

- **ज्ञान का विऔपनिवेशीकरण:** न केवल भारतीय मानस बल्कि संपूर्ण विचार संस्कृति (जैसे, अर्थशास्त्र, भारतीय दर्शन) को मान्यता और एकीकरण प्राप्त होता है, जिससे शिक्षा भारत में संस्कृति-आधारित और सामाजिक-आर्थिक रूप से प्रासंगिक दोनों बन जाती है।
- **परिणाम-आधारित शिक्षा की ओर झुकाव:** यह स्नातकों को स्मरणशक्ति, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान और नैतिक तर्क से परे अन्य गुणों से भी परिचित कराता है, इस प्रकार रोजगार-योग्यता और आजीवन शिक्षा प्रमुख योगदान देती है।
- **स्थानीय प्रासंगिकता के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** यह एक ऐसा पाठ्यक्रम प्रदान करता है जो न केवल संस्कृति के लिए प्रासंगिक है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय भी है, जिससे युवा वैश्विक रूप से सक्षम बनते हैं और साथ ही अपनी विरासत को बनाए रखने में भी सक्षम होते हैं।
- **कौशल और मूल्य:** यह मंच विश्लेषणात्मक कौशल, नैतिक आचार-विचार और व्यावहारिक अनुभव सीखने के लिए प्रेरित करता है, जो शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों के अंतर्संबंध के लिए सहायक है।

चुनौतियां

- **वैचारिक विकृति का जोखिम:** भारतीय ज्ञान प्रणालियों का विस्तार अपनी वैचारिक कथा में चयनात्मक हो सकता है, जो शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी ताने-बाने को कमजोर कर सकता है।
- **कोई बहु-विषयक अनुभव नहीं:** किसी एक विषय के लिए भारी क्रेडिट आवश्यकताओं वाले एकल-विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों को वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अन्य विषयों की खोज करने से हतोत्साहित किया जाता है, जो कि **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के तहत प्रचारित लचीली और समग्र शिक्षा के दृष्टिकोण के विपरीत है।
- **राज्य बनाम केंद्र संघर्ष:** हाल के परिवर्तनों को राज्य पाठ्यक्रम निर्धारित करने की अपनी शक्तियों के उल्लंघन के रूप में देख सकते हैं (शिक्षा समवर्ती सूची में है) और इस प्रकार, केंद्र-राज्य टकराव और नीति के गैर-समान कार्यान्वयन की शुरुआत अनिवार्य रूप से होगी।

आगे की राह

- **संतुलित एकीकरण:** भारतीय ज्ञान प्रणालियों को एक परिप्रेक्ष्य/लेंस के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, न कि वैचारिक रूप से उन पर दबाव डाला जाना चाहिए।
- **शैक्षणिक स्वायत्तता:** विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम में संशोधन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- **बहुविषयकता को प्रोत्साहित करना:** एनईपी 2020 की वास्तविक भावना यह है कि आपको संकीर्ण विषयगत विशिष्टताओं पर डाइट क्रेडिट से परे अंतर-विषयक अनुभव प्राप्त हो।
- **पारदर्शी परामर्श:** राज्यों, शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों की रचनात्मक आलोचना को समायोजित करने से अधिक स्वीकार्यता सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

यूजीसी का एलओसीएफ मसौदा भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली को बदलने और इसे आउटपुट-उन्मुख, भारतीय लोकाचार के संदर्भ में और वैश्विक दक्षताओं के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है; फिर भी विवाद सांस्कृतिक एकीकरण और वैचारिक आरोपण के बीच की सूक्ष्म रेखा को प्रकाश में लाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: हाल ही में यूजीसी द्वारा तैयार किए गए अधिगम (लर्निंग) आउटकम-आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा (एलओसीएफ) 2025 के मसौदे का शैक्षणिक स्वतंत्रता, संघवाद और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

घरेलू क्षेत्र और महिला सशक्तिकरण

चर्चा में क्यों: टाइम यूज़ सर्वे (टीयूएस) 2024 के इस निष्कर्ष के बाद कि भारतीय महिलाएँ प्रतिदिन सात घंटे अवैतनिक घरेलू काम करती हैं और पुरुष केवल 26 मिनट, "घरेलू क्षेत्र" और महिला सशक्तिकरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस भयावह असंतुलन के बावजूद, आधिकारिक बयानबाज़ी इसे भारतीय "पारिवारिक मूल्यों" की निशानी बताकर प्रचारित करती रही है, जिससे भारतीय घरों के अंदर भी मौजूद लैंगिक भेदभाव उजागर होता है।

घरेलू क्षेत्र को समझना

- घरेलू क्षेत्र घर, परिवार और देखभाल संबंधी कार्यों का निजी स्थान है और इसे लंबे समय से महिलाओं का "स्वाभाविक" स्थान माना जाता रहा है।
- ऐतिहासिक रूप से इसे पुरुष-प्रधान सार्वजनिक क्षेत्र से अलग रखा गया था, जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और वेतनभोगी रोज़गार शामिल थे।
- हालाँकि, इस अलगाव ने केवल पितृसत्तात्मक मानदंडों को मज़बूत करने का काम किया है, और इस तथ्य के बावजूद कि महिलाओं का अवैतनिक श्रम अर्थव्यवस्था और समाज के लिए आवश्यक है, यह अनदेखा और कम आंका गया है।

समस्याएँ

- **दहेज हत्याएँ और घरेलू हिंसा:** 2017 से 2022 तक दहेज के मामलों में 35,000 से ज़्यादा महिलाओं की हत्या हुई; 30% महिलाएँ अपने साथी द्वारा हिंसा का अनुभव करती हैं, लेकिन केवल 14% ही शिकायत करती हैं: एनएफएचएस-5।
- **विवाह का पवित्र स्वरूप:** सामाजिक दबाव महिलाओं को अपमानजनक विवाहों के साथ "समायोजित" होने के लिए मजबूर करता है; वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का विरोध "भारतीय संस्कृति की रक्षा" के नाम पर जारी है।
- **अवैतनिक घरेलू काम:** 93% महिलाएँ प्रतिदिन औसतन 7 घंटे घरेलू काम करती हैं; 70% पुरुष कोई काम नहीं करते।
- **अवैतनिक देखभाल:** 41% महिलाएँ प्रतिदिन 2+ घंटे देखभाल के काम में लगाती हैं, और 21% पुरुष ऐसा करते हैं।
- **छिपा हुआ आर्थिक मूल्य:** एसबीआई के 2023 के अनुमान के अनुसार, महिलाओं का अवैतनिक श्रम ₹22.5 लाख करोड़ या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7% है।
- **सार्वजनिक देखभाल कार्यों में कम महत्व:** आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन 'कार्यकर्ता' नहीं बल्कि 'स्वयंसेवक' हैं; उन्हें वेतन नहीं, मानदेय दिया जाता है।

टाइम यूज़ सर्वे (टीयूएस) 2024 - डेटा विश्लेषण

वर्ग	महिला	पुरुष
रोज़गार (15-59 वर्ष)	25% (औसतन 5 घंटे/दिन)	75% (औसतन 8 घंटे/दिन)
अवैतनिक घरेलू सेवाएँ	93% (7 घंटे/दिन)	30% (1.5 घंटे/दिन)
अवैतनिक देखभाल	41% (2 घंटे/दिन)	21% (1.2 घंटे/दिन)

आगे की राह

- **विधायी और संस्थागत उपाय:** सख्त घरेलू हिंसा कानूनों को लागू करना और वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक अपराध बनाना, साथ ही लैंगिक अपराधों के लिए त्वरित न्यायालय और पीड़ित-अनुकूल उपाय प्रदान करना।
- **अवैतनिक कार्य की मान्यता:** अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय खातों में अवैतनिक घरेलू कार्यों को मान्यता देना और देखभाल कर्मचारियों के लिए वेतन क्षतिपूर्ति योजनाएँ तैयार करना।
- **सार्वभौमिक सार्वजनिक सेवाएँ:** सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित बाल, वृद्ध और स्वास्थ्य देखभाल की एक ऐसी प्रणाली बनाना जो महिलाओं को अवैतनिक कार्यों से मुक्ति दिलाए।

- **योजना कर्मचारियों के लिए श्रम अधिकार:** आशा, आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन कर्मचारियों को औपचारिक रोजगार का दर्जा, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक परिवर्तन:** लिंग-संवेदनशील शिक्षा, सामुदायिक लामबंदी और घरेलू कार्यों में लिंग-समानपूर्ण भागीदारी।

निष्कर्ष

जब महिला के अदृश्य श्रम को प्रत्यक्ष सम्मान और उचित मूल्य दिया जाएगा, तभी भारत का "महिला-नेतृत्व विकास" का दावा प्रामाणिक होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: विश्लेषण कीजिए कि घरेलू अवैतनिक श्रम और घरेलू हिंसा किस प्रकार व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। विचार कीजिए कि घरेलू स्थान को अधीनता के स्थान के बजाय सशक्तिकरण के स्थान में कैसे बदला जा सकता है। [250 शब्द] [15 अंक]

शीर्ष न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया विनियमन का आह्वान

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक पूरा सेट लाने के लिए कहा, यह देखते हुए कि कई प्रभावशाली लोग नैतिक और संवैधानिक सीमाओं को पार करके मुक्त भाषण को एक वाणिज्यिक उद्यम बनाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यावसायीकरण:** प्रभावशाली लोग मुद्रीकृत मंच अभिव्यक्ति (Monetised Platform Expression) का लाभ उठा रहे हैं, जिससे सार्वजनिक संचार में स्वतंत्र, व्यावसायिक और निषिद्ध अभिव्यक्ति के बीच की रेखाएँ धुंधली हो रही हैं।
- **डिजिटल उत्तरदायित्व:** सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को यह जानना आवश्यक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ समावेशिता, गरिमा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- **राष्ट्रीय प्रसारकों और डिजिटल एसोसिएशन** के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा मसौदा नियम तैयार किए जाएँगे, जिनमें दंड और आनुपातिक परिणाम शामिल होंगे।
- जिन प्रभावशाली लोगों पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है, उन्हें **डिजिटल ज़िम्मेदारी और नैतिक निवारण (Digital Ethics & Sensitisation Initiatives)** के रूप में अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पीड़ित पक्षों से बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगनी होगी।
- इसने समझ और ज़िम्मेदार ऑनलाइन आचरण को बढ़ावा देने के लिए सामग्री निर्माताओं, उपयोगकर्ताओं और प्लेटफ़ॉर्म के लिए डिजिटल नैतिकता और संवेदनशीलता पहल की वकालत की।

सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता

- **कमजोर समुदायों की सुरक्षा:** हस्तक्षेप न करने की स्थिति में, ये प्लेटफ़ॉर्म महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग लोगों के खिलाफ ऑनलाइन दुर्व्यवहार, ट्रोलिंग और अभद्र भाषा (हेट स्पीच) के लिए प्रजनन स्थल बने रह सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप और अधिक हाशिए पर जाने की संभावना बढ़ सकती है।
- **गलत सूचना और अभद्र भाषा से निपटना:** गलत सूचना, अभद्र भाषा और अतिवादी प्रचार का प्रसार लोकतांत्रिक संवाद और आंतरिक सुरक्षा को तेज़ी से कमज़ोर कर रहा है; इसलिए, इन पर पहले से ही नियंत्रण ज़रूरी है।
- **मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा:** वे एल्गोरिदम जो अंतहीन स्क्रॉलिंग, छूट जाने के डर (FOMO) और ऑनलाइन मान्यता की चाहत को बढ़ावा देते हैं, युवाओं और किशोरों में चिंता, अकेलापन और अवसाद पैदा कर रहे हैं।
- **ऑनलाइन कट्टरता:** युवाओं को भर्ती करने और कट्टरपंथी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर चरमपंथी विचारधारा का प्रचार किया जाता है, इसलिए, सामग्री साझा करने पर सख्त विनियमन होना चाहिए।
- **डेटा गोपनीयता और सहमति:** सोशल मीडिया कंपनियां अपने उपयोगकर्ताओं का बिना सूचित सहमति के डेटा एकत्र करके और उससे कमाई करके उनका शोषण करती हैं, जो अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित सूचनात्मक गोपनीयता के उनके अधिकार का उल्लंघन है।
- **चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना:** मतपत्रों के इर्द-गिर्द लक्षित गलत सूचना अभियान मतदाताओं की राय को आकार देने और लोकतंत्र की वैधता को कम करने की कोशिश करते प्रतीत होते हैं, और इसलिए यह एक और कारण है कि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे पास नियमों का सख्त प्रवर्तन हो।

सोशल मीडिया नियामक के लिए चुनौतियाँ

- **सामग्री की मात्रा और गति:** हर मिनट लाखों पोस्ट अपलोड किए जाते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए रीयल-टाइम निगरानी और मॉडरेशन असंभव हो जाता है।
- **गुमनामी और प्रतिरूपण:** छद्म नाम वाले खाते उपयोगकर्ताओं को नफ़रत, गलत सूचना और मानहानि आदि फैलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिनके लिए न तो कोई जवाबदेही है और न ही उनका पता लगाया जा सकता है।
- **नुकसान की व्यक्तिपरकता:** आपत्तिजनक या हानिकारक सामग्री एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति, एक देश से दूसरे देश और यहाँ तक कि एक विश्वास से दूसरे विश्वास में भिन्न होती है, जिससे इसे समान रूप से लागू करना असंभव हो जाता है।
- **अधिकार क्षेत्र की सीमा:** प्लेटफ़ॉर्म वैश्विक स्तर पर काम करते हैं, और उनमें से कई भारतीय कानून की पहुँच से बाहर हैं, इसलिए देश के बाहर से आने वाली हानिकारक सामग्री को हटाना भारतीय अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
- **अपर्याप्त संसाधन वाले संस्थान:** साइबर सुरक्षा के लिए सीमित संसाधनों के कारण सामग्री-आधारित शिकायतों/अपराधों का निवारण धीमा होता है।
- **रचनाकार अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** अत्यधिक विनियमन भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके बढ़ते रचनाकार समुदाय के विस्तार को धीमा कर सकता है और नवाचार एवं सांस्कृतिक विविधता को हतोत्साहित कर सकता है।

आगे की राह

- **समग्र डिजिटल इंडिया अधिनियम:** एआई, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और पारदर्शी तरीके से सामग्री विनियमन के लिए समसामयिक और अधिकार-आधारित प्रकृति का नया कानून प्रस्तुत करना।
- **एल्गोरिदम में पारदर्शिता:** एल्गोरिदम को नियमित ऑडिट के अधीन बनाना, पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करना और तटस्थता अपनाना।
- **निरीक्षण शक्ति:** शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना करना और निष्कासन एवं सेंसरशिप को समाप्त करने के पक्ष में समन्वय स्थापित करना।
- **डिजिटल साक्षरता अभियान:** स्कूली पाठ्यक्रम और जनसंचार माध्यमों में सोशल मीडिया और तथ्य-जांच के ज़िम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना।
- **बहु-हितधारक कार्यान्वयन:** एक विविध डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए सरकार, नागरिक समाज, शिक्षा जगत और प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

ऐसी दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया हर किसी को लाउडस्पीकर बना देता है, इसका समाधान नैतिक रूप से विनियमित करना है, सेंसरशिप नहीं। दूसरे शब्दों में, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल स्वतंत्रता लोकतंत्र को मज़बूत करना, न कि उसके नैतिक आधार को खोखला करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: सोशल मीडिया के नियमन में भारतीय लोकतंत्र के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? क्या भारत में गरिमा, निजता और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया का नियमन सचमुच "ज़रूरी" है, या क्या अत्यधिक नियमन रचनात्मकता और असहमति को ख़त्म कर सकता है? [250 शब्द] [15 अंक]

इतिहास एवं संस्कृति

अथचमायम महोत्सव

चर्चा में क्यों: हाल ही में, केरल का प्रतिष्ठित फसल उत्सव 'ओणम' 26 अगस्त 2025 से तथा 'अथम दिवस' से 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हुई।

मुख्य विवरण

- अथचमायम जुलूस केरल में ओणम त्योहार की शुरुआत का प्रतीक सबसे प्रतिष्ठित और भव्य आयोजनों में से एक है।
- यह आमतौर पर अथम के दिन होता है, जो मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने (लगभग अगस्त या सितंबर) में पड़ता है।

सांस्कृतिक महत्व

- ऐसा माना जाता है कि अथचमायम, पौराणिक असुर राजा महाबली की अपनी प्रजा से मिलने की वार्षिक यात्रा का स्मरण करता है।
- ओणम पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा महाबली ओणम के दौरान अपनी प्रजा से मिलने पाताल लोक से लौटते हैं, और यह जुलूस उनकी वापसी का प्रतीकात्मक प्रतीक है।
- अथचमायम शब्द स्वयं भव्य समारोहों की शुरुआत को दर्शाता है, और यह जुलूस ओणम उत्सव की आधिकारिक शुरुआत के रूप में कार्य करता है।

स्थिति

- यह जुलूस केरल में कोच्चि के निकट एक ऐतिहासिक शहर त्रिपुनिथुरा में निकलता है, जो कभी कोच्चि साम्राज्य का केंद्र था।
- त्रिपुनिथुरा को अक्सर केरल की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, और यहाँ सबसे प्रसिद्ध अथचमायम जुलूस निकाला जाता है।

महोत्सव के तत्व

- **पारंपरिक पोशाक:** प्रतिभागी पारंपरिक केरलीय वेशभूषा पहनते हैं। पुरुष प्रायः सफेद धोती और महिलाएं कसावु साड़ी (सुनहरे किनारों वाली एक प्रकार की पारंपरिक सफेद साड़ी) पहनती हैं।
- **पारंपरिक कलाएँ:** थेय्यम, कुम्माट्टी, कोलकाली, कथकली, पुलिकली, कलारीपयट्टू, मार्गमकाली, आदि।
- **झाँकियाँ:** यह जुलूस अपनी रंग-बिरंगी झाँकियों के लिए प्रसिद्ध है, जो विभिन्न पौराणिक कथाओं, सांस्कृतिक रूपांकनों और केरल की समृद्ध परंपराओं को दर्शाती हैं। ये झाँकियाँ अक्सर जटिल कलाकृतियों से सजी होती हैं और देखने लायक होती हैं।
- **हाथी:** राजसी हाथी जुलूस में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन्हें सुनहरे रंग के आभूषणों से खूबसूरती से सजाया जाता है, और कुछ पर बड़े-बड़े छत्र भी लगे होते हैं। इन हाथियों का दर्शन अथचमायम की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है।
- **पारंपरिक कलाएँ:** जुलूस के दौरान केरल की पारंपरिक कलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कथकली (शास्त्रीय नृत्य-नाटिका), तिरुवथिराकली (महिलाओं का एक पारंपरिक नृत्य), पूक्कलम (फूलों का कालीन बनाना) और कुडियाट्टम (पारंपरिक नाट्य प्रदर्शन) शामिल हैं।
- **चेंडामेलम:** यह एक लयबद्ध ढोल वादन है जो जुलूस के उत्साह को और बढ़ा देता है। यह केरल के पारंपरिक वाद्य यंत्रों, विशेष रूप से चेंडा ढोल के साथ एक ज़ोरदार और ऊर्जावान संगीत है।
- **ओनासद्या:** ओणम का मुख्य आकर्षण ओनासद्या है, जो केले के पत्तों पर परोसा जाने वाला एक भव्य भोज है।

ओणम समारोह का महत्व

- अथचमायम जुलूस राजा महाबली के अपनी प्रजा के साथ पुनर्मिलन का प्रतीक है, जो आनंद और समृद्धि लाता है।
- केरल के विभिन्न हिस्सों से लोग, यहाँ तक कि पर्यटक भी, इस आयोजन को देखने के लिए त्रिपुनिथुरा आते हैं, जो केरल की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

वर्तमान आयोजन शैली

- यद्यपि यह जुलूस अभी भी पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करता है, लेकिन समय के साथ इसमें समकालीन प्रदर्शन और कार्यक्रम भी शामिल हो गए हैं। आजकल, आप स्कूलों, सांस्कृतिक संगठनों और सामुदायिक समूहों की भागीदारी देख सकते हैं। इस आयोजन का टीवी पर व्यापक प्रसारण होता है और मीडिया में भी इसका कवरेज होता है।
- अथचमायम न केवल केरलवासियों के लिए, बल्कि व्यापक भारतीय समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण आयोजन बन गया है, क्योंकि यह केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है।

विभिन्न अन्य आयाम

- **संवैधानिक और कानूनी पहलू**
  - ✓ **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण - इसे सांस्कृतिक अधिकारों तक विस्तारित किया जा सकता है।
  - ✓ **अनुच्छेद 51ए(एफ):** हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य है।
  - ✓ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर यूनेस्को का 2003 का अभिसमय - भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- **संबंधित योजनाएं और संस्थान**
  - ✓ अतुल्य भारत अभियान और देखो अपना देश: अथचमायम को प्रचार सामग्री में शामिल किया गया है।
  - ✓ संस्कृति मंत्रालय की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण योजना द्वारा स्थानीय कलाकारों को सहयोग दिया गया है।
- **आर्थिक आयाम**
  - ✓ **पर्यटन को बढ़ावा:** लाखों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, होटलों, होमस्टे और परिवहन सेवाओं को मदद करता है।
  - ✓ **शिल्प पुनरुद्धार:** पारंपरिक परिधानों, आभूषणों, संगीत वाद्ययंत्रों और झांकियों की मांग में वृद्धि।
  - ✓ जुलूस से जुड़े ऑर्डर से एमएसएमई को लाभ होता है।

निष्कर्ष

अथचमायम जुलूस केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और रीति-रिवाजों का एक शानदार प्रदर्शन है। यह न केवल ओणम की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि केरल के गहन इतिहास, पौराणिक कथाओं और जीवंत कला रूपों की याद भी दिलाता है। चाहे आप स्थानीय हों या पर्यटक, इस जुलूस का प्रत्यक्ष अनुभव ओणम उत्सव का एक अविस्मरणीय हिस्सा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा केरल में मनाए जाने वाले ओणम त्योहार से पारंपरिक रूप से जुड़ा नहीं है?

(a) वल्लम काली (साँप नाव दौड़)

(b) पूकलम (फूलों का कालीन)

(c) दीया जलाने की रस्में

(d) सद्या (पारंपरिक भोज)

उत्तर: (c)

दारुमा गुड़िया

चर्चा में क्यों: हाल ही में, जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शोरिनजान दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी सेशी हिरोसे ने दारुमा गुड़िया भेंट की थी।

मुख्य विवरण

- एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में, प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच सफल संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए यह गुड़िया भेंट की।
- यह भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और दृढ़ता एवं लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा देने में दारुमा की प्रतीकात्मक प्रकृति को भी दर्शाता है।

दारुमा गुड़िया के बारे में



- दारुमा गुड़िया एक पारंपरिक जापानी ताबीज है जो दृढ़ता, सौभाग्य और लक्ष्यों की पूर्ति का प्रतीक है।
- यह आमतौर पर कागज़ की लुगदी से बनी होती है और इसे दारुमा नामक एक बौद्ध भिक्षु की याद दिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के ज़ेन संप्रदाय की स्थापना की थी।

मुख्य विशेषताएं

- **दृढ़ता:** यह नीचे से भारी होती है, इसलिए झुकने या गिरने पर भी यह हमेशा सीधी खड़ी हो जाती है। यही दारुमा गुड़िया को "कभी हार न मानने" का प्रतिष्ठित गुण प्रदान करती है, जो लचीलेपन और "सात बार गिरने, आठ बार खड़े होने" के विचार का प्रतीक है।
- **रूप-रंग:** यह आमतौर पर गोल होती है, जिसका चेहरा सरल और भावपूर्ण ढंग से रंगा होता है, और शरीर लाल होता है। यह गुड़िया अक्सर खाली सफेद आँखों के साथ बेची जाती है।
- **आँखें और लक्ष्य निर्धारण:** परंपरागत रूप से, जब आपको पहली बार दारुमा गुड़िया मिलती है, तो आप कोई इच्छा करते हैं या कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। फिर आप उस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में एक आँख (आमतौर पर बाईं) में रंग भरते हैं। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो आप सफलता के प्रतीक के रूप में दूसरी आँख में रंग भरते हैं।
- **लचीलेपन का प्रतीक:** दारुमा गुड़िया का केंद्र की ओर लौटने वाला रूप, चाहे कितनी भी बाधाएँ क्यों न आएँ, दृढ़ता और कभी हार न मानने की बौद्ध मान्यता को दर्शाता है।
- **रंग का महत्व:** सबसे आम दारुमा गुड़िया लाल होती हैं, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक हैं। हालाँकि, वे अलग-अलग रंगों में और अलग-अलग अर्थों के साथ आ सकते हैं, जैसे:
  - ✓ **सोना:** धन और समृद्धि
  - ✓ **सफेद:** पवित्रता और स्वास्थ्य
  - ✓ **काला:** बुराई या दुर्भाग्य से सुरक्षा
  - ✓ **हरा:** पढ़ाई और परीक्षा में सफलता

दारुमा-जी मंदिर

- "दारुमा-जी" नाम का शाब्दिक अर्थ है "दारुमा का मंदिर" (अर्थात् बोधिधर्म और मंदिर)। यह बौद्ध मंदिर जापान के गुन्मा प्रान्त के ताकासाकी शहर में स्थित है।
- यह मंदिर दारुमा गुड़िया से गहराई से जुड़ा हुआ है और ज़ेन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधिधर्म की विरासत का जश्न मनाने वाले प्रमुख स्थलों में से एक है, जो दारुमा गुड़िया के पीछे प्रेरणा हैं।

बोधिधर्म: ज़ेन बौद्ध धर्म के संस्थापक

- **जीवनकाल:** लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ई. (सटीक तिथि अज्ञात)
- **उत्पत्ति:**
  - ✓ माना जाता है कि वे दक्षिण भारतीय राजकुमार या भिक्षु थे, संभवतः पल्लव वंश (आधुनिक तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश) से।
  - ✓ बोधिधर्म संभवतः एक ब्राह्मण या क्षत्रिय थे जिन्होंने बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सांसारिक जीवन त्याग दिया था।
  - ✓ पारंपरिक विवरणों के अनुसार, वे महायान बौद्ध धर्म, विशेष रूप से ध्यान (ध्यान) संप्रदाय में पारंगत थे।
- **भूमिका:**
  - ✓ गौतम बुद्ध के प्रत्यक्ष वंशज, भारतीय बौद्ध धर्म के 28वें कुलपति
  - ✓ चीन में ज़ेन (चान) बौद्ध धर्म के प्रथम कुलपति।
- **ज्ञातव्य:** ध्यान बौद्ध धर्म (संस्कृत में "ध्यान" के लिए) को भारत से चीन तक प्रसारित करना, जो बाद में चीन में चान और जापान में ज़ेन बन गया।
- **चीन यात्रा:**
  - ✓ कहा जाता है कि बोधिधर्म समुद्र के रास्ते चीन गए थे और लगभग 520 ई. में लियांग राजवंश के दौरान वहाँ पहुँचे थे।
  - ✓ एक कट्टर बौद्ध, लियांग के चीनी सम्राट व ने बोधिधर्म से मुलाकात की और उनसे मंदिर निर्माण और धर्मग्रंथ दान करने के पुण्य के बारे में पूछा।
  - ✓ बोधिधर्म ने उन्हें बताया कि इन कार्यों से कोई वास्तविक पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि इनमें कर्मकांड की बजाय आंतरिक जागृति पर ज़ोर दिया जाता है।
  - ✓ इससे सम्राट को गहरा सदमा पहुँचा और बोधिधर्म दरबार छोड़कर चले गए।
- **शाओलिन मठ**
  - ✓ शाही दरबार छोड़ने के बाद, बोधिधर्म हेनान प्रांत के शाओलिन मठ गए।
  - ✓ कहा जाता है कि उन्होंने मठ के पास एक गुफा में नौ वर्षों तक गहन मौन और अनुशासन में एक दीवार की ओर मुँह करके ध्यान किया।
  - ✓ यह कथा अटूट एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण ध्यान का प्रतीक है - जो ज़ेन साधना का मूल है।
- **ज़ेन (चान) बौद्ध धर्म के संस्थापक**
  - ✓ बोधिधर्म की शिक्षाएँ निम्नलिखित पर केंद्रित थीं:
    - शास्त्रों के बाहर ज्ञान का प्रत्यक्ष संचरण।
    - ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान का व्यक्तिगत अनुभव।
    - "शब्दों और अक्षरों पर निर्भर न रहना" - अशाब्दिक संचरण पर ज़ोर।
  - ✓ वह चीन में चैन स्कूल के प्रथम कुलपति हैं (जो बाद में जापान में ज़ेन और कोरिया में सेओन बन गया)।
- **संबंधित ग्रंथ**
  - ✓ कुछ कार्यों को पारंपरिक रूप से (यद्यपि निर्णायक रूप से नहीं) बोधिधर्म से जोड़ा जाता है:
    - दो प्रवेश द्वार और चार अभ्यास (एर रु सी जिंग): ज़ेन अभ्यास का सार बताता है।
    - रक्तप्रवाह उपदेश
    - जागृति उपदेश
    - बोधिधर्म की अभ्यास रूपरेखा
- **जापानी बौद्ध धर्म**
  - ✓ ज़ेन बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जो इस बात पर जोर देता है:
    - आत्मज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव
    - अनुष्ठान और शास्त्रों पर ध्यान (ज़ज़ेन)
    - आत्म-अनुशासन और सरलता
  - ✓ यह चीन में चान बौद्ध धर्म के रूप में विकसित हुआ, जो बाद में जापान (जहाँ इसे ज़ेन के रूप में जाना गया), कोरिया (सियोन) और वियतनाम (थिएन) तक फैल गया।

आगे की राह

भारत और जापान को ऐसे सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग लोगों के बीच गहरे संबंधों, शैक्षिक आदान-प्रदान और संयुक्त विरासत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। बोधिधर्म जैसी शख्सियतों को प्रदर्शित करने से सभ्यतागत संबंध मज़बूत हो सकते हैं, जबकि सांस्कृतिक कूटनीति में दारुमा गुड़िया का उपयोग साझा विकासात्मक और रणनीतिक लक्ष्यों की दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों को प्रेरित कर सकता है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई दारुमा गुड़िया लचीलेपन, लक्ष्य-निर्धारण और भारत-जापान के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। ज़ेन बौद्ध परंपरा में निहित, यह दृढ़ता और आध्यात्मिक जुड़ाव के साझा मूल्यों को दर्शाती है, और सार्थक सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों की स्थायी मजबूती को और मज़बूत करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: "दारुमा गुड़िया जैसे सांस्कृतिक प्रतीक सामाजिक मूल्यों को आकार देने में धर्म, दर्शन और परंपरा के गहरे अंतर्संबंधों को दर्शाते हैं।" जापानी समाज में दारुमा गुड़िया के सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा कीजिए और भारत के साथ इसके ऐतिहासिक संबंधों का परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

सिराराखोंग हथेई मिर्च उत्सव

चर्चा में क्यों: हाल ही में, 14वां सिराराखोंग हथेई मिर्च महोत्सव आधिकारिक तौर पर मणिपुर के उखरुल जिले में स्थित सिराराखोंग गांव में खोला गया।

मुख्य विवरण

- यह 14-दिवसीय आयोजन क्षेत्र की अनूठी जीआई-टैग वाली हथेई मिर्च का उत्सव मनाता है।
- सिराराखोंग हथेई मिर्च अपनी अनूठी सुगंध, स्वाद और चटख लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है।
- यह उत्सव सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक विकास और पर्यावरण जागरूकता का मिश्रण है।

सिराराखोंग हथेई मिर्च के बारे में

विशेषता	विवरण
नाम	सिराराखोंग हथेई मिर्च
प्रकार	मिर्च (कैप्सिकम) की देशी किस्म
रंग	चमकदार लाल
आकार	लंबा और पतला
स्वाद	मसालेदार लेकिन अत्यधिक तीखा नहीं
सुगंध	विशिष्ट और मजबूत
विशेषता	रंग खोए बिना प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश में आसानी से सूख जाता है
उपयोग	पाककला (मसाले, चटनी), पारंपरिक चिकित्सा और स्थानीय व्यंजन
मान्यता	2021 में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त हुआ

सांस्कृतिक महत्व

- **तांगखुल नागा भोजन और पहचान का अभिन्न अंग:** सिराराखोंग हथेई मिर्च मणिपुर की तांगखुल नागा जनजाति की खान-पान की आदतों में गहराई से समाई हुई है। तांगखुल लोगों के लिए, इस मिर्च की खेती और सेवन उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और जनजातीय पहचान का हिस्सा है।
- **सिराराखोंग हथेई मिर्च महोत्सव के माध्यम से प्रतिवर्ष मनाया जाता है:** सिराराखोंग गाँव में वार्षिक हथेई मिर्च महोत्सव मिर्च और स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक मंच है। यह जातीय गौरव, सामुदायिक एकता और कृषि-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देता है।
- **कृषि-सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक:** हथेई मिर्च की सफल खेती और जीआई मान्यता ने स्थानीय आदिवासी किसानों को अपनी स्थानीय फसल पर सम्मान और स्वामित्व का एहसास दिलाया है। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने इस फसल को स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुकूल बनाया है।

आर्थिक महत्व

- **आदिवासी किसानों के लिए आजीविका का स्रोत:** सिराराखोंग और आसपास के इलाकों में सैकड़ों परिवार हथेई मिर्च की खेती पर निर्भर हैं। इसकी खेती श्रम-प्रधान है, जिसमें स्थानीय महिलाओं और युवाओं को रोपण, कटाई और सुखाने में शामिल किया जाता है। यह फसल कच्ची और प्रसंस्कृत मिर्च, दोनों की बिक्री से आय उत्पन्न करती है।
- **जीआई टैग के बाद बढ़ती बाजार मांग:** 2021 में दिए गए जीआई टैग ने बाजार में अन्य किस्मों से इस मिर्च को अलग करने में मदद की है। स्थानीय, क्षेत्रीय और ऑनलाइन खरीदारों की ओर से मांग बढ़ी है जो जातीय और जैविक उत्पादों की तलाश में हैं। यह प्रामाणिकता के कारण प्रीमियम मूल्य निर्धारण को भी सक्षम बनाता है।
- **जैविक और पारंपरिक खेती को प्रोत्साहित करता है:** मिर्च को अक्सर रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों के बिना पारंपरिक और जैविक तरीकों से उगाया जाता है। यह प्राकृतिक, जैविक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग के अनुरूप है। यह पर्यावरणीय नुकसान को कम करता है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है।
- **मूल्यवर्धित उत्पादों की संभावना:** हथेई मिर्च को पाउडर, फ्लेक्स, अचार और सॉस में संसाधित किया जा सकता है। मूल्यवर्धित उत्पादों की शेल्फ लाइफ लंबी होती है और उनका बाजार मूल्य भी अधिक होता है, खासकर अगर उन्हें उचित पैकेजिंग और जीआई लेबल के तहत विपणन किया जाए। इससे स्थानीय युवा और महिला समूहों के लिए उद्यमशीलता के अवसर भी खुलते हैं।

चुनौतियां

- **सीमित बाजार पहुंच और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना**
  - ✓ दूरस्थ स्थान और खराब परिवहन संपर्क मिर्च की बड़े बाज़ारों तक पहुँच में बाधा डालते हैं।
  - ✓ शीत भंडारण, प्रसंस्करण इकाइयों, ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स एकीकरण की कमी लाभप्रदता को प्रभावित करती है।
- **जलवायु संवेदनशीलता और कीट हमले**
  - ✓ वर्षा के बदलते पैटर्न, सूखे और कीटों के बढ़ते हमलों से फसल को खतरा है।
  - ✓ किसानों की कृषि-सलाह सेवाओं या फसल बीमा तक पहुँच सीमित है।
- **कृषक समुदायों से युवाओं का पलायन**
  - ✓ कृषि में आर्थिक अवसरों की कमी के कारण, कई युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।
  - ✓ इससे श्रमिकों की कमी हो रही है और पारंपरिक कृषि ज्ञान में कमी आ रही है।

आगे की राह

- **मूल्य संवर्धन और ब्रांडिंग में सुधार:** उच्च मूल्य और व्यापक बाजार प्रवेश (घरेलू और निर्यात दोनों) प्राप्त करने के लिए एक सामान्य जीआई-आधारित मानक के तहत प्रसंस्करण (सूखा, पाउडर, अचार), पैकेजिंग और ब्रांडिंग की सुविधा प्रदान करना।
- **जलवायु लचीलेपन के लिए वैज्ञानिक समर्थन:** अप्रत्याशित मौसम, कीट, फसल रोगों जैसी समस्याओं को देखते हुए, विस्तार सेवाएँ, रोग प्रतिरोधी किस्में, जल प्रबंधन और मृदा संरक्षण सहायता प्रदान करना।
- **युवा जुड़ाव और उद्यमिता:** युवाओं को कृषि में बनाए रखने के लिए मसाला मूल्य-श्रृंखला (जैसे कृषि पर्यटन, मसाला उत्पाद, पाक पर्यटन) के आसपास स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
- **बाजार संबंधों को मजबूत करना:** मांग और उचित मूल्य की गारंटी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, सहकारी समितियों, सरकारी खरीद योजनाओं (जैसे स्कूल भोजन, मसाला बोर्ड) का उपयोग करना।
- **सांस्कृतिक पहचान और स्थिरता बनाए रखना:** सुनिश्चित करना कि कृषि पद्धतियाँ पर्यावरण के अनुकूल रहें, मिलावट से बचें, मिर्च के अनूठे गुणों (स्वाद, सुगंध) को बनाए रखना ताकि जीआई स्थिति का मूल्य बना करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: सिराराखोंग हाथी मिर्च महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सिराखोंग गाँव में उगाई जाने वाली हाथी मिर्च को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त हुआ है।
2. इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी कृषि विरासत, स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
3. यह आयोजन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मानकी-मुंडा प्रणाली

चर्चा में क्यों: हाल ही में, आदिवासी के रूप में जाने वाले "हो जनजाति" के सदस्यों ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले (कोल्हान क्षेत्र) में डिप्टी कमिश्नर (डीसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उन पर गांव के नेताओं, जिन्हें मुंडा कहा जाता है, को बर्खास्त करके उनकी पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को बाधित करने का आरोप लगाया।

मुख्य विवरण

- प्रशासन का कहना है कि विरोध प्रदर्शन अफवाहों के कारण हुआ था, और मानकी और मुंडा अब भी राजस्व व्यवस्था का हिस्सा हैं। लेकिन समुदाय में चिंताएँ बनी हुई हैं: उन्हें डर है कि पारंपरिक स्वायत्तता खतरे में है।
- **प्रमुख मुद्दे:**
  - ✓ हो-बहुल गाँवों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) की शिकायतें कि मुंडा उन्हें कुछ आजीविका के अवसरों से वंचित करते हैं (उदाहरण के लिए, गोप समुदाय मुंडाओं पर उन्हें प्रतिबंधित करने का आरोप लगाता है)।
  - ✓ ऐसी स्थितियाँ जहाँ मुंडा अनुपस्थित हों (मृत, कोई उत्तराधिकारी न हो, आदि), जिससे ग्रामीणों को अधिकारों और सेवाओं तक पहुँचने में समस्याएँ उत्पन्न होती हों।
- ज़िला प्रशासन ने अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक "नौ-सूत्रीय निर्देश" जारी किया है: विल्किंसन के नियमों के "अधिकारों के अभिलेख" (हुकुकनामा) के तहत परिभाषित ज़िम्मेदारियों की याद दिलाते हुए मुंडाओं को।
- **अन्य मुद्दा:** कई पारंपरिक नेता औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक प्रशासनिक, दस्तावेज़-आधारित शासन से निपटना मुश्किल हो सकता है। समुदाय के कुछ युवा सुधार चाहते हैं—जैसे, मुंडा/मानकी की भूमिकाओं को पूरी तरह से वंशानुगत न बनाना, योग्यता सुनिश्चित करना, शायद कुछ चुनाव या योग्यता-आधारित मानदंड।

मानकी-मुंडा प्रणाली के बारे में

- झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो आदिवासी समुदाय में स्वशासन की एक पारंपरिक व्यवस्था रही है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से बहुत पहले से चली आ रही है।
- यह एक विकेन्द्रीकृत पारंपरिक शासन व्यवस्था है:
  - ✓ **मुंडा** = ग्राम प्रधान। प्रत्येक गाँव में एक मुंडा होता है, जो आमतौर पर वंशानुगत नियुक्ति होती है। मुंडा गाँव स्तर पर विवादों, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों और आंतरिक शासन को संभालता है।
  - ✓ **मानकी** = गाँवों के समूह का मुखिया (एक "पीट" या "पीर", आमतौर पर 8-15 गाँव)। यदि मुंडा द्वारा विवादों का समाधान नहीं किया जा सकता, तो वे मानकी के पास जाते हैं।
  - ✓ मूल रूप से, भू-राजस्व, करों या भूमि स्वामित्व प्रवर्तन में इसकी कोई भूमिका नहीं थी: यह विशुद्ध रूप से आंतरिक शासन था।

ऐतिहासिक विकास

- जब अंग्रेज आए, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, तो राजस्व वसूली आदि के दबाव ने स्थानीय गतिशीलता को बदल दिया। हो भूमि ज़मींदारों और राज्य के शोषण के दबाव में थी।
- इस क्षेत्र (जिसे कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट - केजीई कहा जाता है) को प्रबंधित करने के प्रयास में, अंग्रेजों ने मुंडी मानकी व्यवस्था को मध्यस्थ के रूप में शामिल किया - विल्किंसन के नियमों (कैप्टन थॉमस विल्किंसन द्वारा तैयार किए गए) के माध्यम से मानकी और मुंडाओं के अधिकार को मान्यता दी। इन नियमों ने इन पारंपरिक नेताओं की प्रथागत शक्तियों और जिम्मेदारियों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया।
- स्वतंत्रता के बाद भी, उनमें से कई व्यवस्थाएँ (रीति-रिवाज, नियम) बची रहीं। अदालतों ने लंबे समय तक विल्किंसन नियमों को कुछ हद तक प्रथागत कानून की तरह माना है।
- 2000 में पटना उच्च न्यायालय में एक मामला (मोरा हो बनाम बिहार राज्य) आया जिसमें कहा गया कि ये पुरानी प्रथाएँ हैं, औपचारिक कानून नहीं, लेकिन इन्हें जारी रहने दिया गया क्योंकि कोई वैकल्पिक शासन प्रणाली मौजूद नहीं थी।

विल्किंसन के नियम

➢ 1833-1837 के आसपास, कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने मुंडाओं और मानकियों की भूमिकाओं को औपचारिक रूप देने के लिए लगभग 31 नियमों ("विल्किन्सन के नियम" / हुकुकनामा) को संहिताबद्ध किया, जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त थी।

महत्व

- यह व्यवस्था प्रथागत/पारंपरिक सत्ता और आधुनिक राज्य प्रशासन के बीच एक जीवंत सेतु का प्रतिनिधित्व करती है। इसका कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है।
- इसमें किसी भी बदलाव का आदिवासी स्वायत्तता, स्थानीय न्याय और पहचान पर प्रभाव पड़ता है। लोग इसे केवल प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भी मानते हैं।
- इसके अलावा, भारत के कई आदिवासी इलाकों में, यह सवाल विवादास्पद है कि प्रथागत कानून/पारंपरिक सत्ता को कितना संरक्षित किया जाना चाहिए और कितना सुधारा जाना चाहिए - यह ऐसा ही एक मामला है।

संरचना एवं भूमिकाएँ

स्तर	शीर्षक/ इकाई	अधिकार क्षेत्र/क्षेत्र	जिम्मेदारियाँ/ भूमिकाएँ
शीर्ष स्तर (क्लस्टर स्तर)	मानकी	एक "पीर" / "पीढ़" (लगभग 8-15 गांवों का समूह) का मुखिया	✓ व्यक्तिगत ग्राम मुंडाओं द्वारा हल न किए जा सकने वाले अपीलों या विवादों को संभालता है ✓ अंतर-ग्राम विवादों में मध्यस्थता करता है ✓ व्यापक जनजातीय/प्रशासनिक क्षेत्र में समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करता है ✓ विल्किन्सन नियमों के तहत औपनिवेशिक/प्रशासनिक एजेंसियों के साथ (ऐतिहासिक रूप से) बातचीत करता है ✓ कुछ मामलों में, जहाँ मान्यता प्राप्त हो, वहाँ "न्याय-पंच"/"न्याय पंचायत" कार्यों में स्थानीय प्रशासन के साथ काम करता है
आधार स्तर (ग्राम स्तर)	मुंडा	प्रत्येक गांव में एक मुंडा होता है, वंशानुगत नियुक्ति	✓ गाँव के भीतर सामाजिक-राजनीतिक विवादों का निपटारा करना ✓ सामाजिक व्यवस्था और प्रथागत मानदंडों को बनाए रखना

			✓ मानकी/उच्च अधिकारियों के साथ व्यवहार में गाँव का प्रतिनिधित्व करना ✓ परंपराओं और प्रथागत कानूनों का पालन करना ✓ मूल रूप से भू-राजस्व, कर या औपचारिक भूमि स्वामित्व प्रवर्तन के लिए ज़िम्मेदार नहीं होना (विशुद्ध रूप से आंतरिक शासन)
सहायक भूमिकाएँ	डाकुवा	मुंडा के लिए ग्राम स्तरीय सहायक/मुखबिर: संपर्क भूमिका (सूचना, संचार)	✓ संदेश, सूचनाएँ और सूचनाएँ प्रेषित करना ✓ मुंडा समुदाय की सहायता करके स्थानीय विवादों के समाधान में मदद करना ✓ बैठकें आयोजित करना/निर्णयों आदि के बारे में ग्रामीणों को सूचित करना।
	धार्मिक भूमिकाएँ	ग्राम (या स्थानीय) स्तर	✓ पाहान (गांव के पुजारी) और पुजहर (सहायक) - धार्मिक अनुष्ठानों, आध्यात्मिक / प्रथागत समारोहों को संभालते हैं; सांस्कृतिक / अनुष्ठान मानदंडों को बनाए रखने में मदद करते हैं।
	अन्य सहायक/अधिकारी	आवश्यकतानुसार मानकी/ग्राम प्रधान के अधीन	✓ संभवतः "सहायक मानकी", "सहायक मुंडा" (कार्यभार संभालने के लिए) ✓ कभी-कभी कुछ विवरणों में तहसीलदार की भूमिका का उल्लेख (औपनिवेशिक संदर्भ में) किया जाता है, जो हाल के दिनों में अधिक अनौपचारिक हो गया है।

वर्तमान कार्यप्रणाली एवं प्रमुख विशेषताएं

तत्व	विवरण
वंशानुगत नेतृत्व	मुंडा और मानकी पद वंशानुगत हैं, जो पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते हैं।
विवाद समाधान	सामाजिक, प्रथागत विवाद; मुंडा द्वारा निपटाए गए ग्राम-स्तरीय मुद्दे; मानकी द्वारा अपील या बड़े विवाद।
प्रथागत कानून बनाम औपचारिक कानून	व्यवस्था परंपरा/रीति-रिवाज पर निर्भर करती है। विल्किंसन के नियम संहिताबद्ध प्रथागत नियम प्रदान करते हैं, लेकिन औपचारिक विधायी कानून नहीं हैं। विकल्पों के अभाव में अदालतें इन्हें स्वीकार करती हैं।
रिक्तियां और प्रशासनिक संपर्क	मुंडा/मानकी के कई पद रिक्त हैं। राज्य प्रशासन कभी-कभी रिक्तियों को भरने, पदों की पुष्टि आदि में हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप और स्वायत्तता पर कथित खतरे को लेकर तनाव बना रहता है।

सुझाव/ आगे की राह

- **यथोचित सुधार लागू करना:** उदाहरण के लिए, वंशानुगत भूमिका बनाए रखें लेकिन यह सुनिश्चित करना कि नेताओं को कानूनी साक्षरता, दस्तावेज़ीकरण, मध्यस्थता आदि में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **कानूनी स्थिति स्पष्ट करना:** प्रथागत मानदंडों का सम्मान करते हुए, राज्य कानून के तहत विल्किंसन के नियमों के आधुनिक समकक्ष को संभावित रूप से संहिताबद्ध करना।
- ग्राम सभाओं को शामिल करते हुए, मुंडाओं/मानकियों की नियुक्ति/भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- **संस्थागत समर्थन को मज़बूत करना:** पारंपरिक नेताओं को प्रशासनिक/कानूनी सहायता और संसाधन प्रदान करना ताकि वे आधुनिक ढाँचों (जैसे, भूमि अभिलेख, दस्तावेज़ीकरण) से निपट सकें।
- **परंपरा व अधिकारों में संतुलन:** सुनिश्चित करना कि गैर-आदिवासी या हाशिए पर पड़े समूहों (आदिवासी गाँवों में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) को उचित पहुँच मिले और भेदभाव से बचा जा सके।
- **जन जागरूकता:** गलतफहमी से बचने के लिए राज्य अधिकारियों और आदिवासी समुदायों, दोनों को कानूनी और प्रथागत ढाँचे के बारे में सूचित करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: मानकी-मुंडा व्यवस्था (हो जनजाति, कोल्हान) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(a) मुंडा, हो समुदाय का एक वंशानुगत ग्राम प्रधान होता है जो ग्राम स्तर पर सामाजिक-राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए ज़िम्मेदार होता है।

(b) मानकी लगभग 8-15 गाँवों के समूह का मुखिया होता है जिसे "पीढ़" कहा जाता है और जब मुंडा मुद्दों को सुलझाने में असमर्थ होते हैं तो वे अपीलों का निपटारा करते हैं।

(c) इस व्यवस्था में मूल रूप से बाहरी लोगों से भू-राजस्व और कर वसूलने से संबंधित कर्तव्य शामिल थे।

(d) "विल्किन्सन नियम" (1833) ने ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के तहत मानकी-मुंडा व्यवस्था को औपचारिक रूप से संहिताबद्ध किया।

उत्तर: (c)

हड़प्पा लिपि

चर्चा में क्यों: हाल ही में, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हड़प्पा लिपि पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें 1920 के दशक से खोजी गई अलिखित हड़प्पा लिपि को समझने के लिए विशेषज्ञ एकत्रित होंगे।

इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा किया जाता है, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।

मुख्य विवरण

- सिंधु घाटी सभ्यता (लगभग 3300 और 1300 ईसा पूर्व) की मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाने वाली हड़प्पा लिपि, लेखन का एक ऐसा रूप है जिसकी कई प्रयासों के बावजूद अभी तक निर्णायक व्याख्या नहीं की जा सकी है।
- इसमें 400 से ज़्यादा अलग-अलग अक्षर हैं, जिनमें से कुछ विभिन्न संदर्भों में दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अर्थों की स्पष्ट समझ नहीं है।
- किसी वर्णमाला प्रणाली या प्रत्यक्ष भाषाई समानता का अभाव इसे समझना और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है।
- इतिहासकारों ने दावा किया है कि हड़प्पा लिपि द्वारा दर्शाई गई मूल भाषा संस्कृत है, कुछ अन्य कहते हैं कि यह प्रोटो-द्रविड़ का एक रूप है, जबकि कुछ इसे हो और संथाली से जोड़ते हैं।
- बहारा मुखोपाध्याय के शोध से पता चलता है कि यह प्राचीन कराधान और वाणिज्य की जानकारी को कूटबद्ध करती है।
- करुणा एन. सलामे का दावा है कि यह लिपि मुख्यतः गोंडी भाषा में है, जबकि एक अन्य लिपि को संथाली भाषा से जोड़ते हैं।

चुनौती

किसी लिपि को समझने के लिए निम्नलिखित उप-समस्याओं को क्रम से हल करना होगा।

- यह तय करना कि प्रतीकों का एक समूह वास्तव में एक लेखन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं।
- प्रतीकों की धारा को एकल चिह्नों के अनुक्रम में पृथक या खंडित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएँ तैयार करना।
- प्रतीकों की धारा को एकल चिह्नों के अनुक्रम में परिवर्तित करने के लिए चिह्नों के समूह को न्यूनतम समूह तक कम करना।
- सभी अलोग्राफ (एक ही चिह्न, उदाहरण के लिए एक मुद्रित 'A' और एक कर्सिव ' A' ' के रूप में लिखे गए) की पहचान करके लेखन प्रणाली (उसकी

वर्णमाला, शब्दांश, या चिह्नों की सूची) के निर्माण के लिए चिह्नों के समूह को न्यूनतम समूह तक कम करना।
- प्रत्येक चिह्न को उसका निर्दिष्ट मान प्रदान करना, चाहे वह ध्वन्यात्मक हो या अन्यथा।
- इन मानों का किसी विशिष्ट भाषा से मिलान करने का प्रयास करना।
- सिंधु लिपि के मामले में, इनमें से कई समस्याएँ तीन मुख्य कारणों से अनसुलझी रह जाती हैं:
  - ✓ कोई बहुभाषी शिलालेख नहीं
  - ✓ भाषा ज्ञात नहीं
  - ✓ सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है

अपठित लिपि के निहितार्थ
- लिखित अभिलेखों के अभाव के कारण, दुनिया के सबसे पुराने शहरी केंद्रों में से एक को बनाए रखने वाली राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों की व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है।
- इस लिपि को समझने से सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया तथा प्राचीन मिस्र जैसी अन्य प्राचीन संस्कृतियों के बीच संबंधों पर प्रकाश पड़ सकता है।
- इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भाषाई और सांस्कृतिक रूप से अलग थी या यह एक व्यापक क्षेत्रीय ढाँचे का हिस्सा थी।

भाषा और उत्पत्ति के सिद्धांत
- **द्रविड़ परिकल्पना**
  - ✓ **सिद्धांत:** माना जाता है कि हड़प्पा भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी आधुनिक भाषाएँ शामिल हैं।
  - ✓ **तर्क:** लिपि के कुछ चिह्न आद्य-द्रविड़ भाषाओं के तत्वों से मिलते जुलते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाओं के प्रसार को सिंधु घाटी सभ्यता से संभावित संबंध माना जाता है।
  - ✓ **वर्तमान स्थिति:** निश्चित रूप से सिद्ध नहीं, हालाँकि यह एक प्रमुख सिद्धांत बना हुआ है।
- **प्रोटो-इंडो-यूरोपीय लिंक**
  - ✓ **सिद्धांत:** हड़प्पा लिपि का संबंध प्रारंभिक इंडो-यूरोपीय भाषाओं से हो सकता है, जिनसे बाद में संस्कृत और कई यूरोपीय भाषाओं का विकास हुआ।
  - ✓ **तर्क:** कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि हड़प्पा के प्रतीक प्रारंभिक इंडो-यूरोपीय ध्वन्यात्मक प्रतिमानों से समानताएँ दर्शाते हैं, जो एक भाषाई संबंध का संकेत देते हैं।
  - ✓ **वर्तमान स्थिति:** यह सिद्धांत काल्पनिक है और इस संबंध की पुष्टि करने वाला कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
- **अन्य सिद्धांत**
  - ✓ **गैर-भाषाई प्रतीकवाद:** कुछ विद्वानों का सुझाव है कि हड़प्पा लिपि एक पूर्ण भाषा नहीं हो सकती, बल्कि यह प्रतीकात्मक चिह्नों या चित्रलिपि का एक समूह हो सकता है जिसका उपयोग व्यापार या अनुष्ठानों जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता था।
  - ✓ **चित्रात्मक/विचारात्मक प्रणाली:** एक अन्य संभावना यह है कि यह लिपि एक प्रकार की विचारात्मक लेखन शैली का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ प्रतीकों का उपयोग ध्वन्यात्मक ध्वनियों के बजाय विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
  - ✓ **वर्तमान स्थिति:** ये सिद्धांत हड़प्पा लिपि को लिखित भाषा मानने के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं और अभी भी इस पर बहस जारी है।

निष्कर्ष

हड़प्पा लिपि प्राचीन इतिहास के सबसे रहस्यमय और रोचक तत्वों में से एक है। अनेक सिद्धांतों के अस्तित्व के बावजूद, निर्णायक खोजों के अभाव में सिंधु घाटी सभ्यता की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा हिस्सा अस्पष्ट बना हुआ है। फिर भी, निरंतर तकनीकी प्रगति के साथ, इस प्राचीन लिपि को समझने की आकांक्षा बनी हुई है। वर्तमान में, हड़प्पा लिपि का रहस्य अभी भी बना हुआ है, जो प्राचीन समाजों को समझने की चुनौतियों और ऐतिहासिक विश्लेषण की बाधाओं को दर्शाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: हड़प्पा (सिंधु) लिपि के अभी तक न पढ़े जाने का एक प्रमुख कारण क्या नहीं है?

(a) इस लिपि को किसी ज्ञात भाषा से जोड़ने वाले कोई बहुभाषी अभिलेख ज्ञात नहीं हैं।

(b) चिह्नों और उनके रूपों (अलौग्राफ) की संख्या अनिश्चित है।

(c) संरक्षित सामग्री बहुत अधिक है, जिससे डेटा का अतिभार एक समस्या बन जाता है।

(d) औसत अभिलेख बहुत छोटे होते हैं—अक्सर केवल कुछ ही अक्षर होते हैं।

उत्तर: (c)

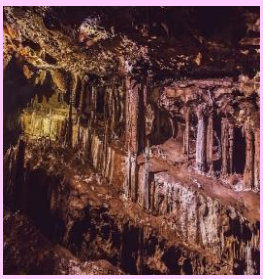
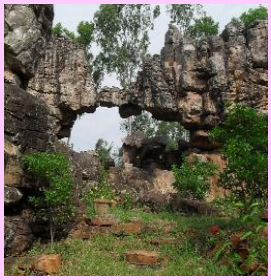
यूनेस्को की सूची में भारत के संभावित स्थल

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत के सात प्राकृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, जिससे सूची में इनकी संख्या 69 हो गई है।

मुख्य विवरण
- नवीनतम प्रविष्टियों के साथ, भारत में अब विश्व निकाय के अंतर्गत 49 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और तीन मिश्रित विरासत संपत्तियाँ हैं।
- भारत में विश्व विरासत सम्मेलन के लिए नोडल एजेंसी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने नामांकन संकलित करके प्रस्तुत किए हैं।

अस्थाई सूची में शामिल किए गए नवीन स्थल

स्थल	महत्व
एर्रा मैटी डिब्बलु या लाल रेत के टीलों की प्राकृतिक विरासत (विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश) 	• एर्रा मट्टी डिब्बालू के लाल रेत के टीले विशाखापत्तनम के तट पर पाए जाने वाले अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाएँ हैं। • ये लाल रंग के रेत के टीले न केवल देखने में अद्भुत हैं, बल्कि इनका अद्वितीय पारिस्थितिक मूल्य भी है। • वातज प्रक्रियाओं (वायु-आधारित अपरदन) के माध्यम से निर्मित, ये टीले तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे प्रकृति की शक्तियाँ समय के साथ भूदृश्यों को आकार दे सकती हैं।

मेघालय युग की गुफाएँ (मेघालय) 	• मेघालय में स्थित मेघालयन युग की गुफाएँ प्रागैतिहासिक काल की अमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। लाखों वर्षों में निर्मित इन गुफाओं में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र और प्राचीन पशुओं के जीवाश्म अवशेष संरक्षित हैं, जो मेघालयन युग (लगभग 4200 से 4000 वर्ष पूर्व) से सीधा संबंध स्थापित करते हैं। • यह काल भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता के विकास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत (तिरुपति, आंध्र प्रदेश) 	• तिरुमला पहाड़ियाँ, जहाँ प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है, अपनी जैव विविधता और पारिस्थितिक समृद्धि के लिए जानी जाती हैं। • पूर्वी घाट का हिस्सा ये पहाड़ियाँ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनमें विभिन्न स्थानिक वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों का अनूठा परिदृश्य दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों के साथ जैव विविधता का एक केंद्र है।
वर्कला (केरल) की प्राकृतिक विरासत 	• केरल का वर्कला, अरब सागर तट पर स्थित अपनी चट्टानों के लिए जाना जाता है, जो इसे एक अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचना बनाती है। • ये चट्टानें हजारों वर्षों में हुए विवर्तनिक परिवर्तनों और उसके बाद तटीय जल द्वारा हुए क्षरण का परिणाम हैं। • ये चट्टानें संरक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल हैं, क्योंकि ये प्रवासी पक्षियों और समुद्री जीवन के लिए आवास का काम करती हैं।
पंचगनी और महाबलेश्वर में डेक्कन ट्रैप 	• पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित दक्कन ट्रैप दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक हैं, जो प्राचीन लावा प्रवाह से निर्मित हुए हैं। • ये विशाल बेसाल्ट संरचनाएँ लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व भीषण ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण निर्मित हुई थीं। यह क्षेत्र ज्वालामुखी भूविज्ञान का एक असाधारण उदाहरण है।
सेंट मैरी द्वीप समूह (कर्नाटक) की भूवैज्ञानिक विरासत 	• कर्नाटक के उडुपी तट पर स्थित सेंट मैरी द्वीप, एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है जो अपनी अनूठी स्तंभाकार बेसाल्ट संरचनाओं के लिए जाना जाता है। • ये संरचनाएँ लाखों साल पहले ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम हैं और भारत में ऐसी संरचनाओं के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक मानी जाती हैं।
नागा हिल ओफियोलाइट, नागालैंड 	• नागालैंड में स्थित नागा हिल ओफियोलाइट एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थल है जो प्लेट टेक्टोनिक्स और भूपर्पटी निर्माण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। • इस क्षेत्र में ओफियोलाइट संरचनाएँ सबसे पुरानी और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित हैं, जो पृथ्वी की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रारंभिक इतिहास की एक झलक प्रदान करती हैं।

यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए स्थानों का महत्व

- **भूवैज्ञानिक विविधता:** ये स्थल प्राचीन ज्वालामुखी संरचनाओं से लेकर विवर्तनिक परिवर्तनों और तटीय अपरदन तक, भारत के विविध भूवैज्ञानिक इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। इन स्थलों का जुड़ना भारत की भूवैज्ञानिक संपदा और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने के वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है।
- **जैव विविधता और संरक्षण:** तिरुमला हिल्स और नागा हिल ओफियोलाइट जैसे स्थल जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई स्थानिक प्रजातियाँ इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर हैं। इनका समावेश पारिस्थितिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल देता है।
- **पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था:** यूनेस्को द्वारा मान्यता मिलने से वैश्विक ध्यान बढ़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर पर्यटन अवसंरचना विकसित हो सकती है और इन स्थलों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ सकती है। स्थानीय समुदायों को सतत पर्यटन और संरक्षण प्रयासों से लाभ होगा।
- **सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व:** इनमें से कुछ स्थल, जैसे तिरुमला हिल्स और वर्कला, सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के साथ प्राकृतिक विरासत का यह सम्मिश्रण इन स्थलों के वैश्विक आकर्षण को और मजबूत करता है।

निष्कर्ष

यूनेस्को की संभावित सूची में इन सात प्राकृतिक स्थलों का समावेश भारत की विविध भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिक विरासत को उजागर करता है। यह सतत पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा देते हुए अपने प्राकृतिक अजूबों के संरक्षण के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह मान्यता न केवल वैश्विक जागरूकता को बढ़ाती है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भारत के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के महत्व पर भी ज़ोर देती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक धरोहर स्थल को हाल ही में 2024 में भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है?

(a) फूलों की घाटी, उत्तराखंड
(b) वर्कला चट्टानें, केरल
(c) पश्चिमी घाट
(d) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम

उत्तर: (b)



सरकारी योजनाएँ

आदि कर्मयोगी अभियान: जमीनी स्तर पर आदिवासी नेताओं का निर्माण

चर्चा में क्यों: हाल ही में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय जमीनी स्तर का नेतृत्व कार्यक्रम होने की उम्मीद है और इसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत लॉन्च किया जाएगा।

मुख्य विवरण

- इसका लक्ष्य उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देना तथा भारत में स्थानीय स्तर पर जनजातीय नेताओं की नई पीढ़ी को जोड़ना है।
- जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना और जन-केंद्रित शासन की शुरुआत करना।
- 1 लाख गाँवों, 550 जिलों और 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों **में 20 लाख जनजातीय** नेताओं का एक नेटवर्क विकसित करना।
- **ग्राम विजन 2030** को विकास के पथ पर अग्रसर करना।
- **1,00,000 आदि सेवा केंद्रों (वन-स्टॉप सेवा केंद्रों)** के माध्यम से सरकारी योजनाओं के अंतिम-उपयोगकर्ता तक वितरण को सुगम बनाना।
- विकास के लिए जनजातीय समुदायों की आवाज़ को प्रलेखित और सशक्त बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:**
  - ✓ **पदानुक्रमिक स्तर पर बहु-स्तरीय कार्यशालाएँ:** राज्य → ज़िला → ब्लॉक → गाँव।
  - ✓ मोमबत्ती जलाना, रोल-प्ले, गाँठ बाँधना, मछली पकड़ने के सत्र और मानव गाँठ जैसे कार्यक्रमों का उपयोग समस्या-समाधान, टीमवर्क और आत्मनिर्भरता को समझाने के लिए किया जाता है।
  - ✓ प्रशिक्षकों के एक कैडर के लाभ: 240 राज्य-स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक, 2,750 ज़िला-स्तरीय प्रशिक्षक, 15,000 ब्लॉक-स्तरीय प्रशिक्षक, दो मिलियन ग्राम-स्तरीय स्वयंसेवक, 1.5 मिलियन ग्राम-स्तरीय स्वयंसेवक, 20 मिलियन प्रशिक्षक।
- **संस्थागत तंत्र**
  - ✓ **आदि सेवा केंद्र:** मार्गदर्शन, प्रशासन और योजना सुगमता के लिए पखवाड़े में एक बार 1-2 घंटे।
  - ✓ **मुल्लम स्थान:** सामूहिक शिक्षा, संवाद और पदानुक्रम तोड़ने के लिए सामुदायिक स्थान।
  - ✓ **गाँव के लिए विज़न 2030:** प्रत्येक आदिवासी गाँव के लिए 'ड्रीम पेंटिंग' और कार्यशालाओं सहित सहभागी विज़निंग प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।
- **स्वयंसेवी सहभागिता:**
  - ✓ **आदि कर्मयोगी:** राज्य की प्रशासनिक मशीनरी जो उत्तरदायी शासन के वाहक के रूप में कार्य करती है।
  - ✓ **आदि सहयोगी:** युवा, शिक्षक, डॉक्टर और अन्य उत्साही सेवा प्रदाता जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता के मार्ग प्रशस्त करते हैं।
  - ✓ **आदि साथी:** स्वयं सहायता समूह के सदस्य, समुदाय के वरिष्ठजन और जनजातीय नेता जो जमीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी का निर्माण करते हैं।
- **डिजिटल आधार:** आदि **कर्मयोगी पोर्टल** द्वारा पंजीकरण, प्रशिक्षण, निगरानी, फीडबैक और परिवर्तनकारी कहानियों को साझा करना।

आदि कर्मयोगी पहल का महत्व

- सहभागी जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाता है।
- जनजातीय नेतृत्व और समस्याओं के स्थानीय समाधानों को प्रोत्साहित करता है।
- सरकारी कार्यक्रमों के कुशल अंतिम-स्तरीय क्रियान्वयन की गारंटी देता है।
- विकासशील भारत-2047 जैसे राष्ट्रीय दृष्टिकोणों और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संदर्भ में योगदान देता है।
- प्रधानमंत्री जन-मन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जैसे मौजूदा प्रमुख कार्यक्रमों का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

आदि कर्मयोगी अभियान, क्षमता निर्माण, सहभागी शासन और डिजिटलीकरण के दृष्टिकोण पर आधारित जनजातीय विकास में एक अभिनव हस्तक्षेप है। यह स्थानीय नेतृत्व, उत्तरदायी शासन और जनजातीय समस्याओं के समाधान को बढ़ावा देता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: आदि कर्मयोगी अभियान का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है:

(a) आदिवासी क्षेत्रों का औद्योगिक क्षेत्रों की तरह विकास करना।
(b) सहभागी शासन को बनाए रखने के लिए 20 लाख आदिवासी परिवर्तन नेताओं का एक नेटवर्क बनाना।
(c) आदिवासी परिवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना।
(d) राज्यों में आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।

उत्तर: (b)

महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण (क्रिटिकल मिनरल रिसाइक्लिंग) को बढ़ावा देने के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी दी। यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीसीएम) की व्यापक योजना के अंतर्गत आती है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन और खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मुख्य विवरण

- **वित्तीय परिव्यय:** ₹1,500 करोड़
- **अवधि:** 6 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31)
- **पात्र फीडस्टॉक:** ई-कचरा, लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप, कैटेलिटिक कन्वर्टर्स और अन्य औद्योगिक/वाहन स्क्रैप
- **लाभार्थी:** बड़े स्थापित पुनर्चक्रणकर्ता, छोटे/नए पुनर्चक्रणकर्ता और स्टार्ट-अप (उनके लिए निर्धारित निधि का 1/3)
- **प्रोत्साहन तंत्र**
  - ✓ **पूंजीगत व्यय सब्सिडी:** समय पर बाज़ार में उत्पादन के लिए संयंत्र और मशीनरी पर 20% सब्सिडी।
  - ✓ **परिचालन व्यय सब्सिडी** (आधार वर्ष 2025-26 की तुलना में वृद्धिशील बिक्री पर):
    - दूसरे वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27) 40% सब्सिडी
    - पाँचवें वर्ष (वित्त वर्ष 2030-31) 60% सब्सिडी
- **प्रोत्साहन सीमा:**
  - ✓ **बड़ी संस्थाएँ:** ₹50 करोड़ (अधिकतम ₹10 करोड़ परिचालन व्यय सब्सिडी के साथ)
  - ✓ **छोटी संस्थाएँ:** ₹25 करोड़ (अधिकतम ₹5 करोड़ परिचालन व्यय सब्सिडी के साथ)

अपेक्षित परिणाम

- इस परियोजना से **भारत प्रतिवर्ष 270 किलोटन अपशिष्ट पदार्थों** का पुनर्चक्रण करने में सक्षम होगा, जिससे अपशिष्ट को कम करने, संसाधनों के संरक्षण और भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- इस परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और **उन्नत उद्योग क्षेत्रों की मांग के अनुरूप हर साल 40 किलोटन महत्वपूर्ण खनिजों** का विनिर्माण संभव हो सकेगा।
- यह **कार्यक्रम लगभग 8,000 करोड़ रुपये के निवेश** को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, जिससे औद्योगिक बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी अपनाने और सतत विकास को मजबूती मिलेगी।
- इसके अलावा, इस **परियोजना से लगभग 70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां** पैदा होंगी, जिससे रोजगार, कौशल विकास और क्षेत्रीय आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीसीएम)

- **अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2030-31
- **बजट:** ₹16,300 करोड़ + सार्वजनिक उपक्रमों से ₹18,000 करोड़
- **नोडल मंत्रालय:** खान मंत्रालय
- **उद्देश्य:**
  - ✓ भारत की महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना।
  - ✓ न केवल ज़मीन से, बल्कि विदेशों से भी खनिज प्राप्त करना।
  - ✓ भारतीय मूल्य श्रृंखलाओं को निम्नलिखित चरणों से गुज़रने में सहायता करना: अन्वेषण → खनन → लाभकारी करण → प्रसंस्करण → पुनर्चक्रण।
  - ✓ नवाचार, पेटेंटिंग, कौशल विकास और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना।
- **शासन ढांचा**
  - ✓ **मिशन सचिवालय:** एक संयुक्त सचिव के नेतृत्व में, भूविज्ञान, वित्त और खनन क्षेत्र के पेशेवरों की एक बहु-विषयक टीम द्वारा समर्थित।
  - ✓ **महत्वपूर्ण खनिजों पर अधिकार प्राप्त समिति:** कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष हैं और संबंधित मंत्रालय इसके सदस्य हैं।

पीएम मित्र योजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) योजना की घोषणा की है।

मुख्य विवरण

- 2026-27 तक पीएम-मित्र को क्रियान्वित करने के लिए **सात राज्यों** - तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश - को चुना गया है।
- यह विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचा प्रदान करके और अपव्यय को समाप्त करके **विश्व के वस्त्र और परिधान व्यवसाय** के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने के भारत के प्रयास के अनुरूप है।

पीएम मित्र योजना

- **परिचय:** 2021, **वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत**
- **उद्देश्य:** संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना: **फार्म → फाइबर → फैक्ट्री → फैशन → फॉरेन मार्केट (5-एफ विजन)।**
- **कार्यान्वयन:** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा, जो सार्वजनिक-निजी आधार पर संचालित होंगे।
- **अवधि:** 2021-22 से 2027-28 तक।
- **विकास पूँजी सहायता:** पार्क में साझा बुनियादी ढाँचे और अन्य विकास गतिविधियों के लिए परियोजना लागत के 70% तक 10 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर तक विकास सहायता, अधिकतम 5 करोड़ रुपये प्रति पार्क।
- **प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस):** विनिर्माण इकाइयों को परिचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक।
- **टेक्सटाइल पार्कों की विशेषताएँ:** इन्क्यूबेशन केंद्र, डिज़ाइन स्टूडियो, परीक्षण सुविधाएँ, साझा प्रसंस्करण और अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयाँ, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स केंद्र, साथ ही श्रमिक आवास, जो वास्तव में एकीकृत और टिकाऊ क्लस्टर बनाते हैं।

योजना का महत्व

- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला के एक ही स्थान पर केंद्रित होने के कारण, यह योजना लॉजिस्टिक लागत, टर्नअराउंड समय और अपव्यय को उल्लेखनीय रूप से कम करती है, जिससे भारतीय वस्त्र निर्यात बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाता है।
- **रोज़गार सृजन:** सभी पार्कों में लगभग ₹70,000 करोड़ के निवेश से लगभग 20 लाख रोज़गार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष) सृजित होंगे, जिससे युवा श्रम शक्ति, विशेषकर महिला श्रमिकों को मदद मिलेगी।
- **घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना:** यह योजना वस्त्र और परिधान क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ-साथ घरेलू निवेश भी लाएगी।
- **तकनीकी और अवसंरचना उन्नयन:** उन्नत मशीनरी, डिजिटल समाधान और टिकाऊ उत्पादन सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम मित्रा पुराने भारतीय वस्त्र अवसंरचना में बदलाव लाएगा और उत्पादकता बढ़ाएगा।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG)-9 उद्योग, नवाचार और अवसंरचना को प्रोत्साहन:** उच्च तकनीक वाले औद्योगिक क्लस्टर विकसित करता है; तकनीकी वस्त्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करता है; पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण का समर्थन करता है।

कपड़ा क्षेत्र – वर्तमान स्थिति

- **आर्थिक योगदान:** यह सकल घरेलू उत्पाद का 2% और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का 12% है।
- **रोज़गार:** 45 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है और 60 मिलियन अप्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करता है - कृषि के बाद रोज़गार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत।
- **निर्यात:** वित्त वर्ष 2022 में 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 41% की वृद्धि है।

आगे की राह

- **व्यापार सुरक्षा को मज़बूत करना:** घरेलू निर्माताओं की रक्षा करने और विश्व व्यापार संगठन में अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सस्ते वस्त्र आयात पर एंटी-डंपिंग और प्रतिपूरक शुल्क लगाने सहित कठोर व्यापार सुरक्षा कदम उठाएँ ताकि वैश्विक स्तर पर समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
- **मिशन-मोड अवसंरचना विकास:** परिचालन और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए समय पर पार्क अवसंरचना जैसे बिजली, पानी, लॉजिस्टिक, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएँ आदि विकसित की जानी चाहिए।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना:** टेक्सटाइल्स पार्कों में प्रौद्योगिकी, प्रबंधन दक्षता और वित्तीय दक्षता के लिए प्रमुख निवेशकों और पीपीपी मॉडल को आमंत्रित करना।
- **स्थायी और हरित विनिर्माण को सुगम बनाना:** भारत के वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर स्थायी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए शून्य द्रव निर्वहन प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग सहित स्थायी विनिर्माण प्रथाओं का समर्थन करना।
- **कुशल कार्यबल और औद्योगिक तत्परता:** नवीनतम वस्त्र और परिधान तकनीकों में कुशल प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने के लिए समर्थ और संबंधित योजनाओं के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना, जिससे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और रोजगार सृजन हो सके।

निष्कर्ष

पीएम मित्र योजना भारतीय वस्त्र क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी योजना है, जिसका उद्देश्य वैश्विक मानकों पर एकीकृत वस्त्र पार्क स्थापित करना है, जिससे लागत में कमी आएगी, निवेश आएगा, रोजगार सृजित होंगे और प्रौद्योगिकी का उन्नयन होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: पीएम-मित्र योजना के अंतर्गत 5-एफ़ विजन का अर्थ है

(a) फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन

(b) फैब्रिक, फाइबर, फाइनेंस, फैशन, फॉरेन

(c) फार्म, फाइबर, फाइनेंस, फैक्ट्री, फैशन

(d) फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, एफडीआई

उत्तर: (a)

मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना महिला रोज़गार योजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, बिहार सरकार ने राज्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है।

उद्देश्य:

- मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का मुख्य उद्देश्य **महिलाओं में व्यवसाय और स्व-उद्यमिता** को बढ़ावा देना है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है।
- **इस योजना के उद्देश्य हैं:** ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन पर कर में कमी लाना, घरेलू आय में वृद्धि करना, और महिलाओं द्वारा संचालित सामुदायिक कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- **वित्तीय सहायता:** सभी योग्य महिला उद्यमियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रारंभिक लेनदेन के लिए ₹10,000 प्रदान किए जाएंगे।
- **अतिरिक्त वित्तीय सहायता:** छह महीने के बाद, व्यवसाय में खुद को साबित करने वाली महिलाओं को ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
- **कार्यान्वयन:** ग्रामीण विकास विभाग और बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति।
- **क्षेत्रीय लचीलापन:** लाभार्थी खेती, पशुपालन, शिल्प, सिलाई, बुनाई या किसी अन्य लघु-स्तरीय व्यवसाय के क्षेत्र में उद्यमों का चयन कर सकते हैं।
- **प्रशिक्षण और बाज़ार पहुँच:** स्वयं सहायता समूहों के सामुदायिक संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और महिलाओं के उत्पादों को ग्रामीण हाट-बाज़ारों के माध्यम से बाज़ार तक पहुँच प्रदान की जाएगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री महिला रोजगार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करता है, साथ ही महिलाओं को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और विपणन सक्षमता के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के रूप में परिवर्तित करने में सहायता करता है।



महत्वपूर्ण रिपोर्ट

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2025 में 38वें स्थान पर पहुंचा: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2025 में 139 अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत ने अपनी रैंक में सुधार किया है और 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2020 में 48वें और 2015 में 81वें स्थान पर था।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई)

- ✓ **प्रारंभ:** 2007
- ✓ **प्रकाशक:** WIPO (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन)
- यह सूचकांक किसी देश की नवाचार प्रणाली की मजबूती का माप है, जो नवाचार में निवेश, तकनीकी विकास, अपनाने की दरों और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के माध्यम से उसके आउटपुट के संदर्भ में है।
- दायरा: लगभग 139 अर्थव्यवस्थाएँ और इनपुट और आउटपुट के 80 से अधिक संकेतक, जिनमें नवाचार इनपुट (संस्थाएँ, मानव पूँजी, बुनियादी ढाँचा, बाज़ार और व्यावसायिक परिष्कार) और नवाचार आउटपुट (ज्ञान, तकनीकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- सरकारों, शोधकर्ताओं और उद्योगों को दुनिया भर में उनके नवाचार के प्रदर्शन का मानकीकरण करने में सहायता करता है।
- आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए नीति विकास को सुगम बनाता है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025: मुख्य विशेषताएं

- **शीर्ष 3 सर्वाधिक नवोन्मेषी देश**: स्विट्ज़रलैंड (66), स्वीडन (62.6), संयुक्त राज्य अमेरिका (61.0)
- **क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि:**
  - ✓ **यूरोप:** शीर्ष 25 में 15 देश शामिल हैं, जिनमें से छह शीर्ष 10 में हैं।
  - ✓ **उत्तरी अमेरिका:** संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा, कनाडा 17वाँ
  - ✓ **SEAO (दक्षिण-पूर्व, पूर्वी एशिया, ओशिनिया):** नवाचार केंद्रों के रूप में उभर रहा है
  - ✓ **चीन:** 10वाँ; अनुसंधान एवं विकास व्यय (विश्व स्तर पर दूसरा) और पेटेंट दाखिलों में मज़बूत।
  - ✓ **भारत:**
    - ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आउटपुट (22वीं रैंक) और बाज़ार परिष्कार (38वीं रैंक) में सर्वाधिक सकारात्मक प्रदर्शन
    - व्यावसायिक परिष्कार (64वीं रैंक), बुनियादी ढाँचा (61वीं रैंक) और संस्थानों (58वीं रैंक) में अपर्याप्त प्रदर्शन।
    - शीर्ष भारतीय नवाचार क्लस्टर: बेंगलुरु (21वीं रैंक), दिल्ली (26वीं रैंक), मुंबई (46वीं रैंक), चेन्नई (84वीं रैंक)।

भारत के लिए महत्व

- **रणनीतिक नीति सत्यापन:** स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पीएलआई योजना, इंडियाएआई मिशन और अटल टिंकरिंग लैब्स जैसी योजनाओं ने भारत को जीआईआई में ऊपर चढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **वैश्विक मान्यता:** भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों का विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़े हैं।
- **उभरता हुआ तकनीकी नेतृत्व:** पेटेंट दाखिल करने में वृद्धि (वैश्विक स्तर पर छठा स्थान), डीप-टेक स्टार्टअप और स्वच्छ तकनीक पहल से पता चलता है कि यह वैश्विक स्तर पर अगला मजबूत नवाचार केंद्र हो सकता है।
- **समावेशी विकास क्षमता:** डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग आधे स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं, जो क्षेत्रीय नवाचार का प्रमाण है।

भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियाँ

- **कम अनुसंधान एवं विकास निवेश:** अनुसंधान एवं विकास पर सामान्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.65% है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (3.5%), दक्षिण कोरिया (4.9%) और इज़राइल (5.6%) से बहुत कम है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** निजी क्षेत्र कुल अनुसंधान एवं विकास (2020-21) का केवल 36.4% ही वित्तपोषित कर रहा है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत है।
- **उद्योग-अकादमिक जगत के बीच खराब संबंध:** यह वियोग अनुसंधान के व्यावसायीकरण और अंतःविषयक सहयोग की संभावनाओं को सीमित करता है।
- **रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान:** रक्षा और अंतरिक्ष पर पारंपरिक ध्यान के परिणामस्वरूप सेमीकंडक्टर और उन्नत सामग्री जैसी भविष्य की तकनीकों में उद्योग-प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास की उपेक्षा हुई।
- **जोखिम-विरोधी औद्योगिक संस्कृति:** विदेशी तकनीकों को प्राथमिकता; स्टार्टअप गहन-तकनीकी नवाचारों के बजाय आईटी और ई-कॉमर्स पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **नौकरशाही बाधाएँ:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में प्रक्रियात्मक बाधाएँ, बौद्धिक संपदा से संबंधित बाधाएँ और व्यावसायीकरण में देरी।

आगे की राह

- **अनुसंधान एवं विकास निवेश बढ़ाना:** अगले 10 वर्षों में विकास पर अनुसंधान पर सामान्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाना।
- **निजी वित्तपोषण:** निजी और परोपकारी निधियों को आकर्षित करना और 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष का पूरा उपयोग करना।
- **विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित अनुसंधान को प्रोत्साहित करना:** उच्च शिक्षा संस्थानों को अपस्ट्रीम अनुसंधान का नेतृत्व करने और उद्योग के व्यावसायीकरण का समर्थन करने के लिए सशक्त बनाना।
- **सार्वजनिक-निजी नवाचार केंद्र:** एआई, सेमीकंडक्टर, क्लीनटेक, औद्योगिक साझा प्रयोगशालाओं, परीक्षण केंद्रों और उद्यम निधियों के लिए उद्योग-विशिष्ट केंद्र।
- **क्रॉस-सेक्टर सहयोग को बढ़ावा देना:** वित्तपोषण और नीतिगत कार्यों की प्राथमिकताओं पर उद्योग की टिप्पणियाँ (क्लीनटेक परिषद)।
- **क्षेत्रीय नवाचार समूहों को बढ़ावा देना:** ग्रामीण कृषि-तकनीक और सामाजिक उद्यमों के साथ काम करने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में काम का विस्तार करना।
- **बौद्धिक संपदा व्यवस्था को बढ़ावा देना:** पेटेंट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और प्रयोगशालाओं से स्टार्टअप्स तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

जीआईआई 2025 में भारत का 38वें स्थान पर पहुंचना नवाचार की क्षमता में लगातार वृद्धि और मजबूत नीतिगत उपायों के कारण है, और इसका नए स्टार्टअप और डीप-टेक उद्योगों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत के प्रदर्शन का परीक्षण कीजिए। भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण समस्याओं पर टिप्पणी कीजिए और इसे विकसित करने के लिए सुझाव दीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

राज्य वित्त रिपोर्ट (स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी पहली दशकीय समीक्षा जारी की है, जो 28 राज्यों (2013-14 से 2022-23) के वित्त की स्वास्थ्य जांच है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **ऋण वृद्धि:** सार्वजनिक ऋण वित्त वर्ष 2014 के ₹17.57 लाख करोड़ से 3.4 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹59.60 लाख करोड़ हो गया। इस प्रकार, ऋण-जीएसडीपी अनुपात 16.7% से बढ़कर 23% हो गया।
- **अंतर-राज्यीय भिन्नता:**
  - ✓ **उच्चतम ऋण-से-जीएसडीपी राज्य:** पंजाब 40.35%, नागालैंड 37.15%, पश्चिम बंगाल 33.70%;
  - ✓ **न्यूनतम ऋण-से-जीएसडीपी:** ओडिशा 8.45%, महाराष्ट्र 14.64%, गुजरात 16.37%।
- **उधार के स्रोत:**
  - ✓ **बाज़ार से उधार:** सरकारी बॉन्ड, टी-बिल, वाणिज्यिक पत्र, और किसी भी प्रकार की प्रतिभूति या लिखत।
  - ✓ **संस्थागत वित्त:** एलआईसी, नाबार्ड।
  - ✓ **केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली केंद्रीय सहायता** (जैसे, जीएसटी मुआवज़ा, विशेष सहायता)।

चुनौतियां

- **कराधान की कम गुंजाइश:** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के साथ, राज्यों द्वारा लगाए गए पिछले कर, जैसे वैट, मनोरंजन कर और प्रवेश कर, जीएसटी में विलय कर दिए गए, जिससे राज्य कराधान की गुंजाइश कम हो गई।
- **संरचनात्मक राजकोषीय विकृति:** राज्य कुल सार्वजनिक व्यय (शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा, कल्याण) का दो-तिहाई खर्च करते हैं, लेकिन कुल राजस्व का एक-तिहाई से भी कम जुटा पाते हैं।
- **वित्तपोषक-प्रकार का बढ़ता ऋण:** बाजार से उधार लेना अधिक महंगा और गैर-रियायती होता है, इसलिए इस पर अधिक ब्याज देना पड़ता है।
- **कल्याण और सब्सिडी का बढ़ता बोझ:** कृषि ऋण माफी, मुफ्त बिजली, नकद हस्तांतरण योजनाओं और सब्सिडी जैसी लोकलुभावन कल्याणकारी योजनाओं ने उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण किए बिना राजस्व व्यय बढ़ा दिया है।
- **उधार की बढ़ती लागत: जोखिम** के अंतर के कारण राज्यों को ऋणों पर केंद्र की तुलना में अधिक ब्याज दर चुकानी पड़ती है। इससे उनका ब्याज-से-राजस्व अनुपात बढ़ जाता है, जो कुछ राज्यों में **20%** से भी अधिक है।

आशय

- **राजकोषीय संघवाद के लिए खतरा:** एक बार जब राज्यों पर भारी मात्रा में कर्ज हो जाता है, तो उनकी वित्तीय स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है और उन्हें केंद्र से मदद लेनी पड़ती है।
- **ऋण जाल का खतरा:** राजस्व वृद्धि के बिना लगातार उधार लेने से ऋण गतिशीलता अस्थिर हो जाती है। ब्याज भुगतान राज्यों के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
- **विकास व्यय कम हो जाता है:** ऋण-भुगतान की लागत में वृद्धि के साथ, बुनियादी ढांचे, सिंचाई और औद्योगिक विकास पर पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) कम हो रहा है। यह बदले में, लंबी अवधि में राज्य की विकास क्षमता को सीमित करता है।
- **भावी पीढ़ियों पर बोझ:** निरंतर उधार लेने से पीढ़ियों पर राजकोषीय बोझ पड़ता है, जिसमें भविष्य के करदाताओं को आज के अनुत्पादक व्यय का भुगतान करना पड़ता है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ और राजकोषीय स्थितियाँ:** अत्यधिक ऋणी राज्यों (पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल) के पास बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी खर्च के लिए उन राज्यों की तुलना में काफी कम जगह है जो राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण हैं (ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र)।

आगे की राह

- **राजस्व सुधार:** राजस्व वृद्धि को बढ़ाने के लिए जीएसटी अनुपालन प्रणाली में सुधार करना और कर आधार को व्यापक बनाना। अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक संपत्तियों को पट्टे पर देना और पर्यटन एवं खनन जैसे क्षेत्रों से, और हरित बांड जैसे नए माध्यमों से राजस्व बढ़ाना।
- **व्यय का युक्तिकरण:** सार्वजनिक व्यय को ऐसे अल्पकालिक लोकलुभावन उपायों के बजाय उत्पादक पूँजी निर्माण की ओर पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए।
- **राजकोषीय निगरानी:** राजकोषीय दक्षता बढ़ाने के लिए निष्पादन बजटिंग को लागू करना और आवधिक व्यय समीक्षाओं को संस्थागत बनाना।
- **ऋण प्रबंधन:** महंगे ऋणों को आगे बढ़ाना और एनएसएसएफ तथा अवसंरचना बांड जैसे निधियों के अन्य स्रोतों का उपयोग करना। राजकोषीय विवेकशीलता बनाए रखने के लिए, एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अनुरूप ऋण सीमा निर्धारित करना।
- **संस्थागत और नीतिगत उपाय:** कुशल और पारदर्शी ऋण प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) की स्थापना करना।
- **संवैधानिक निकाय:** बेहतर राजकोषीय जवाबदेही और केंद्र एवं राज्य के समन्वय के लिए राज्य वित्त आयोगों और सीएजी निगरानी को बढ़ाना।

निष्कर्ष

राज्य के वित्त को बनाए रखने के लिए एक विवेकपूर्ण उधार रणनीति और कुशल व्यय प्रबंधन के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है, ताकि राजकोषीय स्वायत्तता और संतुलित विकास को समर्थन देने की क्षमता को बनाए रखते हुए राजकोषीय स्थान को बढ़ाया जा सके और पीढ़ियों के बीच आर्थिक कल्याण के क्षरण को रोका जा सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत में बढ़ते राज्य ऋण (Mounting State Debt) के संबंध में, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता पर टिप्पणी करें। [150 शब्द] [10 अंक]

होमस्टे पर पुनर्विचार: सतत पर्यटन के लिए नीति आयोग का दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों: हाल ही में, नीति आयोग ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) के साथ मिलकर 22 अगस्त 2025 को "रीथिंकिंग होमस्टेज़: नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज़" रिपोर्ट लॉन्च की। यह अध्ययन भारत की पर्यटन आपूर्ति श्रृंखला में होमस्टे की अप्रयुक्त क्षमता को समझने की कोशिश करता है, जिसमें तीन पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है - समावेशी विकास, स्थानीय उद्यमिता और सांस्कृतिक स्थिरता।

होमस्टे के बारे में

- **परिभाषा:** होमस्टे एक अनूठा आवासीय पर्यटन मॉडल है जहाँ पर्यटक स्थानीय परिवार के साथ रहते हैं और स्थानीय संस्कृति, जैसे भोजन और जीवनशैली, में शामिल होते हैं।
- **महत्व:**
  - ✓ सस्ता और वास्तविक यात्रा अनुभव प्रदान करता है।
  - ✓ ग्रामीण और अर्ध-शहरी उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है।
  - ✓ सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत पर्यटन को बढ़ावा देता है।
  - ✓ अप्रयुक्त पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय संतुलन में सहायता करता है।

नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

- **आदर्श नीति ढाँचा:** राज्यों को प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए एक सुसंगत और न्यूनतम नियामक ढाँचा लागू करना चाहिए।
- **डिजिटल पोर्टल:** पंजीकरण, अनुपालन निगरानी आदि के लिए केंद्रीकृत तंत्र का निर्माण ताकि कागजी कार्रवाई में कमी और बेहतर पहुँच सुनिश्चित हो सके।

- **वित्तीय प्रोत्साहन:** अब ध्यान व्यक्तिगत होमस्टे से हटकर गंतव्य-आधारित स्तरीय प्रोत्साहनों पर केंद्रित होना चाहिए, जो पर्यटन की संभावना वाले 'हाशिए पर' क्षेत्रों पर केंद्रित हों।
- **क्षमता निर्माण:** आतिथ्य, डिजिटल उपकरणों और सुरक्षा मानकों में प्रशिक्षण से मेजबान बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं और एक व्यवसाय के रूप में अधिक कुशल बन सकते हैं।
- **समावेशी विकास:** सामुदायिक भागीदारी और लाभों के समान वितरण को बढ़ावा देना और विरासत की रक्षा करना ताकि पर्यटन के क्षेत्र स्थायी और संतुलित तरीके से विकसित हों।

होमस्टे-आधारित पर्यटन का महत्व

- **आर्थिक क्षमता:** आय सृजन की क्षमता, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए उपयोगी; यह पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभान्वित करता है।
- **सांस्कृतिक मूल्य:** स्थानीय समुदायों में, होमस्टे परंपरा को संरक्षित करते हैं, स्थानीय भोजन, शिल्प और संस्कृति के लचीलेपन में योगदान करते हैं, और स्थानीय भोजन और सांस्कृतिक उत्पादों के उपयोग में मदद करते हैं।

होमस्टे क्षेत्र में चुनौतियाँ

- **नीतिगत असमानताएँ:** भारत के विभिन्न राज्यों में पंजीकरण, कराधान, प्रोत्साहनों के लिए अपनी प्रक्रियाएँ, दिशानिर्देश और नीतियाँ हैं, जिसके कारण भ्रम, देरी और प्रोत्साहनों का उपयोग न हो पाना होता है।
- **जटिल अनुपालन और कराधान:** बहुस्तरीय अनुपालन और अस्पष्ट कर व्यवस्थाएँ छोटे मकान मालिकों को इस क्षेत्र में आने से हतोत्साहित करती हैं।
- **कमज़ोर डिजिटल पहुँच:** कई ग्रामीण मेज़बानों के पास बुकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच या सुविधा नहीं है।
- **पर्यावरणीय और क्षमता दबाव:** बड़े पैमाने पर पर्यटन से जुड़ी अत्यधिक भीड़ कई लोकप्रिय स्थलों में स्थानीय संसाधनों, बुनियादी ढाँचे और विरासत पर दबाव पैदा कर रही है।
- **गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** व्यवस्थित निरीक्षणों के अभाव का सेवाओं की गुणवत्ता और मेहमानों की सुरक्षा के साथ-साथ होमस्टे में उपभोक्ताओं के विश्वास पर भी असर पड़ सकता है।

आगे की राह

- **आदर्श नीति अपनाना:** राज्यों को नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित आदर्श नीति अपनाने की सलाह दी जाती है जो पंजीकरण, अनुपालन और प्रोत्साहन ढाँचे को सुव्यवस्थित करती है।
- **डिजिटल सक्षमता:** पंजीकरण, नवीनीकरण, बुकिंग और भुगतान के लिए सिंगल-विंडो पोर्टल स्थापित करना, जिससे अधिक पारदर्शिता-दक्षता आए।
- **कौशल और क्षमता निर्माण:** आतिथ्य, सुरक्षा और डिजिटल प्रबंधन में प्रशिक्षण आयोजित करना और महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी के स्तर को बढ़ाना।
- **सतत विकास:** पर्यावरण के अनुकूल उपायों को प्रोत्साहित करते हुए, वहन क्षमता के आधार पर होमस्टे प्रचार नेटवर्क के विकास को नियंत्रित करना।
- **समावेशी स्थानीय भागीदारी:** सतत और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सहभागिता, लाभों का उचित वितरण और स्थानीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

नीति आयोग की होमस्टे रिपोर्ट भारत में एक संस्थागत और टिकाऊ, समावेशी होमस्टे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधार तैयार करती है। सही नीति, डिजिटल बुनियादी ढाँचे, स्थानीय उद्यमियों को समर्थन और संस्कृति की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के साथ, भारत अनुभवात्मक यात्रा में निश्चित रूप से अग्रणी होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: नीति आयोग द्वारा अनुशंसित आदर्श नीति ढांचे के संदर्भ में भारत में सतत और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने में होमस्टे की भूमिका का आंकलन कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

महिला कार्यबल भागीदारी में वृद्धि

चर्चा में क्यों: हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट जारी की है, जिसमें महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में वृद्धि दर्शाई गई है।

मुख्य विवरण

- **महिला कार्यबल भागीदारी में वृद्धि:** महिलाओं की श्रम उत्पादकता (WPR) 2017-18 के 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गई (PLFS)।
- **घटती बेरोजगारी:** महिला बेरोजगारी दर 5.6% (2017-18 में) से घटकर 3.2% (2023-24 में) हो गई है।
- **ग्रामीण बनाम शहरी बदलाव:** इसी अवधि के दौरान ग्रामीण महिलाओं के रोजगार में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि शहरी रोजगार में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- **औपचारिक क्षेत्र में समावेश:** पिछले 7 वर्षों में, 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं (EPFO डेटा)।
- **असंगठित क्षेत्र का कवरेज:** 16.69 करोड़ महिलाओं ने ई-श्रम (अगस्त 2025) के तहत पंजीकरण कराया और सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाया।
- **महिलाओं के लिए रोज़गार और शिक्षा:** महिला स्नातकों के बीच रोज़गार क्षमता में वृद्धि देखी जा रही है, जो 42% (2013) से बढ़कर 47.53% (2024) हो गई है, साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के बीच रोज़गार क्षमता में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है; पीजी और उससे ऊपर की डिग्री वाली महिलाओं के लिए WPR 34.5% (2017-18) से बढ़कर 40% (2023-24) हो गई है।
- **स्व-रोज़गार में उछाल:** स्व-रोज़गार वाली महिलाओं का अनुपात **30** प्रतिशत बढ़कर 51.9 प्रतिशत से 67.4 प्रतिशत हो गया (सर्वेक्षण: 2017-18 से 2023-24)।
- **स्टार्टअप इकोसिस्टम:** DPIIT-पंजीकृत लगभग आधे स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक हैं (1.54 लाख में से 74,410)।
- **वित्तीय समावेशन:** कुल मुद्रा ऋणों में से 68 प्रतिशत (₹14.72 लाख करोड़ मूल्य के 35.38 लाख ऋण) महिलाओं को मिले। पीएम स्वनिधि लाभार्थियों में से 44% महिला रेहड़ी-पटरी विक्रेता हैं।
- **एमएसएमई वृद्धि:** महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई लगभग दो गुना बढ़कर 1 करोड़ (2010-11) से 1.92 करोड़ (2023-24) हो गए, जिससे महिलाओं के लिए 8.9 लाख नए रोजगार सृजित हुए।
- **लिंग आधारित बजट:** पिछले दशक में 429% की वृद्धि (वित्त वर्ष 2014 में ₹0.85 लाख करोड़ → वित्त वर्ष 2026 में ₹4.49 लाख करोड़)।
- **केंद्र और राज्य सहायता:** 70 केंद्रीय योजनाएँ (15 मंत्रालय) + 400+ राज्य-स्तरीय योजनाएँ हैं जो महिला उद्यमिता का समर्थन करती हैं।

विकसित भारत 2047 के लिए महिला-नेतृत्व वाले विकास का महत्व

- **आर्थिक विकास:** 3 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय जीडीपी बनने के लिए, 70% महिला कार्यबल की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
- **सामाजिक सशक्तिकरण:** वित्तीय स्वायत्तता वाली महिलाओं के परिणामस्वरूप घरेलू कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होता है।
- **नवाचार और नेतृत्व:** जब महिलाएँ स्टार्टअप्स, एमएसएमई और कॉर्पोरेट बोर्डों में भाग लेती हैं, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक विविध और समावेशी होती है।
- **ग्रामीण परिवर्तन:** महिला उद्यमी ग्रामीण आत्मनिर्भरता और ग्रामीण भारत के निर्माण का नेतृत्व करती हैं।

भारत में महिला-नेतृत्व वाले विकास में बाधाएँ

- **महिला श्रम बल भागीदारी (एफएलएफपी) का निम्न स्तर:** 40.3% की दर से बढ़ने के बावजूद, भारत की एफएलएफपी दर अभी भी वैश्विक औसत (~47%) से नीचे है और विकसित देशों के 60% से बहुत दूर है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र में संकेंद्रण:** 80% से अधिक महिला श्रमिक अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, नौकरी की अनिश्चितता बहुत अधिक है और कोई लाभ नहीं मिलता।
- **ऋण और वित्तीय समस्याएँ:** मुद्रा और स्वनिधि योजनाओं के माध्यम से प्रगति करने के बावजूद, महिलाओं को संपार्श्विक आवश्यकताओं, बैंकिंग

साक्षरता और औपचारिक ऋण संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

- **डिजिटल विभाजन:** भारत में केवल 33% महिलाओं की इंटरनेट तक पहुँच है, जबकि पुरुषों की यह संख्या 57% है (एनएसएसओ)।
- **पितृसत्तात्मक मानदंड:** महिलाओं को अभी भी सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण बड़े पैमाने पर अवैतनिक घरेलू कामों तक ही सीमित रखा जाता है, जो उन्हें औपचारिक कार्यबल में शामिल होने से रोकता है।
- **लिंग बजट का सीमित उपयोग:** यद्यपि आवंटन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है (429%), फिर भी कई मंत्रालयों के पास वास्तविक परिणामों का आंकलन करने के लिए निगरानी उपकरण नहीं हैं।

आगे की राह

- **नीति एकीकरण:** यह सुनिश्चित करना कि सभी राष्ट्रीय योजनाओं और नीतियों में लिंग-आधारित महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को मुख्यधारा में शामिल किया जाए।
- **डिजिटल और वित्तीय समावेशन:** महिला उद्यमियों की वित्त, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और फिनटेक समाधानों तक समान पहुँच को बढ़ावा देना।
- **कौशल उन्नयन:** महिलाओं को उद्योग 4.0 के लिए तैयार करने हेतु STEM, AI, रोबोटिक्स और हरित रोज़गार पर ज़ोर देना।
- **कार्यस्थल सुधार:** मातृत्व अवकाश में वृद्धि, लचीले कार्य समय की शुरुआत और कार्यस्थल सुरक्षा मानदंडों को लागू करना।
- **ग्रामीण सशक्तिकरण:** स्वयं सहायता समूहों, NRLM और समुदाय-आधारित उद्यमिता पहलों की पहुँच का विस्तार करना।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे अधिक प्रभावशाली महिलाएं उद्यमी, नवप्रवर्तक और नेता के रूप में उभर रही हैं, उनके पास भारत के विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के पैटर्न, सक्षमकर्ताओं और बाधाओं का अध्ययन कीजिए। इस परिवर्तन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए नीतिगत पहलों का प्रस्ताव कीजिए। [10 अंक] [150 शब्द]

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24

चर्चा में क्यों: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) 2023-24 जारी किया गया है।

मुख्य विवरण

- **एएसआई देश में औद्योगिक विकास** के विश्लेषण के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।
- यह औद्योगिक नीति का आधार है क्योंकि यह पंजीकृत कारखानों में **उत्पादन, मूल्य संवर्धन, रोजगार और पूंजी निर्माण** की गतिशीलता की निगरानी करता है।
- **एएसआई सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2001** (2001 का अधिनियम संख्या 15) के प्रावधानों के तहत आयोजित किया जाता है, जिसे सांख्यिकी संग्रह (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्या 17) द्वारा संशोधित किया गया है।
- **कवरेज:** कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखाने; बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत बीड़ी और सिगार इकाइयाँ; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के साथ पंजीकृत नहीं होने वाले विद्युत उपक्रम
- **बहिष्कृत:** रक्षा प्रतिष्ठान, तेल डिपो, रेलवे कार्यशालाएँ, गैस भंडारण, विभागीय इकाइयाँ, आदि। संचालित: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। प्रारंभ: 1960 (आधार वर्ष 1959); 1972 से वार्षिक।

एएसआई 2023-24 के प्रमुख निष्कर्ष

- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए के आधार पर शीर्ष 5 उद्योग - **मूल धातुएँ, मोटर वाहन, रसायन और रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स**
- **रोज़गार के मामले में अग्रणी 5 राज्य -** तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक।
- **विकास संकेतक:**
  - ✓ **वृद्धि (ग्रोथ):** सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 11.89% की वृद्धि
  - ✓ **औद्योगिक उत्पादन:** 5.80% वृद्धि
  - ✓ **औसत आय वाले कर्मचारी:** 5.6% वृद्धि

एएसआई रिपोर्ट का महत्व

- **नीति विकास:** एएसआई भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर सटीक और विस्तृत जानकारी संकलित करता है, जिसे नीति निर्माण में शामिल किया जाता है। ये आँकड़े संबंधित मंत्रालयों के नीति विकास, अर्थात् औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, और श्रम- रोज़गार संबंधी नीतियों के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं।
- **आर्थिक विश्लेषण:** एएसआई परिचालन के आँकड़े किसी अर्थशास्त्री या नीति निर्माता के लिए विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने हेतु बहुत उपयोगी होते हैं। यह विकास की प्रवृत्ति, उत्पादकता में बदलाव और यहाँ तक कि विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता का भी अनुमान लगा सकता है।
- **जीडीपी अनुमान:** एएसआई से संकलित जीवीए आँकड़े कैमरून के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में से एक होंगे। इन आँकड़ों के आधार पर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना की जाएगी और यह तथ्यात्मक रूप से सत्य होगा।
- **निवेश नीति:** एएसआई जैसे सर्वेक्षण में किसी भी अन्य निवेश सर्वेक्षण की तरह ही एक प्रकार की निवेश नीति का भी उल्लेख होता है। इस अभ्यास से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों को मार्गदर्शन मिलना चाहिए, जिससे वे उबलते हुए धन और संसाधन क्षेत्रों के बजाय उच्च-उपज वाले क्षेत्रों पर समझदारी से दांव लगा सकें।
- **क्षेत्रीय नियोजन:** सर्वेक्षण इन आदर्शों को व्यवहार्य योजनाओं में बदलने में मदद कर सकते हैं जो उन्हें क्षेत्र और क्षेत्र के विकास में पूर्ण योगदान देने और व्यापक विकास के रूप में अधिक संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से राज्यों के बीच औद्योगिक असमानता को मिटाने में सक्षम बनाते हैं।
- **श्रम बाजार:** औद्योगिक बल की भागीदारी के साथ-साथ, उक्त सर्वेक्षण मजदूरी संरचना और श्रम उत्पादकता भी प्रदान करता है, जो क्षमता-आधारित श्रम कानूनों और रोजगार नीतियों को विकसित करने में सहायता कर सकता है जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- **नीति निगरानी:** एएसआई डेटा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी के लिए एक फीडबैक प्रणाली का गठन करता है; और इसलिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो यह मध्यावधि सुधार करने में उपयोगी साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

एएसआई 2023-24 भारत के औद्योगिक विकास की कहानी को दर्शाता है और संतुलित क्षेत्रीय विकास, तथ्य-आधारित नीतिगत हस्तक्षेप और सतत औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एएसआई कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की एक गतिविधि है।
2. एएसआई कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों को कवर करता है।
3. रक्षा प्रतिष्ठान और रेलवे कार्यशालाएँ भी एएसआई द्वारा कवर की जाती हैं।
4. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) वार्षिक आधार पर सर्वेक्षण करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 2 और 4
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) केवल 1, 2 और 4

उत्तर: (a)

समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व

आचार्य विनोबा भावे (1895-1982)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को आचार्य विनोबा भावे को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय



- **आचार्य विनोबा भावे (1895-1982)** एक प्रख्यात भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले, उन्होंने अपना **जीवन सत्याग्रह** और अहिंसा के सिद्धांतों को सामाजिक और आर्थिक समता के लिए व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदलने के लिए समर्पित कर दिया, विशेष रूप से **भूदान आंदोलन** के माध्यम से। भावे का अनूठा दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन और संसाधनों के समान वितरण को बल प्रयोग के बजाय नैतिक अनुनय के माध्यम से प्राप्त करना था।

प्रारंभिक जीवन, प्रभाव और दर्शन

- **प्रारंभिक जीवन और शिक्षा**
  - ✓ 11 सितंबर, 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा ज़िले में विनायक नरहरि भावे के रूप में जन्मे विनोबा भावे को बचपन से ही आध्यात्मिक ग्रंथों, विशेषकर **भगवत गीता**, के प्रति गहरा लगाव था। इस आध्यात्मिक झुकाव ने उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को गहराई से आकार दिया।
- **महात्मा गांधी के साथ जुड़ाव**
  - ✓ **1916** में, महात्मा गांधी के एक भाषण से प्रेरित होकर, भावे ने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। 7 जून, 1916 को अहमदाबाद के **कोचरब आश्रम** में उनकी गांधीजी से मुलाकात हुई, जिससे उनके गहन आजीवन शिष्यत्व की शुरुआत हुई। भावे ने खुद को गांधीजी के रचनात्मक कार्यों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया, खादी का प्रचार किया, ग्रामोद्योगों की स्थापना की और बुनियादी शिक्षा **(नई तालीम)** को आगे बढ़ाया।
- **सर्वोदय दर्शन**
  - ✓ भावे का दर्शन **सर्वोदय** पर आधारित था—एक ऐसा शब्द जो समाज के सभी वर्गों के कल्याण और उत्थान का प्रतीक है। वे मानवता की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे और संयम, स्वावलंबन और अपरिग्रह से भरे जीवन की वकालत करते थे।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- **रचनात्मक कार्य और सविनय अवज्ञा**
  - ✓ भावे ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और साबरमती आश्रम में काफी समय बिताया। 1920 और 1930 के दशक में **सविनय अवज्ञा आंदोलन** में शामिल होने के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और बाद में 1940 के दशक में उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
- **प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही (1940)**
  - ✓ भावे का सबसे विशिष्ट योगदान **1940** में था, जब महात्मा गांधी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। इस **अहिंसक अभियान** में नैतिक साहस और ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरोध पर ज़ोर दिया गया। बाद में वे 1942 में **भारत छोड़ो आंदोलन** में शामिल हो गए।

प्रमुख सामाजिक और सुधार आंदोलन

- **भूदान आंदोलन (भूमि उपहार)**
  - ✓ भूदान आंदोलन 18 अप्रैल, 1951 को तेलंगाना के **पोचमपल्ली** में शुरू हुआ। भूमिहीन किसानों की दुर्दशा से प्रेरित होकर, भावे ने पूरे भारत में पैदल यात्रा की और धनी भूस्वामियों से अपनी ज़मीन का छठा हिस्सा स्वेच्छा से दान करने की अपील की। दान की गई यह ज़मीन फिर गरीबों में बाँट दी गई, जिसका उद्देश्य **अहिंसक अनुनय-विनय** के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक असमानता को दूर करना था।
- **ग्रामदान आंदोलन (ग्राम उपहार)**
  - ✓ 1954 के बाद, यह आंदोलन **ग्रामदान** में विस्तारित हुआ। यह एक और भी क्रांतिकारी पहल थी जिसमें पूरे गाँवों को सामूहिक रूप से अपनी सारी ज़मीन ग्राम परिषद को दान करने के लिए राजी किया गया, जिससे सामुदायिक स्वामित्व और साझा संसाधनों का एक आदर्श स्थापित हुआ।
- **सशक्तिकरण पहल**
  - ✓ 1959 में, भावे ने महाराष्ट्र के पौनार में **ब्रह्म विद्या मंदिर** की स्थापना की। यह संस्था महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने और समुदाय में अहिंसा के मूल गांधीवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित थी।

विरासत और मान्यता

- **साहित्यिक योगदान**
  - ✓ भावे ने जेल में बिताए समय और यात्राओं का उपयोग आध्यात्मिक अध्ययन और लेखन के लिए किया, तथा **गीता पर वार्ता** (उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति) और स्वराज्य शास्त्र जैसी प्रभावशाली कृतियों का सृजन किया।
- **सम्मान और पुरस्कार**
  - ✓ सामाजिक न्याय के प्रति भावे की आजीवन प्रतिबद्धता ने उन्हें उच्च सम्मान दिलाया:
    - वह 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए **रेमन मैग्सेसे पुरस्कार** पाने वाले पहले व्यक्ति थे।
    - उन्हें **1983 में** मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, **भारत रत्न** से सम्मानित किया गया।

निष्कर्ष

आचार्य विनोबा भावे का जीवन और कार्य व्यापक सामाजिक परिवर्तन लाने में नैतिक दृढ़ विश्वास की शक्ति का एक गहन प्रमाण है। **सर्वोदय** के सिद्धांतों और **भूदान आंदोलन** की सफलता के माध्यम से, उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि अहिंसक साधनों, आत्म-सुधार और सामुदायिक भावना के माध्यम से वास्तविक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है। उनकी विरासत भारत और दुनिया भर में उन व्यक्तियों और नीति-निर्माताओं को प्रेरित करती रहती है जो करुणा और नैतिक नेतृत्व पर आधारित समावेशी विकास की दिशा में प्रयासरत हैं।

सी. पी. राधाकृष्णन: भारत के 15वें उपराष्ट्रपति

चर्चा में क्यों: हाल ही में, सी.पी. राधाकृष्णन को **9 सितंबर 2025** को भारत के **15वें उपराष्ट्रपति** के रूप में चुना गया, वे **जगदीप धनखड़** के उत्तराधिकारी होंगे, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था।

मुख्य विवरण

- सी. पी. राधाकृष्णन ने **452 वोट** हासिल किए और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश **बी. सुदर्शन रेड्डी** को हराया, जिन्हें **300 वोट** मिले।
- इस चुनाव में रिकॉर्ड **98.2%** मतदान हुआ, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान है।

सी. पी. राधाकृष्णन के बारे में



- **जन्म:** 1957, तिरुप्पुर, तमिलनाडु
- **प्रारंभिक जीवन:** आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत की और **भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति (1974)** के सदस्य बने।
- **राज्यपाल का पद: झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)** के रूप में कार्य किया, तथा **पुडुचेरी और ओडिशा** का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला।

राजनीतिक पृष्ठभूमि से सम्बंधित मुख्य विवरण

- **संसदीय भूमिकाएँ:**
  - ✓ **कोयंबटूर** से दो बार **लोकसभा सांसद** (1998 और 1999)।
  - ✓ **वस्त्र संबंधी संसदीय स्थायी समिति** के अध्यक्ष और **वित्त एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समितियों** के सदस्य के रूप में कार्य किया।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व:**
  - ✓ **2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा** को संबोधित किया और **ताइवान में भारत के पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल** का हिस्सा थे।
- **पार्टी नेतृत्व:**
  - ✓ **राज्य अध्यक्ष, भाजपा तमिलनाडु (2004-2007)।**
  - ✓ **प्रशासनिक भूमिका:**
  - ✓ **अध्यक्ष, कॉयर बोर्ड, कोच्चि (2016-2020)** - उनके कार्यकाल के दौरान, भारत का कॉयर निर्यात रिकॉर्ड **₹2,532 करोड़** तक पहुँच गया।
- **हाल की स्थितियाँ:**
  - ✓ **झारखंड के राज्यपाल (2023-24)**
  - ✓ **महाराष्ट्र के राज्यपाल (2024-25)**

भारत का उपराष्ट्रपति पद

पहलू	विवरण
संवैधानिक स्थिति	भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद
सम्बंधित अनुच्छेद	**अनुच्छेद 64:** राज्य सभा का पदेन सभापति **अनुच्छेद 65:** रिक्ति या अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है
पात्रता	**भारतीय नागरिक** होना चाहिए, कम से कम **35 वर्ष** की आयु का होना चाहिए, और **राज्यसभा की सदस्यता** के लिए पात्र होना चाहिए
चुनाव प्रक्रिया	**एकल संक्रमणीय मत** के माध्यम से **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली** का उपयोग करते हुए, **लोकसभा और राज्यसभा** के सभी सदस्यों वाले एक **निर्वाचक मंडल** द्वारा निर्वाचित
अवधि	5 वर्ष
निष्कासन	प्रस्ताव पर विचार किए जाने से **14 दिन पहले राज्यसभा** द्वारा उसे हटाया जा सकता है

निष्कर्ष

सी. पी. राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति के रूप में पदोन्नत होना सार्वजनिक जीवन में उनकी दीर्घकालिक सेवा और भाजपा द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक अनुभव पर दिए गए ज़ोर को दर्शाता है। उनका संसदीय और राज्यपाल पद के अनुभव उन्हें **राज्यसभा** की अध्यक्षता करने और भारत की विधायी प्रक्रिया में योगदान देने के लिए उपयुक्त बनाता है।

सुशीला कार्की - नेपाल की पहली महिला प्रधान मंत्री

चर्चा में क्यों: हाल ही में, नेपाल ने सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश **सुशीला कार्की** को **देश की पहली महिला प्रधानमंत्री** नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों से उत्पन्न एक बड़े राजनीतिक संकट के बाद हुई है, जो नेपाल के शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक नवीनीकरण की बढ़ती माँग को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ



- नेपाल 2015 में अपने नए संविधान को अपनाने के बाद से लगातार राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। बार-बार सरकार बदलने, भ्रष्टाचार के घोटाले और युवाओं में बढ़ते मोहभंग ने **लोकतांत्रिक संस्थाओं** में जनता के विश्वास को कमज़ोर किया है।
- हालिया अशांति भ्रष्टाचार और **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** के दमन के आरोपों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फ़ैसले से शुरू हुई। इन उपायों के कारण **जेनरेशन ज़ेड** के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जो **राजनीतिक सुधार** और **डिजिटल स्वतंत्रता** के लिए पीढ़ीगत आह्वान का प्रतीक था।
- प्रदर्शन तेज़ हो गए, जिसके परिणामस्वरूप हिंसक झड़पें हुईं और अंततः तत्कालीन **प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली** को इस्तीफ़ा देना पड़ा। विधानमंडल के विघटन के बाद, एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और **सुशीला कार्की** को अगले साल 21 मार्च को होने वाले नए चुनावों तक शासन की देखरेख के लिए **कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त** किया गया।

सुशीला कार्की का परिचय

वर्ग	विवरण
जन्म	7 जून 1952, विराटनगर, नेपाल
शिक्षा	राजनीति विज्ञान में एम.ए. – बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (भारत); एल.एल.बी. – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (नेपाल), 1978
न्यायिक पृष्ठभूमि	1979 में कानूनी प्रैक्टिस शुरू की; नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त (2009); नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं (2016)
ऐतिहासिक पद	नेपाल के इतिहास में **मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री** दोनों पद पर कार्य करने वाली पहली महिला

उनका न्यायिक कार्यकाल **भ्रष्टाचार विरोधी, कानून के शासन** और **न्यायिक स्वतंत्रता** पर उनके मजबूत रुख से चिह्नित था, जिसने उन्हें नेपाल के संवैधानिक ढांचे के भीतर एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया।

नियुक्ति का महत्व

- **दक्षिण एशिया में लैंगिक सशक्तिकरण:** सुशीला कार्की की पदोन्नति नेपाल में शासन में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो राजनीतिक नेतृत्व में लैंगिक समावेशन की व्यापक क्षेत्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप है।
- **लोकतांत्रिक परिवर्तन और सुधार:** उनकी नियुक्ति वैधता के संकट के बाद शासन में जनता का विश्वास बहाल करने के संस्थागत प्रयास को दर्शाती है। अंतरिम नेतृत्व का उद्देश्य राष्ट्रीय चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को स्थिर करना है।
- **युवा-नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक दावे का प्रतीक: जेनरेशन Z** का विरोध दक्षिण एशिया में विकसित हो रही सामाजिक-राजनीतिक चेतना को रेखांकित करता है, जहाँ **डिजिटल-मूल निवासी युवा शासन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति** और **जवाबदेही** पर चर्चा को तेज़ी से आकार दे रहे हैं।

- **भारत-नेपाल संबंधों पर प्रभाव:** काठमांडू में राजनीतिक परिवर्तन भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। नेपाल में स्थिरता **क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा पार संपर्क** और **बीबीआईएन** और **बिम्सटेक** जैसी पहलों की सफलता में योगदान देती है। भारत ने एक **लोकतांत्रिक, समावेशी और शांतिपूर्ण परिवर्तन** के लिए समर्थन व्यक्त किया है।

आगे की चुनौतियां

- **राजनीतिक ध्रुवीकरण** का प्रबंधन और चुनावों से पहले सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करना।
- युवाओं की अपेक्षाओं और **संस्थागत बाधाओं** में संतुलन बनाना।
- नेपाल की **आर्थिक चुनौतियों, विशेषकर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और सार्वजनिक ऋण** का समाधान करना।
- क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत और चीन के बीच **विदेश नीति संतुलन** बनाए रखना।

निष्कर्ष

सुशीला कार्की की नियुक्ति नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा में एक **परिवर्तनकारी क्षण** का प्रतीक है। यह लैंगिक प्रगति, न्यायिक अखंडता और सुधार की जन-आग्रह के प्रतिच्छेदन का प्रतीक है। भारत और दक्षिण एशिया के लिए, उनका नेतृत्व एक परीक्षा और अवसर दोनों प्रदान करता है—ताकि हिमालयी पड़ोस में **लोकतांत्रिक मूल्यों, स्थिरता और सहयोग** की पुनः पुष्टि हो सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: नेपाल में जेनरेशन-Z (जेन-जी) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन निम्नलिखित कारणों से शुरू हुए:

(a) देश में ईंधन की बढ़ती कीमतें
(b) सरकार द्वारा लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया प्रतिबंध
(c) भारत के साथ जल बंटवारे को लेकर विवाद
(d) नागरिकता संबंधी संवैधानिक संशोधन

उत्तर: (b)



‘योजना’ से महत्वपूर्ण आलेख
(सितंबर 2025)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन - विकसित भारत @2047 के लिए मार्ग प्रशस्त

1. परिचय

- **प्रमुख हस्तक्षेप**
  - ✓ **2014:** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम-जी) का शुभारंभ।
  - ✓ **2019:** जल जीवन मिशन (जेजेएम) का शुभारंभ।
- **हस्तक्षेप की प्रकृति**
  - ✓ सिर्फ़ स्वच्छता या पेयजल सेवा प्रदान करना ही नहीं।
  - ✓ ग्रामीण भारत में शासन संबंधी प्राथमिकताओं को पुनर्संयोजित करने का लक्ष्य।
  - ✓ सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करना।
- **शासन दर्शन**
  - ✓ प्रधानमंत्री के आदर्श वाक्य **"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास"** से प्रेरित।
  - ✓ **समावेशी और सहभागी शासन** का प्रतिनिधित्व करता है।
  - ✓ शीर्ष-स्तरीय वितरण मॉडल से हटकर समुदाय-संचालित कार्रवाई की ओर रुख करना।

2. एसबीएम-जी और जेजेएम के मूल सिद्धांत

- **जन भागीदारी (लोगों की भागीदारी)**
  - ✓ दोनों मिशनों का केंद्रीय तत्व।
  - ✓ समुदाय सक्रिय रूप से स्वच्छता और जल प्रणालियों की योजना बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं।
- **लोगों के स्वामित्व वाले और लोगों द्वारा प्रबंधित**
  - ✓ सामूहिक उत्तरदायित्व की ताकत बुनियादी ढांचे के निर्माण के बाद भी सेवाओं और व्यवहार को लंबे समय तक बनाए रखती है।
- **स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाया गया**
  - ✓ पंचायतें और ग्राम जल संसाधन समितियाँ निर्णय लेने की भूमिका निभाती हैं।
  - ✓ व्यवहारिक परिवर्तन जमीनी स्तर पर अंतर्निहित है।

3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): स्वच्छता की गति को बनाए रखना

- **एक दशक में उपलब्धियां:**
  - ✓ 2019 तक भारत को **खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ)** घोषित किया गया।
  - ✓ स्वच्छता कवरेज **2014 में 39% से बढ़कर 2019 में 100%** हो गया।
  - ✓ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल विकेंद्रीकृत प्रणालियाँ बनाई गईं।
  - ✓ **सामुदायिक स्वामित्व:** गाँव स्तर पर स्वच्छता को समझा गया, उसका स्वामित्व लिया गया और उसे बनाए रखा गया।
- **स्वच्छ भारत मिशन चरण II (2020-21 से आगे):** ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों पर ध्यान केंद्रित।
- **ओडीएफ प्लस मॉडल का अर्थ है:**
  - ✓ खुले में शौच से मुक्ति (ODF) की स्थिति को बनाए रखना।
  - ✓ उचित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन।
  - ✓ गाँवों में दृश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- **जुलाई 2025 तक:**
  - ✓ **96%** से अधिक गाँव ओडीएफ प्लस घोषित।
  - ✓ **4.70 लाख** गाँवों को ओडीएफ प्लस मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- **सामाजिक और व्यवहारिक बदलाव**
  - ✓ **स्वच्छता गरिमा, समता और राष्ट्रीय संकल्प** का प्रतीक बन गई।
  - ✓ नागरिक और राज्य के बीच संबंध बदल गए।
  - ✓ व्यवहार परिवर्तन ग्रामीण संस्कृति में एकीकृत हो गए।

4. जल जीवन मिशन: जल सुरक्षा सुनिश्चित करना

- **प्रगति और कवरेज**
  - ✓ एसबीएम-जी की उपलब्धियों को पूरा करने के लिए **2019** में लॉन्च किया गया।
  - ✓ **जुलाई 2025** तक:
    - **15.67 करोड़ से अधिक घरेलू नल** कनेक्शन।
    - **80% ग्रामीण कवरेज** पार कर गया।



- **भौगोलिक चुनौतियों से निपटना**
  - ✓ कठिन क्षेत्रों में सुनिश्चित कवरेज:
    - बुंदेलखंड।
    - हिमालयी क्षेत्र।
    - दक्कन का पठार।
    - पूर्वी घाट।
- **लचीलापन और अनुकूलनशीलता** प्रदर्शित करता है।
- **सामुदायिक स्वामित्व** और **महिलाओं की भूमिका**
- ग्राम पंचायतें और ग्राम जल संसाधन समितियाँ योजना, क्रियान्वयन, निगरानी और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- **महिलाओं का सशक्तिकरण:**
  - ✓ 24 लाख से ज़्यादा महिलाओं को जल गुणवत्ता के लिए फील्ड टेस्टिंग किट से प्रशिक्षित किया गया।
  - ✓ महिलाएँ **जल सखी/जल सहिया** बनीं।
  - ✓ जल वाहक से जल प्रबंधक।
- **स्कूल और आंगनवाड़ी:**
  - ✓ पाइप से पानी की सुविधा।
  - ✓ बच्चों के लिए अधिक स्वस्थ और सम्मानजनक वातावरण।
  - ✓ स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लड़कियों की स्कूल उपस्थिति में सुधार हुआ।

5. एसबीएम-जी और जेजेएम का गहरा प्रभाव

सार्वजनिक स्वास्थ्य -

- **माइकल क्रेमर का शोध:** सार्वभौमिक सुरक्षित जल उपलब्धता से शिशु मृत्यु दर में **30%** (लगभग 1.36 लाख बाल मृत्यु प्रतिवर्ष) की कमी आ सकती है।
- **डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट:**
  - ✓ जेजेएम से दस्त से होने वाली 4 लाख मौतों को रोका जा सकता है।
  - ✓ इससे प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे (अधिकांशतः महिलाओं के) की बचत होती है।
  - ✓ ₹8.28 लाख करोड़ का आर्थिक लाभ।
- **एसबीएम-जी प्रभाव:**
  - ✓ **डब्ल्यूएचओ (2018):** 2014 की तुलना में 2019 में 3 लाख डायरिया से होने वाली मौतों को टाला गया।
  - ✓ **नेचर (2024):** प्रतिवर्ष 60,000-70,000 शिशुओं की जान बचाई गई।

महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण -

- **यूनिसेफ/बीएमजीएफ अध्ययन (2020**): घरेलू शौचालयों ने ग्रामीण महिलाओं की **सुविधा, सुरक्षा और स्वाभिमान** को बढ़ाया है।
- महिलाओं को शौचालय या पानी के लिए लंबी दूरी तक पैदल चलने की आवश्यकता कम हुई है।
- **पर्यावरण और स्वच्छता**
  - ✓ **यूनिसेफ अध्ययन (2018-19):** ओडीएफ गांवों में भूजल गैर-ओडीएफ गांवों की तुलना में **12.7 गुना** कम दूषित था।

रोजगार सृजन -

- निर्माण चरण द्वारा निर्मित हुआ:
  - ✓ ~60 लाख व्यक्ति-वर्ष प्रत्यक्ष रोज़गार।
  - ✓ ~2 करोड़ व्यक्ति-वर्ष अप्रत्यक्ष रोज़गार।

स्थानीयकृत सफलताएँ -

- ग्राम पंचायतों के सहयोग से निष्क्रिय जल योजनाओं को पुनर्जीवित किया गया।
- जनजातीय समुदायों ने जल परीक्षण और वितरण प्रणालियाँ बनाईं।
- महिलाओं को पंप संचालक के रूप में प्रशिक्षित किया गया - पारंपरिक पदानुक्रम को तोड़ा गया।

6. एसबीएम-जी के भविष्य के लिए स्मार्ट (SMART) दृष्टिकोण

S-परिसंपत्तियों और व्यवहारों की स्थिरता:

- बुनियादी ढाँचे से सिस्टम प्रबंधन की ओर बदलाव।
- संचालन एवं रखरखाव प्रोटोकॉल का महत्व, ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तपोषण।
- **नवाचार:**
  - ✓ ग्रे-वाटर का पुनः उपयोग (तमिलनाडु)।
  - ✓ सोख गड्ढे का मानकीकरण (राजस्थान)।
  - ✓ सामुदायिक संचालन एवं रखरखाव मॉडल (केरल, सिक्किम)।

M-महिलाओं को केन्द्रीय बनाना

- **रानी मिस्त्री, स्वच्छाग्रही, स्वयं सहायता समूह, जल सखी** के रूप में महिलाएँ।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित उद्यम: सैनिटरी पैड उत्पादन (ओडिशा), मल प्रबंधन (तेलंगाना)।
- स्वच्छता को आय और नेतृत्व के अवसर के रूप में।

A – निजी क्षेत्र की भूमिका में तेजी लाना

- अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र।
- गोबरधन इकाइयाँ डेयरियों (महाराष्ट्र, गुजरात) के साथ एकीकृत।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समर्थित परियोजनाओं और स्वच्छता इन्क्यूबेटरों की संभावना।

R - संचार को पुनः स्थापित करना

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की सफलता में संचार केंद्रीय भूमिका निभाता है।
- **अगला चरण:** गड्ढों को खाली करने, मासिक धर्म अपशिष्ट निपटान और पृथक्करण के सम्बन्ध में जागरूकता।
- **उपकरण:** स्वच्छ भारत मिशन अकादमी, व्हाट्सएप पाठ, ग्रामीण प्रभावक, स्कूल स्वच्छता क्लब।

T – प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी

- **स्मार्ट स्वच्छता गाँवों** की ओर कदम बढ़ाना।
- **विशेषताएँ:**
  - ✓ वास्तविक समय निगरानी।
  - ✓ सौर ऊर्जा चालित एसटीपी।
  - ✓ डिजिटल कचरा संग्रहण।
- जलवायु से जुड़ी स्वच्छता प्रथाओं में राजमिस्त्रियों, ग्राम पंचायतों, सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

7. जल जीवन मिशन का भविष्य: नल से परे

- **2028 तक विस्तार**
- केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित।
- **फोकस:** स्थिरता, कार्यक्षमता, संचालन एवं रखरखाव, जलवायु अनुकूलन।
- **चार रणनीतिक बदलाव:**
  - ✓ **नल कवरेज → जल सुरक्षा**
  - ✓ जल-भूवैज्ञानिक मानचित्रण।
    - हिमालय में झरनों का विकास।
    - जलभृत पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन।
    - पहल: जेएसए: वर्षा संचयन और जल संचयन जन भागीदारी।
  - ✓ **बुनियादी ढांचा → नवाचार**
    - IoT-आधारित जल निगरानी।
    - जलवायु-स्मार्ट गाँव।
  - ✓ **लाभार्थी → सह-निर्माता**
    - जल दूतों, जल सखियों, जल सहियाओं की भूमिका।
  - ✓ **साइलो → तालमेल**
    - स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि के साथ अभिसरण।
    - रसोई उद्यानों के लिए ग्रेवाटर सिंचाई।
    - बेहतर पोषण और बौनेपन में कमी।

8. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखण

- **सतत विकास लक्ष्य 6:** स्वच्छ जल और स्वच्छता - प्रत्यक्ष रूप से संबोधित।
- **अन्य अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाए गए सतत विकास लक्ष्य:**
  - ✓ सतत विकास लक्ष्य 3: स्वास्थ्य (मृत्यु दर में कमी)।
  - ✓ सतत विकास लक्ष्य 4: शिक्षा (लड़कियों की उपस्थिति)।
  - ✓ सतत विकास लक्ष्य 5: लैंगिक समानता (महिला सशक्तिकरण)।
  - ✓ सतत विकास लक्ष्य 8: सभ्य कार्य (स्वच्छता/जल क्षेत्र में नौकरियाँ)।
  - ✓ सतत विकास लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई (लचीली WASH प्रणालियाँ)।

9. वर्तमान स्थिति (2025 तक)

- **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी):**
  - ✓ 5.65 लाख ओडीएफ प्लस गाँव।
  - ✓ 4.70 लाख ओडीएफ प्लस आदर्श गाँव।
  - ✓ 5.18 लाख ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ।
  - ✓ 5.32 लाख तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ।
- **जन जीवन मिशन (जेजेएम):**
  - ✓ 190 जिलों, 1,906 ब्लॉकों, 1.23 लाख ग्राम पंचायतों और 2.62 लाख गांवों ने हर घर जल का लक्ष्य हासिल किया।
- **स्वच्छ सुजल गांव:**
  - ✓ 1.19 लाख से अधिक गांवों ने यह मानक हासिल किया।

हर घर जल स्थिति

प्रमाणित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र: गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब

रिपोर्ट किए गए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: तेलंगाना, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात

जिले		ब्लॉक		पंचायतें		गाँव	
रिपोर्ट की गई	प्रमाणित	रिपोर्ट की गई	प्रमाणित	रिपोर्ट की गई	प्रमाणित	रिपोर्ट की गई	प्रमाणित
190	112	1,906	950 (+1)	1,23,570 (+42)	85,551 (+58)	2,62,595 (+87)	1,67,048 (+157)

10. निष्कर्ष - विकसित भारत का मार्ग @2047

- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-जी) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) नए शासन मॉडल प्रस्तुत करते हैं – **सहभागी, समावेशी और लचीले।**
- **महिलाएँ और समुदाय** केंद्रीय कर्ता हैं, निष्क्रिय लाभार्थी नहीं।
- **मिशनों** ने पहले ही मापनीय स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान किए हैं।
- **भविष्य** की सफलता इस पर निर्भर करती है:
  - ✓ समावेशन सुनिश्चित करना।
  - ✓ टिकाऊ बुनियादी ढाँचा।
  - ✓ जलवायु-रोधी जल और स्वच्छता प्रणालियाँ।

2047 तक भारत का लक्ष्य **आत्मनिर्भर स्वच्छ और विकसित भारत** बनना है, जहां कोई भी पीछे न छूटे।

महिलाओं को सशक्त बनाना और बच्चों का पोषण करना

पृष्ठभूमि और संदर्भ

- **मानव अधिकार के रूप में WASH:**
  - ✓ WASH का अर्थ है - **जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य।**
  - ✓ **स्वच्छ जल, पर्याप्त स्वच्छता और सुरक्षित स्वच्छता** तक पहुँच एक मौलिक मानव अधिकार है।
  - ✓ इसका **लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास** पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- **WASH के लैंगिक आयाम:**
  - ✓ कई समाजों में, खासकर भारत में, **महिलाओं और लड़कियों को स्वच्छता प्रबंधन** का असमान बोझ उठाना पड़ता है।
  - ✓ **जल संग्रहण या स्वच्छता** के लिए अवैतनिक घरेलू श्रम में प्रतिदिन कई घंटे लग जाते हैं, जिससे शिक्षा, कार्य और सामुदायिक सहभागिता के अवसर सीमित हो जाते हैं।
  - ✓ **सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं** का अभाव स्वास्थ्य जोखिम, उत्पीड़न और हिंसा के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है।
- **बाल विकास और WASH:**
  - ✓ **WASH की खराब स्थितियाँ दस्त, कुपोषण, बौनेपन** और स्कूल से अनुपस्थिति की उच्च दरों से जुड़ी हैं।
  - ✓ **सुरक्षित जल और स्वच्छता बेहतर पोषण, रोग निवारण** और शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ावा देते हैं।
- **भारत के प्रयास:**
  - ✓ **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)** और **जल जीवन मिशन (जेजेएम)** जैसे कार्यक्रमों ने **WASH (वाटर, सैनिटेशन & हाइजीन)** में सुधार को मज़बूत गति प्रदान की।
  - ✓ **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी)** ने लैंगिक न्याय, पोषण और बाल संरक्षण के बीच सीधा संबंध सुनिश्चित करने के लिए WASH (WATER, SANITATION & HYGIENE) को अपनी कल्याणकारी योजनाओं में एकीकृत किया।



WASH के लैंगिक समानता आयाम

- **महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ:**
  - ✓ **समय का बोझ:** महिलाओं को पानी इकट्ठा करने और घरेलू स्वच्छता का प्रबंधन करने में लंबा समय लगता है।
  - ✓ **सुरक्षा और सम्मान:** शौचालयों की कमी महिलाओं को उत्पीड़न और हिंसा का शिकार बनाती है।
  - ✓ **मासिक धर्म स्वच्छता:** सुविधाओं के अभाव में महिलाएं स्कूल छोड़ देती हैं और सम्मान की हानि होती है।
- **सशक्तिकरण के अवसर:**
  - ✓ आस-पास के जल स्रोतों तक पहुँच से महिलाओं का कठिन परिश्रम कम होता है, जिससे वे **शिक्षा, कौशल निर्माण और आय सृजन** में भाग ले पाती हैं।
  - ✓ **सामुदायिक WASH समितियों** में महिलाओं की भागीदारी निर्णय लेने और नेतृत्व में उनकी भूमिका को मज़बूत बनाती है।

बाल कल्याण और WASH

- **स्वास्थ्य सुविधाएं:**
  - ✓ दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी **जलजनित बीमारियों** में कमी।
  - ✓ बेहतर स्वच्छता से संक्रमण दर कम होती है, **पोषण और पोषक तत्वों के अवशोषण** में वृद्धि होती है।
- **शैक्षिक लाभ:**
  - ✓ कार्यात्मक **शौचालय नियमित स्कूल** उपस्थिति को प्रोत्साहित करते हैं, खासकर लड़कियों के बीच।
  - ✓ **स्वच्छता शिक्षा स्कूल की तैयारी** और **प्रदर्शन में सुधार** करती है।
- **बचपन के विकास:**
  - ✓ आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) स्वच्छता प्रथाओं को एकीकृत करते हैं, जिससे **आजीवन स्वस्थ व्यवहार** का निर्माण होता है।
  - ✓ समुदायों में रोग संचरण के जोखिम को कम करता है।

WASH एकीकरण वाली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख पहल

(A) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

- **अवलोकन:**
  - ✓ **पोषण अभियान, आईसीडीएस और एसएजी** (किशोरी बालिकाओं के लिए योजना) को एकीकृत करता है।
  - ✓ **14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों** के नेटवर्क के माध्यम से **10.16 करोड़ लाभार्थियों** को कवर करता है।
  - ✓ लाभार्थियों में गर्भवती महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली माताएँ, **बच्चे (0-6 वर्ष)** और किशोरियाँ शामिल हैं।
- **WASH योगदान:**
  - ✓ **समुदाय-आधारित कार्यक्रम (सीबीई):** 2018 से अब तक **7 करोड़** से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें परिवारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है।
  - ✓ **गृह भ्रमण:** मातृ एवं शिशु स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रति माह लगभग **2** करोड़ दौरे।
  - ✓ **बुनियादी ढाँचा:**
    - **10.27 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों** में कार्यात्मक शौचालय हैं।
    - **12.53 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों** में पेयजल की सुविधा है।
- **व्यवहार परिवर्तन के प्रयास:**
  - ✓ जन जागरूकता के लिए जन आंदोलन के रूप में **पोषण माह (सितंबर) और पोषण पखवाड़ा (मार्च-अप्रैल)।**
  - ✓ 2018 से अब तक **3.8 करोड़ से अधिक WASH जागरूकता गतिविधियाँ** रिपोर्ट की गई हैं।
- **आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन:**

  बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में WASH को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि दी गई।
  - ✓ **2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों** को **सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों** में परिवर्तित किया जाएगा:
    - सुरक्षित पेयजल
    - शौचालय
    - एलईडी स्क्रीन
    - जल निस्पंदन प्रणालियाँ
    - पोषण वाटिकाएँ
- **किशोरियों के लिए योजना (एसएजी):**
  - ✓ पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों में **23 लाख लड़कियों (14-18 वर्ष)** को लक्षित किया गया है।
  - ✓ **पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, सहकर्मी शिक्षा और सामुदायिक जागरूकता** पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **विशेष अभियान 3.0:**
  - ✓ आंगनवाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान।
  - ✓ **सामुदायिक स्वयंसेवकों, स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों** को निरंतर WASH प्रथाओं के लिए प्रेरित किया।

(B) मिशन शक्ति (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मिलित)

- **केंद्र:**
  - ✓ **लैंगिक भेदभाव** को संबोधित करता है और लड़कियों की भलाई पर ज़ोर देता है।
  - ✓ लड़कियों को स्कूल में बने रहने के लिए स्वच्छता और सफ़ाई को बढ़ावा देता है।
- **परिणाम:**
  - ✓ इसका उद्देश्य लड़कियों के लिए स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण उत्पन्न **लैंगिक असमानता के चक्र को तोड़ना** है।

(C) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

- **योजना का स्वरूप:** प्रसवपूर्व देखभाल और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने वाला एक **मातृत्व लाभ कार्यक्रम।**
- **WASH योगदान:**
  - ✓ गर्भावस्था और शिशु देखभाल के दौरान स्वच्छता पर परामर्श।
  - ✓ माताओं और शिशुओं के लिए **स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण** को बढ़ावा देना।

(D) मिशन वात्सल्य

- **स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी):**
  - ✓ वार्षिक कार्य योजनाएं संरचित WASH गतिविधियों को सुनिश्चित करती हैं।

WASH एकीकरण का प्रभाव

- **महिलाओं पर:**
  - ✓ जल संग्रहण का शारीरिक बोझ कम हुआ।
  - ✓ व्यक्तिगत सुरक्षा और सम्मान में सुधार हुआ।
  - ✓ शिक्षा और आजीविका में अधिक भागीदारी हुई।
- **बच्चों पर:**
  - ✓ बाल रुग्णता और मृत्यु दर में कमी।
  - ✓ बेहतर पोषण परिणाम और स्कूल प्रदर्शन।
  - ✓ बचपन से ही स्वस्थ स्वच्छता की आदतों का निर्माण।
- **समुदायों पर:**
  - ✓ **जन आंदोलनों** के माध्यम से अधिक जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन।
  - ✓ **सामुदायिक भागीदारी** के माध्यम से स्वामित्व और स्थिरता।

निष्कर्ष

- **WASH** केवल एक **बुनियादी ढाँचा** लक्ष्य नहीं है, बल्कि लैंगिक न्याय और बाल कल्याण का एक परिवर्तनकारी प्रवर्तक है।
- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** ने **WASH** को पोषण, शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य और बाल संरक्षण योजनाओं में मुख्यधारा में शामिल किया है।
- **निरंतर** सफलता इस पर निर्भर करती है:
  - ✓ **अन्य मंत्रालयों** (स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास) के साथ अभिसरण।
  - ✓ **सतत व्यवहार परिवर्तन अभियान।**
  - ✓ दीर्घकालिक स्थिरता के लिए समुदाय-आधारित स्वामित्व मॉडल।

समावेशी नीतियों और समुदाय-संचालित दृष्टिकोणों के साथ, **भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक महिला और बच्चे को सुरक्षित WASH (वाटर, सैनिटेशन & हाइजीन) प्रथाओं** से लाभ मिले, जिससे एक अधिक स्वस्थ, अधिक समतापूर्ण समाज का निर्माण हो सके।

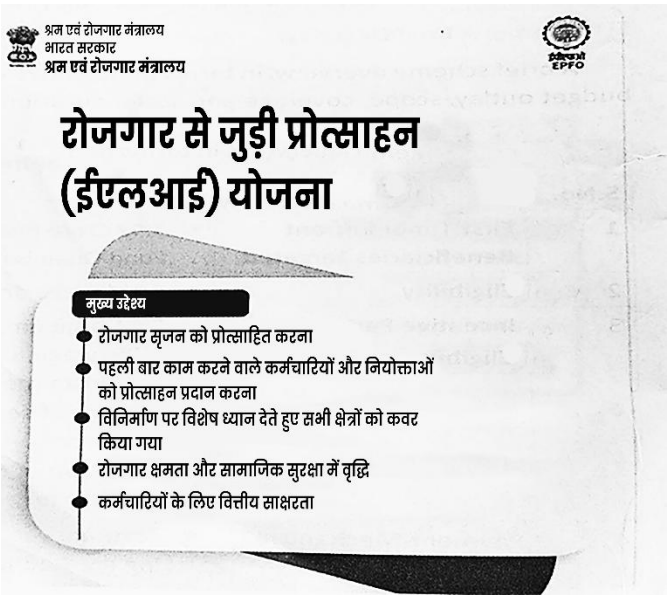
'कुरुक्षेत्र' से महत्वपूर्ण आलेख
(सितंबर 2025)

रोजगार को बढ़ावा, भारत का निर्माण - ईएलआई योजना एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली योजना

1. पृष्ठभूमि

- **घोषणा और शुभारंभ:**
  - ✓ **रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई)** योजना की **घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25** में **प्रधानमंत्री की पाँच प्रमुख योजनाओं** में से एक के रूप में की गई थी।
  - ✓ यह **₹99,446 करोड़** के कुल बजट परिव्यय के साथ **1 अगस्त 2025 से लागू** होगी।.
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - ✓ भारत के **रोज़गार पारिस्थितिकी तंत्र** का पुनर्गठन करना।
  - ✓ **रोज़गार, कौशल विकास, पुनर्कौशलीकरण** और **कौशल उन्नयन** के अवसर प्रदान करना।
  - ✓ भारत के युवाओं के लिए बेहतर **सामाजिक सुरक्षा** सुनिश्चित करना।
- **विशिष्ट दृष्टिकोण:**
  - ✓ पहले की **प्रशिक्षण-आधारित योजनाओं** के विपरीत, ईएलआई को एक रणनीतिक तर्क के साथ डिज़ाइन किया गया है:
    - **कौशल को सीधे नौकरियों** से जोड़ना।
    - नियोक्ताओं, उद्योगों और सरकार के बीच **संयुक्त उत्तरदायित्व** का सृजन।
    - उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप **मांग-आधारित कौशल** विकास की ओर बढ़ना।
    - **औपचारिक नौकरी पंजीकरण** को बढ़ावा देना और औपचारिक रोजगार को सुदृढ़ बनाना।





2. मौजूदा रोजगार और कौशल विकास परिदृश्य

- **सरकारी कार्यक्रमों का विकास**
  - ✓ पिछले **रोज़गार कार्यक्रम व्यापक-आधारित कल्याणकारी दृष्टिकोणों** से हटकर लक्षित **कौशल-आधारित हस्तक्षेपों** की ओर बढ़े।
  - ✓ **मुख्य उद्देश्य:**
    - नौकरियों तक समान पहुँच।
    - बेरोज़गारी कम करना।
    - आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
    - उद्योग कार्यबल को मज़बूत बनाना।
    - समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना।
- **कौशल भारत मिशन (SIM)**
  - ✓ **कौशल विकास** एवं **उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** द्वारा कार्यान्वित।
  - ✓ युवाओं को **उद्योग-संबंधित कौशल** प्रदान करने पर केंद्रित:
    - **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)।**
    - **जन शिक्षण संस्थान.**
    - **राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)।**
    - **आईटीआई के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना।**
- **क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी)**
  - ✓ उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के नेतृत्व में **36 एसएससी**।
  - ✓ विभिन्न क्षेत्रों के लिए **कौशल आवश्यकताओं** और **योग्यता मानकों** को परिभाषित करना।
- **डिजिटल एकीकरण:**
  - ✓ **स्किल इंडिया डिजिटल हब** कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता को एक छतरी के नीचे एकीकृत करता है।
- **ग्रामीण-केंद्रित योजनाएं:**
  - ✓ **दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल योजना।**
  - ✓ **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)।**

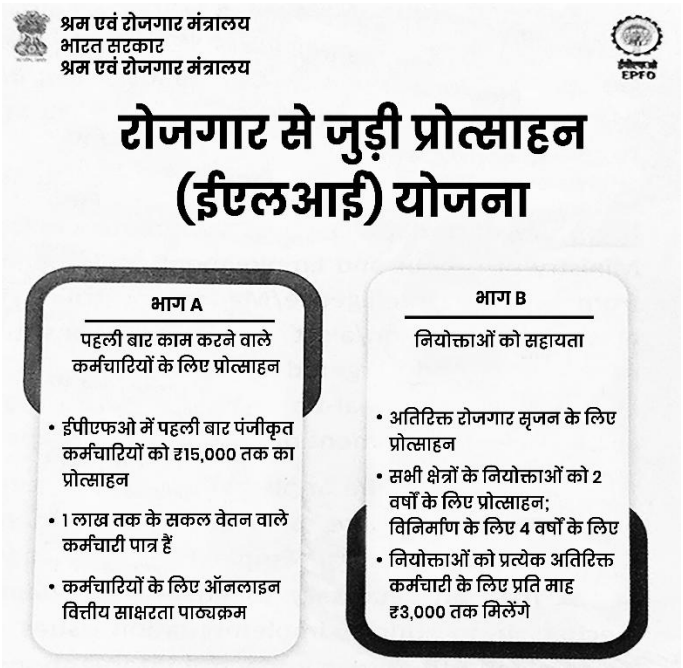
- ✓ **ग्रामीण युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि, हथकरघा, पर्यटन** आदि पर ध्यान केंद्रित करना।
- **विगत प्रोत्साहन-आधारित नौकरी योजना:**
  - ✓ कोविड के बाद **रोजगार को प्रोत्साहित** करने के लिए **अक्टूबर 2020** में **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY)** शुरू की गई।
  - ✓ मार्च 2022 तक वैध, इसने **1.52 लाख प्रतिष्ठानों** के **60.49 लाख श्रमिकों** को लाभान्वित किया।
  - ✓ यद्यपि, ABRY अल्पकालिक और संकट-प्रेरित था, जबकि ELI दीर्घकालिक और प्रणालीगत था।

3. ईएलआई योजना क्यों?

- **नये मॉडल की आवश्यकता:**
  - ✓ मौजूदा कार्यक्रम कौशल विकास पर केंद्रित थे, लेकिन अक्सर वास्तविक रोज़गार की गारंटी देने में विफल रहे।
  - ✓ भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए केवल कौशल सृजन के बजाय **रोज़गार-संचालित विकास** की आवश्यकता है।
- **रणनीतिक हस्तक्षेप:**
  - ✓ **कौशल और रोज़गार** के बीच सीधा संबंध।
  - ✓ **प्रोत्साहन के माध्यम से नियोक्ता** की जवाबदेही।
  - ✓ **उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप** माँग-आधारित प्रशिक्षण।
  - ✓ **ईपीएफओ से जुड़े पंजीकरण** के माध्यम से औपचारिक रोज़गार को बढ़ावा।

4. ईएलआई योजना: एक संक्षिप्त अवलोकन

- (पाठ में तालिका 1 के अनुसार)
  - ✓ **उद्देश्य:**
    - **विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान** केंद्रित करना।
    - **रोज़गार सृजन** को बढ़ावा देना।
    - **रोज़गार क्षमता** बढ़ाना।
    - सभी क्षेत्रों में **सामाजिक सुरक्षा कवरेज** का विस्तार करना।
  - ✓ **बजट** – **₹99,446** करोड़।
  - ✓ **कार्यक्षेत्र और पैमाना** – अखिल भारतीय, 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोज़गार सृजन का लक्ष्य।
  - ✓ **समय-सीमा** – 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों के लिए लागू।
  - ✓ **प्रमुख परिणाम:** रोजगार सृजन, कार्यबल का औपचारिकीकरण, तथा **व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज**।





5. योजना का संरचनात्मक ढांचा

- **पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन**
  - ✓ **लक्षित समूह:** ईपीएफओ में पंजीकृत 1.92 करोड़ नए कर्मचारी।
  - ✓ **पात्रता: ₹1** लाख/माह तक कमाने वाले कर्मचारी।
  - ✓ **प्रोत्साहन:**
    - एक महीने का ईपीएफ वेतन (₹1 लाख तक)।
    - दो किश्तों में भुगतान: 6 महीने बाद और 12 महीने बाद (वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा होने पर)।
    - भविष्य में उपयोग के लिए बचत साधन में जमा किया गया हिस्सा।
  - ✓ **भुगतान:** आधार-सक्षम प्रणालियों के माध्यम से **डीबीटी** के माध्यम से।
- **नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन**
  - ✓ **लक्ष्य:** विनिर्माण पर ज़ोर देते हुए 2.6 करोड़ अतिरिक्त रोज़गार सृजन।
  - ✓ **पात्रता:**
    - कम से कम 6 महीने तक रोज़गार बनाए रखना ज़रूरी है।
    - ईपीएफओ में पंजीकृत होना ज़रूरी है।
    - न्यूनतम अतिरिक्त नियुक्ति: प्रतिष्ठान के आकार के आधार पर 2-5 कर्मचारी।

- ✓ **प्रोत्साहन:**
  - 2 वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी ₹3000 प्रति माह तक।
  - विनिर्माण क्षेत्र के लिए: तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया गया।
- ✓ **स्लैब संरचना:**
  - ₹1000 (मजदूरी ≤ ₹10,000).
  - ₹2000 (₹10,001–20,000).
  - ₹3000 (₹20,001–1,00,000).
- ✓ **भुगतान:** पैन-लिंक्ड नियोक्ता खातों में **डीबीटी** के माध्यम से।

6. बहु-हितधारक निष्पादन ढांचा

- **प्रमुख एजेंसियां:**
  - ✓ **सरकारी मंत्रालय:** श्रम, कौशल विकास, आर्थिक मामले, वित्त।
  - ✓ **संस्थान:** ईपीएफओ, यूआईडीएआई, एनआईसी, एनपीसीआई, सीएजी।
  - ✓ **उद्योग:** नियोक्ता, उद्योग संघ।
  - ✓ **प्रौद्योगिकी भागीदार:** आधार, जीएसटी, आईटी एकीकरण के लिए।
- **निष्पादन उपकरण:** नियोक्ता/कर्मचारी **ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म।**
  - ✓ वेतन विवरण के साथ मासिक **ईसीआर फाइलिंग।**
  - ✓ **आधार** से जुड़ी पहचान जाँच।
  - ✓ **जीएसटी और आईटी फाइलिंग** के साथ क्रॉस-सत्यापन।
  - ✓ रोज़गार सृजन की निगरानी के लिए **रीयल-टाइम डैशबोर्ड।**
  - ✓ **यादृच्छिक ऑडिट और धोखाधड़ी** का पता लगाने की व्यवस्था।

7. चुनौतियाँ और समाधान

- **संभावित रिसाव:**
  - ✓ **लाभ का दावा करने के लिए फर्जी कर्मचारी** → समाधान: आधार, पैन, जीएसटी, आईटी फाइलिंग, बायोमेट्रिक जाँच का उपयोग करके क्रॉस-सत्यापन।
  - ✓ **नियोक्ताओं द्वारा वेतन कम बताना** → समाधान: ईसीआर की तुलना पेस्लिप, बैंक हस्तांतरण, आईटी फाइलिंग से करना; जुर्माना लगाना।
  - ✓ **कर्मचारी का पलायन** → समाधान: नियोक्ता-नेतृत्व वाले प्रतिधारण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
  - ✓ **डीबीटी विफलताएँ** → समाधान: आधार-एनपीसीआई-बैंक एकीकरण को मज़बूत करना।
  - ✓ **कम जागरूकता** → समाधान: श्रम कार्यालयों, एमएसएमई नेटवर्क, सोशल मीडिया के माध्यम से आउटरीच।
  - ✓ **कमज़ोर प्रशिक्षण वितरण** → समाधान: वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास के लिए एमएसडीई, सीएससी, एनजीओ के साथ साझेदारी करना।
  - ✓ **बड़े बजट के साथ जोखिमों की निगरानी** → समाधान: एआई/एमएल-संचालित धोखाधड़ी का पता लगाना, तृतीय-पक्ष ऑडिट।

8. अपेक्षित परिणाम

- **2 वर्षों में 3.5 करोड़** नौकरियों का सृजन।
- ईपीएफओ से जुड़ी नौकरियों के माध्यम से **कार्यबल का औपचारिकीकरण।**
- सभी क्षेत्रों में **सामाजिक सुरक्षा** का विस्तार।
- **विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार** को विशेष बढ़ावा।
- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों में **वित्तीय साक्षरता और प्रतिधारण** में वृद्धि।
- **रोज़गार सृजन में उद्योग-सरकार की साझेदारी** को मज़बूत किया गया।

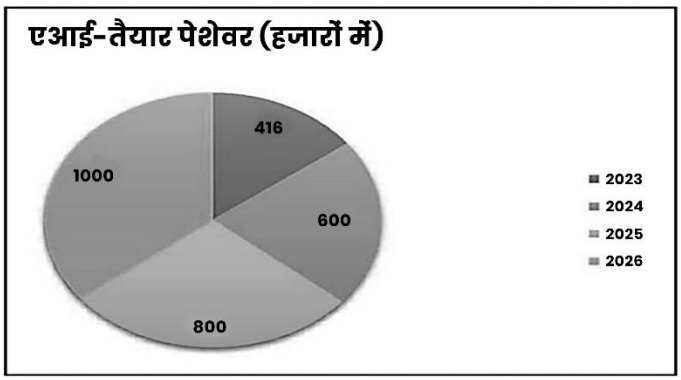
9. निष्कर्ष

- **ईएलआई योजना** केवल **कौशल-आधारित कार्यक्रमों** से रोजगार-संबंधी प्रोत्साहनों की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है।
- यह **कौशल विकास** और **वास्तविक रोजगार सृजन** के बीच की खाई को पाटती है।
- **सुदृढ़ निगरानी**, **पारदर्शी प्रणालियों** और **व्यापक** पहुँच के साथ, यह भारत के **रोजगार परिदृश्य** में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकती है।
- यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह न केवल **रोजगार सृजन** करेगी, बल्कि भारत के लिए **औपचारिकता**, **सामाजिक सुरक्षा** और **दीर्घकालिक आर्थिक** लचीलापन भी सुनिश्चित करेगी।

ग्रामीण भारत के लिए एआई-सक्षम डिजिटल कौशल

परिचय: ग्रामीण भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर

- **प्रसंग:**
  - ✓ ग्रामीण भारत **जनसांख्यिकीय क्षमता, आर्थिक आकांक्षाओं** और **तेज़ी से बदलते तकनीकी** बदलावों के बीच एक अंतर्संबंध देख रहा है।
  - ✓ **बुनियादी ढाँचे** और **कनेक्टिविटी** में सुधार तो हुआ है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं:
    - सीमित कौशल विकास।
    - खंडित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ।
    - ग्रामीण कार्यबल की आर्थिक संवेदनशीलता।
- **पारंपरिक कौशल की सीमाएँ:**
  - ✓ **अक्सर बाज़ार की ज़रूरतों** से मेल नहीं खाते।
  - ✓ **स्थानीय क्षमताओं** के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते।
  - ✓ **ग्रामीण युवाओं** को उभरते **रोज़गार क्षेत्रों** से जोड़ने में विफल रहते हैं।
- **जीवन पर प्रभाव:**
  - ✓ **उदाहरण:** पश्चिम बंगाल की **22 वर्षीय आशा** ने **सरकार समर्थित एआई कौशल कार्यक्रम** के माध्यम से अपना रूप बदला।
    - एआई की मूल बातें और ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल सीखे।
    - स्थिर आय के साथ एक ऑनलाइन हस्तशिल्प स्टोर शुरू किया।
    - सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य और पेंशन योजनाओं में नामांकन कराया।
  - ✓ यह दर्शाता है कि किस प्रकार **एआई-संचालित कौशल आजीविका, सम्मान और सशक्तिकरण का सृजन करते हैं।**



डिजिटल समावेशन और सामाजिक सुरक्षा का उदय

- **कवरेज में वृद्धि:**
  - ✓ सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में **19% से बढ़कर 2025 में 64%** हो गया (पीआईबी, 2025)।
  - ✓ **द्वारा सक्षम:**
    - **आधार डिजिटल** पहचान प्रणाली।
    - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ग्रामीण क्षेत्रों** तक पहुँच रहा है।
- **डिजिटल कनेक्टिविटी:**
  - ✓ भारत में लगभग आधे **इंटरनेट उपयोगकर्ता अब ग्रामीण क्षेत्रों** में रहते हैं।

- ✓ विशेष रूप से **युवाओं और महिलाओं** के लिए, **एआई-सक्षम डिजिटल कौशल** के लिए ज़मीन का विस्तार।

- **सरकारी प्रयास:**
  - ✓ **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)** इन पहलों का नेतृत्व करता है।
  - ✓ **स्किल इंडिया डिजिटल हब** - क्षेत्रीय भाषाओं में व्यक्तिगत एआई-संचालित शिक्षा।
  - ✓ **डिजिटल इंडिया और भारतनेट कनेक्टिविटी परियोजनाओं** द्वारा समर्थित।
- **रोजगार पर प्रभाव:**
  - ✓ कौशल विकास अभियान के बाद रोजगार में वृद्धि हुई:
    - विनिर्माण: **+15%**
    - सेवाएँ: **+20%**
    - निर्माण: **+25%**
  - ✓ **एआई-तैयार कार्यबल वृद्धि: 416,000 (2023)** → लगभग 1 मिलियन (2026 अनुमान)।

कौशल, सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के बीच संबंध

- **सशक्तिकरण के रूप में कौशल:**
  - ✓ **एआई कौशल पारंपरिक कृषि/अनौपचारिक कार्य** से परे अवसरों का विस्तार करते हैं।
  - ✓ **सक्षम करें:**
    - **औपचारिक नौकरियाँ।**
    - **स्व-रोज़गार।**
    - **उद्यमिता।**
  - ✓ **स्थिर आय और सम्मान प्रदान** करना।
- **सामाजिक सुरक्षा पहुंच:**
  - ✓ **औपचारिक रोज़गार बीमा, पेंशन** और **श्रमिक अधिकार** लेकर आता है।
  - ✓ **डिजिटल कौशल ग्रामीण श्रमिकों** को निम्नलिखित योजनाओं में नामांकन का अवसर प्रदान करते हैं:
    - **प्रधानमंत्री जन धन योजना (**PMJDY**) -** वित्तीय समावेशन।
    - **अटल पेंशन योजना (**APY**) -** सेवानिवृत्ति सुरक्षा।
    - **ई-श्रम पोर्टल -** असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा।
- **संवेदनशीलता को लचीलेपन में बदलना:**
  - ✓ डिजिटल साक्षरता सक्षम बनाती है:
    - सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच।
    - लाभों के लिए तेज़ आवेदन।
    - समुदाय-संचालित **एआई नवाचार** (जैसे, स्थानीय समस्या-समाधान)।
- **नीतिगत तालमेल:**
  - ✓ **कौशल निर्माण + सामाजिक सुरक्षा एकीकरण।**
  - ✓ यह सुनिश्चित करता है कि **श्रमिक रोजगार योग्य और सुरक्षित हों।**
  - ✓ **कौशल विकास को उभरती उद्योग माँगों** के अनुरूप बनाता है।

परिवर्तन लाने वाली सरकारी पहल:

- **कौशल भारत मिशन:**
  - ✓ एक दशक से अधिक समय से **कौशल विकास** के प्रयास।
  - ✓ इसमें **PMKVY 4.0 (2022-2025)** शामिल है, जिसका ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित है:
    - एआई, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिंग।
    -
    - निःशुल्क प्रशिक्षण + प्रमाणपत्रों से जुड़े मौद्रिक पुरस्कार।
  - ✓ **एनएपीएस (प्रशिक्षुता)** और **जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)** के साथ एकीकृत।
  - ✓ 2.27 करोड़ लाभार्थी, जिनमें से अधिकांश **ग्रामीण** और **हाशिए** पर हैं।
  - ✓ **SOAR (एआई तत्परता के लिए कौशल):ली छात्रों (कक्षा 6-12) और शिक्षकों पर केंद्रित।**
  - ✓ इसमें एआई की **मूल बातें, नैतिकता, साइबर सुरक्षा** और **करियर मार्गदर्शन** शामिल हैं।
  - ✓ इसका **उद्देश्य एआई शिक्षा** तक सभी की समान पहुँच सुनिश्चित करना है।
- **कौशलवर्स डिजिटल पोर्टल (एनसीवीईटी):**
  - ✓ **कौशल प्रमाणन और विनियमन पारदर्शिता** को बढ़ाता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:**
  - ✓ एआई कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए **माइक्रोसॉफ्ट** जैसी कंपनियों के साथ सहयोग।
  - ✓ **महिला उद्यमियों** पर विशेष ध्यान।
- **भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस):**
  - ✓ **विशिष्ट उद्योग 4.0** प्रशिक्षण संस्थान।
  - ✓ राष्ट्रीय कौशल विकास कोष के **अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)** द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से समर्थित।
- **कौशल विकास एवं उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2025 का मसौदा:**
  - ✓ भविष्य के लिए तैयार **कार्यबल की परिकल्पना।**
  - ✓ **ग्रामीण और हाशिए पर पड़े समूहों** के लिए समानता पर ज़ोर।



एआई कौशल के माध्यम से डिजिटल विभाजन को पाटना

- **वर्तमान डिजिटल साक्षरता अंतराल:**
  - ✓ केवल **25% ग्रामीण परिवार डिजिटल रूप से साक्षर** हैं, जबकि 61% शहरी परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं (ideasforindia.in)।
  - ✓ एआई-संचालित अर्थव्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों के बहिष्कृत होने का जोखिम।
- **मौजूदा कार्यक्रम:**
  - ✓ **पीएमजीदिशा: 6.39 करोड़ प्रशिक्षित** (मार्च 2024 तक)।
  - ✓ **सीएससी (**5.6 **लाख केंद्र):** भारत एआई मिशन के तहत एआई-सक्षम प्रशिक्षण के लिए केंद्र।
- **राज्य स्तरीय पहल:**
  - ✓ **उदाहरण: एआई प्रज्ञा (उत्तर प्रदेश) -** इसका **लक्ष्य एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स में** 10 **लाख नागरिकों को प्रशिक्षित** करना है।
- **अवसर अंतराल:**
  - ✓ Google.org-ADB रिपोर्ट: 5 में से केवल **1 भारतीय युवा ही AI कौशल** से परिचित है।
  - ✓ **तेज़ी से विस्तार की आवश्यकता** पर प्रकाश डाला गया।

डिजिटल सशक्तिकरण में अग्रणी महिलाएं

- **डिजिटल लिंग अंतर:**
  - ✓ ग्रामीण भारत में महिलाएँ:
    - स्मार्टफोन रखने की संभावना **11%** कम।
    - मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने की संभावना **40% कम** (**GSMA, 2023**)।
- **महिलाओं के लिए एआई कौशल:**
  - ✓ महिलाओं को वेतन-आधारित भूमिकाओं से उद्यमिता की ओर ले जाना।
  - ✓ **कार्यक्षेत्र:** एआई-सक्षम कृषि, ऑनलाइन खुदरा व्यापार, डिजिटल सेवाएँ।
  - ✓ **लैंगिक अंतर को कम करने से 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में 700 अरब डॉलर** की वृद्धि हो सकती है (मैकिन्से)।
- **प्रभावशाली कार्यक्रम:**
  - ✓ **पीएमजीदिशा और सीएससी महिलाओं** को एआई और डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं।
  - ✓ महिलाओं के नेतृत्व वाले सीएससी अब **टेलीमेडिसिन**, **एआई-आधारित कृषि-सलाह और फिनटेक सेवाएँ** प्रदान करते हैं।
- **बाधाओं को तोड़ना:**
  - ✓ **एआई-आधारित भाषा शिक्षण उपकरण साक्षरता** अंतराल को दूर करते हैं।
  - ✓ **क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म दूरस्थ ई-कॉमर्स** व्यवसायों को सक्षम बनाते हैं।
- **केस STUDY: झारखंड**
  - ✓ **एआई प्रज्ञा** के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं ने कम लागत वाले **एआई फसल** रोग पहचान मॉडल विकसित किए।
  - ✓ **लाभ:** आय के नए स्रोत + बेहतर खाद्य सुरक्षा।

एआई-संचालित कृषि सलाहकार प्रणालियाँ

- **एआई के माध्यम से आजीविका सुरक्षा:**
  - ✓ ये प्लेटफ़ॉर्म **स्थान-विशिष्ट फ़सल सलाह, कीट नियंत्रण** और **जलवायु अनुकूलन** प्रदान करते हैं।
  - ✓ किसानों की आय को स्थिर करके **अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा** के रूप में कार्य करते हैं।
- **उदाहरण:**
  - ✓ **डिजिटल ग्रीन** का एआई चैटबॉट।
  - ✓ **कृषि एआई** (नीति आयोग)।
  - ✓ **स्थानीय भाषाओं** में **कम डेटा**, **ध्वनि-सक्षम** सलाह प्रदान करना।
- **प्रभाव:**
  - ✓ कीटों के प्रकोप का हफ्तों पहले ही अनुमान लगा लेता है।
  - ✓ **फसल हानि को 30%** तक कम करता है (विश्व बैंक, 2024)।
  - ✓ बिचौलियों पर निर्भरता कम करता है; **ई-नाम और डिजिटल बाज़ारों** तक सीधी पहुँच बढ़ाता है।

निष्कर्ष

- **तकनीकी कौशल से परे:**
  - ✓ **एआई-सक्षम डिजिटल कौशल = सामाजिक परिवर्तन।**
  - ✓ **वित्तीय स्थिरता, सौदेबाजी की शक्ति और लचीलापन** प्रदान करता है।
- **भविष्य की प्राथमिकताएँ:**
  - ✓ किफ़ायती ग्रामीण इंटरनेट।
  - ✓ स्थानीय भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस उपकरण।
  - ✓ समावेशी नीतिगत ढाँचे।
- **आवश्यक साझेदारी:** सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को सहयोग करना होगा।
- **ग्रामीण भारत के लिए दृष्टिकोण**
  - ✓ आशा की तरह हर **ग्रामीण युवा नेता, नवप्रवर्तक और उद्यमी** बन सकता है।

एआई कौशल की **सच्ची सफलता** का मापदंड जीवन में सुधार लाना होगा, न कि एल्गोरिदम का सृजन करना।



'डाउन टू अर्थ' से महत्वपूर्ण आलेख
(सितंबर 2025)

जलवायु परिवर्तन और डेंगू का बढ़ता वैश्विक बोझ

संदर्भ

नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (पीएनएएस, 2025) की कार्यवाही में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने **जलवायु परिवर्तन और डेंगू संक्रमण** में **वैश्विक वृद्धि** के बीच सीधा संबंध स्थापित किया है। निष्कर्ष इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न, विशेष रूप से **एशिया और अमेरिका** में, मच्छर जनित बीमारियों के **भूगोल और तीव्रता** को बदल रहे हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- **प्रभाव की व्यापकता:** 1995-2014 के बीच **21 देशों** में डेंगू के लगभग **18% मामलों** के लिए **जलवायु परिवर्तन** ज़िम्मेदार था, जिससे सालाना **4.6 मिलियन** अतिरिक्त संक्रमण हुए।
- **अनुमानित जोखिम:** 2050 तक, डेंगू के मामलों में **49-76%** की वृद्धि हो सकती है, और कई **ठंडे क्षेत्रों** में यह संख्या दोगुनी हो सकती है, जहाँ अब **260 मिलियन** से ज़्यादा लोग रहते हैं।
- **भौगोलिक प्रसार:** दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका और उप-सहारा अफ्रीका में विस्तार की उम्मीद है, साथ ही दक्षिणी अमेरिका और यूरोप जैसे समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी मामले सामने आ रहे हैं।
- **तापमान प्रभाव:** डेंगू का संक्रमण **27.8°C** के आसपास चरम पर होता है, जो एक **"गोल्डीलॉक्स ज़ोन"** है जहाँ मच्छरों का **जीवित रहना** और **वायरस** का प्रजनन सर्वोत्तम होता है। **ठंडे क्षेत्रों** में थोड़ी सी भी गर्मी संक्रमण दर को तेज़ी से बढ़ा देती है।
- **आँकड़ा आधार:** विश्लेषण में 21 देशों के 14 लाख स्थानीय डेंगू अवलोकनों को शामिल किया गया है, जो तापमान वृद्धि और रोग प्रसार के बीच स्पष्ट संबंध दर्शाता है।

वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ

- **एडीज़ एजिप्टी** मच्छर गर्म और आर्द्र वातावरण में पनपता है; जलवायु परिवर्तन के कारण इसका **प्रजनन क्षेत्र गैर-स्थानिक** और ऊँचाई वाले क्षेत्रों तक फैल गया है।
- **शहरीकरण और प्रवासन,** वायरस के विकास के साथ मिलकर इसके प्रसार को और तेज़ कर रहे हैं।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन** (2024) के अनुसार, 2000 और 2022 के बीच डेंगू के मामलों में **आठ गुना वृद्धि** हुई है, और **वैश्विक स्तर** पर इसका **70% हिस्सा एशिया** में है।
- **आईपीसीसी एआर6 (2023)** ने भी इसी तरह चेतावनी दी है कि डेंगू और मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियाँ, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय विकासशील देशों में, जलवायु के प्रति संवेदनशील प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियाँ बन जाएंगी।

वैश्विक स्वास्थ्य चिंताएँ

- **डेंगू सबसे तेज़ी** से फैलने वाली **वेक्टर जनित बीमारियों** में से एक है, जो वर्तमान में 100 से ज़्यादा देशों में स्थानिक है।
- **यूरोप और अमेरिका में नए स्थानीय मामले जलवायु परिवर्तन** के कारण **रोग पारिस्थितिकी** में उत्तर की ओर बदलाव का संकेत देते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन वेक्टर** के **जीवनकाल, काटने** की दर और वायरस के **ऊष्मायन काल (इन्क्यूबेशन पीरियड)** को प्रभावित करता है, जिससे **संचरण का मौसम** लंबा हो जाता है।

शमन और अनुकूलन रणनीतियाँ

- **आक्रामक जलवायु कार्रवाई:** तापमान वृद्धि को **सुरक्षित सीमा** के भीतर सीमित रखने के लिए **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** को कम करना अत्यंत आवश्यक है।
- **जन स्वास्थ्य तैयारी:** मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए **वेक्टर निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणालियों** और **शहरी स्वच्छता** को सुदृढ़ बनाना।
- **टीकाकरण और चिकित्सा प्रगति: विश्व स्वास्थ्य संगठन** द्वारा अनुमोदित टीके (जैसे, डेंगवैक्सिया, क्यूडेंगा) और अगली पीढ़ी के **टीकों पर शोध नए उपकरण** प्रदान करते हैं।
- **सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप:** संचरण जोखिम को कम करने के लिए **वोलबाचिया-संक्रमित मच्छरों, जैविक लार्वानाशकों** का उपयोग और जागरूकता अभियान।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

अध्ययन इस बात पर ज़ोर देता है कि **जलवायु परिवर्तन** केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक जन स्वास्थ्य आपातकाल है। निष्कर्ष **ग्लोबल वार्मिंग** और **संक्रामक रोगों** के प्रसार के बीच एक सीधा और मात्रात्मक संबंध दर्शाते हैं।

भारत जैसे **विकासशील देशों** के लिए, जहाँ आँकड़ों की कमी और **स्वास्थ्य ढाँचा** कमज़ोर है, चुनौती और भी बड़ी है। प्रभावी **जलवायु अनुकूलन रणनीतियों** में **स्वास्थ्य प्रणाली** की लचीलापन, **शहरी नियोजन और जलवायु नीति समन्वय** को एकीकृत करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि **ग्लोबल वार्मिंग डेंगू के प्रसार को तेज़ कर रही है, जिससे हर साल लाखों अतिरिक्त मामले सामने आ रहे हैं।** जब तक जलवायु परिवर्तन को कम करने और जन स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को बढ़ावा नहीं दिया जाता, वेक्टर जनित बीमारियाँ आने वाले दशकों में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता में मच्छर नियंत्रण, टीकाकरण और उत्सर्जन में कमी को शामिल करना होगा, और पर्यावरणीय स्थिरता को मानव स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ जोड़ना होगा।

एआई-आधारित रेटिनल इमेजिंग: पूर्वानुमानित स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक नया आयाम

परिचय

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) से संचालित रेटिना **इमेजिंग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गुर्दे संबंधी विकार** और **तंत्रिका-अपक्षयी रोगों** जैसी **प्रणालीगत बीमारियों** का पता लगाने के लिए एक **गैर-आक्रामक, लागत-प्रभावी** और **सटीक उपकरण** प्रदान करके **नैदानिक चिकित्सा** में बदलाव ला रही है। **रेटिना की सूक्ष्म संवहनी संरचना शरीर** के संवहनी स्वास्थ्य का दर्पण है, जिससे **डॉक्टर व्यापक प्रणालीगत** स्थितियों को दर्शाने वाले प्रारंभिक रोग परिवर्तनों की पहचान कर सकते हैं।

1. रेटिना की नैदानिक क्षमता

रेटिना शरीर की रक्त वाहिकाओं/तंत्रिकाओं का एक अनूठा दृश्य प्रदान करता है।

- **रेटिना धमनियों** का संकुचित होना उच्च रक्तचाप के **दीर्घकालिक जोखिम** का संकेत देता है।

- **रेटिना शिराओं** का बढ़ना **मधुमेह रोगियों में गुर्दे** की जटिलताओं से संबंधित है।
- **धमनी-शिरा व्यास अनुपात स्ट्रोक** और **हृदय रोग** के लिए एक मान्यता **प्राप्त बायोमार्कर है (द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, 2023 द्वारा समर्थित)**।

इस प्रकार, रेटिनल इमेजिंग एक **"संवहनी बायोमार्कर (Vascular Biomarker)"** के रूप में कार्य करती है, जो लक्षणों के प्रकट होने से पहले रोगों की भविष्यवाणी में मदद करती है।

2. रेटिनल इमेजिंग में तकनीकी प्रगति

आधुनिक इमेजिंग तकनीकों ने रेटिना निदान को बढ़ाया है:

- **फंडस फ़ोटोग्राफ़ी रेटिना,** ऑप्टिक तंत्रिका और मैक्युला की विस्तृत तस्वीरें खींचती है, जिससे **डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैक्युलर डिजनरेशन** और **ग्लूकोमा** का पता लगाना संभव हो जाता है।
- **ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी-एंजियोग्राफी (OCT-A)** रेटिना की **सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं** का **त्रि-आयामी, गैर-आक्रामक दृश्य** प्रदान करती है।
- **एडेप्टिव ऑप्टिक्स रेटिना कोशिकाओं** का **सूक्ष्म-स्तरीय दृश्य** प्रदान करता है।

ये उपकरण, जब **एआई एल्गोरिदम** के साथ संयुक्त होते हैं, तो रेटिना की विशेषताओं का स्वचालित विश्लेषण संभव हो जाता है, जिससे निदान की गति और सटीकता में सुधार होता है।

3. "ओकुलोमिक्स" का उदय

"ओकुलोमिक्स" नामक एक नया अंतःविषयक क्षेत्र, नेत्र बायोमार्करों और प्रणालीगत स्वास्थ्य के बीच संबंधों को उजागर करने के लिए रेटिना इमेज डेटासेट और एआई का उपयोग करता है।

बड़े इमेज डेटासेट पर **प्रशिक्षित मशीन लर्निंग मॉडल मधुमेह, हृदय रोग और गुर्दे की शिथिलता** से जुड़े सूक्ष्म संवहनी परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं, जिससे नेत्र विज्ञान प्रतिक्रियात्मक से पूर्वानुमानित देखभाल की ओर अग्रसर हो सकता है।

4. नेत्र विज्ञान में एआई के अनुप्रयोग

- **सर्जिकल परिणामों की भविष्यवाणी: मैक्युलर होल सर्जरी** में सर्जिकल सटीकता को बेहतर बनाने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है।
  - ✓ ऑपरेशन से पहले और बाद की छवियों का विश्लेषण करके, एआई यह अनुमान लगा सकता है कि **मैक्युलर होल** सफलतापूर्वक बंद होगा या नहीं, जिससे सर्जनों को मरीजों की बेहतर योजना बनाने और उन्हें परामर्श देने में मदद मिलती है।
- **गैर-आक्रामक मधुमेह जाँच:** एक प्रमुख नवाचार में रक्त परीक्षण के बिना रक्त शर्करा के स्तर (HbA1c) का अनुमान लगाने के लिए रेटिना स्कैन का उपयोग करना शामिल है।
  - ✓ एआई मॉडल एचबीए1सी स्तरों को सामान्य, उच्च या उच्च-जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है।
  - ✓ यह भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा मधुमेह रोगी हैं (आईडीएफ, 2023) और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोगशाला परीक्षणों की पहुँच सीमित है।
  - ✓ ऐसे **मॉडल** बड़े पैमाने पर जाँच को संभव बना सकते हैं, जिससे **शीघ्र पहचान** में सुधार हो सकता है और **स्वास्थ्य सेवा** की लागत कम हो सकती है।
- **एकीकृत रोग वर्गीकरण**
  - ✓ **सहायक क्लासिफायर जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क (Auxiliary Classifier Generative Adversarial Networks -- AC-GANs)** का उपयोग करके, शोधकर्ताओं का लक्ष्य एक एकीकृत ढाँचा तैयार करना है जो एक ही रेटिना इमेज से कई बीमारियों—**आँखों से संबंधित या प्रणालीगत**—का वर्गीकरण कर सके। यह एक रेटिना स्कैन को एक व्यापक **स्वास्थ्य मूल्यांकन** उपकरण में बदल सकता है।

5. लाभ और सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थ

- **शीघ्र पहचान:** पुरानी बीमारियों में समय पर हस्तक्षेप संभव बनाता है।
- **गैर-आक्रामक और मापनीय:** रक्तदान की आवश्यकता नहीं; सामुदायिक जाँच के लिए उपयुक्त।
- **लागत-प्रभावी:** भारत जैसे संसाधन-**सीमित** देशों के लिए आदर्श।
- **सटीक चिकित्सा:** पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण का उपयोग करके **व्यक्तिगत** देखभाल संभव बनाता है।

आईसीएमआर-राष्ट्रीय मधुमेह एवं मधुमेह रेटिनोपैथी सर्वेक्षण (2019) के अनुसार, भारत में 16% मधुमेह रोगियों में जटिलताएँ उत्पन्न होने तक रोग का निदान नहीं हो पाता। एआई-आधारित रेटिनल स्क्रीनिंग, नेत्र संबंधी और प्रणालीगत रोगों का पता लगाने को एकीकृत करके इस अंतर को पाट सकती है।

6. चुनौतियाँ और नैतिक दृष्टिकोण

- **डेटा विविधता:** मॉडलों को सटीकता के लिए विविध, प्रतिनिधि डेटासेट की आवश्यकता होती है।
- **ब्लैक बॉक्स समस्या:** एआई निर्णय अक्सर अस्पष्ट होते हैं, जिससे नैदानिक सत्यापन आवश्यक हो जाता है।
- **गोपनीयता और नैतिकता:** रोगी का डेटा गुमनाम और सुरक्षित रहना चाहिए।

इन समस्याओं के समाधान के लिए, **शोधकर्ता** अस्पतालों में अनाम डेटा साझा कर रहे हैं और **व्याख्या योग्य एआई (एक्सएआई)** मॉडल का उपयोग करके एल्गोरिदम पारदर्शिता में सुधार कर रहे हैं।

निष्कर्ष

एआई-आधारित रेटिनल इमेजिंग निवारक और पूर्वानुमानित स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। एक साधारण नेत्र स्कैन को एक व्यापक नैदानिक उपकरण में परिवर्तित करके, इसमें पुरानी बीमारियों के लिए, विशेष रूप से कम संसाधन वाले क्षेत्रों में, बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग में क्रांति लाने की क्षमता है। वर्तमान में चल रहे विभिन्न आनुसंधानिक सहयोगों के साथ - जैसे कि बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय और शंकर नेत्रालय के बीच - भारत स्वयं को एआई-संचालित ऑकुलोमिक्स के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर स्थापित कर रहा है, तथा दृष्टि विज्ञान और प्रणालीगत स्वास्थ्य निदान के बीच की खाई को पाट रहा है।

'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' के महत्वपूर्ण आलेख

(सितंबर 2025)

भारत में नियोक्ता सामाजिक सुरक्षा लाभ और नौकरी प्रतिधारण: आर्थिक विकास के लिए नीतिगत निहितार्थ

संदर्भ

यह LASI 2017-18 डेटासेट का उपयोग करते हुए, वेतनभोगी भारतीय श्रमिकों के बीच नौकरी बनाए रखने पर नियोक्ता सामाजिक सुरक्षा लाभों के कारण संबंधी प्रभाव का एक मात्रात्मक विश्लेषण है। अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि ये लाभ नौकरी की अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि करते हैं, जिसका महिला कार्यबल पर असमान रूप से स्थिरीकरण प्रभाव पड़ता है। नीतिगत निहितार्थ यह है कि इन लाभों को बढ़ाना आर्थिक विकास प्राप्त करने और श्रम बाजार में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण, लक्षित रणनीति है।

परिचय:

कर्मचारी परिवर्तन व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिससे बेरोज़गारी बढ़ती है और उत्पादकता घटती है, जिससे आर्थिक विकास धीमा होता है। भारत, जिसका लक्ष्य 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना है, के लिए कार्यबल को स्थिर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी प्रतिधारण की व्यापक समस्या और भारत की नियोक्ता सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रणाली में दर्ज कमियाँ इस लक्ष्य को सीधे तौर पर बाधित करती हैं।

पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व/पितृत्व लाभ सहित नियोक्ता सामाजिक सुरक्षा लाभ महत्वपूर्ण साधन हैं। ये वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं, अनिश्चितता को कम करते हैं और नौकरी से संतुष्टि बढ़ाते हैं, जो न केवल प्रतिभा को आकर्षित करने, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात, उसे बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।

प्रमुख अनुसंधान पद्धति और डेटा

विश्लेषण में भारतीय श्रम बाजार में वेतनभोगी श्रमिकों के बीच नियोक्ता सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने और नौकरी बनाए रखने के बीच कारण **संबंध स्थापित** करने के लिए मात्रात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है।

डेटा स्रोत

यह अध्ययन राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले भारत में **दीर्घकालिक आयु अध्ययन (LASI), 2017-18 (मुख्य तरंग I)** से प्राप्त **क्रॉस-सेक्शनल माइक्रोडेटा** पर आधारित है। यह नमूना विशेष रूप से वर्तमान में कार्यरत, गैर-स्व-रोज़गार वाले और वेतनभोगी व्यक्तियों पर केंद्रित है।

अवधारण को मापना

नौकरी प्रतिधारण को दो प्रमुख प्रॉक्सी चर का उपयोग करके मापा जाता है:

1. **नौकरी का कार्यकाल:** वर्तमान नौकरी में रोजगार की कुल अवधि (वर्षों में)।
2. **नौकरी तलाशने की स्थिति:** एक डमी चर जो यह दर्शाता है कि क्या उत्तरदाता सक्रिय रूप से दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा है।

विश्लेषणात्मक तकनीक: प्रवृत्ति स्कोर मिलान (PSM)

अवलोकन संबंधी आंकड़ों में अंतर्निहित **स्व-चयन पूर्वाग्रह** को दूर करने के लिए (जहां उच्च शिक्षा जैसी बेहतर विशेषताओं वाले व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होने की अधिक संभावना हो सकती है), अध्ययन में **प्रोपेन्सिटी स्कोर मैचिंग (पीएसएम)** तकनीक का उपयोग किया गया है।

- **उद्देश्य:** पीएसएम, उपचार-पूर्व समान सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं (आयु, शिक्षा, एमपीसीई, व्यवसाय प्रकार, आदि) के आधार पर व्यक्तियों का मिलान करके, उपचार समूह (प्राप्तकर्ताओं) के लिए एक तुलनीय नियंत्रण समूह (गैर-प्राप्तकर्ता) बनाता है।
- **महत्व:** यह अर्ध-प्रयोगात्मक विधि, शोधकर्ता को उपचारित व्यक्ति पर **औसत उपचार प्रभाव (एटीटी)** का अनुमान लगाने की अनुमति देती है, जिसमें नौकरी बनाए रखने पर लाभ प्राप्त करने के कारण संबंधी प्रभाव को अलग किया जाता है।

प्रमुख निष्कर्ष और नीति-प्रासंगिक परिणाम

पीएसएम विश्लेषण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है जो कार्यबल स्थिरता पर नियोक्ता लाभों के सकारात्मक कारण संबंधी प्रभाव की पुष्टि करता है।

1. **अवधारण पर समग्र प्रभाव**
   अध्ययन से पुष्टि होती है कि नियोक्ता सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने से नौकरी में बने रहने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है:
   - **नौकरी की अवधि:** लाभ प्राप्तकर्ता कर्मचारी की नौकरी की अवधि में लगभग **2.6 वर्ष** की वृद्धि से जुड़े हैं।
   - **नौकरी की तलाश:** लाभ किसी कर्मचारी द्वारा सक्रिय रूप से नई नौकरी की तलाश करने की समग्र संभावना को **2.8%** तक कम कर देते हैं।
2. **प्रभाव में स्पष्ट लैंगिक असमानता**
   नीति के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिंगों के बीच देखे गए प्रभाव में पर्याप्त अंतर है:

नियोक्ता लाभ (एटीटी) प्राप्त करने का प्रभाव	पुरुष कर्मचारी	महिला कर्मचारी
नौकरी के कार्यकाल में वृद्धि	लगभग 1.2 वर्ष	लगभग 3.9 वर्ष
नौकरी की तलाश में कमी	लगभग 3.0%	लगभग 4.2%

विश्लेषण: महिलाओं पर देखा गया व्यापक प्रभाव यह दर्शाता है कि महिला श्रम शक्ति को इन लाभों से काफ़ी हद तक रोज़गार स्थिरता मिलती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि नौकरी बाज़ार में जुड़ाव या सामाजिक भूमिकाओं के अलग-अलग स्तरों के कारण महिलाएँ लाभों (जैसे स्वास्थ्य बीमा या मातृत्व अवकाश) द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देती हैं या उन पर ज़्यादा निर्भर होती हैं। यह निर्भरता ज़्यादा नौकरी प्रतिबद्धता और कम टर्नओवर इरादों में तब्दील होती है।

श्रम बाजार सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशें

निष्कर्ष आर्थिक विकास और समतामूलक विकास के साधन के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों का लाभ उठाने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

1. **लाभ कार्यक्रमों का रणनीतिक संवर्धन**
   - ✓ **नियमित मूल्यांकन:** कार्यबल की उभरती आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नीतिगत योजनाओं का नियमित रूप से मूल्यांकन और संवर्धन किया जाना चाहिए।
   - ✓ **डिजिटल पारदर्शिता:** धोखाधड़ी को रोकने और कवरेज एवं वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को **डिजिटल ट्रैकिंग प्रणालियों** के माध्यम से लाभों (जैसे ईएसआई और ईपीएफ) के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करना चाहिए।

2. **लैंगिक असमानताओं को संबोधित करना**
   - ✓ **लक्षित लाभ:** नीति निर्माताओं को इन सुरक्षा जालों को महिलाओं द्वारा दिए जाने वाले उच्च मूल्य को समझना चाहिए और महिला कर्मचारियों

को विशेष रूप से सहायता प्रदान करने के लिए लाभ योजनाओं की संरचना या उन्हें बढ़ाना चाहिए।

- ✓ **महिला कार्यबल का प्रतिधारण:** भारत में महिला श्रम बल में भागीदारी की कम दर को देखते हुए, उन्नत, सुरक्षा-केंद्रित नियोक्ता लाभों का उपयोग यह सुनिश्चित करने की एक प्रमुख रणनीति हो सकती है कि कार्यबल में शामिल होने वाली महिलाएं कार्यरत रहें, जिससे समग्र आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होगी और श्रम बाजार के अधिक न्यायसंगत परिणाम प्राप्त होंगे।

3. रोजगार की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना

- ✓ सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ सिर्फ प्रदान ही न किए जाएं, बल्कि व्यापक हों, विशेष रूप से कम वेतन वाले और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, क्योंकि भारत में अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।

निष्कर्ष

यह शोध इस बात के ठोस मात्रात्मक प्रमाण प्रस्तुत करता है कि नियोक्ता सामाजिक सुरक्षा लाभ भारत में कर्मचारियों को बनाए रखने, विशेष रूप से महिला कार्यबल को स्थिर करने, का एक शक्तिशाली निर्धारक हैं। जैसे-जैसे भारत अपने उच्च-विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, एक एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोण जो इन आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को सुदृढ़, पारदर्शी रूप से प्रदान और रणनीतिक रूप से लक्षित करता है, एक स्थिर, उत्पादक और समतामूलक श्रम बाजार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

भारत में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)

संदर्भ

25 जून, 2015 को शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन (SCM), भारत सरकार के **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)** का एक प्रमुख शहरी नवीनीकरण और पुनर्निर्माण कार्यक्रम है। यह UPSC सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र I (शहरीकरण), II (सरकारी योजनाएँ) और III (अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढाँचा) के लिए महत्वपूर्ण है।

1. मूल अवधारणा और उद्देश्य

इस मिशन का उद्देश्य देश भर में **100 चयनित शहरों** का विकास करना था, ताकि वे नागरिक-अनुकूल और टिकाऊ बन सकें।

विशेषता	विवरण
स्तंभ	**सामाजिक, भौतिक, संस्थागत और आर्थिक अवसंरचना।**
उद्देश्य	1. मुख्य अवसंरचना (जल, बिजली, स्वच्छता) और **जीवन की सभ्य गुणवत्ता।** a. **स्वच्छ और टिकाऊ** पर्यावरण। b. **'स्मार्ट' समाधानों** (आईसीटी) का अनुप्रयोग। 2. एक अनुकरणीय मॉडल का निर्माण जिसका शहर के अन्य हिस्सों और आस-पास के कस्बों पर **"प्रभावकारी प्रभाव"** हो सके।
चयन	प्रतिस्पर्धा-आधारित पद्धति **'स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज'** के माध्यम से, **प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद** पर ज़ोर दिया गया।
योजना का प्रकार	**केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)।**
नोडल मंत्रालय	**आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए)** (प्रारंभ में शहरी विकास मंत्रालय)।

2. कार्यान्वयन मॉडल

एससीएम ने व्यापक विकास के लिए शहरों के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों का चयन करके एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया, जिसे **क्षेत्र-आधारित विकास (एबीडी)** के रूप में जाना जाता है, साथ ही आईसीटी एकीकरण के लिए **पैन-सिटी समाधान** भी अपनाया।

नमूना	विवरण	उदाहरण/प्रासंगिकता
रेट्रोफिटिंग	किसी मौजूदा क्षेत्र (जैसे, 500 एकड़) में **बुनियादी ढांचे** को उन्नत करना ताकि उसे अधिक कुशल और टिकाऊ बनाया जा सके।	यातायात प्रबंधन प्रणालियों और जल/सीवेज नेटवर्क का उन्नयन।
पुनर्विकास	किसी मौजूदा क्षेत्र में **पुराने बुनियादी ढांचे** को आधुनिक सुविधाओं और नवीन डिजाइनों से बदलना।	पुरानी इमारतों और नेटवर्क को आधुनिक, नियोजित इमारतों से बदलना (उदाहरण के लिए, भिंडी बाजार, मुंबई)।
ग्रीनफील्ड परियोजनाएं	स्थिरता और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी तरह से **नए शहरी क्षेत्रों** (जैसे, 250 एकड़) का विकास करना।	नये शहरी विस्तार का निर्माण (जैसे, गिफ्ट सिटी, न्यू टाउन कोलकाता)।
पैन-सिटी सॉल्यूशंस	शहर भर में विभिन्न क्षेत्रों में **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)** समाधान का कार्यान्वयन।	**एकीकृत** कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (आईसीसीसी) की स्थापना।

3. शासन, वित्त और स्थिति

3.1 शासन संरचना

- **विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी):** परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रत्येक स्मार्ट सिटी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी पंजीकृत की गई थी।
- **74वें सीएए से विचलन:** एक नौकरशाह या एमएनसी प्रतिनिधि के नेतृत्व में **एसपीवी मॉडल** ने निर्णय लेने को केंद्रीकृत कर दिया, जिसके सम्बन्ध में आलोचकों का तर्क है कि इसने लोकतांत्रिक रूप से **निर्वाचित शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)** और निर्वाचित परिषद की भूमिका और वित्तीय स्वायत्तता को कम कर दिया, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही और **74वें संविधान संशोधन अधिनियम (सीएए), 1992** के साथ संरेखण के सम्बन्ध में चिंताएँ पैदा हुईं।

3.2 वित्तीय मॉडल

- **वित्तपोषण पद्धति: केंद्र सरकार** और **राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय** के बीच 50:50 वित्तपोषण मॉडल।
- **वित्तपोषण स्रोत (मूल्य संवर्धन):** शहरों को निम्नलिखित माध्यमों से अतिरिक्त धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:
  - ✓ **अन्य केंद्रीय और राज्य योजनाओं** (जैसे, अमृत, पीएमएवाई-यू) के साथ अभिसरण।
  - ✓ **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी),** जो कुल वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  - ✓ **नगरपालिका बांड** और वित्तीय संस्थानों से ऋण।

- ✓ **स्वयमेव राजस्व सृजन** (जैसे, संपत्ति कर सुधार, उपयोगकर्ता शुल्क, और भूमि मुद्रीकरण/मूल्य अधिग्रहण वित्तपोषण (वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग - वीसीएफ))।

3.3 नवीनतम स्थिति और समय सीमा

- **प्रारंभिक समय सीमा: 2020।**
- **अंतिम विस्तारित समय सीमा: 31 मार्च, 2025।**
- **प्रगति (मूल्य संवर्धन):** 2024 के अंत तक, कुल निविदा परियोजनाओं में से **90%** से अधिक पूरी हो चुकी हैं, जो कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाती है। प्रमुख उपलब्धियों में सभी 100 शहरों में **एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (ICCC)** का संचालन शामिल है, जिनका **COVID-19 महामारी** के दौरान **'वॉर रूम'** के रूप में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया।

4. आलोचनात्मक मूल्यांकन: चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

इस आलेख में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि **शहरी परिवहन और स्मार्ट जल आपूर्ति** में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, राज्य सरकारों द्वारा अपर्याप्त **वित्तीय तालमेल** और सुस्त कार्य प्रगति "अस्पष्ट क्षेत्र" रहे हैं। मुख्य परीक्षा के लिए निम्नलिखित चुनौतियाँ महत्वपूर्ण हैं:

चुनौती (आलोचना)	यूपीएससी प्रासंगिकता/प्रभाव
दोषपूर्ण चयन और बहिष्करण दृष्टिकोण	प्रतियोगिता-आधारित चयन में विविध शहरी वास्तविकताओं की अनदेखी की गई। **क्षेत्र-आधारित विकास (एबीडी)** पर ध्यान केंद्रित करने, जो शहर के केवल 3-5% क्षेत्र को कवर करता है, की आलोचना की जा रही है क्योंकि इसमें शहरी आबादी के विशाल बहुमत की उपेक्षा की गई है।
अपर्याप्त वित्तपोषण	इस मिशन के लिए आवंटित कुल धनराशि, 2030 तक भारतीय शहरों में जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक अनुमानित **1.2 ट्रिलियन डॉलर** (मैकिंसे के अनुसार) का एक छोटा सा अंश है। यह **शहरी बुनियादी ढाँचे** के वित्तपोषण में गंभीर कमी को उजागर करता है।
कमजोर यूएलबी क्षमता और शासन मॉडल	**शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)** में कुशल कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता का अभाव। यूएलबी के निर्वाचित विंग को दरकिनार करते हुए एसपीवी मॉडल स्थानीय स्वशासन को कमजोर करता है।
परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि	विस्तार के बावजूद, कई शहरों में देरी हुई, जो शहरी विकास की जटिलता और क्रियान्वयन चुनौतियों को दर्शाता है।
शहरी सामुदायिक संसाधन और सामाजिक प्रभाव	परियोजनाओं के कारण कभी-कभी शहरी गरीबों का विस्थापन और **शहरी सार्वजनिक संसाधनों** में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे **समावेशी विकास** पर असर पड़ता है। बुनियादी ढाँचे में व्यवधान से **शहरी बाढ़** में वृद्धि जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।

आगे की राह: "समावेशी, भविष्य के लिए तैयार शहरों" के निर्माण के लिए, भविष्य के शहरी मिशनों को निम्नलिखित सुधारों को अपनाना होगा, जिन्हें विभिन्न विशेषज्ञ रिपोर्टों और वित्त आयोग की सिफारिशों का भी समर्थन प्राप्त होगा:

1. **शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को मजबूत बनाना:**
   - ✓ **क्षमता निर्माण:** नगरपालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश करना, विशेष रूप से नियोजन, राजस्व और वित्त कार्यों में।
   - ✓ **प्रशासनिक स्वायत्तता:** निर्वाचित परिषदों और शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक शाखाओं को सशक्त बनाने के लिए शासन मॉडल को **74वें नागरिकता संशोधन अधिनियम** के अनुरूप बनाना।

2. **नगर निगम वित्त सुधार (लापता हिस्सा):**
   - ✓ **संपत्ति कर:** इकाई क्षेत्र मूल्यांकन (यूएवी) पद्धति जैसे सुधारों को लागू करना और सटीक गणना के लिए प्रौद्योगिकी (जीआईएस) का उपयोग करना, और छूटों को युक्तिसंगत बनाना।
   - ✓ **उपयोगकर्ता शुल्क:** वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी उपयोगकर्ता शुल्कों के माध्यम से नगरपालिका सेवाओं (जल, स्वच्छता) के लिए बेहतर लागत वसूली सुनिश्चित करना।
   - ✓ **नगरपालिका बांड:** नगरपालिका बांड बाजार का विकास करना और पुनर्भुगतान योग्य वित्त तक पहुँचने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की साख बढ़ाना।
   - ✓ **अंतर-सरकारी हस्तांतरण (आईजीटी): वित्त आयोग** को शहरी स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले असंबद्ध अनुदानों में हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए और सरकार के तीनों स्तरों के लिए, विशेष रूप से जीएसटी से, राजस्व बंटवारे के लिए संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित करने चाहिए।

3. **सतत एवं समावेशी योजना:**
   - ✓ शहरी गरीबों सहित सभी नागरिकों के लिए समान लाभ सुनिश्चित करने हेतु विकास को छोटे, सघन एबीडी क्षेत्रों तक सीमित रखने के बजाय, समग्र **शहरी बुनियादी ढाँचे** और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना। **हरित बुनियादी ढाँचे** और **जलवायु परिवर्तन** के प्रति लचीलेपन का व्यापक एकीकरण आवश्यक है।
   - ✓ इस मिशन की यात्रा इस बात पर प्रकाश डालती है कि चुनौती केवल तकनीक स्थापित करने की नहीं है, बल्कि मूल रूप से **शहरी शासन और नगरपालिका वित्त** में सुधार लाने की है ताकि भारत के शहरों को आर्थिक विकास का वास्तव में लचीला और समावेशी इंजन बनाया जा सके।

त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन)

समाचारों में चर्चित महत्वपूर्ण दिवस

दिनांक	दिवस	विवरण
2 सितंबर	विश्व नारियल दिवस	• अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में • भारत आईसीसी का संस्थापक सदस्य है
4 सितंबर	विश्व ल्यूकेमिया दिवस	• **विषय:** 'ल्यूकेमिया आपके लिए क्या मायने रखता है?'
8 सितंबर	अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस	• **विषय:** "डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना"
10 सितंबर	विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस	• 2024-2026 की अवधि के लिए त्रिवार्षिक विषय: "आत्महत्या पर कथा को बदलना"
14 सितंबर	हिंदी दिवस	• 1949 में आज ही के दिन, संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था।
16 सितंबर	विश्व ओजोन दिवस	• **विषय:** विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक • यह ओज़ोन परत के संरक्षण हेतु वियना कन्वेंशन की 40वीं वर्षगांठ का प्रतीक था और ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने की स्मृति में मनाया गया।
17 सितंबर	हैदराबाद मुक्ति दिवस	• यह वह दिन है जब 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था।
23 सितंबर	सांकेतिक भाषा दिवस	• **विषय:** "संकेत भाषा अधिकार के बिना कोई मानवाधिकार नहीं"
27 सितंबर	विश्व पर्यटन दिवस	• **विषय:** "पर्यटन और सतत परिवर्तन"

समाचारों में प्रमुख कार्यक्रम/शिखर सम्मेलन/सम्मेलन

क्रम संख्या	कार्यक्रम/शिखर सम्मेलन/सम्मेलन	विवरण
1.	अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	• स्थान: बेंगलुरु, कर्नाटक • **विषय:** "वैश्विक प्रगति के लिए स्थान का उपयोग: नवाचार, नीति और विकास" • **आयोजक:** भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
2.	इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025	• **स्थान:** द्वारका, नई दिल्ली • **विषय:** "परिवर्तन के लिए नवाचार" • **आयोजक:** दूरसंचार विभाग (DoT) और भारतीय सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन (COAI)
3.	28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस	• **स्थान:** दुबई • **आयोजक:** यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) • भारत को यूपीयू की प्रशासन परिषद (सीए) और डाक संचालन परिषद (पीओसी) के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है।
4.	वर्ल्ड फूड इंडिया - चौथा संस्करण	• **स्थान:** नई दिल्ली • **आयोजक:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) • **टैगलाइन:** समृद्धि के लिए प्रसंस्करण
5.	सतत पशुधन परिवर्तन पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन	• **स्थान:** रोम • **आयोजक:** खाद्य एवं कृषि संगठन
6.	संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्रिस्तरीय 2025	• **स्थान:** बर्लिन, जर्मनी • संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित • शांति स्थापना के भविष्य पर केंद्रित
7.	यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर इच्छुक गठबंधन शिखर सम्मेलन	• **स्थान:** पेरिस, फ्रांस • **सह-अध्यक्ष:** फ्रांस और ब्रिटेन • 26 देशों ने यूक्रेन को युद्धोत्तर सुरक्षा गारंटी प्रदान करने का संकल्प लिया, जिसमें ज़मीन, समुद्र और हवा में एक अंतर्राष्ट्रीय बल भी शामिल है।

समाचारों में प्रमुख पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

क्र.सं.	पुरस्कार	प्राप्तकर्ता	विवरण
1.	श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार	डॉ. सोनल मानसिंह	• प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और सांस्कृतिक प्रतीक • महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए नृत्य को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने हेतु सम्मानित • असम सरकार द्वारा सम्मानित।
2.	अर्थशास्त्र के लिए पी. वी. नरसिम्हा राव स्मारक पुरस्कार	डॉ. मनमोहन सिंह (मरणोपरांत)	• **पुरस्कार:** पी. वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन (पीवीएनएमएफ)

			• भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए सम्मानित
3.	होली मेडल	बाबा कल्याणी, भारत फोर्ज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	• इंजीनियरिंग-आधारित नवाचार और औद्योगिक लचीलेपन के माध्यम से जनहित में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित • अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (ASME) द्वारा 1924 से सम्मानित • उत्कृष्ट और अद्वितीय इंजीनियरिंग कार्यों को मान्यता देता है जो एक ही उपलब्धि के माध्यम से उल्लेखनीय और समयोचित जनहित लाते हैं।
4.	लिविंग ब्रिज अवार्ड्स	कीर स्टार्मर (ब्रिटिश प्रधानमंत्री)	• लिविंग ब्रिज अवार्ड्स का आयोजन इंडिया बिज़नेस ग्रुप (आईबीजी) द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। • ये पुरस्कार भारत-यूके साझेदारी को मज़बूत करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करते हैं।

समाचारों में चर्चित प्रमुख शब्दावलियाँ

क्र.सं.	शब्दावली	तात्पर्य एवं विवरण
1.	दुष्प्रचार का हथियारीकरण (Disinformation weaponization)	• यह विचार कि झूठी या भ्रामक जानकारी का उपयोग जनमत या राजनीति में हेरफेर करने के लिए एक उपकरण या हथियार के रूप में किया जा रहा है
2.	सरकारी तालाबंदी (Government shutdown)	• अमेरिकी संघीय सरकार स्वीकृत धनराशि की कमी के कारण गैर-महत्वपूर्ण कार्यों को बंद कर रही है
3.	एज़्योर व्यवधान (Azure disruptions)	• लाल सागर में समुद्र के नीचे केबल कटने के कारण माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की सेवा बाधित हुई
4.	ब्लॉकोंस टॉट (Bloquons tout)	• **फ़्रांसीसी अर्थ** - सब कुछ ब्लॉक करें • फ़्रांस में, 10 सितंबर 2025 को, मितव्ययिता उपायों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन और हड़तालें शुरू हो गईं।

समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्वों का निधन

क्र.सं.	व्यक्तित्व	महत्वपूर्ण सूचना
1.	ज़ुबीन गर्ग	• प्रसिद्ध असमिया गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता और सांस्कृतिक प्रतीक
2.	एस.एल. भैरप्पा	• प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका • 2023 में पद्म भूषण, 2010 में सरस्वती सम्मान और 2015 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित
3.	डी. डी. लापांग	• मेघालय के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री का शुक्रवार रात (13 सितंबर 2025) शिलांग में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। • उन्होंने चार बार (1992-2008) मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। • सर्वसम्मति नेतृत्व और विनम्रता के लिए जाने जाते थे।

‘द हिंदू’ व ‘इंडियन एक्सप्रेस’ से दैनिक अभ्यास प्रश्न

(सितंबर 2025)

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. NALSA का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत किया गया था।
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश NALSA के प्रधान संरक्षक हैं।
3. NALSA सभी नागरिकों को, चाहे उनकी आय या श्रेणी कुछ भी हो, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 2. निम्नलिखित के संदर्भ में विचार करें:

1. भारतीय चुनाव आयोग द्वारा सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी किया जाता है।
2. चुनावों में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र (EPIC) का होना अनिवार्य है।
3. मतदाता पहचान पत्र (EPIC) भारतीय नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण दोनों के रूप में कार्य करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 3. भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान का अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है।
2. संविधान का अनुच्छेद 165 राज्यों में मंत्रिपरिषद से संबंधित है।
3. संविधान का अनुच्छेद 239A केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्रियों से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 4. यारलुंग त्सांगपो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यारलुंग त्सांगपो जलविद्युत परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना बनने वाली है।
2. न तो भारत और न ही चीन, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग के कानून पर 1997 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 5. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. पीएमएलए का उद्देश्य धन शोधन को रोकना है और अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करता है।
2. यह केवल वित्तीय संस्थानों पर लागू होता है, और इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
3. धन शोधन में शामिल होने के संदेह वाली संपत्तियों की कुर्की और न्यायनिर्णयन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार और भेदभाव के विरुद्ध विशेष कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
2. यह अधिनियम अत्याचार के मामलों में उच्च प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी की अनुमति देता है।
3. इस अधिनियम में सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 7. अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गुरु शिखर, राजस्थान के अर्बुद पर्वतमाला में सबसे ऊँची चोटी है।
2. बनास, साहिबी और लूनी नदियाँ अरावली से बहती हैं।
3. दिल्ली और हरियाणा में उत्तरी अरावली पर्वतमाला में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु और गर्म अर्ध-शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 8. उत्तरी समुद्री मार्ग (नार्थ सी रूट - NSR) पूर्व में किस जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है?

(a) मलक्का जलडमरूमध्य
(b) बेरिंग जलडमरूमध्य
(c) जिब्राल्टर जलडमरूमध्य
(d) होर्मुज जलडमरूमध्य

प्रश्न 9. जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
2. परिषद जीएसटी के अंतर्गत कर दरों, छूटों और अनुमन्य सीमा (Threshold Limits) सीमा पर सिफारिशें करती है।
3. जीएसटी परिषद के प्रत्येक निर्णय के लिए सभी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: एफडीआई किसी देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है।

कथन II: एफडीआई मेजबान देश में पूंजी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रबंधकीय विशेषज्ञता लाता है।

कथन III: एफडीआई के परिणामस्वरूप हमेशा मेजबान देश में कंपनियों का 100% स्वामित्व विदेशी निवेशकों के पास होता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 11. "फ्यूचरस्किल्स प्राइम" पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह नैसकॉम और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक सरकारी भर्ती पोर्टल है।
2. यह एक एग्रीगेटर लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल तकनीकों में विश्व स्तर पर स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
3. नैसकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से, भारत में डिजिटल कौशल की कमी को पूरा करने के लिए इस पहल का नेतृत्व कर रहा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: भारत, चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति डेटा उपभोक्ता बन गया है।

कथन II: भारत वेब 4.0 जैसे गहन तकनीकी नवाचारों में दुनिया में अग्रणी है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(b) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(c) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है।
(d) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

प्रश्न 13. "पोषण भी पढ़ाई भी" के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है।
2. इसका उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में पोषण को संज्ञानात्मक विकास के साथ एकीकृत करना है।
3. यह केवल स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

कथन II: संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले इसे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

कथन III: इसे संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 15. प्रशांत दशकीय दोलन (PDO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक दीर्घकालिक जलवायु पैटर्न है, जो दशकों से उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान को प्रभावित कर रहा है।
2. यह अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) के समान समय-सीमा पर संचालित होता है।
3. PDO प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर मौसम और जलवायु पैटर्न को प्रभावित करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 16. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(a) अनुसूचित जनजातियों में PVTGs को सबसे कमजोर माना जाता है, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
(b) ढेबर आयोग ने 1975 में PVTG श्रेणी के निर्माण की सिफारिश की थी।
(c) 2011 की जनगणना के अनुसार, PVTGs 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं।
(d) ओडिशा में PVTGs की संख्या सबसे अधिक है, जिसकी जनसंख्या 2.5 लाख से अधिक है।

प्रश्न 17. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है।

कथन II: सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है।

कथन III: सार्क के 8 सदस्य देश हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 18. भारतीय संसद में प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. प्रश्नकाल प्रत्येक संसदीय बैठक की शुरुआत में आयोजित किया जाता है।
2. प्रश्नकाल के दौरान, संसद सदस्य सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं।
3. पूरक प्रश्न केवल अध्यक्ष की पूर्व लिखित अनुमति से ही पूछे जा सकते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 19. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वर्तमान में, पर्यटन भारत के जीडीपी में लगभग 5 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि वैश्विक औसत 10 प्रतिशत है।
2. स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में पर्यटन, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 12 प्रतिशत है।

3. पर्यटन जीडीपी में आगत हिस्सेदारी में सुधार से न केवल हमारा बाह्य खाता मजबूत होगा, बल्कि व्यापारिक व्यापार में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध एक स्थिर सुरक्षा कवच भी उपलब्ध होगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 20. हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस उदयगिरि क्या है?

(a) परियोजना 75I के अंतर्गत एक परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी
(b) परियोजना 17A के अंतर्गत एक बहु-मिशन फ्रिगेट
(c) परियोजना 71 के अंतर्गत निर्मित एक विमानवाहक पोत
(d) भारतीय तटरक्षक बल का एक तटीय निगरानी पोत

प्रश्न 21. एनसीएलएटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. एनसीएलएटी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है।
2. एनसीएलएटी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के आदेशों के खिलाफ अपील सुन सकता है।
3. एनसीएलएटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 22. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: अनुच्छेद 6 देशों को बाज़ार और गैर-बाज़ार तंत्रों के माध्यम से अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्राप्त करने में सहयोग करने में सक्षम बनाता है।

कथन II: अनुच्छेद 6.2 देशों के बीच उत्सर्जन में कमी के द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार की अनुमति देता है, जिससे कार्बन बाज़ार बनते हैं।

कथन III: अनुच्छेद 6.4 सतत विकास के लिए उत्सर्जन में कमी क्रेडिट उत्पन्न करने हेतु एक तंत्र स्थापित करता है, जिसका उपयोग देश अपने NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 23. न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. स्क्रूवर्म एक प्रकार का नीला-भूरे रंग की मांस मक्खी (ब्लोफ्लाई) होत्ती है।
2. ये दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन और भारत में भी पाए जाते हैं।
3. इन परजीवियों का नाम उनके पेंच (स्क्रू) जैसे तरीके के आधार पर रखा गया है जिससे वे उतक में छिद्र बनाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 24. आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये दोनों नीलगिरि श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं।
2. दोनों का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा किया गया है।
3. उदयगिरि का नाम आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 25. ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: वर्तमान में ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।

कथन 2: मार्केटप्लेस-आधारित मॉडल के तहत, ई-कॉमर्स कंपनियों को वस्तुओं और सेवाओं की इन्वेंट्री का स्वामित्व रखना और उन्हें सीधे उपभोक्ताओं को बेचना आवश्यक है।

कथन 3: ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-आधारित मॉडल के तहत, उन्हें क्रेता और विक्रेता के बीच एक सूत्रधार के रूप में कार्य करने के लिए एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क रखने की अनुमति है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 26. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह 1995 में माराकेश समझौते के परिणामस्वरूप 1948 के टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) का उत्तराधिकारी बना।
2. यह वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को कवर करता है, लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को शामिल नहीं करता है।
3. इसकी संरचना में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल और सचिवालय (सेक्रेटेरिएट) शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) 1, 2 और 3
(d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 27. एच1बी वीज़ा के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अमेरिकी कंपनियों को विदेशों से कुशल श्रमिकों को रोजगार देने की अनुमति देता है।
2. इस योजना के तहत चीन सबसे बड़ा लाभार्थी है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 28. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य कोविड के बाद रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए 10,000 रुपये तक का बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करना है।
2. इसे खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 29. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. IRDAI की स्थापना बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत की गई थी।

2. यह भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों (इंश्योरेंस & री-इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज) को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है।
3. IRDAI का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 30. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

(a) यह विशेष रूप से विदेशी छात्रों के लिए एक योजना है।
(b) इसका उद्देश्य युवाओं को नीति-निर्माण और शासन की समझ के लिए प्रोत्साहित करना है।
(c) यह स्नातक होने के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी प्रदान करता है।
(d) यह केवल ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर केंद्रित है।

प्रश्न 31. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य संविधान के भाग-III में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करना है।
2. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में सरकार के निर्णय के विरुद्ध राज्य इस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका दायर कर सकते हैं।
3. अनुच्छेद 32 का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 से अधिक व्यापक है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 32. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. बख्तियार खिलजी ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया।
2. असम के कामरूप के राजा पृथु को 1206 ई. में बख्तियार खिलजी ने पराजित किया।
3. प्रसिद्ध कनाई बरसी बोआ शिलालेख (Kanai Barasi Boa rock inscription) में पृथु की पराजय का उल्लेख है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1
(c) 1, 2 और 3
(d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 33. ब्रेंट क्रूड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. ब्रेंट क्रूड वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क है।
2. यह मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के बीच उत्तरी सागर से निकाला जाता है।
3. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) की तुलना में ब्रेंट क्रूड में सल्फर की मात्रा अधिक होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 34. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है ताकि तेल बाजारों को स्थिर किया जा सके।

कथन 2: ओपेक की स्थापना 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 35. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है।
2. यह केवल सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 डेटाबेस में पहचाने गए परिवारों के लिए उपलब्ध है।
3. इस योजना को पूरी तरह से केंद्र सरकार वित्त पोषित करती है, इसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं होता।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 36. भारत में जमानत प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जमानत से संबंधित प्रावधान मुख्यतः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा शासित होते हैं।
2. जमानत योग्य अपराधों में जमानत अधिकार का विषय है, जबकि गैर-जमानती अपराधों में यह न्यायालय के विवेक के अधीन होता है।
3. जमानत के लिए अभियुक्त को रिहाई से पहले हमेशा जमानत राशि के रूप में नकद जमा करना आवश्यक होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 37. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (रियल जीडीपी) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (रियल जीडीपी) मुद्रास्फीति के लिए समायोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है।
2. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (रियल जीडीपी) उत्पादन मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है, न कि मूल्य स्तर में परिवर्तन को।
3. मुद्रास्फीति अधिक होने पर, नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (नॉमिनल जीडीपी) बढ़ने पर भी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (रियल जीडीपी) घट सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 38. सोली सोराबजी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. सोली सोराबजी समिति का गठन मीडिया ट्रायल के मुद्दे और न्याय प्रशासन पर उनके प्रभाव की जाँच के लिए किया गया था।
2. इसने सिफारिश की कि मामलों में पूर्वाग्रह को रोकने के लिए चल रहे आपराधिक मुकदमों के कुछ विवरणों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
3. इसने सुझाव दिया कि न्यायिक कार्यवाही के प्रकटीकरण को छूट देने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 39. ब्लू ड्रैगन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह न्यूडिब्रांच समूह से संबंधित एक प्रकार का समुद्री मोलस्क जीव है, जो अपनी नीली पीठ ऊपर की ओर किए हुए समुद्री जल की सतह पर पाया जाता है।
2. यह पुर्तगाली मैन ओ' वार (Portuguese Man o' War) जैसे विषैले जीवों को खा सकता है और अपनी रक्षा के लिए उनके डंक मारने वाली कोशिकाओं का उपयोग करता है।
3. हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण ये भूमध्य सागर में पाए गए थे।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1, 2 और 3

प्रश्न 40. दक्षिण-पश्चिम मानसून के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में जून-अगस्त 2025 की अवधि में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
2. सामान्य से अधिक वर्षा को दीर्घकालिक औसत के 96% से 104% तक दर्ज की गई वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 41. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. इन्हें पहली बार 1982 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा अधिसूचित किया गया था और 2009 में संशोधित किया गया था।
2. ये मानक विभिन्न प्रदूषकों के लिए अल्पकालिक (24 घंटे) और दीर्घकालिक (वार्षिक) दोनों सीमाओं को कवर करते हैं।
3. 2009 की अधिसूचना में ओजोन (O_3), बेंजीन (C_6H_6) और अमोनिया (NH_3) जैसे पैरामीटर शामिल हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 42. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. RBI की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के तहत की गई थी।
2. स्वतंत्रता के बाद 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
3. RBI भारत में मौद्रिक नीति निर्माण के लिए ज़िम्मेदार है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/नहीं हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 43. भारत के मंगल ऑर्बिटर मिशन (MOM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरग्रहीय मिशनों में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना था, वैज्ञानिक उद्देश्य गौण थे।
2. MOM को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था, जिसे आमतौर पर पृथ्वी-अवलोकन उपग्रहों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 44. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।
2. यह निजी संस्थानों में प्रवेश स्तर पर वंचित और सुविधाओं से वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत स्थापित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर इसके लागू होने पर प्रतिबंध है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 45. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य है।
कथन 2: एनएसजी की सदस्यता केवल उन्हीं देशों तक सीमित है जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर किए हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 46. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: भूकंप मुख्यतः प्लेट सीमाओं के अनुदिश आते हैं।
कथन II: प्लेट सीमाएँ स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण उच्च प्रतिबल वाले क्षेत्र हैं।
कथन III: गहरे केंद्र वाले भूकंप कभी भी अवतलन क्षेत्रों में नहीं आते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 47. सेमीकॉन इंडिया समिट 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है।
2. इस शिखर सम्मेलन में असम में विकसित सेमीकंडक्टर चिप्स का अनावरण किया गया।
3. इस आयोजन में सेमीकंडक्टर निर्माण में कौशल विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल थे।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 48. विधेयकों पर स्वीकृति के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति किसी गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन यदि संसद उसे दोबारा पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं।
2. राष्ट्रपति स्वीकृति देने से पहले धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
3. संसद द्वारा विधिवत पारित होने पर किसी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए; वह उसे रोक या वापस नहीं कर सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 49. तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. इस अधिनियम का उद्देश्य तटीय नौवहन को ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के रूप में बढ़ावा देना है।
2. यह भारत के समुद्र तट पर माल और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है।
3. यह अधिनियम विदेशी ध्वज वाले जहाजों को सभी घरेलू तटीय नौवहन मार्गों तक अप्रतिबंधित पहुँच की अनुमति देता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 50. संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है?

(a) अनुच्छेद 124
(b) अनुच्छेद 129
(c) अनुच्छेद 136
(d) अनुच्छेद 143

प्रश्न 51. राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) संधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. यह अंतर्राष्ट्रीय जल में कुछ गतिविधियों से संबंधित सौदों को विनियमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।
2. भारत ने इस संधि पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसकी पुष्टि की है।
3. यह उच्च समुद्र (हाई सी) में खनिजों के निष्कर्षण का अधिकार प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 52. भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के कार्यालय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सीडीएस चार सितारा जनरल होता है जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
2. सीडीएस रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) का प्रमुख होता है।
3. सीडीएस तीनों सशस्त्र बलों पर परिचालन कमान का प्रयोग कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 53. जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. यह जीएसटी कानून के तहत दूसरा अपीलीय प्राधिकरण है।
2. यह करदाताओं और कर विभाग के बीच उत्पन्न विवादों से निपटता है।
3. इसके आदेशों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 54. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-प्रधान संगठन है।

कथन 2: इसकी स्थापना भारत में व्यापार को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए 1895 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 55. झेलम नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. झेलम नदी जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला के तल पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है।
2. यह सिंधु नदी की सभी सहायक नदियों में सबसे बड़ी है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 56. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।
2. BIS प्रमाणन सभी मामलों में स्वैच्छिक है और इसे अनिवार्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 57. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित किए जाते हैं।

कथन 2: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्राथमिक कार्य वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों को लागू करना है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 58. भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें?

1. MSME को संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों में निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
2. MSME की संशोधित परिभाषा जुलाई 2020 में लागू हुई।
3. विनिर्माण और सेवा उद्यम दोनों अब समान मानदंडों के अंतर्गत आते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/नहीं हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 59. मंकी पॉक्स रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह बंदरों के निकट संपर्क से होने वाला जीवाणुजनित रोग है।
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 60. अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों का उल्लेख भारतीय संविधान की राज्य सूची में है।
2. ये विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
3. केंद्र सरकार ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण बना सकती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 61. तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ-I) क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ सामान्यतः निषिद्ध हैं?

(a) पारंपरिक मत्स्ययन (फिशिंग)
(b) छोटे पैमाने पर सामुदायिक आजीविकाएँ
(c) बड़े पैमाने पर औद्योगिक निर्माण
(d) पारिस्थितिक पर्यटन (इको टूरिज्म) पहल

प्रश्न 62. अशोधित जन्म दर (क्रूड बर्थ रेट - सीबीआर) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. सीबीआर एक वर्ष में प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या को मापता है।
2. सीबीआर प्रजनन दर, गर्भनिरोधक उपयोग और सांस्कृतिक प्रथाओं से प्रभावित होता है।
3. सीबीआर जनसंख्या की आयु संरचना को ध्यान में रखता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 63. समाचारों में अक्सर चर्चित शब्द "भूतिया चमगादड़ (घोस्ट बैट)" किससे संबंधित है?

(a) वज्रयान बौद्ध धर्म में काला जादू करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जादू की छड़ी
(b) यह प्लीस्टोसीन युग से संबंधित एक प्राचीन जानवर का जीवाश्म है
(c) यह पश्चिमी घाट में नई खोजी गई चमगादड़ प्रजाति है
(d) ऑस्ट्रेलिया द्वारा युद्ध क्षमताओं के साथ निर्मित ड्रोन प्रणाली

प्रश्न 64. भारत में चाय की खेती के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चाय को पूरे वर्ष अच्छी तरीके से वितरित वर्षा के साथ आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है।
2. असम और पश्चिम बंगाल मिलकर भारत के कुल चाय उत्पादन के आधे से अधिक का उत्पादन करते हैं।
3. भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 65. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: एनएफएचएस-5 दर्शाता है कि भारत में संस्थागत जन्मों की हिस्सेदारी एनएफएचएस-4 की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है।
कथन 2: यह सुधार जननी सुरक्षा योजना जैसी सरकारी योजनाओं और बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना से जुड़ा है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 66. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से भिन्न एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
कथन II: उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं।
कथन III: राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 67. निम्नलिखित जनजातियों और उनके निवास से सम्बंधित राज्यों पर विचार करें:

1.	अपातानी	-	अरुणाचल प्रदेश
2.	गारो	-	मेघालय
3.	भील	-	मध्य प्रदेश
4.	टोडा	-	तमिलनाडु

उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 68. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
2. इसकी सबसे बड़ी जीवित आबादी राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई जाती है।

3. ओवरहेड बिजली लाइनों से टकराना इसके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 69. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत में सभी भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है।

कथन II: यह योजना तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 का प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण प्रदान करती है।

कथन III: इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए इनपुट प्राप्त करने में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 70. भारत के चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
2. राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
3. चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 71. प्राचीन लिपियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बौस्ट्रोफेडॉन लेखन की एक शैली है जिसमें बारी-बारी से पंक्तियाँ बाएँ से दाएँ और फिर दाएँ से बाएँ लिखी जाती हैं।
2. सिंधु घाटी लिपि पूरी तरह से पढ़ी जा चुकी है और सिंधु सभ्यता के राजनीतिक और धार्मिक जीवन का विस्तृत विवरण प्रदान करती है।
3. बौस्ट्रोफेडॉन और सिंधु घाटी लिपि दोनों प्राचीन विश्व में प्रयुक्त लेखन प्रणालियों के उदाहरण हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं:

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 72. भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. TEPA विकसित यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह के साथ भारत का पहला व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है।
2. EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिचेंस्टीन शामिल हैं।
3. यह समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित है और सेवाओं को इसमें शामिल नहीं करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 73. कच्चातिवु द्वीप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है:

1. 1974 के समझौते ने कच्चातिवु पर श्रीलंका की संप्रभुता को मान्यता दी।
2. 1974 के समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकार प्राप्त हैं।
3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1974 के समझौते को संवैधानिक रूप से वैध माना है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 74. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: UNCLOS विश्व के महासागरों के उपयोग में राष्ट्रों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

कथन II: UNCLOS आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तारित अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) स्थापित करता है।

कथन III: UNCLOS तटीय राज्यों को 200 समुद्री मील तक के सभी जल पर पूर्ण संप्रभुता प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 75. भारत में खनिजों के खनन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. खानों और खनिज विकास का विनियमन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में सूचीबद्ध है।
2. खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020, नीलाम की गई खदानों के मामले में नए पट्टेदारों को वैधानिक मंजूरी के निर्बाध हस्तांतरण की अनुमति देता है।
3. जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए काम करने हेतु स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 76. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एनटीसीए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
2. एनटीसीए का एक प्रमुख कार्य राज्यों द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजनाओं को मंजूरी देना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 77. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: ग्रेट निकोबार द्वीप भारत में जैव विविधता संरक्षण और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

कथन II: यह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का घर है, जो अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करता है।

कथन III: यह द्वीप अंडमान सागर में स्थित है और भारत की मुख्य भूमि के सबसे निकट है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 78. नागरिकता अधिनियम, 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. भारत में जन्म से नागरिकता 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जाती है।
2. वंश द्वारा नागरिकता भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को उपलब्ध होती है यदि जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो।
3. नागरिकता पंजीकरण, देशीयकरण या क्षेत्र के समावेश द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 79. भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कृष्ण भक्ति काव्य और गीतों से जुड़ी ब्रज भाषा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है।
2. कुंभ मेला, जिसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे चार स्थानों पर आयोजित किया जाता है।
3. भारत में स्वतंत्र फिल्में अक्सर पारंपरिक या धार्मिक परिवेश से बचते हुए केवल शहरी जीवन और आधुनिकता में निहित विषयों का अन्वेषण करती हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 80. सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों और उनके उद्गम स्थानों पर विचार करें:

सहायक नदी	उद्गम स्थल
A. झेलम	1. रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड (हिमाचल प्रदेश)
B. चिनाब	**2.** मानसरोवर के पास राकस झील (तिब्बत)
C. सतलुज	**3.** वेरिनाग स्प्रिंग (जम्मू और कश्मीर)
D. ब्यास	**4.** चंद्रा और भागा नदियों का संगम (हिमाचल प्रदेश)

निम्नलिखित में कौन सी नदियां अपने उद्गम स्थलों के साथ सही सुमेलित है:

(a) A-3, B-4, C-2, D-1
(b) A-1, B-3, C-4, D-2
(c) A-4, B-1, C-2, D-3
(d) A-2, B-4, C-1, D-3

प्रश्न 81. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए विश्वसनीय विदेशी निवेशकों हेतु एकल खिड़की स्वचालित और सामान्यीकृत पहुँच (SWAGAT- FI) शुरू की है।

कथन II: वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध विदेशी निवेश में कमी आई है।

कथन III: स्वागत-एफआई ढाँचे का उद्देश्य चुनिंदा श्रेणी के निवेशकों के लिए पहुँच को एकीकृत, सुव्यवस्थित और मानकीकृत करके निवेश को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 82. भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एनआरएफ का उद्देश्य भारत में अनुसंधान और नवाचार के लिए एक एकीकृत, रणनीतिक और समन्वित दृष्टिकोण प्रदान करना है।
2. यह मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों और सार्वजनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अनुसंधान के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
3. एनआरएफ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं:

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 83. भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति और मैत्री संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह संधि मुख्य रूप से निम्नलिखित का प्रावधान करती है:

1. लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही
2. आर्थिक मामलों में नागरिकों के लिए समान राष्ट्रीय व्यवहार
3. बाहरी खतरों के विरुद्ध पारस्परिक रक्षा सहयोग

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 84. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 भारत में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

कथन 2: यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाली संस्थाओं को " डेटा फ़िड्यूशरी" के रूप में वर्गीकृत करता है और उनसे सहमति या वैध उपयोग के साथ केवल वैध उद्देश्यों के लिए डेटा संसाधित करने की अपेक्षा करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 85. अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. कुछ व्यापारों या व्यवसायों के लिए कराधान या लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ लागू करना।

2. बिना कारण किसी व्यक्ति को कोई पेशा अपनाने से पूरी तरह प्रतिबंधित करना।
3. जनहित की रक्षा के लिए व्यावसायिक मानकों को विनियमित करना।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 86. भारत में खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. खुदरा मुद्रास्फीति घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापती है।
2. इसकी गणना मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के माध्यम से की जाती है।
3. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) खुदरा मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य आधार है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/नहीं हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 87. "डिजिटल अरेस्ट" स्कैम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डिजिटल अरेस्ट साइबर जबरन वसूली का एक रूप है, जहाँ स्कैमर (धोखेबाज) पीड़ितों से पैसे की मांग करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करते हैं।
2. सोशल इंजीनियरिंग और मनोवैज्ञानिक हेरफेर डिजिटल अरेस्ट स्कैम को अंजाम देने में धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख रणनीतियाँ हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 88. स्कारबोरो शोल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दक्षिण चीन सागर में चीन व फिलीपींस दोनों इस पर अपना दावा करते हैं।
2. 2016 में, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) ने शोल पर चीन के "नाइन-डैश लाइन" दावे को बरकरार रखा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 89. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और केंद्रीकृत पंजीकरण को अनिवार्य करता है।
2. यह गैर-मुस्लिमों सहित किसी भी व्यक्ति को पूर्व अनुमोदन के बिना सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अनुमति देता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 90. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पीएलएफएस भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।
2. यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार और बेरोजगारी के वार्षिक अनुमान प्रदान करता है।
3. पीएलएफएस ने एनएसएसओ द्वारा आयोजित पंचवर्षीय रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) का स्थान लिया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 91. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. श्री नारायण गुरु केरल के एक समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए काम किया और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया।
2. उन्होंने त्रावणकोर में अस्पृश्यता और मंदिर प्रवेश उद्घोषणा के विरुद्ध लड़ने के लिए वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 92. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. टीडीबी केरल सरकार द्वारा त्रावणकोर क्षेत्र में मंदिरों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए गठित एक वैधानिक निकाय है।
2. टीडीबी मंदिर की संपत्तियों के रखरखाव, अनुष्ठानों और पुजारियों एवं कर्मचारियों के कल्याण के लिए ज़िम्मेदार है।
3. टीडीबी केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है और केंद्रीय हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम का पालन करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 93. टाइफॉन मिसाइल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. एक पूर्ण टाइफॉन बैटरी में आमतौर पर कई ट्रेलर-माउंटेड लॉन्चर और एक मोबाइल कमांड/पोस्ट और जनरेटर वाहन शामिल होते हैं।
2. जापान में प्रदर्शित होने से पहले इस प्रणाली को विदेशों (जैसे, फिलीपींस) में परिचालनात्मक रूप से तैनात किया गया था।
3. टाइफॉन केवल वायु-रोधी मिशनों तक सीमित है और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को लॉन्च नहीं कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 94. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट मुद्दों की जाँच हेतु भारतीय संसद द्वारा एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया जाता है।

कथन II: एक JPC में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं।

कथन III: JPC के निष्कर्ष सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, जिन्हें सरकार को लागू करना होता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 95. समाचारों में चर्चित शब्द 'डि-हाइफ़नेशन' किससे संबंधित है?
(a) इज़राइल और फिलिस्तीन के प्रति भारत की विदेश नीति
(b) ध्रुवीय भालू में शीतनिद्रा की प्रक्रिया
(c) अंटार्कटिका की बर्फ के पिघलने से ओज़ोन छिद्र का निर्माण
(d) साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक

प्रश्न 96. भारत में गेहूँ उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. गेहूँ मुख्य रूप से रबी मौसम में उगाया जाता है, और उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
2. फसल को बढ़ते मौसम के दौरान ठंडे मौसम और पकने व कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 97. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन 1: IAEA दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार है।
कथन 2: IAEA परमाणु अप्रसार मानदंडों का उल्लंघन करने वाले देशों पर सीधे प्रतिबंध लगाता है।
उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 98. यूक्रेन में ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
2. 2022 के संघर्ष के बाद से यह संयंत्र रूसी नियंत्रण में है।
3. IAEA सुरक्षा सुनिश्चित करने और परमाणु दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमित रूप से संयंत्र की निगरानी करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 99. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अमेरिका में कम ब्याज दरें भारत से पूंजी बहिर्वाह को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है।
2. अमेरिका में कम ब्याज दरें कमजोर रुपये के कारण वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती हैं।
3. फेड की ब्याज दरों में कटौती का भारत की घरेलू उधार दरों और मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से गलत हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 100. रडार प्रणालियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. निगरानी रडार का उपयोग मुख्य रूप से मिसाइलों, विमानों या तोपखाने के गोले जैसे आने वाले खतरों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने तथा हथियार प्रणालियों को लक्ष्यीकरण जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है।
2. अग्नि रडार का उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी पर हवाई क्षेत्र या समुद्री क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जाता है और ये सीधे तौर पर हथियारों को निर्देशित करने में शामिल नहीं होते हैं।
3. अग्नि रडार की सीमा निगरानी रडार से अधिक होती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 101. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन 1: विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है।
कथन 2: विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ, जिसे अब प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, परन्तु कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, परन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 102. क्रिसिल रेटिंग निवेशकों की निम्नलिखित तरीकों से मदद करती है:
(a) निवेश पर गारंटीकृत रिटर्न सुनिश्चित करना
(b) साख और चूक के जोखिम का आंकलन करना
(c) सरकारी मौद्रिक नीति निर्धारित करना
(d) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना

प्रश्न 103. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. UNSC प्रस्ताव 1267 के तहत व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी घोषित कर सकता है, जिससे सभी सदस्य देशों पर संपत्ति ज़ब्त करने, यात्रा प्रतिबंध लगाने और हथियार प्रतिबंध जैसे प्रतिबंध लगाने का दायित्व आ जाता है।
2. UNSC प्रस्तावों के तहत किसी आतंकवादी संगठन को सूचीबद्ध करने के लिए महासभा में दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 104. चाबहार बंदरगाह परियोजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. चाबहार बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।
2. यह परियोजना भारत, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से विकसित की जा रही है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 105. अब्राहम समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. इज़राइल और कुछ अरब देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए 2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब्राहम समझौते को सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई।
3. समझौते में एक फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना करके इज़राइल-फ़िलिस्तीनी संघर्ष को हल करने की प्रतिबद्धताएँ शामिल थीं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 106. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका होती है।

कथन 2: कोई भी विपक्षी दल, चाहे उसकी संख्या कितनी भी हो, अपने नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे सकता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 107. दुर्लभ मृदा धातुओं (REMs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दुर्लभ मृदा धातुएँ उच्च तकनीक वाले उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
2. भारत दुनिया में दुर्लभ मृदा धातुओं के शीर्ष उत्पादकों में से एक है, जिसके महत्वपूर्ण भंडार ओडिशा और केरल में केंद्रित हैं।
3. दुर्लभ मृदा धातुएँ आमतौर पर उच्च सांद्रता में पाई जाती हैं और इन्हें निकालना और संसाधित करना आसान होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 108. भारत में न्याय व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) अदालतों के लिए ज़मानत देना मुश्किल बना देता है, भले ही अभियुक्त विचाराधीन हो और सबूत निर्णायक न हों।
2. न्यायिक देरी और बार-बार स्थगन, मुकदमे की प्रक्रिया को ही दंड का एक रूप बना सकते हैं।
3. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) ने यूएपीए जैसे आतंकवाद-रोधी कानूनों के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को मज़बूत किया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर कुंजी

1. (a)	28. (a)	55. (a)	82. (b)
2. (b) (1&3)	29. (a)	56. (a)	83. (d)
3. (d)	30. (b)	57. (b)	84. (a)
4. (c)	31. (a)	58. (a)	85. (c)
5. (c)	32. (b)	59. (d)	86. (a) (3 only)
6. (b) (1&2)	33. (a)	60. (b)	87. (c)
7. (d)	34. (a)	61. (c)	88. (a)
8. (b)	35. (b)	62. (a)	89. (a)
9. (a)	36. (a)	63. (d)	90. (c)
10. (c)	37. (d)	64. (a)	91. (a)
11. (b)	38. (b)	65. (a)	92. (b) (1&2)
12. (d)	39. (d)	66. (a)	93. (a)
13. (a)	40. (a)	67. (d)	94. (c)
14. (c)	41. (d)	68. (b)	95. (a)
15. (c)	42. (d)	69. (a)	96. (c)
16. (c)	43. (a)	70. (d)	97. (c)
17. (d)	44. (d)	71. (b)	98. (d)
18. (b) (1 & 2)	45. (d)	72. (a)	99. (d)
19. (d)	46. (c)	73. (b)	100. (d)
20. (b)	47. (d)	74. (c)	101. (b)
21. (c)	48. (c)	75. (c)	102. (b)
22. (a)	49. (a)	76. (c)	103. (a)
23. (c)	50. (a)	77. (c)	104. (a)
24. (b)	51. (a)	78. (c)	105. (a)
25. (a)	52. (a) (1&2)	79. (a)	106. (c)
26. (a)	53. (d)	80. (a)	107. (a)
27. (a)	54. (c)	81. (b)	108. (a)

दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद भारत में कुपोषण की समस्या बनी हुई है। इस समस्या से निपटने में संरचनात्मक बाधाएँ क्या हैं? भारत में पोषण सुरक्षा में सुधार के उपाय सुझाएँ। (जीएस 1, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: भारत में प्रवासी श्रमिकों को आर्थिक समावेशन तो मिलता है, लेकिन राजनीतिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। उनकी चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और सुधार के उपाय सुझाइए। (जीएस 2, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न: भारत में अंगदान में लैंगिक असमानता में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं, और इस असंतुलन को दूर करने में NOTTO द्वारा हाल ही में की गई पहल कितनी प्रभावी रही है? (जीएस 2, 150 शब्द 10 अंक)

प्रश्न: विविधता में एकता का विचार भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विशेषता रही है। भारत की सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस विचार ने भारत के राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया है? (जीएस 1, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: भारत छोड़ो आंदोलन किन घटनाओं के कारण हुआ? इसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। (जीएस 1, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न: "महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 का कार्यान्वयन समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, इसके विलंबित क्रियान्वयन से राजनीतिक इच्छाशक्ति और संरचनात्मक बाधाओं को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।" समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (जीएस 2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) भारत के अतीत के संरक्षण और व्याख्या में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। हाल के विवादों के आलोक में, इसकी ऐतिहासिक भूमिका, विश्वसनीयता की चुनौतियों और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (जीएस 1, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न: कार्बन खेती क्या है और पुनर्योजी कृषि भारत में सतत खाद्य प्रणालियों में किस प्रकार योगदान दे सकती है? इनके बड़े पैमाने पर अपनाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (जीएस 3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: भारत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों (ईसीईएच) जैसी पहलों के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात की संभावनाओं का पता लगा रहा है। भारत से ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। क्या सरकार को एमएसएमई को समर्थन देने के लिए इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देनी चाहिए? (GS3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पहुँच बढ़ाने और सामर्थ्य सुनिश्चित करने की दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक समावेशी, कुशल और टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा मॉडल बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। (जीएस 2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: समानता की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, भारत की उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। इस कम प्रतिनिधित्व के कारणों पर चर्चा कीजिए और न्यायिक प्रणाली में अधिक लैंगिक समावेशिता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। (जीएस 2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता का परीक्षण कीजिए और देश की वर्तमान ऊर्जा नीति के आलोक में राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (जीएस 3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न: बदलती वैश्विक भू-राजनीति की पृष्ठभूमि में, भारत और जापान के बीच अभिसरण के प्रमुख क्षेत्रों का परीक्षण कीजिए। उनकी साझेदारी में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, तथा द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ एवं गहन बनाने के उपाय सुझाइए। (GS2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: भारत में शहरीकरण ने सेवाओं को बढ़ाया है, लेकिन सामाजिक बंधन और सामुदायिक विश्वास को कमज़ोर किया है। सामाजिक पूँजी पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। (जीएस 1, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न: संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से भारत के विनिर्माण और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए चिंताएँ बढ़ गई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऐसे बाह्य व्यापार झटकों के व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के मद्देनजर भारतीय निर्यात की लचीलापन बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए। (जीएस 3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने में भारत के वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यह केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी शासन में किस प्रकार योगदान देता है? आयोग के समक्ष आने वाली कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। (जीएस 3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने की बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ अक्सर आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और जनजातीय अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करती हैं। भारत में संवैधानिक सुरक्षा उपायों, कानूनी प्रावधानों और नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिए जिनका उद्देश्य इन चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करना है। (जीएस 2 और 3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: ब्रिक्स किस हद तक वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आवाज़ के रूप में उभरा है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, भारत के लिए अपने सामरिक हितों की रक्षा करते हुए इस समूह के साथ अपनी सहभागिता बढ़ाने हेतु उपाय सुझाइए। (जीएस 2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: 21वीं सदी में तकनीकी संप्रभुता राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में चुनौतियों और संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए, भारत के लिए तकनीकी स्वतंत्रता के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। (जीएस 3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: भारत की बढ़ती ऊर्जा माँगों को देखते हुए, एक स्थायी समाधान के रूप में परमाणु ऊर्जा की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसकी संभावनाओं और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (जीएस 3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: स्वास्थ्य क्षेत्र में जीएसटी 2.0 सुधारों का उद्देश्य चिकित्सा देखभाल और निवारक सेवाओं को और अधिक किफायती बनाना है। परिवारों और स्वास्थ्य सेवा उद्योग पर इनके संभावित प्रभाव का परीक्षण कीजिए। (जीएस 3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न: भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रह है, जो मानवता की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक यात्रा को दर्शाता है। भारत की ज्ञान विरासत के संरक्षण में इन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसमें शामिल चुनौतियों का भी परीक्षण कीजिए और उनसे निपटने के उपाय सुझाइए। (जीएस 1&2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: पूर्ण न्यायिक क्षमता और छुट्टियों के दौरान आंशिक कार्य दिवस जैसे उपायों के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। इस निरंतर लंबित मामलों के कारणों पर चर्चा कीजिए और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत सुधारों का सुझाव दीजिए। (जीएस 2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न: निजी प्राणिविज्ञान और पुनर्वास पहलों में वन्यजीव संरक्षण, कानूनी अनुपालन और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (जीएस 3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न: न्यायिक प्रयोगवाद, यद्यपि प्रणालीगत चिंताओं का समाधान करने पर केंद्रित है, कभी-कभी न्याय तक पहुँच और आपराधिक न्याय संस्थाओं की कार्यात्मक स्वायत्तता को कमज़ोर कर सकता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। (जीएस 2, 150 शब्द, 10 अंक)

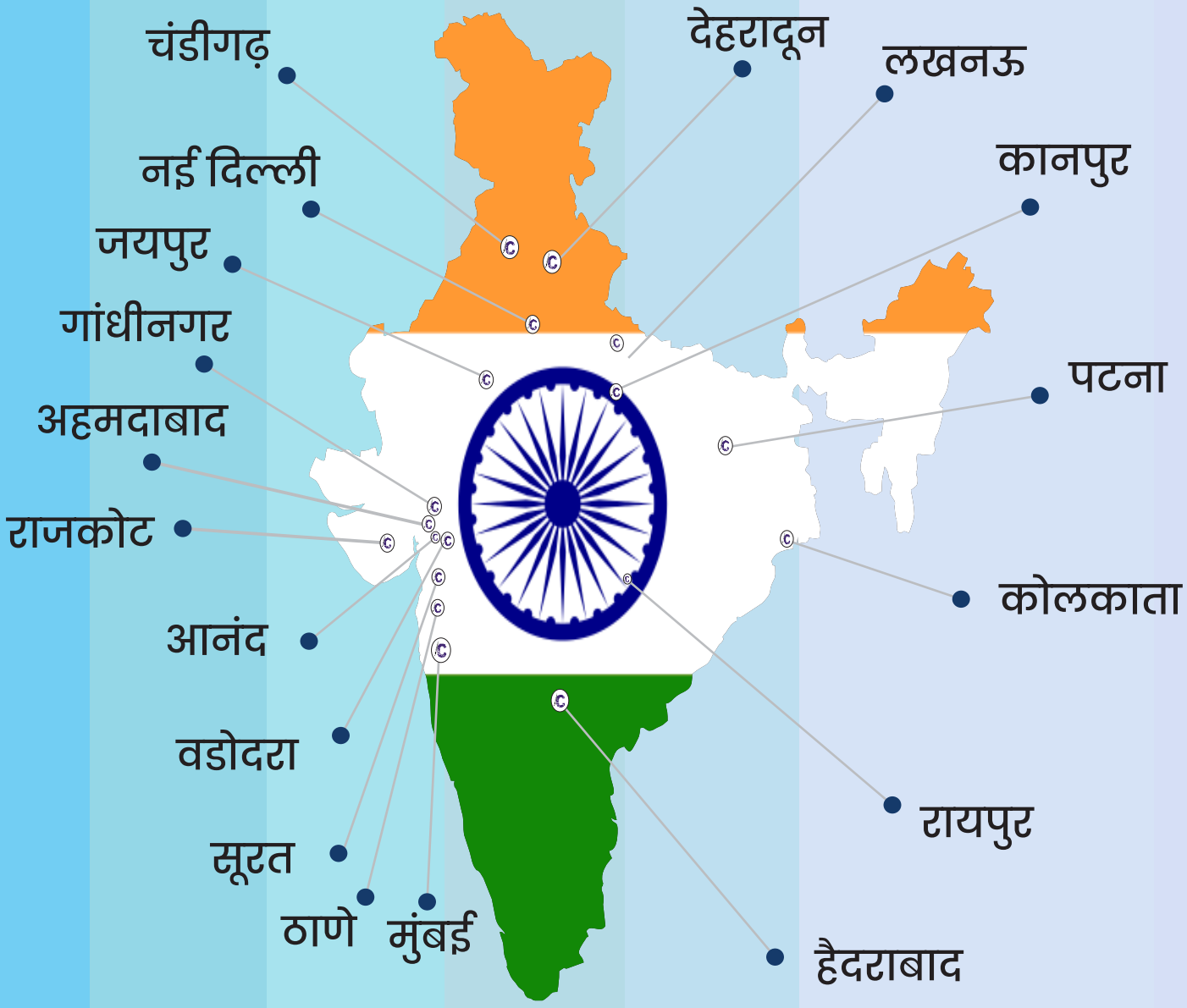
प्रश्न: भारत में वक्फ संपत्तियाँ कुप्रबंधन और अतिक्रमण की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वक्फ बोर्डों की भूमिका का परीक्षण कीजिए और उनके कामकाज में सुधार के उपाय सुझाइए। (GS2, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न: भारत में जाति जनगणना को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के एक साधन और शासन के लिए एक चुनौती, दोनों के रूप में देखा जाता है। जाति-आधारित जनगणना कराने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (जीएस I, 250 शब्द, 15 अंक)

CHAHAL ACADEMY

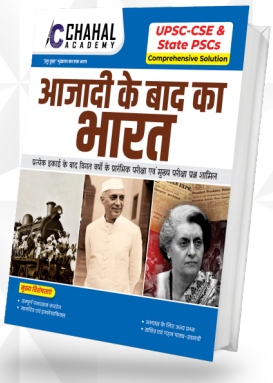
सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एक अग्रणी संस्थान

हमारी अखिल भारतीय स्तर पर अवस्थिति



चहल एकेडमी द्वारा
ब्लू बुक सीरीज

हमारी "ब्लू बुक" सीरीज की पुस्तकें



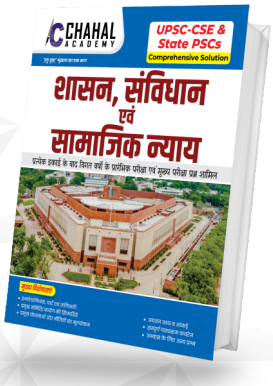




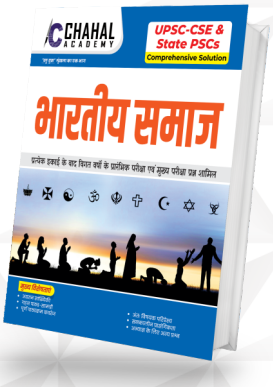












किसी भी जानकारी या ऑर्डर करने के लिए 9205927650

CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)
www.chahalacademy.com
Follow Us

MRP. ₹120.00